www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

LAXMI®

PAPER-II

Exam Notes

समकालीन भारत तथा शिक्षा

(CONTEMPORARY INDIAN AND EDUCATION)

B.Ed.-1st Year

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ
डॉ. प्रेम लता जोशी

Ch. Ranbir Singh University, Jind,
Maharshi Dayanand University, Rohtak,
Indira Gandhi University, Meerpur,
Guru Jambheshwar University, Hissar

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

According to the Syllabus

Maharshi Dayanand University, Rohtak, Ch. Bansi Lal University Bhiwani, Ch. Ranbir Singh University, Jind, Indra Gandhi University, Meerpur, Guru Jambheshwar University, Hissar

LAXMI®

EXAM NOTES

समकालीन भारत तथा शिक्षा

[CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION]

[Paper–2]

For :
B.Ed.–1st year

लेखक :

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ
एम.ए., एम.एड.,
एम.फिल. (अंग्रेजी) पी.एच.डी.

डॉ. प्रेम लता जोशी
एम.ए. (हिन्दी), एम.फिल., पी.एच.डी.
(एजुकेशन) महिला शिक्षा महाविद्यालय,
झोंझू कलाँ, भिवानी

–: प्रकाशक :–

Ph. : 7206043575

LAXMI BOOK DEPOT Hansi Gate, Bhiwani

लक्ष्मी बुक डिपो

(उच्च कोटि की लक्ष्मी पुस्तकों के प्रकाशक)
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

New Edition

Price : ₹ 150/-

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

THE BIG BILLION OFFER

25% Discount
For first 10 students

Call us on 7206205020

B.Ed
M.Ed
D.Ed

- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

Published by :
LAXMI Book Depot
Hansi Gate, Bhiwani
Haryana
Ph. : 8295643575, 7206043575

Sales Executives :
BRIJ LAL & SONS
Railway Road, Rohtak, Haryana
Phone : 09355911047, 09355911077

Sales Executives :
HARYANA Educational Store
Model Town, Rohtak-124001
Phone : 01262-282142 (Shop)
Mob. : 09812221923

Sales Executives :
KALA MANDIR
1687, Nai Sarak, Delhi-110006
Phone : 011-43068496, 011-17118976
011-23278828, 09999369805

Registered Trade Mark No. 832158, 831949

"This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action..."

effort has been made to avoid erUors or omissions in this publication. In spite of me erUors might have crept in. Any mistake, erUor or discrepancy noted may ught to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified either the publisher nor the authors or seller will be responsible for any damage ss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom.

Laxmi Book Depot
No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system] or reproduced on any disc, type perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Design by :
VIBHUTI COMPUTERS
New Delhi

Printed by :
Novelty Printing Press
Delhi-110053

SYLLABUS

CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION
[PAPER–2]

Time: 3 Hours **Max. Marks: 100**
(Theory: 80, Internal:20)

NOTE FOR PAPER SETTER

(i) Paper setters will set 9 questions in all, out of which students will be required to attempt 5 questions.

(ii) Q. No. 1 will be compulsory and carries 16 marks. There will be 4 short-answer type questions of 4 marks each to be selected from the entire syllabus.

(iii) Two long answer type questions will be set from each of the four units, out of which the students will be required to attempt one question from each unit. Long-answer type questions will carry 16 marks each.

(iv) All questions will carry equal marks.

OBJECTIVES : After completion of the course, student teachers will be able to:

- understand perspectives in education including social bases of education
- critically understand the constitutional values related to aims of education
- analyze varied aims of education and its process aspects
- develop their own view about education and its development in social and cultural context
- develop a personalized professional view of one's pedagogical role
- think critically about the prevailing conditions of the society and their remedies
- visualize meaningfully the contemporary India
- develop an understanding of trends, issues and challenges facing contemporary Indian Society

COURSE CONTENTS

UNIT-I

1. **Constitution of India and Education**
   - Concurrent status of education
   - Policies, Acts and Provisions related to education
   - Education of marginalized and socially disadvantaged segments
   - Education and Fundamental Rights and Duties: Articles 14, 15, 16, 30 and 51A
   - Directive Principles of State Policies
   - Right to Education (RTE) Act 2009

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

UNIT-II

2. Review of Education Commissions and Policies in India:

- Prominent characteristics of education in India during colonial rule
- Critical appraisal of recommendations of following commissions
  - (i) Secondary Education Commission (1952-53)
  - (ii) Indian Education Commission (1964-66)
  - (iii) National Policy of Education (1986)
  - (iv) Ramamurthy Education Commission (1990)
  - (v) Programme of Action (1992)
- National Curriculum Framework 2005: Needs and Objectives

UNIT-III

3. Contemporary Issues in Indian Education

- Universalization of Elementary Education and related issues such as MDM, SSA and RMSA
- Issues and Debates on Globalization, Liberalization and Privatization
- Common School System
- Vocationalisation of Education
- Three Language Formulas
- Open learning and distance education System
- Modernization: Concept, Advantages & Disadvantages

UNIT-IV

4. Emerging Concerns of Indian Society and Education

- Culture and Education
- Democracy and Education
- Inequalities in ancient, medieval and modern education
- New Economic Reforms and their impact on Education
- Education for Technological Empowerment
- Role of teacher in the context of Universal Education
- Reservation as an egalitarian Policy

Task & Assignments: Any one of the following (10 marks)

- Project on conflicts and social movements in India.
- Role of media in democracy.
- Impact of electronic media on children.
- Challenges of pluralistic education in the contexts of conflict.
- Any other task/assignment given by the institution.

CONTENTS

UNIT-I

1. भारतीय संविधान
[Constitution of India and Education] 3

1. शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है?
(Why the subject of education is placed in cencurrent list?)
अथवा
भारतीय संविधान में शिक्षा के समवर्ती स्तर की विवेचना कीजिए।
(Discuss the concurrent status of education in Indian constitution.)....................................3

2. शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों, अधिनियमों तथा प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
(Explain the policies, acts and provisions related to education.)
....................................5

3. वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। वंचित वर्ग की शिक्षा की संक्षेप में विवेचना कीजिए।
(What do you understand by Deprived? Describe in brief its various types. Discuss in brief the Education of the Deprived.) 10

4. भारतीय संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
(Critically discuss about the fundamental rights as given in the Indian-Constitution.)
अथवा
भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
(Critically explain the Fundamenatal Rights as given in the Indian Constitution.)....................................12

5. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इनका क्या महत्त्व है?
(Describe the Fundamental Duties of Indian Constitution. What is their importance?)
अथवा
मौलिक कर्तव्य क्या हैं? इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है?
(What are fundamental duties? What is the purpose of including these in Indian Constitution?)
अथवा
संविधान की धारा 51 में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।.............17

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

6. भारतीय संविधान की धारा 30 में शिक्षा के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं?
(What provisions are made about education in Article 30 of the Indian Constitution?)

अथवा

'संविधान की धारा 30 व शिक्षा' विषय पर निबन्ध लिखिए।
(Write an essay on 'Article 30 of the Constitution and Education'.)

अथवा

धारा 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए गए हैं?
(What rights are granted to minorties by article 30 of the constitution?) 19

7. संविधान की धारा 14, 15 व 16 तथा शैक्षिक प्रावधान विषय पर संक्षिप्त नोट लिखें।
(Write short note on Article 14, 15 and 16 of the constitution and educational provisions.)

अथवा

संविधान की धारा 14, 15 व 16 में शिक्षा के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं?
(What provisions are made regarding education in Article 14, 15 and 16 of the constitution?) 20

8. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
(Describe in brief the Directive Principles of State Policy.) 23

9. भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों की धारा 41, 45 व 46 में प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है?
(What provision is made in artical 41, 45 and 46 in directive principles of Indian constituion?)

अथवा

निम्नलिखित पर नोट लिखें—
नीति निर्देशक तत्त्वों की धारा 41, 45, व 46।
(Write short note on :
Article 41, 45 and 46 of directive principles.) 26

10. शिक्षा का अधिकार विधयेक-2009 की विस्तृत विवेचना कीजिए।
(Write a detailed note on Right to Education Act 2009.)

अथवा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
(What is Right to Education Act 2009? Throw light on its main features.) 27

UNIT-II

2. **भारत में शिक्षा आयोगों तथा नीतियों की समीक्षा**
[Review of Education Commissions and Policies in India]......37

1. एडम रिपोर्ट के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
(Write a detailed note on Adam's Report.)

अथवा

एडम रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? इस रिपोर्ट के गुण-दोषों का वर्णन कीजिए।
(What do you know about Adam's Report? Describe the merits and demerits of Adam's Report.) 37

2. मैकाले के विवरण-पत्र पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
(Write a detailed note on Macaulay's Minutes.) 41

3. वुड के घोषणा पत्र, 1854 पर एक विस्तृत नोट लिखिए।
(Write a detailed note on Wood's Dispatch, 1854.)

अथवा

वुड के घोषणा-पत्र 1854 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए तथा घोषणा पत्र, 1854 के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।
(Describe the major recommendations of Wood's Dispatch 1854. Discuss the merits and demerits of Wood's Dispatch, 1854.)
....................45

4. सारजेंट योजना 1944 पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
(Write a detailed note on Sergeant Plan 1944.)

अथवा

सारजेंट योजना की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए। इस योजना के गुण-दोषों का भी वर्णन कीजिए।
(Describe the main recommendations of Sergeant Plan. Describe its merits and demerits also.)

अथवा

सारजेंट रिपोर्ट (1944) के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में सारजेंट रिपोर्ट का क्या योगदान है? 49

5. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
(Write a detailed note on Secondary Education Commission 1952-53.)

अथवा

माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(Describe the main features of Secondary Education Commission 1952-53.) 56

6. भारतीय शिक्षा आयोग, 1964-66 पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
(Write a detailed note on Indian Education Commission, 1964-66.)

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

अथवा

"शिक्षा आयोग (1964-66) का विश्वज्ञान कोष है?" इस कथन के प्रकाश में आयोग का मूल्यांकन कीजिए। 63

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की विस्तृत विवेचना कीजिए।
(Discuss National Education Policy, 1986 in detail.)

अथवा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(Explain the salient features of National Education Policy, 1986.)....................69

8. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण–2005 की आवश्यकता तथा उद्देश्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
(Describe the need and objectives of Natonal Curriculam Formework–2005.)

अथवा

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की क्या आवश्यकता है?
(What is the need of National Curriculam Frame Work 2005.)

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विकास में पाठ्यक्रम का क्या महत्त्व है?
(What is the importance of curriculum for National or International development?)....................79

9. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की क्या आवश्यकता है?
(What is the need of National Curriculum, 2005?)....................80

UNIT-III

3. **भारतीय शिक्षा के समकालीन मुद्दे**
[Contemporary Issues in Indian Education]....................85

1. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? प्राथमिक शिक्षा के परिमाणात्मक पक्ष से संबंधित वर्तमान स्थिति, प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की समस्याओं तथा इसके समाधान हेतु उचित सुझावों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुये प्राथमिक शिक्षा के परिमाणात्मक पक्ष, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित समस्याओं तथा इसके सुधार से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुझावों की विवेचना कीजिये।

अथवा

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? विस्तार से बताइए।
(What is universalization of Elementary Education. Explain in detail.)....................85

2. मध्याह्न भोजन स्कीम के मुख्य उद्देश्यों तथा कमियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

अथवा

मध्याह्न भोजन स्कीम या मध्य दिवसीय योजना के अर्थ तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी मुख्य कमियों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 90

3. सर्वशिक्षा अभियान क्या है? इसके लक्ष्य तथा कार्यनीतियों का वर्णन कीजिए।
(What is Sarva Shiksha Abhiyan? Describe its Aims and Programmes.)

अथवा

सर्वशिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य कौन-कौन से हैं? सर्वशिक्षा अभियान के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए।
(What are the aims of Sarva Shiksha Abhiyan? Describe its main Components.)

अथवा

सर्वशिक्षा अभियान पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on Sarva Shiksha Abhiyan.)....................91

4. सर्व शिक्षा अभियान का (दूसरा चरण) Phase-II dks R.M.S.A. क्यों रखा गया? इसकी क्या आवश्यकता हुई?
(Need's of Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (R.M.S.A.) Phase–II.)

अथवा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) की मूल संस्तुतियों पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on basic recommendations of Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (RMSA).....................94

5. सर्व शिक्षा अभियान का तीसरा चरण कौन-कौन से राज्यों में प्रारंभ किया गया है और क्यों?
(In which states the of R.M.S.A. Phase–III is implemented and why?)....................96

6. वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए।
(What is globalisation ? Describe the advantages and disadvantages of Globalisation.).................... 98

7. सामान्य स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं? सामान्य निकटवर्ती स्कूल की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए।
(What do you understand by common school? Write a short note on need of common neighbourhood school.)

अथवा

समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।
(What is Inclusive Education? Describe the need and importance of Inclusive Education.)....................101

8. शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता तथा महत्त्व पर प्रकाश डालिए। विभिन्न आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए क्या सुझाव दिए हैं?
(What do you understand by Vocationalisation of Education? Highlight its need and importance. Discuss the suggestions of various commissions for Vocationalisation of Education.)

अथवा

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

शिक्षा के व्यावसायीकरण का क्या महत्व है? हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को यह कैसे पूरा करता है?
(What is the importance of vocationalization of education? How can it future the needs of our country.) 105

9. भाषाओं और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई है?
(What preparation has been done for the languages and three languages in education system for secondary education?)

अथवा

भारत में भाषाओं और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या (फार्मूला) व्यवस्था दी गई है, वर्णन कीजिए।
(Explain the languages and three languages formula for secondary education in India.)..108

10. दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है? दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता, गुणों तथा अवगुणों पर प्रकाश डालिए।
(What is the meaning of distance education? Throw light on the need, merits and demerits.)..110

11. मुक्त शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? संक्षेप में स्पष्ट करें।
(What do you mean by open education? Clarify in short.)

अथवा

संक्षिप्त टिप्पणी अथवा नोट लिखें—मुक्त शिक्षा।
(Write short note on : Open education.)............................115

12. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ-हानियों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by modernization? Describe the advantages and disadvantages of modernisation.)............................ 117

UNIT-IV

4. **भारतीय समाज के उभरते हुए सरोकार तथा शिक्षा**
[Emerging Concerns of Indian Society And Education].........123

1. संस्कृति क्या है? शिक्षा तथा संस्कृति के सम्बन्ध का वर्णन कीजिए।
(What is culture? Describe the relationship between culture and education.) 123

2. प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धान्तों तथा भारतीय प्रजातान्त्रिक आदर्शों के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन कीजिए।

अथवा

प्रजातंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धान्तों तथा प्रजातंत्र के आदर्शों का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिये।.............................127

3. प्राचीन शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा की असमानता का वर्णन कीजिए।

अथवा

प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य के आपसी सम्बन्धों की आज के युग से तुलना कीजिये। इस परिवर्तन के कारणों पर भी प्रकाश डालिये।

अथवा

प्राचीन भारत में अध्यापक तथा छात्र के आपसी सम्बन्धों, शैक्षिक संस्थाओं तथा स्त्री-शिक्षा का उल्लेख कीजिये।

अथवा

गुरु और शिष्य के सम्बन्ध प्राचीन भारत में किस प्रकार के थे? आज के युग से उनकी तुलना कीजिए। इस परिवर्तन के क्या कारण हैं? 130

4. प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक शिक्षा के उद्देश्यों में असमानताओं का वर्णन कीजिए। 133

5. नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? नए आर्थिक सुधारों के शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by New Economic reforms? Describe their impact on education.)

अथवा

शिक्षा तथा आर्थिक सुधारों के सम्बन्ध की व्याख्यायित कीजिए।
(Describe the relationship between education and economic reforms.)...137

6. तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए।
(Discuss the role of education in technological development.)

अथवा

शिक्षा तकनीकी सशक्तीकरण में कैसे मदद कर सकती है?
(How can education help in technological empowerment?)

अथवा

शिक्षा तथा नवीन तकनीकी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
(What do you understand by integration between Education and Technology Elaborate.)..141

7. एक आदर्श अध्यापक या शिक्षक के गुणों या योग्यताओं की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिये।

अथवा

सर्वव्यापी या वैश्विक शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है? 144

8. समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण का वर्णन कीजिए।

अथवा

शिक्षा के समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा के समानता लाने में आरक्षण किस तरह मदद करता है?..149

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

LAXMI®

EXAM NOTES

समकालीन भारत तथा शिक्षा

[CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION]

[Paper–2]

UNIT–I

1. ***Constitution of India and Education***
   - *Concurrent status of education*
   - *Policies, Acts and Provisions related to education*
   - *Education of marginalized and socially disadvantaged segments*
   - *Education and Fundamental Rights and Duties: Articles 14, 15, 16, 30 and 51A*
   - *Directive Principles of State Policies*
   - *Right to Education (RTE) Act 2009*

Published by :
LAXMI BOOK DEPOT

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

1

भारतीय संविधान
[Constitution of India and Education]

1.1 शिक्षा का समवर्ती स्तर
(Concurrent Status of Education)

1. शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है?
(Why the subject of education is placed in cencurrent list?)

अथवा

भारतीय संविधान में शिक्षा के समवर्ती स्तर की विवेचना कीजिए। **(C.D.L.U. 2018)**
(Discuss the concurrent status of education in Indian constitution.)

उत्तर–सरकार के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शैक्षिक कार्य (Educational Functions of Government at Various Levels)–सरकार के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से सम्बन्धित कर्तव्यों तथा दायित्वों का उल्लेख विस्तार से संविधान में किया गया है। इसके अनुसार सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि वह केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करेगी। जैसा कि सर्वविदित है भारत में संघीय संविधान की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा किया गया है। इस बँटवारे के कारण शक्ति से सम्बन्धित तीन मुख्य सूचियों का निर्माण हुआ, जो निम्नलिखित हैं–

(i) केन्द्रीय सूची (Central list)
(ii) राज्य सूची (State list)
(iii) समवर्ती सूची (Concurrent list)

(i) केन्द्रीय सूची (Central list)–केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत जिन विषयों को निहित किया गया है, उन विषयों पर तथा उनसे सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार केन्द्र का है।

कुछ संस्थाएँ देश में ऐसी भी थीं जिनका स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अपना अस्तित्व था। वे संस्थाएँ थीं–बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University), दिल्ली विद्यालय (Delhi University), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) तथा विश्वविद्यालय जो कि भाग 371 E (Article 371-E) के अन्तर्गत स्थापित किए गए तथा दूसरे संस्थान जो कि विधान सभा द्वारा कानून बनाकर घोषित किए गए, सभी राष्ट्रीय महत्त्व रखते हैं। उन संस्थाओं का उल्लेख Entry 63 (Union List) में मिलता है।

इसके बाद कई और विश्वविद्यालयों जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) को विधान सभा द्वारा इसी नियम के तहत स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त वे सभी वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थाएँ जो पूर्ण या आंशिक रूप से भारत सरकार के पैसों से चलती हैं, उन्हें विधान सभा के कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में तबदील कर दिया गया (Entry 64)।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

विधान सभा द्वारा इसी प्रविष्टि के अन्तर्गत कई और सूचना तकनीकी संस्थाओं (Information Technology Institutions) की स्थापना की गई।

Entry 65 के अन्तर्गत चालू की गई संयुक्त संस्थाएँ निम्नलिखित हैं–

(i) विशेष अध्ययन के लिए अनुसंधान केन्द्र।

(ii) जुर्म को जाँचने के लिए तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता के लिए संस्थाएँ।

(iii) पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएँ, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएँ।

Entry 66 के अन्तर्गत शुरू की गई संयुक्त संस्थाएँ निम्नलिखित हैं–

(i) उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में तालमेल ऊपर स्तर निश्चित करना।

(ii) यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (U.G.C.) की स्थापना करना आदि।

Entry 67 के अन्तर्गत शुरू की गई संयुक्त संस्थाएँ निम्नलिखित हैं–

(i) प्राचीन और ऐतिहासिक चिह्न या स्मारक और उनका इतिहास तथा प्राचीन वस्तुओं की विधा और शेष जिसे कि विधान सभा द्वारा पारित किए गए कानून द्वारा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है।

(ii) राज्य सूची (State List)–राज्य सूची में जो विषय आते हैं, उन विषयों से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। इस सूची में जिन विषयों का जिक्र किया गया है वे स्थानीय हितों से सम्बन्धित हैं।

Entry 11 शिक्षा में शामिल है वह विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65, 66 के अन्तर्गत समवर्ती सूची के तहत बनाए गए हैं।

(iii) समवर्ती सूची (Concurrent List)–Entry 25 शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जैविक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय जो कि यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65, 66 के तहत स्थापित हुई, व्यावसायिक तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण सहित।

Entry 26 के अनुसार कानूनी चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा दूसरे व्यवसाय। राज्य विधान सभा Entry 25 के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करती है। लेकिन यह दर्शायी गई यूनियन सूची की प्रविष्टियों के द्वारा भी नियमित की जाती है। इसलिए राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संयुक्त सरकार को संविधान की धाराओं को स्पष्ट करना जरूरी है।

राज्य सूची के अन्तर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर आधारित कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार केवल केन्द्र को है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची से सम्बन्धित कानून बनाने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य दोनों को समान रूप से है। वैधानिक ताकतों का यह पृथक्करण प्रत्येक सूची में सम्मिलित विषयों की प्रकृति के आधार पर किया गया है। पहली सूची में राष्ट्र हितों से सम्बन्धित विषय आते हैं। दूसरी सूची में वे विषय आते हैं जो स्थानीय हितों से सम्बन्धित हैं तथा तीसरी सूची के अन्तर्गत वे विषय आते हैं जिनके लिए समस्त संघ में एकरूपता होने की आवश्यकता तो है परन्तु अनिवार्यता नहीं। इसलिए उन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य सरकार को समान रूप से दिया गया है।

◆◆◆

1.2 शिक्षा से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम तथा प्रावधान (Policies, Acts and Provisions related to Education)

2. शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों, अधिनियमों तथा प्रावधानों का वर्णन कीजिए। (M.D.U. 2018)
(Explain the policies, acts and provisions related to education.)

उत्तर–भारतीय संविधान के अनुसार सभी वर्गों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से समानता प्राप्त है। संविधान में निम्नलिखित मूल अधिकार दिए गए हैं :–(1) समता का अधिकार। (1) स्वतंत्रता

का अधिकार। (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार। (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। (5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

संविधान की धारा (Article) 14 में 'कानून के समक्ष समानता' (Equality before law) का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। इसी दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए हमारे संविधान-निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएँ की हैं।

अनुच्छेद-15–धर्म, मूलदेश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth)–

1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर : (क) दुकानों, सार्वजनिक, भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता (Disability) दायित्व, निर्बधन (Restriction) या शर्त के अधीन नहीं होगा।
3. इस धारा के आधार पर राज्य को महिलाओं तथा बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने में कोई रुकावट नहीं होगी। इसमें उनकी शिक्षा भी सम्मिलित है।

अनुच्छेद 16–लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता–

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
2. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग उद्‌भव (Oescent), जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

अनुच्छेद 17–अस्पृश्यता का अंत–अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।

अनुच्छेद 19–स्वतन्त्रता का अधिकार–वाक्-स्वतन्त्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण : सभी नागरिकों को अधिकार होगा–

(क) वाक्-स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता का, (ख) शान्तिपूर्वक और निरामुध (Without arms) सम्मेलन का, (ग) संगम (Association) या संघ (Union) बनाने का, (घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, (ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, (च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का।

शोषण के विरुद्ध अधिकार–अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध–मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिबद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

अनुच्छेद 24–कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध–चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन (Hazardous employment) में नहीं लगाया जाएगा।

धर्म संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार–अनुच्छेद 25–अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता–लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

अनुच्छेद 26–धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता–लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को अधिकार होगा–(क) धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, (ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का, (ग) चल संपति और अचल संपति के अर्जन और स्वामित्व का, और (ब) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का।

अनुच्छेद 29–अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण–इसके अनुसार (1) भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग या उसके किसी भी भाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।"

(2) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर दाखिला होने की मनाही नहीं होगी।

अनुच्छेद 30–अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थायें स्थापित करना व उनका प्रबन्ध करने का अधिकार–संविधान की धारा 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्था में स्थापित करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार प्रदान करती है–इसमें सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वह किसी धर्म, भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद की शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करने और प्रबन्ध करने का अधिकार है। साथ ही शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देते समय राज्य किसी शिक्षा-संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद-भाव नहीं करेगा कि उसका प्रबन्ध धर्म या भाषा पर आधारित किसी विशेष अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा किया जाता है।

सेकेण्डरी शिक्षा आयोग एवं भारतीय शिक्षा आयोग ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओं में विघटनकारी प्रवृत्तियों तथा जातीय कट्टरता को प्रोत्साहन दिया जाता है। संविधान प्राईवेट स्कूलों की स्थापना का अधिकार अवश्य देता है, परन्तु भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए उन पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखने का सुझाव दिया है।

धारा 46–संविधान को इस धारा के अनुसार संघीय सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी है। इसमें राज्य के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के विकास का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। यह राज्य की नीति का एक निदेशक सिद्धान्त है।

धारा 338–यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था करना।

1. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
2. यह विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं से सम्बन्धित मामलों की छान-बीन करे और राष्ट्रपति के निर्देश पर समय-समय पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाए।
3. इस धारा में वर्णित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में उन सभी पिछड़े हुए वर्गों को सम्मिलित समझना चाहिए जिनको धारा 340, अनुच्छेद (1) के अधीन नियुक्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रपति विशेष आदेश दे। इसमें एंग्लो-इण्डियन समुदाय भी सम्मिलित है।

धारा 399–अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों की भलाई पर केन्द्र का नियन्त्रण–

1. इसमें राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी समय और संविधान के लागू होने के दस साल बाद राज्यों में इन जातियों व जनजातियों की भलाई पर रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है।

2. केन्द्रीय कार्यपालिका किसी भी राज्य को अनुसूचित जन-जातियों की भलाई के लिए आवश्यक विशिष्ट परियोजनाओं के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए निर्देश दे सकती है।

धारा 340 या अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थितियों की छान-बीन हेतु आयोग की नियुक्ति करने से है–

1. राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति अर्थात् जिन्हें वह छानबीन के लिए योग्य समझता है उनकी नियुक्ति का आदेश दे सकता है, जो भारत में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उनकी कठिनाइयों की छान-बीन करके उन्हें दूर करने और सुधार लाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों से सुझाव दे। इसके लिए वह केन्द्र तथा राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुदान-राशि का भी सुझाव दे। नियुक्ति के इस आदेश में आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
2. यह नियुक्त किया गया आयोग सम्बन्धित सभी मुद्दों की छान-बीन करेगा और प्राप्त सभी तथ्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।
3. रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट की एक प्रति अगली कार्रवाई के लिए संसद के दोनों संदनों में इस प्रस्तुत करेगा।

शिक्षा आयोग (1964-66) की संतुतियां/सुझाव/सिफारिशें
(Recommendations of the Education Commission (1964-66)

शिक्षा आयोग ने पिछड़े वर्गों अथवा वंचित वर्गों तथा व्यक्तियों की शिक्षा के महत्त्व पर बल देते हुए कहा "शिक्षा महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक है", अवसरों की समानता का प्रावधान करना तथा पिछड़े वर्गों अथवा वंचित वर्गों एवं व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम से अपनी स्थिति में सुधार लाना। इसलिए आयोग ने बल देते हुए कहा है, "सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से जनजातियों के लोगों की शिक्षा समाज में समानता लाने तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का एक मुख्य कार्यक्रम है। इस प्रयोजन के लिए कोई भी व्यय अधिक नहीं है।" शिक्षा आयोग ने इस सन्दर्भ में निम्नलिखित सुझाव दिए :–

1. सभी स्तरों पर शिक्षा को निःशुल्क बनाना।
2. प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पुस्तकों का प्रावधान करना।
3. स्कूलों में पुस्तक-बैंक स्थापित करना।
4. विभिन्न स्तर पर छात्रवृत्तियों की उचित मात्रा में व्यवस्था करना।
5. राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्तियों का उचित मात्रा में प्रावधान करना।
6. ऋण-छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
7. लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएँ जुटाना।
8. ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की व्यवस्था करना।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 (National Policy on Education, 1968)–पैरा चार (ब) में कहा गया है, "पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए अधिक तीव्र प्रयत्नों की आवश्यकता है।"

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप, 1979 (Draft of National Policy on Education, 1979)–भारत में शिक्षा के सभी पक्षों में पर्याप्त विस्तार हुआ है, परन्तु असंतुलन एवं असमानताएँ अभी भी विद्यमान हैं। आज भी समाज के कमजोर वर्ग जैसे भूमिहीन मजदूर, जनजातियाँ, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग आदि शिक्षा ग्रहण करने में पिछड़े हुए हैं। अतः इस प्रकार के वर्गों की शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को समझने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहिएं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

www.bmdeducation.org

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (National Policy on Education, 1986)–

(1) राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति–इस पद्धति से अभिप्राय है कि एक निश्चित स्तर की शिक्षा तक बिना जाति, धर्म, स्थान तथा लिंग के भेदभाव के सभी विद्यार्थियों की पहुँच हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को आर्थिक सहायता के कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिएं। वैसे तो राष्ट्रीय नीति में प्रस्तावित सामान्य स्कूल पद्धति की स्थापना के लिए प्रभावशाली उपाय किए गए हैं। समानता का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले बल्कि सफलता की समान स्थितियाँ भी प्रदान की जानी चाहिएं।

(2) सभी वर्गों को समान शिक्षा अवसर (Opportunity of equal education to all Categories)–राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक विकास की दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं अन्य वर्गों की समानता स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देती है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे महिलाएँ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(I) नारी शिक्षा–नवीन शिक्षा नीति में नारी-शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया है। नारियों को साक्षर बनाने के लिए उन्हें भी व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए।

(II) अनुसूचित जातियों की शिक्षा–अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास में इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा सभी क्षेत्रों में इन्हें दूसरी जातियों के समान अवसर दिए जाएं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गया है :–

(i) गरीब व पिछड़े वर्गों के लोगों के बच्चों को प्रोत्साहित करना कि अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक नियमित रूप से स्कूल भेजते रहें।
(ii) ऐसे बच्चों को कक्षा पहली से कक्षा दस तक छात्रवृत्तियों देने का प्रावधान हो।
(iii) इन बच्चों को विभिन्न कोर्सों में प्रवेश करने की नियमावली का शुल्क में छूट देकर सुविधा प्रदान की जाए।
(iv) अनुसूचित जातियों में से अध्यापक नियुक्त करना।
(v) इन जातियों से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों के लिए होस्टल सुविधा प्रदान की जाए।
(vi) सरकार को चाहिए कि वह स्कूल भवनों, आंगनवाड़ियों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करना जहाँ अनुसूचित जातियाँ पूर्ण रूप से भाग ले सकें।
(vii) इस वर्ग में अधिक से अधिक प्रतिभागियों की वृद्धि के लिए नई विधियों की खोज होती रहनी चाहिए।

(3) अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) की शिक्षा (Education of Scheduled Tribes)–इन जनजातियों को अन्य वर्गों के समान लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए :–

(i) अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में प्राईमरी स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए।
(ii) आदिवासियों के शिक्षित एवं प्रतिभावान युवाओं को अच्छे शिक्षा कार्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
(iii) इन जातियों के रिहायशी क्षेत्रों में आवासीय एवं आश्रम स्कूलों की बड़े पैमाने पर स्थापना की जानी चाहिए।
(iv) आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों, अंशोपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
(v) शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्मित किए जाएं, जिसके द्वारा जनजातियों को स्वयं की संस्कृति एवं रचनात्मक प्रतिभाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके।
(vi) आदिवासियों की जीवन-शैली को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी, व्यावसायिक व अन्य कोर्सों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसा होने से उनके कार्य कौशल को सुधारने में बल मिलेगा।

4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अन्य वर्ग (Other Educationally Backward Section and Areas)–समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए सभी वर्गों को उचित स्थान प्रदान की जानी चाहिए। पहाड़ी व रेतीले तथा दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. अल्पसंख्यकों की शिक्षा (Education of Minorities)–कई अल्पसंख्यक समुदाय भी शिक्षा से वंचित हैं। समानता तथा सामाजिक न्याय को सम्मुख रखते हुए उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संविधान उन्हें शिक्षा-संस्थाओं को स्थापित करने की और अपनी भाषा एवं संस्कृति को बढ़ाने का अवसर प्रदान करें।

6. विकलांगों की शिक्षा (Education of the Handicapped)—अपाहिज एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा वे सामुदायिक कार्यों में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें। समाज के ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूलों एवं होस्टलों की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें भी व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी, जिससे वे अपना जीवनयापन कर सकें।

7. प्रौढ़ शिक्षा का विकास (Promotion of Adult Education)—राष्ट्र को चाहिए कि वे अपने देश में साक्षरता को बढ़ाने के उपाय करें। यह तभी हो सकता है जब राष्ट्र निम्नलिखित साधनों एवं माध्यमों को अपनाए–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
(ii) मालिकों द्वारा कर्मियों की शिक्षा।
(iii) ट्रेड-यूनियनों एवं अन्य कार्य करने वालों को शिक्षा देना।
(iv) रेडियो, दूरदर्शन, फिल्मों आदि का प्रयोग।
(v) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का गठन आदि द्वारा प्रौढ़ एवं अनवरत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (NPE 1986) भाग 4 शिक्षा में समानताएँ पैरा-4.1 "नई नीति में विषमताएँ दूर करने पर विशेष बल दिया जाएगा। उन व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा जिन्हें अब तक समानता के स्तर से वंचित रखा गया है। इस काम के लिए शिक्षा के अवसरों को बराबर बनाया जाएगा। यह समिति केन्द्र स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निदेशन एवं पुनर्वेक्षण करेगी। राज्य स्तर पर भी 'राज्य परामर्श शिक्षा बोर्ड' के अधीन ऐसी समितियाँ बनाई जानी चाहिएं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, (राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट, 1990)–समीक्षा समिति ने जोर देते हुए यह मांग कि "शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया जाए और लागू किया जाए कि उसमें क्षेत्र, समुदाय तथा लिंग विशेष गतिविधियों के आधार पर अलग-अलग लक्ष्य रखे जाएं। इसका अर्थ यह है कि वंचित वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, स्त्रियों, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों तथा विकलांगों को ध्यान में रखकर ठोस कार्यक्रम चालू किए जाएं और उनके लिए समुचित धन की व्यवस्था की जाए।"

शैक्षिक पर्यावरण में सुधार लाने के लिए राममूर्ति समिति (1990) ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :–

(i) उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Coaching)–उपचारात्मक शिक्षण की परियोजना का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाए कि क्रमशः ज्यादातार स्कूलों में इसे शुरू किया जा सके। विद्यार्थियों को परीक्षा से दो-तीन महीने पहले व सत्र के अन्त तक इस शिक्षण की व्यवस्था को जारी रखना चाहिए।

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में कार्य युक्ति (Strategy in the tribal regions)–आदिवासी क्षेत्रों में अधिगम पर्यावरण को समृद्ध बनाने के लिए विशिष्ट कार्य-युक्ति का निर्माण किया जाना चाहिए।

(iii) स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था (Facility of Library in School)–पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल से सम्बन्धित पुस्तकालय-समूह की स्थापना की जानी चाहिए।

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

(iv) पाठ्यक्रम (Curriculum)–शैक्षिक रूप से पिछड़े-वर्गों के लिए शिक्षा में सभी स्तरों पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए–

(a) विज्ञान एवं गणित।
(b) राष्ट्रीय जीवन एवं विकास में इन समुदायों का योगदान।
(c) राष्ट्रीय जीवन एवं विकास में इन समुदायों की महिलाओं का योगदान।
(d) अभिव्यक्ति के लिए (मौखिक एवं लिखित दोनों) तथा रचनात्मक लेखन।

(v) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अध्यापकों की नियुक्ति (Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teachers)–इस समिति के अनुसार सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 15% एवं 7.5% के अनुपात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अध्यापकों की भर्ती की जाएगी।

(vi) विशिष्ट अंगभूत योजना एवं आदिवासी उपयोजनाओं का क्रियान्वयन (Creation of Social Components Plan and Tribal Sub-plan)—

(a) **बजट (Budget)**–बजट में आदिवासी उपयोजना को साफतौर से लिखना चाहिए।

(b) **अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए परियोजनाएँ (Scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)**–जहाँ तक सम्भव हो सके इन जातियों के लिए विशिष्ट परियोजनायें बनाई जाएं और अंगभूत योजना तथा आदिवासी उपयोजना में शामिल करना चाहिए।

(c) **जातियों के लिए लक्ष्य निर्धारिण करना (Target for Castes)**–इन सभी जातियों व जनजातियों के लिए परियोजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।

(d) **मॉनीटरिंग तन्त्र (Monitoring mechanism)**–विशिष्ट अंगभूत योजना तथा आदिवासी उप-योजना के कार्यान्वियन की प्रगति के अवलोकन एवं निदेशन के लिए शिक्षा-विभाग में मॉनीटरिंग तन्त्र की स्थापना की जानी चाहिए।

◆◆◆

1.3 सीमान्त तथा सामाजिक रूप से अलाभकारी वर्गों के लिए शिक्षा (Education for Marginalised and Socially Disadvantaged Segments)

3. वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। वंचित वर्ग की शिक्षा की संक्षेप में विवेचना कीजिए।
(What do you understand by Deprived? Describe in brief its various types. Discuss in brief the Education of the Deprived.)

उत्तर–सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक वंचित वर्ग का अर्थ (Meaning of Socially, Culturally and Economically Deprived Section)–समाज के वे लोग जिन्हें समाज में संतोषजनक सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दर्जे से वंचित रखा जाता है, उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग कहा जाता है।

वंचित वर्ग के प्रकार

1. सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित (Culturally Deprived),
2. आर्थिक दृष्टि से वंचित (Economically Deprived),
3. सामाजिक दृष्टि से वंचित (Socially Deprived)।

1. सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग (Culturally Deprived)–सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों को धार्मिक स्थानों पर पूजा के लिए नहीं घुसने देते। वे मंदिर में ईश्वर के सामने पूजा नहीं कर सकते। यह स्थितियाँ उन्हें अन्य लोगों से अलग कर देती हैं और वे भारतीय संस्कृति की जानकारी से वंचित रहते हैं।

2. आर्थिक रूप से वंचित वर्ग (Economically Deprived)–भारत में अत्यधिक गरीबी है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे है। गरीब व्यक्ति अपने और अपने बच्चों के भरण-पोषण में भी अपने को कभी-कभी असमर्थ पाता है।

गरीब माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। वे बच्चों से घर का काम लेते हैं। यदि बच्चे खेती पर उनके रोजगार में सहायता न करें तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को दो समय का भोजन भी न मिले। इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यदि वे बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहते भी हैं तो बच्चों की कॉपी-किताब के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन के प्रयास किये गये हैं। गरीबी उन्मूलन के नारे की बैसाखी से स्वतन्त्र भारत में कई सरकारें सत्तारूढ़ हुई हैं, किन्तु इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही। हमारे शिक्षा आयोगों ने इसके लिए अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे। शिक्षा-नीतियों में भी इस ओर ध्यान दिया गया है।

संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्देश था और इस लक्ष्य को 4 वर्ष में प्राप्त करना था। संविधान के लागू होने के 62 वर्ष बाद भी हम आज तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

केन्द्र सरकार ने राज्यों से प्राथमिक स्तर तक सभी छात्रों को मुफ्त किताबें देने के निर्देश दिये हैं, जिसे कुछ राज्यों ने पूर्णतः और कुछ ने अंशतः लागू किया है। धन की समस्या ने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा में कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं। इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए हमने विश्व बैंक एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सहायता प्राप्त की है।

हम आशा कर सकते हैं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने में समर्थ हो सकेंगे।

3. सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग (Socially Deprived)–भारत में अनेक जातियाँ थीं। इन जातियों में शूद्रों को निम्न जाति का माना गया और देश के कुछ भागों में तो उन्हें छूना मना कर दिया गया। अस्पृश्यता भारत का एक सामाजिक कलंक बना। ये जातियाँ सामाजिक दृष्टि से सुख-सुविधाओं से वंचित कर दी गईं। इन्हें समाज में रहने, लोगों के साथ उठने-बैठने, एक साथ भोजन करने, एक कुएँ से पानी लेने की मनाही थी। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी निर्बल व वंचित हो गया।

संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया। इसके बाद देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (1968) में भी सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दोहराया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (1986), संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा-नीति (1992) तथा राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की कार्य योजना (1992) में भी देश के सभी 10 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं शताब्दी में जाने से पूर्व शिक्षित किये जाने हेतु भरसक प्रयत्न करने की बात कही गई। बाद में वर्ष 1993 के "उन्नीकृष्णन केस" पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और इसलिये इसे मूल अधिकार में सम्मिलित किये जाने हेतु सरकार को निर्देश भी जारी किये गये, इस सम्बन्ध में वर्ष 1997 में 83वाँ संविधान संशोधन बिल भी राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक दायित्व निर्धारित किया गया।

भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्ग इस प्रकार हैं–

(1) अनुसूचित जाति व जनजाति
(2) अन्य पिछड़ा वर्ग
(3) महिला
(4) विकलांग
(5) अल्पसंख्यक

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER

25% Discount

For first 10 students

Call us on 7206205020

B.Ed
M.Ed
D.Ed

- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

ढेबर समिति के सुझाव–स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति व समस्याओं को जाना तथा श्री यू. एन. ढेबर की अध्यक्षता में सन् 1960-61 में ढेबर समिति का गठन किया गया। आयोग ने इनके समस्यात्मक कार्यकलापें का अध्ययन कर हर प्रकार के साधनों तथा देश की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा अथक् परिश्रम कर यह पता लगाया कि अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा में किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ढेबर समिति ने भारत की राज्य और केन्द्र सरकारों से आग्रह किया कि विशेष कार्यक्रम और निर्देशन में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों में परिवर्तन लाने के लिए इनमें प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाये। इसके अलावा समिति ने निम्नलिखित सुझाव भी प्रस्तुत किये–

1. इन जातियों के क्षेत्रों में विशेष विद्यालय स्थापित किये जाएँ, जिनमें ऐसे अध्यापक नियुक्त किये जाएँ, जिन्हें पिछड़ी जातियों के जीवन तथा उनकी संस्कृति का अच्छा ज्ञान हो।
2. इन जातियों में निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, पुस्तकें, वस्त्र एवं लेखन सामग्री आदि निःशुल्क व्यवस्था के रूप में दी जाये।
3. इन जातियों की शिक्षा व्यवस्था में हस्तलिपि का विशेष ध्यान दिया जाये।
4. इन विद्यालयों में शिक्षकों को आवास आदि की विशेष सुविधा दी जाये।
5. प्राथमिक शिक्षा में आदिम जातियों की शिक्षा में उनकी भाषाओं का ही प्रयोग व विकास किया जाए एवं उनकी ही भाषाओं में पुस्तकें तैयार की जाएँ।
6. इनकी भाषा और संस्कृति को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाये।
7. आयोग ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए आवासीय आश्रम एवं स्कूल बनाने का प्रस्ताव किया जो कि इनकी शिक्षा के लिये उपयोगी साबित हो सके। आयोग ने इन स्कूलों को पूरे देश में लागू किये जाने का प्रस्ताव किया।

अतः किसी देश में लोकतन्त्रीय शासन की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना पहली अनिवार्य आवश्यकता है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन तन्त्र तभी सुचारु रूप से चल सकता है, जबकि देश में आम लोगों को कम-से-कम इतनी शिक्षा प्राप्त हो सके, कि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार का उचित प्रयोग कर सकें और विधानमण्डल एवं संसद के लिए योग्य कर्मठ तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन सकें। लोकतन्त्र जोर-जबरदस्ती पर नहीं चलता और सभी कार्य जनता के आधार पर ही करने पड़ते हैं। अतः पूरे जनवर्ग का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है।

◆◆◆

1.4 शिक्षा तथा मौलिक अधिकार और कर्तव्य (Education and Fundamental Rights and Duties)

4. भारतीय संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
(Critically discuss about the fundamental rights as given in the Indian-Constitution.)

अथवा

भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
(Critically explain the Fundamenatal Rights as given in the Indian Constitution.)

उत्तर–भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये मौलिक अधिकार अमेरिकन संविधान तथा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रभावित होकर

संविधान में शामिल किए गए हैं। इन्हें संविधान की अंतर्आत्मा *(Conscience of the Constitution)* कहा गया है। लास्की का कथन है–**"राज्य इस बात से जाना जाता है कि उसके अधिकारों की क्या व्यवस्था है।"** *(A state is known by the rights it maintains.*—**Laski***)*

भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के महत्त्व को प्रकट करते हुए **जी.एन. जोशी** का कथन है–**"मौलिक अधिकार ही ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इन अधिकारों के बिना लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता और बहुमत की तानाशाही का भय रहता है।"**

(The Fundamental Rights are the only means of effective enjoyment of social, religious and civil life in a free democratic country. Without these rights, the democratic principles cannot operate and there is a danger of tyranny of the majority.—**G.N. Joshi***)*

जब *26* जनवरी, *1950* को भारत का संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। दिसंबर, *1978* में *44*वें संवैधानिक संविधान द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को छः प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों में *86*वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मई, *2002* में शिक्षा के अधिकार को धारा *21-A* के अंतर्गत शामिल किया गया। संविधान निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके न केवल लोकतंत्र की स्थापना की गई अपितु लंबे समय से चली आ रही भारतीयों की अधिकारों की मांग को भी पूरा किया।

अनुच्छेद *12, 13, 33, 34* और *35* में मौलिक अधिकारों के संबंध में सामान्य प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद *12* में राज्य का अर्थ बताया गया है और इसमें केन्द्रीय कार्यपालिका, संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल भारतभूमि और भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय और प्रशासनिक विभाग शामिल हैं।

अनुच्छेद *13* में व्यवस्था की गई है कि मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा समाप्त करने वाले कानूनों का निर्माण नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद *33* में व्यवस्था की गई है कि सशस्त्र सेनाओं के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद *34* में प्रावधान है कि संकटकालीन अवस्था में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद *35* में व्यवस्था की गई है कि संसद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है और इसके उल्लंघन करने की अवस्था में दंड के प्रावधान भी निश्चित कर सकती है।

भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

1. समानता का अधिकार–अनुच्छेद 14 से 18 (Rights to Equality–Aricle 14 to 18)–तीसरे अध्याय की धारा *14* से *18* तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत निम्न समानताएँ स्थापित की गई हैं–

(i) कानून के समक्ष समानता (Equality before Law)–संविधान की धारा *14* में यह प्रावधान किया है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। कानून के समक्ष सभी समान होंगे।

(ii) भेदभाव की मनाही (Prohibition of Discrimination)–संविधान की धारा *15* में भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण नहीं किया जायेगा जो भेदभावपूर्ण हों। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थानों, जैसे–होटल, सिनेमाघर, पार्क आदि में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता।

इस अधिकार का अपवाद *(Exception)* भी है। राज्य चाहे तो महिलाओं, बच्चों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है।

(iii) अवसरों की समानता (Equality of Opportunities)–संविधान की धारा *16* में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

इस प्रकार का अपवाद यह है कि पदों के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया जा सकता है। कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण किया जा सकता है। कोई भी धार्मिक संस्था अपने पदों को भरने के लिए विशेष सम्प्रदाय को प्राथमिकता दे सकती है।

(iv) छुआछूत की समाप्ति (Abolition of Untouchability)–संविधान की धारा *17* में छुआछूत को समाप्त किया गया है। यह एक दंडनीय अपराध है। *1976* में *1955* के छुआछूत कानून में संशोधन करके इसे कड़ा बनाया गया तथा इसके लिए दण्डित होने पर संसद तथा विधान सभा चुनावों में छः वर्ष के प्रतिबंध का प्रावधान किया गया।

(v) उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)–धारा *18* में उपाधियों के प्रदान करने पर रोक लगाई गई है। सेना, शिक्षा और राज्य द्वारा प्रदान उपाधि को इससे अलग रखा गया। यह भी प्रावधान रखा गया कि सरकारी सेवा अथवा लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता। **एम.वी. पायली** का विचार है–**"यह सत्य है कि यह किसी के लिए किसी विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं करता फिर भी यह महान् मौलिक अधिकार है, भारतीय जनसंख्या के छठे भाग के लिए एक ऐसा दस्तावेज है, जो उसे अपमान और बेइज्जती से स्वतंत्रता दिलाता है।"**

(It is true that it does not create any special privilege for anyone, yet it is a great Fundamantal Right, a charter of deliverance to one sixth of the Indian population from perpetual humiliation and disgrace.—**M.V. Pylee**)

2. स्वतंत्रता का अधिकार–अनुच्छेद 19 से 22 (Right to Freedom–Article 19 10 22)– स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है। धारा *19* से *22* तक इस अधिकार का वर्णन किया गया है।

(i) धारा 19 में वर्णित स्वतंत्रताएँ (Liberties under Article–19)–धारा *19* में छः प्रकार की स्वतंत्राताए प्रदान की गई हैं–

(a) भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता।
(b) शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता।
(c) संघ एवं समुदाय का निर्माण करने की स्वतंत्रता।
(d) संपूर्ण भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता।
(e) देश के किसी भी भाग में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता।
(f) कोई भी व्यवसाय, रोजगार तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता।

(ii) अपराधी संरक्षण प्रावधान (Criminal Protection Provision)–धारा *20* में अपराधियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अपराधी को वह दंड नहीं दिया जा सकता जो उसके द्वारा अपराध करने के दौरान लागू नहीं था। किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा दण्डित नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(iii) व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा संबंधी प्रावधान (Provision Regarding Personal Liberty and Protection of Life)–संविधान की धारा *21* में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

(iv) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)–नवंबर, *2002* में *86*वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक नवीन धारा *21-A* जोड़कर मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि *6* से *14* वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। पहले यह प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थापित था।

(v) गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार (Right against Arrest)–संविधान की धारा *22* में बंदी बनाए जाने के नियमों का उल्लेख किया गया है, जिससे कि गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त की जा सके। इसके लिए व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को *24* घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा, लेकिन यह धारा उन लोगों पर लागू नहीं होती जो दुश्मन देश के नागरिक होते हैं अथवा जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम *(National Security Act)* के अधीन गिरफ्तार किया जाता है।

स्वतंत्रता के अधिकार का मूल्यांकन *(Evaluation of Right to Freedom)*

स्वतंत्रता का अधिकार हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है। लेकिन इसका जितना महत्त्व है, उतनी ही इसकी आलोचना भी की जाती है।

आलोचना (Criticism)—

(a) धारा *19* में जिन स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, उन पर इतने अनावश्यक प्रतिबंध लगाये गए हैं कि मौलिकता स्वतंत्रता में नहीं अपितु प्रतिबंधों में दिखाई देती है।
(b) स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तो प्राथमिकता दी गई है, लेकिन प्रेस एवं मीडिया का इसमें वर्णन नहीं किया गया है।
(c) धारा *22* में जिस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का वर्णन किया गया उसका प्रयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कम तथा राजनीतिक उद्देश्य के लिए अधिक होता है।
(d) संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान धारा *352*, *356* तथा *360* के अंतर्गत किए गए हैं, उनके आधार पर भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान में लागू **'पोटा' (Pota)** के अंतर्गत *2003* तक सबसे अधिक *130* मामले झारखंड में दर्ज हुए जबकि जम्मू-कश्मीर में *97* मामले दर्ज हुए जो कि उग्रवाद से प्रभावित राज्य हैं। इससे स्पष्ट है कि इसका राजनीतिक प्रयोग होता है, जबकि नक्सली हिंसा से प्रभावित आन्ध्र प्रदेश में केवल *27* मामले दर्ज हुए।
(e) जिन स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग साधन संपन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में भारत की गरीब जनता के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है।

महत्त्व (Importance)—

(a) स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की स्थापना करता है।
(b) यह उन लोगों पर अंकुश का कार्य करता है जो शासकीय सत्ता का उपयोग करते हैं।
(c) इसके द्वारा सत्ताधारी दल पर अंकुश लगाया जा सकता है।
(d) यह न्यायिक प्रक्रिया को कानून की परिधि में लाता है।
(e) व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा ही व्यक्तिगत विकास संभव होता है।
(f) यह स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा को स्थापित करता है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार–अनुच्छेद 23 से 24 (Right Against Exploitation–Article 23 and 24)–

(i) बंधुआ मजदूरी की समाप्ति (End of Bonded Labour)–संविधान की धारा *23* में मनुष्य की खरीद बेच तथा जबरदस्ती काम करवाने की मनाही की गई है। बंधुआ मजदूरी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। लेकिन इसमें अपवाद यह है कि आवश्यक सेवाओं के संदर्भ में तथा सार्वजनिक कल्याण की पूर्ति के लिए कार्य करवाया जा सकता है।

(ii) बच्चों द्वारा कारखानों में काम करने पर रोक (Ban on the Child Labour in Factories)–संविधान की धारा *24* में यह प्रावधान किया गया है कि *14* वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने अथवा खानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार–25 से 28 धारा तक (Right to Freedom of Religion–Article 25 and 28)–

(i) संविधान की धारा *25* में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने, उसकी पूजा अर्चना करने तथा धर्म का प्रचार करने का अधिकार होगा। इसमें ध्यान यह रखना है कि इससे सार्वजनिक अनुशासन एवं व्यवस्था, सामाजिक नैतिकता तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(ii) अनुच्छेद *26* में यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्तियों को धार्मिक संस्थाएँ स्थापित करने तथा इन संस्थाओं के नाम पर धन एकत्रित करने का अधिकार होगा।

(iii) अनुच्छेद *27* में यह व्यवस्था की गई है कि धर्म पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

(iv) अनुच्छेद *28* में यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार–अनुच्छेद 29 से 30 (Cultural and Educational Rights–Article 25 and 28)–

(i) संविधान के अनुच्छेद *29* में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि को बचाए रखने के लिए संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को उन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की मनाही नहीं की जा सकती, जो सरकारी हैं अथवा सरकारी अनुदान प्राप्त करती हैं।

(ii) अनुच्छेद *30* में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। राज्य की ओर से शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के संदर्भ में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार–अनुच्छेद 32 (Right to Constitutional Remedies–Article 32)–संविधान की धारा *32* में मौलिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन् होता है तो उन्हें इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद *32* के संदर्भ में डा. बी.आर. अम्बेडकर का कथन है–**"यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान में सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं ले सकता। यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है।"**

(If I was asked to name the particular article in this Constitutions as the most important without which the Constitution would nullify, I cannot refer to any other article except this one. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it.)—**Dr. B.R. Ambedkar)**

सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में पाँच प्रकार के प्रलेख जारी कर सकता है–

(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpurs)–*Habeas Corpurs* लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि शरीर को हाजिर करो *(Present the body)*। इसके अंतर्गत न्यायालय यह मांग कर सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय में न्यायालय में उपस्थित किया जाए।

(ii) परमादेश लेख (Writ of Mandamus)–*Mandamus* शब्द का अभिप्राय यह है कि हम आदेश देते हैं। यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जब किसी नागरिक को वो सब न प्राप्त हो रहा हो, जिसका वह पात्र है।

(iii) निषेध लेख (Writ of Prohibition)–यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सरकार के द्वारा वो कार्य किया जा रहा होता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। इसके अंतर्गत कार्य को होने से रोका जाता है।

(iv) उत्प्रेषण याचिका (Writ of Certiorari)–यह याचिका उस समय प्रस्तुत की जाती है जब किसी नागरिक को यह लगे कि निम्न न्यायालय में उसे न्याय प्राप्त होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकते हैं और उसमें निर्णय भी कर सकता है।

(v) अधिकार पृच्छा याचिका (Writ of Qua-Warranto)–यह याचिका उस संदर्भ में जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसा पद प्राप्त कर ले जिसके वह योग्य न हो। न्यायालय यह पूछ सकता है कि किस अधिकार के अंतर्गत उसने इस पद को ग्रहण किया है।

निष्कर्ष (Conclusion)–संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीयों को वो सुविधाएँ प्रदान करते हैं जिनका प्रयोग करके वे अपना विकास कर सकें। मौलिक अधिकारों के बिना नागरिकों के लिए संविधान का कोई महत्त्व नहीं है। मौलिक अधिकार न केवल प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, अपितु राज्य के तानाशाही स्वरूप पर भी अंकुश लगाते हैं।

◆◆◆

5. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इनका क्या महत्त्व है?
(Describe the Fundamental Duties of Indian Constitution. What is their importance?)

अथवा

मौलिक कर्तव्य क्या हैं? इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है?
(What are fundamental duties? What is the purpose of including these in Indian Constitution?)

अथवा

संविधान की धारा 51 में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–26 जनवरी 1950 को स्वतन्त्र भारत का संविधान लागू हुआ। इस संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषता है इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। इन अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति भी है।

इसीलिए इन अधिकारों के बाधित होने की स्थिति में नागरिक कानून की शरण में जा सकता है।

लेकिन यह अनुभव किया गया कि नागरिकों को मौलिक अधिकारा दे देना ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। जब तक नागरिकों को उन कर्तव्यों का बोध नहीं करवाया जाता तब तक उन्हें आदर्श नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए इन कर्तव्यों को संविधान की धारा 51 में जोड़ा गया और इसे धारा 51–A (Article 51–A) का नाम दिया गया है। ये कर्तव्य एक प्रकार की अपेक्षाएं हैं, जो अपने नागरिकों से रखता है।

धारा 51–A एवम् मौलिक कर्तव्य (Article 51–A and Fundamental Duties)–धारा 51–A में A से L तक निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है–

(a) संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना।

(b) भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान् आदर्शों को मानना व उनका अनुसरण करना।

(c) भारत की सम्प्रभुता (Sovereignity), एकता (Unity) व अखण्डता (Integrity) की रक्षा करना।

www.bmdeducation.org

(d) राष्ट्र की रक्षा करना तथा जब भी आवश्यकता हो राष्ट्र की सेना के लिए तैयार रहना।

(e) भारत में रहने वाले लोगों में धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय तथा वर्ग की दृष्टि से विविधता है। उन सब में सामान्य भाईचारे की भावना व आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाले कार्य न करना।

(f) भारत की समन्वयशील संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना व उसको सुरक्षित रखना।

(g) प्राकृतिक (भौतिक) पर्यावरण की सुरक्षा (Preserve) करना व उसमें सुधार लाना तथा सभी सजीव प्राणियों के प्रति दया भावना रखना।

(h) वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी, खोजपूर्ण तथा सुधारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।

इसके अतिरिक्त अभिभावकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य यह बताया गया है कि वे 6-14 आयु-वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करें। यहीं नहीं वे राष्ट्रीय विकास व प्रत्येक क्षेत्र में ऊँचाई तक पहुँचाने के लिए कार्य करें।

मौलिक कर्तव्यों का महत्त्व (Importance of Fundamental Duties)—जहाँ तक पश्चिमी देशों का सम्बन्ध है उनके संविधान में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है। लेकिन समाजवादी देश इन्हें बहुत महत्त्व देते हैं। इनके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भी इनको शामिल कर लिया गया है। ये कर्तव्य निम्न कारणों से आवश्यक हैं—

1. कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए (To create an awareness for duties)—प्रायः हम सभी अपने लिए अधिक-से-अधिक अधिकारों की माँग करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारा अधिकार है वहीं दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। हमें इसका पालन करना चाहिए। नागरिकों में यह बोध पैदा करने के लिए संविधान में इनको रखा जाना आवश्यक है।

2. संस्कृति की सुरक्षा व विकास के लिए (For Preservation and development of Culture)—भारतीय संस्कृति एक महान् संस्कृति है। इस महान् सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा व विकास तब तक सम्भव नहीं; जब तक प्रत्येक नागरिक इसके प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझता।

3. प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए (For Preservation of natural environment)—आज प्राकृतिक पर्यावरण में प्रदूषण निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह हमारे शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। इस प्रदूषण का मुख्य कारण व्यक्तियों का इसके प्रति सचेत न होना है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह बोध कराया जाए कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता हो।

4. भ्रातृत्व की भावना का विकास करने के लिए (To develop the feeling of Brotherhood)—भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है। ये एक ओर हमारी विशेषता है तो दूसरी ओर आपसी झगड़ों को भी जन्म देती है। अतः यह आवश्यक है कि सभी देशवासी भाईचारे से रहें तथा अपनी विविधताओं को बनाए रखते हुए भी विविधता में एकता (Unity in diversity) का आदर्श प्रस्तुत करें।

5. महिलाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए (To maintain dignity of Women)—प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। आज अनेक कारणों से उसमें कमी आई है। अतः महिलाओं का सम्मान बनाए रखने सम्बन्धी कर्तव्य का बोध कराना आवश्यक है।

6. राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर-भाव पैदा करने के लिए (To develop the feeling of respect for national symbols)—यद्यपि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर-भाव बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं, पर इनके प्रति आदर-भाव रखना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य भी है।

7. राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए (To maintain national integration)—यदि भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना है, तभी वे देश की सम्प्रभुता व अखण्डता को बनाए रख सकते हैं। उनमें इस भावना का विकास करने में ये कर्तव्य सहायक हैं।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए (To develop scientific temper)—भारतीय समाज प्राचीन रूढ़ियों व परम्पराओं से जकड़ा रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में उनकी सोच को वैज्ञानिक बनाना आवश्यक है। संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य उन्हें इसके लिए प्रेरित करेंगे।

9. राष्ट्रीय सेवा की भावना के विकास के लिए (To develop the sense of national service)—प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र की सेवा करे तथा उसके लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहे। मौलिक कर्तव्य उनमें यह बोध उत्पन्न करते हैं।

10. अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए (To make the parents aware of the education of children)—यद्यपि शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत अभिभावकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, लेकिन इससे पूर्व इसे मौलिक कर्तव्यों में स्थान देकर अभिभावकों को उनके इस मौलिक कर्तव्य के प्रति सचेत किया गया है।

निष्कर्ष (Conclusion)—निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है संविधान में वर्णित नागरिकों के ये मौलिक कर्तव्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। यदि देश के नागरिक इनके प्रति जागरूक हैं, इनके महत्त्व को समझते हैं तो वह देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। क्योंकि इनका पालन व्यक्ति अपने अन्तःकरण की आवाज के कारण करते हैं, किसी प्रकार की कानूनी बाध्यताओं के कारण नहीं।

◆◆◆

6. भारतीय संविधान की धारा 30 में शिक्षा के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं?
(What provisions are made about education in Article 30 of the Indian Constitution?)

अथवा

'संविधान की धारा 30 व शिक्षा' विषय पर निबन्ध लिखिए।
(Write an essay on 'Article 30 of the Constitution and Education'.)

अथवा

धारा 30 द्वारा अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिए गए हैं?
(What rights are granted to minorties by article 30 of the constitution?)

उत्तर—भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) दिए गए हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उनमें से एक है। धारा 30 का सम्बन्ध इसी मौलिक अधिकार के साथ है। धारा के दो खण्ड हैं।

खण्ड एक (Clause one)

1. धारा 30 (1) का सम्बन्ध अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाएं खोलने व चलाने (Right of minorities to Establish and administer Educational Institutions) के साथ है।
   इस धारा के खण्ड एक के अनुसार—"भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी की शिक्षा संस्थाएं खोलने व चलाने का अधिकार होगा।"
   ("All the minorities based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.")

खण्ड दो (Clause Two)

2. धारा के खण्ड दो के अनुसार—"राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबन्धन में है।"

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

("The state shall not in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.")

धारा 30 खण्ड (Article 30 (1))

इस प्रकार धारा 30 का प्रथम खण्ड निम्न बातों पर बल देता है–

1. देश के अन्दर रहने वाले कुछ समुदाय भाषा या धर्म की दृष्टि से अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं।
2. अल्पसंख्यक एक सापेक्षिक शब्द है। एक वर्ग किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है दूसरे में नहीं।
3. संविधान इन समुदायों को जहाँ भी ये अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने या उन्हें अस्तित्व में लाने का अधिकार देता है।
4. ये संस्थाएं प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा में किसी से भी सम्बन्धित हो सकती हैं।
5. उन्हें व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं खोलने का भी अधिकार है।
6. ये अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलकर उनका प्रशासन स्वयं चलाने का भी अधिकार रखते हैं।

धारा 30 खण्ड दो–यह खण्ड, खण्ड एक का विरोधी न होकर पूरक है। यह भाग निम्न बातों पर बल देता है–

1. राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को दी जा रही सहायता सभी समुदायों द्वारा खोली गई शिक्षा संस्थाओं को दी जाएगी।
2. किसी शिक्षा संस्था को सहायता देने से राज्य इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि वह किसी भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही है।

निष्कर्ष (Conclusion)–अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारत एक प्रजातान्त्रिक एवं धर्म-निरपेक्ष (Democratic and Secular State) है। अतः यहाँ किसी भी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर संविधान की धारा 30 (1) व 30 (2) भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने, चलाने व राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार देती है।

◆◆◆

7. संविधान की धारा 14, 15 व 16 तथा शैक्षिक प्रावधान विषय पर संक्षिप्त नोट लिखें।
(Write short note on Article 14, 15 and 16 of the constitution and educational provisions.)

अथवा

संविधान की धारा 14, 15 व 16 में शिक्षा के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं?
(What provisions are made regarding education in Article 14, 15 and 16 of the constitution?)

उत्तर–स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इस संविधान द्वारा भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रजातंत्र क्योंकि स्वतन्त्रता व समानता जैसे सिद्धान्तों में विश्वास करता है, इसलिए भारतीय नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है–समानता का अधिकार (Right to Equality)।

संविधान की धारा 14, 15 व 16 का सम्बन्ध इसी समानता के अधिकार के साथ है। संविधान में इन धाराओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है–

1. धारा 14 (Article 14)–कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण (Equality Before Law or Equal Protection Before Law)

2. धारा 15 (Article 15)–नागरिकों के प्रति भेद-भाव का निषेध (Prohibition of Discrimination against citizens)

3. धारा 16 (Article 16)–सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता (Equality of opportunities in Public Employment)

धारा 14 (Article 14)–इस धारा में दो बातें कहीं गई हैं–

(*i*) कानून के समक्ष समानता (Equality Before Law)

(*ii*) कानून द्वारा समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)

इसका अभिप्राय है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। समान परिस्थितियाँ होने पर सब पर एक समान कानून लागू होगा। समानता के इस नियम के कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। धारा 14 तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देती है। लेकिन वर्ग-विधान (Class Legislation) का निषेध करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि समानता एक गतिशील प्रत्यय है। इसे परम्परागत अथवा सिद्धान्तगत सीमाओं में नहीं बाधा जा सकता।

जहाँ तक व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं का सम्बन्ध है, धारा 14 के आधार पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। यह कहा गया प्रवेश सम्बन्धी किसी भी योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाते हुए सर्वोत्तम व उच्चतम योग्यता वाले नागरिकों का चयन करना होता है। यदि इस नियम की अवहेलना की जाती है तो उसे धारा 14 के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करना आवश्यक है। इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने प्रवेश में जिले के आधार पर सीटों के आवंटन को गलत ठहराया, जबकि विश्वविद्यालय के आधार पर इस की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोले जाते हैं। न्यायालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निवास के आधार पर सीटों के आरक्षण को अनुचित ठहराया। संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर कुल स्थानों का 50 प्रतिशत तक आरक्षित किया जा सकता है और उच्च विशेषज्ञता से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में किसी भी प्रकार के आरक्षण को अनुचित ठहराते हुए केवल योग्यता के आधार पर ही इनमें प्रवेश दिए जाने को उचित ठहराया।

इसके अतिरिक्त न्यायालय के कुछ अन्य निर्णय इस प्रकार हैं–

- स्वीकृत कोटा से अधिक सीटों पर प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
- न्यायालय किसी स्वायत्त शिक्षा संस्था को किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए बाध्य नहीं कर सकती जो उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित पात्रता सम्बन्धी योग्यता नहीं रखता।

धारा 15 (Article 15) नागरिकों के प्रति भेदभाव का निषेध (Prohibition of Discrimination against citizens)–

धारा 15 का खण्ड (i) यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(The state shall not discriminate against any citizen on ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.)

इस प्रकार इस धारा के अनुसार उपर्युक्त आधारों पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

धारा 15 के खण्ड तीन में यह प्रावधान किया गया है कि इसी धारा के खण्ड के आधार पर राज्य को स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान या व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार यह खण्ड धारा 15 के खण्ड एक का अपवाद है।

धारा 15 का खण्ड 4 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ सम्बन्ध रखता है। यह भी खण्ड एक का एक अपवाद है। इस खण्ड के अनुसार इस धारा या धारा 21 के खण्ड दो की कोई भी बात राज्य को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए किसी भी वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति या जनजाति के नागरिकों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकती।

इस प्रकार धारा 15 के अनुसार :

1. राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा देने में समानता को अपनाएगा। दूसरे शब्दों में सभी नागरिक शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार रखते हैं।
2. राज्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य किसी शैक्षिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे सकता है। ऐसा करना समानता के नियम का उल्लंघन नहीं है।

धारा 16 (Article 16)

धारा 16(1) रोजगार के अवसर या राज्य के अधीन किसी ऑफिस में नियुक्ति की गारण्टी देती है।

धारा 16(2) यह घोषणा करती है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश परम्परा, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी रोजगार या राज्य के अधीन ऑफिस में नियुक्ति के अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा 16 का यह खण्ड 2 धारा 1 में दी गई गारण्टी को यहाँ और अधिक बल प्रदान करती है।

यदि भेदभाव खण्ड दो में दिए गए आधार के अलावा अन्य किसी आधार पर किया जाता है तो यह धारा लागू नहीं होगी।

धारा 16 का खण्ड 3, इसके खण्ड एक व दो का अपवाद है। इसके अनुसार संसद कानून बनाकर रोजगार या नियुक्तियों के सम्बन्ध में राज्य या केन्द्र की सीमा में निवास सम्बन्धी योग्यता निर्धारित कर सकती है।

धारा 16 का खण्ड 4 राज्य को यह अनुमति प्रदान करता है कि यह नागरिकों के पिछड़े वर्ग या वर्गों के लिए नियुक्ति या पदों में आरक्षण की व्यवस्था करे यदि उसे यह लगता है कि राज्य में संख्या या योग्यता की दृष्टि से उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ आरक्षण का अर्थ है–वर्ग विशेष के लिए विशेष कोटा का निर्धारण।

धारा 16 अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रत्याशियों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में छूट का प्रावधान भी करती है।

धारा 16 का खण्ड 5 भी धारा 16 के खण्ड एक का अपवाद है। धारा 16 का खण्ड 1 अवसर की समानता पर बल देता है जबकि खण्ड पाँच यह प्रावधान करता है कि किसी साम्प्रदायिक या धार्मिक संस्था का पदधारी उसी सम्प्रदाय या धर्म से सम्बन्ध रखने वाला होगा।

इस धारा के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं–

1. शैक्षिक योग्यता रखने पर नियुक्ति के लिए नागरिकों में जाति, जन्म व निवास स्थान आदि के आधार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
2. धार्मिक या साम्प्रदायिक शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले उन्हीं सम्प्रदायों व धर्म के हो सकते हैं।

3. आवश्यक समझने पर राज्य कानून बनाकर रोजगार के सम्बन्ध में निवास स्थान सम्बन्धी योग्यता निर्धारित कर सकता है तथा
4. नौकरियों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रत्याशियों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में छूट का प्रावधान किया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)–निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धारा 14, 15 व 16 नागरिकों को शैक्षिक अवसरों में समानता का प्रावधान करती है। यही नहीं, इनके द्वारा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों व धार्मिक व साम्प्रदायिक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इन सबका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को शैक्षिक व रोजगार सम्बन्धी अवसरों की समानता सुनिश्चित करना है।

◆◆◆

1.5 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त (Directive principles of State Policies)

8. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
(Describe in brief the Directive Principles of State Policy.)

उत्तर–राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Policy)–भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त दिए गए हैं। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं–

1. लोक-कल्याण की उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था सुरक्षित करेगा (State shall secure order for the promotion of welfare of the people)–राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं रक्षा करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें अधिक से अधिक लोक-कल्याण सम्भव हो। यह सिद्धान्त संविधान की प्रस्तावना के आदर्श को दोहराता है। यह उतना उच्च आदर्श है कि भविष्य में आने वाली समस्त परिस्थितियों के योग्य है। इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति के लिए उचित लक्ष्य प्रत्येक राज्य के सम्मुख रखा गया है।

2. राज्य द्वारा कुछ नीति के सिद्धान्तों का पालन (Following of Certain Principles of Policy by the State)–राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों की सुरक्षा में नीति का निर्देशन करेगा–

(i) भारत के सभी नागरिक, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष हों। समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
(ii) समाज के भौतिक साधनों का न्यायसंगत और मानवोचित विभाजन हो, जिससे समस्त समाज का हित हो सके।
(iii) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित हो कि जिससे धन तथा उत्पादन के साधनों का एकत्रीकरण न हो सके, जो सर्वसाधारण के लिए अहितकारी है।
(iv) पुरुषों और स्त्रियों के लिये समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था हो।
(v) श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की शक्ति और उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रबंध हो, जिससे उनके शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो सके। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हो।
(vi) शैशव तथा किशोरावस्था का शोषण से रक्षण हो।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

3. ग्राम पंचायतों का गठन (Organisation of Village Panchayats)–राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयत्न करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने में आवश्यक हों। इस सिद्धान्त ने महात्मा गाँधी के स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न किया है। महात्मा गाँधी ग्राम उद्धार को विशेष महत्त्व देते थे। इस सिद्धान्त में सरकार के विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। यह गाँधीवादी सिद्धान्त है, जिसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत शासन तथा स्वयं पर्याप्त इकाइयों के निर्माण का प्रयत्न करना है। पंचायतों का निर्वाचन गाँव के व्यस्क नागरिक करते हैं, पंचायतों को सिविल प्रशासन की शक्ति दी गई है।

4. कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा कुछ मामलों में जन सहायता (Right to work, to education and public assistance in certain cases)–राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के अंदर ऐसी व्यवस्था करे, जिससे सब व्यक्तियों को योग्यतानुसार काम मिल सके, शिक्षा मिल सके और वृद्धावस्था, बेकारी, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशा में राज्य उनकी सहायता कर सके। संविधान को प्रजातंत्रात्मक स्वरूप देने के लिये ये आवश्यकताएँ महत्त्वपूर्ण हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के प्रगतिशील युग में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए।

5. कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित स्थितियों का उपलब्ध (Provision for justified conditions of work and maternity relief)–राज्य कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करेगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ति से अधिक काम न करना पड़े तथा राज्य द्वारा उनके मनोरंजन एवं चिकित्सा का उचित प्रबन्ध हो। स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में राज्य की ओर से पूर्ण सहायता प्राप्त हो। राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो और उसके शरीर और स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि न पहुँच पाये।

6. श्रमिकों के लिए जीवन पारिश्रमिक (Living wages for workers)–अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि प्रत्येक श्रमजीवी को, चाहे वह कृषि का काम करता हो अथवा अन्य किसी उद्योग-धन्धे में काम करता हो इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सके तथा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का प्रबन्ध करे तथा घरेलू उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा विकास में उनकी पूर्ण सहायता करे।

7. नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता (Uniform Civil Code for the Citizens)–राज्य समस्त भारतीय नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समस्त देश के नागरिकों के लिये नियम समान होंगे चाहे वे किसी धर्म, जाति या सम्प्रदाय के हों। इस प्रकार की एक समान व्यवहार संहिता राष्ट्रीय एकता को दृढ़ तथा स्थायी बनाने के लिये आवश्यक है। आज के प्रगतिशील युग में समस्त देशों में एक समान संहिता का निर्माण हो रहा है। भारत में भी इस प्रकार की एक समान संहिताओं का निर्माण होना आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ होगी, परन्तु खेद है कि अभी तक भारत में एक समान नागरिक संहिता (*Uniform Civil Code*) की स्थापना नहीं हो सकी है।

8. शिशुओं के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करना (Provisions for Free and Compulsory Education to Children)–राज्य संविधान लागू होने से दस वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी शिशुओं के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था से गरीब लोगों के बच्चे भी आठवीं श्रेणी तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कुछ समय के बाद भारत में निरक्षरता का अन्त हो जायेगा।

9. अनुसूचित जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों की उन्नति (Promotion of educational and economic interests of scheduled castes and other weaker sections)–राज्य अनुसूचित तथा आदिम जातियों में शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय तथा समस्त प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लोगों में पिछड़ेपन की भावना का उन्मूलन करना तथा समाज में उन्हें उचित स्थान देना है। यह पिछड़ापन हमारी सामाजिक स्थिति पर कलंक है, जिसका उन्मूलन अत्यन्त आवश्यक है।

10. जनसाधारण के स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न (To Improve Public Health)–राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए मादक पेयों को केवल दवा के अतिरिक्त प्रतिबंधित करे ताकि देश में अच्छे तथा स्वस्थ नागरिक हों। जनसाधारण का स्वास्थ्य उन्नत होना तभी संभव है, जब बेकारी की समस्या का समाधान हो जाए। भारत में आजकल बेकारी की भीषण समस्या है। अतः राज्य को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। मादक पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और मनोरंजन के लिए उचित साधन प्रस्तुत करने चाहियें। तभी भविष्य में नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा।

11. कृषि तथा पशुपालन का संगठन (Organisation of Agriculture and Animal Husbandry)–राज्य नई वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि तथा पशुपालन का संगठन करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतया दूध देने वाले पशुओं, वाहक पशुओं तथा कृषि योग्य पशुओं के वध को रोकने तथा उनकी नस्ल की उन्नति का प्रयास करेगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसा होना बहुत आवश्यक है। जब तक राज्य इस ओर ध्यान नहीं देगा, तब तक कृषि की उन्नति होना असंभव है। इसलिये राज्य का कर्तव्य है कि कृषि तथा पशुपालन को नवीन वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने का प्रयास करे।

12. पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण (Protection of environment and wildlife)–राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण तथा अन्य जीवों की भी रक्षा करे तथा इनकी रक्षार्थ उचित उपाय भी करें।

13. राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण (Protection of monuments, places and objects of national importance)–राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को बिगाड़ने, नष्ट होने, हटाये जाने से संरक्षण करें। इनकी रक्षा के लिये संसद में कानून बना सकती है और राज्य सरकार को इन कानूनों का पालन करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों की रक्षा करना राज्य का पुनीत कर्तव्य है। ये स्मारक और स्थान हमारी महानता के प्रतीक हैं तथा हमारी अतीत की स्मृतियाँ हैं।

14. कुटीर उद्योगों का विकास (Development of cottage industries)–कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति भी राज्य का कर्तव्य है राज्य को कुटीर उद्योगों के संरक्षण वित्तपोषण एवं विपणन में इनकी सहायता करनी चाहिए इसके लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार ने बहुत से बोर्ड भी बनाए हैं।

15. न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (Separation of Judiciary from Executive)–राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने का प्रयास करेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये इनका एक दूसरे से पृथक् होना आवश्यक है।

16. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की उन्नति (Promotion of International peace and security)–राज्य निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करेगा–

(*i*) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति करना।

(*ii*) राष्ट्रों में न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखना।

(*iii*) अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान की घोषणा करना तथा संगठित लोक के परस्पर व्यवहारों में संधि आभारों का सम्मान करना।

(*iv*) अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में पंच द्वारा समझौते को प्रोत्साहन देना।

अतः ये निदेशक सिद्धान्त राज्य की कार्यपालिका के लिये संदेश एवं निर्देश हैं, क्योंकि उपर्युक्त चार बातों का पालन करना उसके लिये आवश्यक है। संपूर्ण संसार में शांति की स्थापना भारत का सबसे प्राचीन लक्ष्य रहा है। स्वयं शांति-दूत बनकर सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया था। स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत शांति का पुजारी है तथा संपूर्ण संसार में शांति की स्थापना के लिये यह अंतिम स्थिति तक प्रयत्न करता रहेगा।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

9. भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों की धारा 41, 45 व 46 में प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान किया गया है?
(What provision is made in artical 41, 45 and 46 in directive principles of Indian constituion?)

अथवा

निम्नलिखित पर नोट लिखें–
नीति निर्देशक तत्त्वों की धारा 41, 45, व 46।
(Write short note on :
Article 41, 45 and 46 of directive principles.)

उत्तर–स्वतन्त्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान द्वारा भारत को प्रजातान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी गणतन्त्र (Democratic, Secular and Socialistic Republic) घोषित किया गया। नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार दिए गए। शिक्षा क्योंकि राष्ट्रीय विकास की रीढ़ होती है, अतः इस ओर भी ध्यान दिया गया। जब तक देश का प्रत्येक बच्चा कम से कम प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका विकास सम्भव ही नहीं। लेकिन कई बार अनेक अपरिहार्य कारणों से अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं दिलवा पाते। अतः संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार के अन्तर्गत शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक प्रावधान किए और राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाए जाने का प्रावधान किया।

संविधान की धारा 45 में स्पष्ट रूप से कहा गया है–

'राज्य संविधान लागू होने के दस वर्षों के अन्दर सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरा नहीं कर लेते।'

"The state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this constitution, free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."

इस प्रकार यह धारा निम्न बातों पर जोर देती है–

1. संविधान के नीति निर्देशक तत्त्व की इस धारा के अनुसार राज्य अपने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा।
2. इस लक्ष्य को संविधान लागू होने के दस वर्ष की अवधि में प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।

धारा 46 (Article 46)–यह धारा समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक एवम् शैक्षिक हितों को प्रोत्साहित करती है। इस धारा के अनुसार–

"राज्य कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक एवम् आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान को प्रोत्साहित करेगी; विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के; और उनकी सामाजिक अन्याय एवम् हर प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।"

(The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the scheduled castes and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.)

इस प्रकार यह धारा शैक्षिक दृष्टि से निम्न बिन्दुओं पर बल देती है–

1. राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों पर विशेष ध्यान देगा।
2. इसका विशेष ध्यान अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर होगा।

संविधान में 'Weaker Section' 'कमजोर वर्ग' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

धारा 41 (Article 41)–यह धारा जिन महत्त्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखती है, उनमें शिक्षा का अधिकार (Right to Education) भी एक है। धारा में कहा गया है कि–

'राज्य अपनी अपनी वित्तीय क्षमता व विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए .... शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रावधान करेगा।'

(The state shall within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the rights .... to education ....)

संविधान की धारा 41 में प्रतिपादित यह नीति निर्देशक सिद्धान्त धारा 45 के साथ जुड़कर यह प्रतिपादित करता है कि अपने सभी नागरिकों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना न केवल राज्य के लिए आवश्यक है वरन् यह उसका सबसे बड़ा कर्तव्य एवम् दायित्व भी है।

यह भी कहा गया है कि शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का प्रावधान करने वाली संविधान की धारा 29 व 30 को धारा 41 व 45 की पृष्ठिभूमि में पढ़ा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की धारा 41 व 45 को साथ-साथ पढ़ते हुए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की बात कही थी। इसी आधार पर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21-A नामक एक नई धारा को जोड़ दिया और इसके द्वारा 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक स्वतन्त्र मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया।

इस प्रकार धारा 41 प्राथमिक शिक्षा को सभी पात्र बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाए जाने पर बल देती है और बाद में इसी के आधार शिक्षा के अधिकार को स्वतन्त्र मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया और इसे कार्यान्वित भी कर दिया गया।

निष्कर्ष (Conclusion)–निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों की धारा 41, 45 व 46 शिक्षा को सार्वभौमिक बनाए जाने से सम्बन्ध रखती हैं। राज्य पर नीति निर्देशक तत्त्वों के अनुसार कार्य करने की कोई बाध्यता नहीं होती क्योंकि इसके पीछे कानून की शक्ति नहीं होती। इन्हीं धराओं के आधार पर बाद में प्राथमिक शिक्षा के आधार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

◆◆◆

1.6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
(Right to education Act 2009)

10. शिक्षा का अधिकार विधयेक-2009 की विस्तृत विवेचना कीजिए।
(Write a detailed note on Right to Education Act 2009.)

अथवा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
(What is Right to Education Act 2009? Throw light on its main features.) (M.D.U. 2018)

उत्तर–4 अगस्त, 2009 को देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी विधेयक **'द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल'** लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा ने इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया था।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलवाना केन्द्र व राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 के ऐतिहासिक फैसले के 17 वर्षों बाद और संसद में इस बारे में 2002 में 86वां संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ है।

विधेयक : एक दृष्टि में...

- 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
- इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर, जो विहित की जाएं, जहाँ विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे।
- प्रत्येक निजी विद्यालय को अल्प आयु वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना जरूरी होगा। इन 25 प्रतिशत सीटों पर 6-14 आयुवर्ग के बच्चों से फीस वसूलने पर फीस का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
- स्कूलों की प्रबंध समिति में तीन चौथाई सदस्य बच्चों के अभिभावकों को बनाना होगा।
- बगैर सरकारी मान्यता के चल रहे स्कूलों पर पहली बार एक लाख रु.और फिर मान्यता मिलने तक हर रोज 10 हजार रु. के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूलों को बगैर टी.सी. के भी बच्चों को दाखिला देना पड़ेगा।
- कोई भी आम नागरिक स्थानीय प्रशासनिक और शिक्षा अधिकारी को ऐसे स्कूलों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए शिकायत दे सकता है जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से इंकार कर रहे हैं।
- अगर किसी ग्रामीण या शहरी इलाके में सरकारी, निजी या कोई भी स्कूल नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को पास के गांव या शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिर सरकार के लिए तीन साल के अंदर-अंदर उस इलाके में निजी या सरकारी स्कूल खुलवाना कानूनन आवश्यक होगा।
- अगर बच्चे के माँ-बाप उसकी फीस देने में असमर्थ हैं, तो सरकारी स्कूल के रेट पर सरकार उसकी पढ़ाई का खर्च अदा करेगी। निजी स्कूलों के लिए ऐसे बच्चों को प्रवेश परीक्षा या डोनेशन देने के लिए मजबूर करने की मनाही होगी। ऐसा करने वाले स्कूलों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
- बच्चों को शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
- अभिभावकों के इंटरव्यू या बच्चों की स्क्रीनिंग पर पहले 25 हजार और गलती दोहराने पर 50 हजार जुर्माना।
- आपात सेवाओं, जनगणना और निर्वाचन ड्यूटी छोड़कर अध्यापकों की अन्य कामों में ड्यूटी नहीं।
- अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे।
- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (घ) के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता की परीक्षा के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना अंश प्रदान कर सके।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढाँचा विकसित करेगी।

- केन्द्रीय सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी।
- केन्द्रीय सरकार नवीकरण, अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करायेगी।

समुचित सरकार के कर्तव्य (Duties of Appropriate Government)

- प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायेगी।
  6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है।
- धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी।
- धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायेगी।
- प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगी।

अधिनियम के तहत् विद्यालय का उत्तरदायित्व

- धारा (2) (खण्ड-ढ)—उपखंड-1 में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रविष्ट सभी छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा।
  उपखंड-II में विनिर्दिष्ट विद्यालय उसे प्राप्त अनुदान के व्यय का न्यूनतम 25 प्रतिशत बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर व्यय करेगा।
  उपखंड-III & IV के अनुसार पहली कक्षा में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देना होगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा होने तक प्रदान करेगा।

प्रवेश के समय फीस और अनुवीक्षण पर रोक

- उपधारा (1)—कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या उसके संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा।
  उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर—
- प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से, जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस से दस गुना तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
- किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रु. तक और इसके पश्चात् होने वाले उल्लंघनों पर 50,000 रु. तक हो सकेगा।
- प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1856 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर जो विहित किया जाए, अवधारित की जाएगी।

प्रवेश रोकने एवं निष्कासन सम्बन्धी प्रतिषेध

- किसी बालक को आयु का सबूत नहीं होने के कारण किसी विद्यालय के प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
- किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में नहीं रोका जा सकेगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध

- विधेयक में किसी भी बालक के शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
- उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लागू सेवानियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

विद्यालय के मान और मानक

- धारा (18)–किसी विद्यालय को इस धारा के अधीन तब तक मान्यता नहीं दी जा सकेगी, जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता हो।
- इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में निर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहाँ वह ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में अपने खर्च पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठायेगा।
- उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहने वाले विद्यालय को धारा-18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा विद्यालय की अनुदत्त मान्यता को उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा।

विद्यालय प्रबंध समिति

- धारा-2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यालय के माता-पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा।
- ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे।
- अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
- समिति को 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा के नियम

- कोई व्यक्ति जिसके पास केन्द्र सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत किसी शिक्षा अधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं होने पर उपधारा (1) के अधीन वहाँ केन्द्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए लेकिन ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास अधिनियम के प्रारम्भ पर उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगा।
- शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

शिक्षकों के कर्तव्य

- धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्न कर्तव्यों का पालन करेगा–
  1. विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन।
  2. धारा 29 उपधारा (29) पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।

  3. विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना।
  4. प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और पदानुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना।
  5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए।

शिक्षकों की शिकायतों को दूर करना

- उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियमों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला/वाली कोई शिक्षक/शिक्षिका उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।
- ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे शिक्षक/शिक्षिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- शिक्षक की शिकायतों को, यदि कोई हों, ऐसी रीति से दूर किया जाएगा जो विहित की जाएं।

छात्र-शिक्षक अनुपात

- अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से 6 महीने के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाकर रखा जाए।
- उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन हेतु किसी विद्यालय में तैनात किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।
- कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा/लगाएगी।

प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

- प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। शिक्षा प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखेगा–
  1. संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों में अनुरूपता
  2. बालक का सर्वांगीण विकास
  3. बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करना
  4. पूर्णतः मात्रात्मक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास
  5. बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण
  6. शिक्षा का माध्यम जहाँ तक सम्भव हो, बालक की मातृभाषा में होगा।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

7. बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंतामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना
8. बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोगी करने की योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन

बालकों के अधिकार का संरक्षण

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की यथास्थिति धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा–

1. इस अधिनियम द्वारा उसके द्वारा उपबंधित अधिकारों के रक्षा उपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार सम्बन्धी परिवादों की जाँच करना।
3. उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथाउपबन्धित आवश्यक उपाय करना।

- उक्त आयोगों को उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से सम्बन्धित किसी विषय में जाँच करते समय वही शक्तियाँ होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई हैं।
- जहाँ किसी राज्य में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है, वहाँ समुचित सरकार उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

बालकों की शिकायतों को दूर करना

- धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।
- उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, सम्बन्धित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन माह की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।
- स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।
- उपधारा (3) के अधीन की गई अपील का विनिश्चय धारा 31 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन या उपबंधित, यथास्थिति राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन निहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन

- केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करेगी जिसमें पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से की जाएगी।
- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

राज्य सलाहकार परिषद् का गठन

- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद् का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अधिक उतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।
- राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएंगी।

विद्यालय के मान और मानक

क्र.सं.	मद	मान और मानक	
1.	शिक्षकों की संख्या (क) कक्षा 1 से 5 के लिए	प्रवेश किए गए बालक 60 तक 61 से 90 91 से 120 के मध्य 121 से 200 के मध्य 150 बालकों से अधिक 200 बालकों से अधिक	शिक्षकों की संख्या 2 3 4 5 5 धन एक प्रधान अध्यापक छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।
	(ख) कक्षा 6 से 8 के लिए	(1)	कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो–(i) विज्ञान और गणित (ii) सामाजिक अध्ययन (iii) भाषा
		(2)	प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक।
		(3)	जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है, वहाँ– (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक–(क) कला शिक्षा, (ख) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, (ग) कार्य शिक्षा

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

क्र.सं.	मद		मान और मानक
2.	भवन		सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे–
		(i)	प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय-सह-भंडार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष
		(ii)	बाधा मुक्त पहुँच
		(iii)	लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय
		(iv)	सभी बालको के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा
		(v)	जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहाँ एक रसोई
		(vi)	खेल का मैदान
		(vii)	सीमा दीवाल या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i)	पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस
		(ii)	छठी कक्षा से आठवी कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस
		(iii)	पहली कक्षा से पाँचवी कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे
		(iv)	छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे
4.	शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या		45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी है।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर		प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराये जाएंगे।
6.	पुस्तकालय		प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री और क्रीड़ा उपस्कर		प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराये जाएंगे।

◆◆◆

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

LAXMI®

EXAM NOTES

समकालीन भारत तथा शिक्षा

[CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION]

[Paper–2]

UNIT–II

2. ***Review of Education Commissions and Policies in India:***
   - *Prominent characteristics of education in India during colonial rule*
   - *Critical appraisal of recommendations of following commissions*
     - *(i) Secondary Education Commission (1952-53)*
     - *(ii) Indian Education Commission (1964-66)*
     - *(iii) National Policy of Education (1986)*
     - *(iv) Ramamurthy Education Commission (1990)*
     - *(v) Programme of Action (1992)*
   - *National Curriculum Framework 2005: Needs and Objectives*

Published by :
LAXMI BOOK DEPOT
LAXMI BOOK DEPOT Hansi Gate, Bhiwani

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

2

भारत में शिक्षा आयोगों तथा नीतियों की समीक्षा
[Review of Education Commissions and Policies in India]

2.1 औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं [Prominent Characteristics of Education in India During Colonial Rule]

एडम रिपोर्ट [Adam's Report]

1. एडम रिपोर्ट के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
(Write a detailed note on Adam's Report.)

अथवा

एडम रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? इस रिपोर्ट के गुण-दोषों का वर्णन कीजिए।
(What do you know about Adam's Report? Describe the merits and demerits of Adam's Report.)

उत्तर–परिचय (Introduction)–एडम एक सच्चे समाज-सेवक, विद्वान और शिक्षाविद् थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा द्वारा ही भारतीय समाज का विकास किया जा सकता है। एडम एक मिशनरी थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक ने उनको बंगाल तथा बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शिक्षा स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। एडम ने तीन प्रतिवेदन इसी अध्ययन के फलस्वरूप दिए। इन तीन रिपोर्टों में महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री होने के साथ साथ विचारों व सुझावों का समावेश भी है। इन रिपोर्टों में तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था और भारतीयों के शिक्षा प्रेम का सच्चा वर्णन इतिहासबद्ध किया गया है। जिस अपकीर्ति को चार्ल्स ग्रान्ट और मैकाले जैसे इतिहासकारों ने मढ़ दिया था, उसे एडम ने अपनी रिपोर्टों द्वारा दूर कर दिया।

I. एडम की प्रथम रिपोर्ट–(1835) (First report of Adam–1835)–एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1 जुलाई, 1835 को प्रस्तुत की। एडम की रिपोर्ट के तीन मापदण्ड निम्नलिखित हैं–

(a) जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या।
(b) शिक्षा का स्वरूप।
(c) शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण।

एडम ने बंगाल की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन इन्हीं मापदण्डों को ध्यान में रखकर किया।

(a) बंगाल की शिक्षा का स्वरूप–बंगाल की शिक्षा के अंतर्गत एडम ने देखा कि बंगाल और बिहार में 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला थी। 400 बालकों की शाला में केवल 63 बालक थे। बंगाल तथा बिहार में 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार 63 बालकों हेतु एक देशी शाला थी। शिक्षा की स्थिति का पता केवल पाठशालाओं के आधार पर नहीं लगाया जा सकता था। ये पाठशालाएं निम्न स्तरीय थीं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

पाठशालाओं के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं–

(a) शिक्षा स्तर निम्न होना।

(b) छात्रों का अवधि के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देना।

बंगाल की शिक्षण विधि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई–

(a) प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षण प्रारंभ करते थे तथा 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे।

(b) यह अक्षर बनाना रेत पर अंगुली चलाकर सिखाते थे।

(c) रेत के पश्चात् आटे पर तथा ताड़-पत्र पर स्याही से सिखाया जाता था।

(d) अक्षर ज्ञान के बाद बालकों को लिखने व पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था।

(e) इन पाठशालाओं का शिक्षण दोषपूर्ण होता था। शिक्षक अपने वेतन के लिए छात्रों तथा उनके परिवार वालों पर निर्भर करते थे।

(f) मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाता था।

(g) शिक्षक अपनी दयनीय स्थिति के कारण छात्रों पर कोई नैतिक प्रभाव डालने में असमर्थ थे।

भारतीयों हेतु शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य माना गया था। संस्कृत के पठन-पाठन हेतु प्रान्त में उच्च विद्यालय खोले गए।

(i) एक संस्था वह थी, जिसमें काव्य की शिक्षा व व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी।

(ii) दूसरी संस्था वह थी, जिसमें कानून, नियम तथा काव्य पढ़ाया जाता था।

(iii) तीसरी संस्था में न्याय तथा साहित्य का शिक्षण दिया जाता था।

इन सभी तथ्यों के अतिरिक्त एडम की प्रथम रिपोर्ट में उन प्राथमिक शालाओं के संबंध में विशेष जानकारी है, जिन्हें मिशनरी समाज, गैर-हिंदुस्तानी संस्थाएं तथा विदेशी लोग चलाते थे तथा जिनके संगठन में भारतीयों का हाथ नहीं था।

II. एडम की द्वितीय रिपोर्ट 1836 (Second Report of Adam–1836)–एडम की दूसरी रिपोर्ट 23 दिसम्बर, 1836 को तैयार हुई। एडम की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार उसने राजशाही जिले नटौर के थाने का बारीकी से सर्वेक्षण किया। पहली रिपोर्ट की सीमाओं को तोड़ना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य था। नैटोर जिले के सर्वेक्षण में निम्नलिखित बातें सामने आईं–

1. मुस्लिम विद्यालयों की संख्या 17 थी। उनमें से 4 में फारसी पढ़ाई जाती थी। अरबी भाषा हेतु 20 छात्र थे और 11 विद्यालयों में अरबी पढ़ाई जाती थी। 2 शालाएं ऐसी थीं, जिनमें बंगाली तथा फारसी पढ़ाई जाती थी।
2. हिन्दू प्राथमिक पाठशालाएं 11 थीं, जिनमें 192 छात्र पढ़ते थे।

तत्पश्चात् हिंदू प्राथमिक शालाओं की शुरूआत की गई। इन हिंदू पाठशालाओं की विशेषताएं निम्नलिखित थीं–

1. इन पाठशालाओं में 5, 7 और 9 वर्ष की अवस्थाओं के बालक प्रवेश पाते थे। 5 से 10 वर्ष तक की अवधि तक शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षक नए युवक व अधेड़ उम्र के भी होते थे।
2. पहले 10 दिनों में वर्णमाला सिखाई जाती थी, फिर 2 से 4 वर्ष तक ताड़ के पत्तों पर लिखना-पढ़ना, संख्या ज्ञान, गुणा भाग आदि सिखाया जाता था।
3. इन शालाओं में हस्तलिखित पुस्तकों का चलन नहीं था।
4. 2 से 3 वर्ष तक सरल गणित तथा केले के पत्तों पर लिखने की शिक्षा बालकों को दी जाती थी।
5. गणित आदि के प्रश्न, व्यापार या कृषि संबंधित होते थे।
6. चौथे चरण में 2 वर्ष तक अर्जियां, चिट्ठियां लिखने व हिसाब-किताब लिखवाने का अभ्यास कराया जाता था।

7. नैटोर में 4 फारसी शालाएं थीं, जिसमें लगभग 23 छात्र थे। इनमें $4\frac{1}{2}$ से 13 वर्ष तक के बालक अध्ययन आरम्भ करते थे। 12 से 27 वर्ष की अवस्था में विद्यालय छोड़ते थे। छात्र 4 से 8 वर्षों तक शिक्षा अध्ययन करते थे।
8. बंगला शिक्षकों की अपेक्षा इन फारसी पाठशालाओं में अधिक विद्वान शिक्षक थे।
9. यहां पाठशालाओं के अतिरिक्त घरों में शिक्षा देने की सुविधा थी।
10. नैटोर में अरबी शिक्षाशालाओं की संख्या 11 थी, जिसमें 42 छात्र अरबी सिखते थे।
11. कई संस्थाओं के मौलवी घरों में जाकर शिक्षा देते थे। उन्हें 12 रुपये प्रति महीना व भोजन दिया जाता था।
12. नैटोर जिले में जमींदारों की लड़कियों को छोड़कर कोई स्त्री शिक्षित नहीं थी।

III. एडम की तृतीय रिपोर्ट–1838 (Third Report of Adam–1838)–एडम की तृतीय रिपोर्ट में शिक्षा संबंधी निम्नलिखित तथ्यों को व्यक्त किया गया–

1. वर्तमान देशी संस्थाओं का ही शिक्षा प्रसार के लिए उपयोग किया जाए। हिंदू व मुस्लिम दो प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं–एक धार्मिक संस्थाओं का ही अंग है, दूसरी वे हैं, जिनका धर्म के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। हमें दूसरी संस्थाओं को संशोधित कर, उन्हें हिंदू और मुसलमान जनता की शिक्षा का साधन बनाना चाहिए।
2. देशी-भाषा शिक्षण को शैक्षणिक योजना का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा शिक्षा संबंधी नीति व विचारों ने देशी भाषा के शिक्षण का महत्त्व बिल्कुल गिरा दिया है।
3. इस योजना के पहले चरण के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रसार ग्रामीण शिक्षकों तथा देशी शालाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रयोग को एक से अधिक जिलों में लागू करना चाहिए।
4. **प्रत्येक जिले में शैक्षणिक सर्वेक्षण**–इस सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक जिले की जनसंख्या, शिक्षा पाने योग्य बालकों की संख्या तथा वर्तमान शिक्षा सुविधाएं आदि का पता लग सकेगा।
5. शिक्षकों की समय-समय पर परीक्षा ली जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें योग्यतानुसार पारितोषिक वितरण करने की व्यवस्था की जाए। इससे शिक्षा संस्थाओं और शिक्षकों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। शिक्षकों की रुचि अच्छी शिक्षण पद्धतियों द्वारा शिक्षण देने की बनेगी।
6. सरकार द्वारा तैयार पाठ्य-पुस्तक तथा नार्मल स्कूल की परीक्षा पास करने वाले ग्रामीण शिक्षकों को कुछ भूमि भी दान में दी जाए। लेकिन भूमि शिक्षक के वेतन से आधे से अधिक आय की न हो। यदि वेतन 30 रुपये प्रतिवर्ष है तो भूमि 40 रुपये देने लायक ही होनी चाहिए। यह योजना अच्छे व्यक्तियों को शिक्षा कार्य की ओर आकर्षित करने में सफल होगी। इस योजना से शिक्षकों में भी अच्छी योग्यता धारण करने व बालकों को अच्छी शिक्षा देने की रुचि बढ़ेगी व शिक्षकों का ही नहीं अपितु अच्छे व्यक्तियों का रूझान भी इस तरफ बढ़ेगा।

विलियम एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना
(Education scheme proposed by Adam)

एडम प्राच्यवादी विचारधारा का था। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। उसके द्वारा भारत में जन-शिक्षा की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है तथा इसकी व्यवस्था वहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। जन-शिक्षा योजना को एडम के अनुसार निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है–

1. भारतीय भाषा एवं साहित्यों तथा ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन भारतीयों की भाषाओं द्वारा करवाया जाए। भारत में जन-शिक्षा के विकास के लिए यही आवश्यक है।
2. जन-शिक्षा विरोधी निस्यन्दन सिद्धांत को लागू न किया जाए।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

3. भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते यहां कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
4. सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए।
5. छात्रों की शिक्षाएं निर्धारित समय पर पूरी करवाई जाएँ।
6. शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर उनकी दशा सुधारी जाए।
7. प्राच्य भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण भारतीय तथा पाश्चात्य विशेषज्ञों की सहायता से करवाया जाए।
8. शिक्षकों तथा विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं।
9. इस योजना को कार्यरूप में परिणित करने के लिए शुरू में इसे कुछ जिलों में शुरू किया जाए तथा धीरे-धीरे समस्त जिलों में चलाया जाए।
10. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष 3-3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला कर 4 वर्ष के अंदर उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया जाए।

एडम रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं गुण व दोष
(Evaluation of Adam's report and merits or demerits)

एडम भारत में में जन-शिक्षा का सच्चा पक्षधर था। एडम ने जो सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की, उससे दो प्रश्न चिह्न उपस्थित होते हैं—पहला यह कि उसने बंगाल तथा बिहार दोनों प्रान्तों के सम्पूर्ण क्षेत्र की शिक्षा का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया। जब पूर्ण सर्वेक्षण नहीं किया तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उस समय अकेले बंगाल में लगभग एक लाख स्कूल चल रहे थे। दूसरा यह है कि गांवों में स्कूल होने और नगरों में भी स्कूलों का जाल बिछा होने के बाद अकेले बंगाल में एक लाख स्कूल होना सम्भव नहीं है।

एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना भारतीयों के लिए उपयुक्त होते हुए भी एक अधूरी योजना है। इसमें निस्पन्दन सिद्धांत का विरोध किया गया है तथा भारतीयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया गया है। इसलिए इसको भारतीय के लिए उपयुक्त योजना कहा गया है। साथ ही इसमें देशी स्कूलों की दशा सुधारने, शिक्षकों का वेतन बढ़ाने और उनके प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने और सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया गया।

इसके बावजूद भी इस योजना को अधूरी योजना इसलिए कहा जाता है, क्योंकि न तो इस शिक्षा योजना में भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए और न ही उनका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया। इस शिक्षा योजना में ग्रामीण स्कूलों को भूमि देने की बात कही गई, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि यह भूमि कौन देगा।

एडम योजना की अस्वीकृति (Adam's Report, Not approved)—एडम ने अपनी रिपोर्ट 1835, 1836, 1838 में प्रस्तावित की। मैकाले ने भी अपने विवरण पर शिक्षा नीति, 1835 प्रस्तावित की। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड आकलैंड ने दोनों का बारीकी से अध्ययन किया, उन पर विचार विमर्श करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि देश के लिए जन-शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय सीमित साधन थे और ये देखते हुए उसने एडम द्वारा प्रस्तुत योजना को अस्वीकृत कर दिया। मैकाले द्वारा प्रस्तुत निष्यन्दन सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया गया। देश की स्थिति अच्छी न होने के कारण लार्ड आकलैंड को एडम की योजना अस्वीकृत करनी पड़ी।

◆ ◆ ◆

मैकाले का विवरण-पत्र (Macaulay's Minutes)

2. मैकाले के विवरण-पत्र पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
(Write a detailed note on Macaulay's Minutes.)

उत्तर–परिचय (Introduction)–लार्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था। वह 10 जून, 1834 ई. को भारतीय गवर्नर-जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया था। जब मैकाले भारत आया तब उसे जनरल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उससे शीघ्र ही प्राच्य और पाश्चात्य दलों के विचार पर सहमति मांगी गई, क्योंकि उस समय भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद छिड़ा हुआ था। प्राच्य दल भारतीय भाषा के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने के पक्ष में था जबकि पाश्चात्य दल पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहा था। इस विवाद के कारण अंग्रेज भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या सुलझाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। एक कानूनी सदस्य होने के नाते मैकाले को इस विषय पर अपना मत देना था कि शिक्षा के माध्यम के लिए कौन-सी भाषा उपयुक्त हो सकती है और सरकारी धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। मैकाले को यह राय भी देनी थी कि 1831 के आज्ञा-पत्र अधिनियम में भारत में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का आदेश दिया जाए। लार्ड मैकाले ने 2 फरवरी, 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैंटिक को अपना प्रभावशाली विवरण-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे इतिहास में मैकाले के विवरण-पत्र के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मैकाले ने शैक्षिक संरचना के संबंध में कोई अतिश्योक्तिपूर्ण सिफारिशें नहीं कीं लेकिन मैकाले ने अपने विवरण-पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए वह सब कुछ कर दिया जो शायद सेना के सैकड़ों जनरल भी नहीं कर सकते थे। मैकाले ने अपने विवरण-पत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी, जिसने समस्त भारत को एक आंग्ली (English) बना दिया।

व्याख्या (Explanation)–1813 के आज्ञा-पत्र की धारा 43 की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की है–

1. **धनराशि के खर्च की व्याख्या**–मैकाले ने कहा कि एक लाख रुपये की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस राशि को स्वेच्छानुसार खर्च कर सकती है।
2. **भारतीय विद्वान की व्याख्या**–मैकाले के अनुसार भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है।
3. **साहित्य शब्द की व्याख्या**–मैकाले के अनुसार साहित्य शब्द से तात्पर्य मात्र भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी से नहीं है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य से भी है।
4. **विवरण-पत्र की मुख्य बातें (Main Points of Minutes)**–मैकाले द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्र की मुख्य बातों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है–
   (a) अंग्रेजी का समर्थन और उसका गुणगान।
   (b) प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक, अनावश्यक तथा मूर्खतापूर्ण बताया गया।
   (c) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य तथा भारतीय भाषाओं को गंवारू तथा अविकसित कहा।
   (d) भारतीय विद्वान वे ही हैं जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से पूर्णतः परिचित हैं।
   (e) उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सरकार के पास सामान्य लोगों की शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन का अभाव है। उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग के पास शिक्षा स्वतः पहुंच जाएगी।
   (f) शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

5. निस्यन्दन सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण—निस्यन्दन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं—

(i) उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है।

(ii) कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था।

(iii) उच्च वर्ग को पाश्चात्य आचार-विचारों की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सके।

(iv) ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जिन्हें उच्च पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके।

6. निस्यन्दन सिद्धांत लागू करने का फल—मैकाले के निस्यन्दन सिद्धांत को क्रियान्वित करने से उच्च शिक्षा के प्रचार में तीव्रता तो आ गई, लेकिन शिक्षा उच्च वर्गों से छन-छन कर निम्न वर्गों तक नहीं पहुंची। इसका मुख्य कारण यह था कि जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, उनके विचार और आदर्श बदल गए। उनमें श्रेष्ठता की ऐसी भावना जागी, जिसके कारण वे निम्न वर्गों से सम्पर्क स्थापित करने में मान-हानि समझने लगे। इस संबंध में पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा था कि "अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जो शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील रहता था।" यही कारण है कि निस्यन्दन सिद्धांत जिसके लिए लाया गया था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रहा।

मैकाले के विवरण-पत्र की मुख्य विशेषताएं
(Main Features of Macaulay's Minutes)

1. अंग्रेजी भाषा आधुनिक ज्ञान की कुंजी—मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है। अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषाओं जैसे—अरबी और संस्कृत से अधिक उपयोगी है।

2. भारतीय नवचेतना लाने में सक्षम—मैकाले के अनुसार भारतीय बहुत पिछड़े हुए थे और उनकी भाषाएं भी अधिक विकसित नहीं थीं। अतः इस स्थिति में उन्हें किसी विदेशी भाषा की आवश्यकता थी, जो भारत में नवचेतना का उद्भव कर सके और यह विदेशी भाषा कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजी ही हो सकती है। अंग्रेजी भाषा भारतीय पुनर्जागरण में उसी प्रकार सहायता करेगी जिस प्रकार इंग्लैंड में पुनर्जागरण लाने का कार्य लैटिन और ग्रीक भाषा ने किया था।

3. अंग्रेजी शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा—मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी भारत में शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह सरकार में उच्च पदों पर जो आसीन हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ऐसा लगता है कि यह पूरे पूर्व में व्यापार की भाषा बन जाएगी।

4. भारतीयों में भी अंग्रेजी सीखने की उत्सुकता—भारतीयों की अंग्रेजी में बहुत रुचि थी और वे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए उत्सुक थे। मैकाले ने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए एक संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा दायर की गई याचिका का प्रमाण दिया। याचिका के अनुसार छात्रों ने कहा कि वे दस से बारह वर्ष तक इन महाविद्यालयों में पढ़े और अपने आप को हिन्दू साहित्य और विज्ञान का विद्वान बना लिया और उनको इस विद्वता के प्रमाण-पत्र भी दिए गए, परंतु इन सभी प्रमाण-पत्रों का कोई लाभ नहीं था क्योंकि उन प्रमाण-पत्रों के आधार पर आजीविका नहीं कमाई जा सकती थी। उन्होंने सरकार से अपने जीवनयापन के लिए कोई स्थान ढूंढने की प्रार्थना की थी। इन्हीं प्रमाण-पत्रों के आधार पर मैकाले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की वकालत की थी क्योंकि अंग्रेजी ही ऐसी भाषा थी जो भारतीय जनता को ज्ञान एवं आजीविका की प्राप्ति करवा सकती थी।

5. अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ भाषा—मैकाले के अनुसार अंग्रेजी सभी पश्चिम की भाषाओं से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, "जो भी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को जानता है, उसके लिए यह विशाल बौद्धिक सम्पत्ति उसकी पहुंच में होगी, जिसे इस धरती के सबसे बुद्धिहीन राष्ट्रों ने पैदा किया है तथा जो उसे नब्बे पीढ़ियों तक भंडारित करते रहे हैं।" मैकाले अरबी और संस्कृत भाषाओं को निम्न स्तर की भाषा मानता था। वह अंग्रेजी भाषा को ही उच्च स्तर की भाषा मानता था।

मैकाले का निस्यन्दन सिद्धांत
(Filteration Theory of Macaulay)

1. सिद्धांत का अर्थ—'निस्यन्दन' अर्थात् "छीनने की क्रिया।" व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वे भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहते थे। अतः उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्ग के लोगों से छन-छन कर निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अरथर मेहतू ने कहा है "शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचती थी। लाभप्रद ज्ञान, भारत के सर्वोच्च वर्गों में बूंद-बूंद करके नीचे टपकता था।"

2. सिद्धांत के समर्थक—ईसाई मिशनरी, मुम्बई के गवर्नर की कौंसिल का सदस्य, फ्रांसिस वार्डन, कंपनी के संचालक और मैकाले निस्यन्दन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे।

(i) ईसाई मिशनरियों का विचार था कि यदि उच्च वर्ग के भारतीय हिन्दुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म अवलम्बी बनाया जाए तो निम्न वर्गों के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे।

(ii) फ्रांसिसी वार्ड ने 23 दिसम्बर, सन् 1823 के अपने 'विवरण-पत्र' में यह विचार व्यक्त किया—"बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा-सा ज्ञान देने की बजाए थोड़े से व्यक्तियों को बहुत-सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है।"

(iii) कंपनी के संचालकों ने 29 सितम्बर, 1830 को अपने 'आदेश-पत्र' में मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया—"शिक्षा की प्रगति उसी समय हो जाती है, जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए, जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के नागरिकों पर प्रभाव है।"

(iv) मैकाले ने 1835 के 'विवरण-पत्र' में 'निस्यन्दन' सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा—हमें इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए, जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषिए का काम करे, जिन पर हम शासन करते हैं।

3. आकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति—भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड आकलैंड ने "निस्यन्दन सिद्धांत" को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करते हुए 24 नवम्बर, 1839 के अपने 'विवरण-पत्र' में घोषणा की—"सरकार के प्रयास, समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिएं, जिनके पास अध्यापन के लिए अवकाश है तथा जिनकी संस्कृति छन-छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी।"

4. अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त व रंग से भले ही भारतीय हो, परंतु रुचियों, नैतिकता तथा विद्वता में अंग्रेज होगा।

5. भारतीय अरबी व संस्कृति की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित हैं।

6. भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनने के लिए प्रयास करने चाहिएं। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने यह मत दिया है कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है, तथा इनको बंद कर देना चाहिए। इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाएं बनाई जाएं।

बैंटिक द्वारा विवरण-पत्र की स्वीकृति–1835
(Bentick's Approval of Minutes, 1835)

लार्ड विलियम बैंटिक ने मैकाले के 'विवरण-पत्र' में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। उसके बाद 7 मार्च, 1835 को एक विज्ञप्ति द्वारा उसने सरकार की शिक्षा नीति को अग्रांकित शब्दों में घोषित किया—"शिक्षा के लिए निर्धारित सम्पूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है।"

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

इस विज्ञप्ति से भारतीय शिक्षा के इतिहास में अचानक एक नया मोड़ आ गया। टी.एन. सिक्येरा के शब्दों में—"इस विज्ञप्ति ने भारत के शिक्षा के इतिहास को नया मोड़ दिया। यह उस दिशा में, विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी, निश्चित नीति की पृथक् सरकारी घोषणा थी।"

मैकाले के विवरण-पत्र का मूल्यांकन *(Evaluation of Macaulay's Minutes)*

किसी वस्तु, विचार या क्रिया का मूल्यांकन किन्हीं निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है, मैकाले के विवरण-पत्र का मूल्यांकन तीन आधारों पर किया जा सकता है। पहला यह कि उसका इरादा क्या था, दूसरा यह है कि उसने जो सुझाव दिए थे क्या वो भारतीयों के हित में थे तथा तीसरा यह है कि उनके कितने परिणाम भारतीयों के कितने हित में रहे।

मैकाले का इरादा—मैकाले का मत था कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान-विज्ञान निम्न कोटि का है। इसलिए भारतीयों की दशा सुधारने के लिए उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना आवश्यक हो गया है। वास्तव में मैकाले का इरादा भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को जड़मूल से समाप्त करने का था। उसने बंगाल से अपने पिता को लिखे पत्र में स्वयं लिखा था—"यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना को लागू किया जाता है तो 30 वर्ष बाद बंगाल के उच्च वर्ग में कोई भी मूर्ति उपासक शेष नहीं बचेगा।" अतः ये स्पष्ट है कि भारतीयों की दृष्टि से मैकाले का इरादा नेक नहीं था, वह भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति को नष्ट करना चाहता था तथा उसके स्थान पर पाश्चात्य संस्कृति, धर्म और दर्शन का विकास करना चाहता था। साथ ही अपने देश के शासन को सुदृढ़ करना चाहता था।

मैकाले के विवरण-पत्र के गुण *(Merits of Macaulay's Minutes)*

1. प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय—मैकाले ने बहुत ही अच्छी तरह से प्राच्य-पाश्चात्य विवाद को हल किया था। हालांकि उसने पाश्चात्यवादियों का समर्थन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया था।

2. प्रगतिशील शिक्षा की वकालत—आरंभ में भारत में जो शिक्षा चल रही थी वह रूढ़िवादी तथा प्राचीन साहित्य प्रधान थी। मैकाले ने उसे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान प्रधान तथा प्रगतिशील बनाने पर बल दिया।

3. पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान-विज्ञान की वकालत—ज्ञान अपने आप में प्रकाश है तथा अमृत के समान है। यह कहीं से भी प्राप्त हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की, उससे भारतीयों को परिचित कराने पर बल दिया। यह उसके विवरण-पत्र की एक बहुत अच्छी बात थी।

4. शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति—मैकाले के समय हिन्दू पाठशालाओं में हिन्दू धर्म, मुस्लिम मकतब तथा मदरसों में ईस्लाम धर्म, और ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा न दिए जाने की सिफारिश की। भारतीय संदर्भ में यह उसका अति उत्तम सुझाव था।

मैकाले के विवरण-पत्र के दोष *(Demerits of Macaulay's Minutes)*

1. 1813 के आज्ञा-पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण—स्वीकृत धन के बारे में कहा था कि इसे किसी भी रूप में खर्च किया जा सकता है। साहित्य से अभिप्राय प्राच्य तथा पाश्चात्य साहित्य से है और भारतीय विद्वान से अभिप्राय भारतीय विद्वानों के साथ-साथ लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता को जानने वाले भारतीय विद्वानों से भी है, पक्षपातपूर्ण था। ये बात अलग है कि उसने अपने तर्कों द्वारा इसे उचित सिद्ध कर दिया।

2. प्राच्य साहित्य एवं संस्कृति की आलोचना द्वेषपूर्ण—मैकाले ने प्राच्य साहित्य और संस्कृति को बहुत निम्न कोटि का बताया तथा उसका मखौल उड़ाया। यह उसकी एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति थी। यदि उसने ऋग्वेद और उपनिषदों के आध्यात्मिक ज्ञान, अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरकसंहिता के आयुर्वेद विज्ञान का अध्ययन किया होता तो वह ऐसा कहने का दुस्साहस कभी न कर पाता।

3. अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने का सुझाव पक्षपातपूर्ण—किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश के नागरिकों की मातृभाषा अथवा मातृभाषाएं होती हैं। मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्य बनाने का सुझाव देकर अनेक भारतीयों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया था। इससे जन-शिक्षा को बड़ा धक्का लगा।

4. केवल उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव अनुचित—शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे किसी विशेष वर्ग तक सीमित रखना मानवीय अधिकारों का हनन है। इस दृष्टि से मैकाले का सुझाव बहुत ही अनुचित था।

5. निस्यन्दन की पुष्टि अनुचित—मैकाले से पहले भी कई अंग्रेज विद्वान इस बात के पक्षधर थे कि कंपनी को केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैकाले ने इसकी पुष्टि बड़े तर्कपूर्ण ढंग से की जो आगे चलकर एक बार शिक्षा नीति का अंग बनी। यह उसका एक चतुरतापूर्ण सुझाव था।

◆◆◆

वुड़ का घोषणा पत्र (Wood's Dispatch, 1854)

3. वुड के घोषणा पत्र, 1854 पर एक विस्तृत नोट लिखिए।
(Write a detailed note on Wood's Dispatch, 1854.) (C.D.L.U. 2018)

अथवा

वुड के घोषणा-पत्र 1854 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए तथा घोषणा पत्र, 1854 के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।
(Describe the major recommendations of Wood's Dispatch 1854. Discuss the merits and demerits of Wood's Dispatch, 1854.)

उत्तर–परिचय (Introduction)–भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर अनेक प्रयोग करने के लम्बे समय पश्चात् यह देखा गया कि जैसा मैकाले ने सोचा था, उस प्रकार का लाभ भारतीय जनसाधारण शिक्षा के मामले में प्राप्त नहीं कर सका था। मैकाले ने सोचा था कि अधोमुखी निस्यन्दन सिद्धांत अच्छे परिणाम लेकर आएगा, परंतु ये बुरी तरह से असफल रहा। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि जितना जोर अंग्रेजी भाषा पर दिया गया था, वह एक त्रुटि साबित हुआ। जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाना बहुत कठिन हो गया। अब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की मांग थी जो जनसाधारण तक पहुंच सके। ब्रिटिश संसद को पता चल चुका था कि भारतीय शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए और एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए अब सोचा गया कि भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को ले लेनी चाहिए। शिक्षा पर होने वाला वार्षिक खर्च भी बहुत ही कम था। उस समय तक भारत में कोई शिक्षा विभाग अथवा विश्वविद्यालय नहीं थे, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती जा रही थी। स्त्री-शिक्षा और शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम तो पूरी तरह अदृश्य थे। 1853 तक भारत की शिक्षा पूर्णरूप से समस्याग्रस्त हो चुकी थी। अब तक ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर, 1835 के मैकाले विवरण-पत्र व 1835-38 की एडम की रिपोर्टों के द्वारा भारत में अनेक शैक्षिक प्रयोग किए गए, परंतु इन प्रयोगों द्वारा शिक्षा का विकास होना तो दूर अपितु अनेक विवाद भी उत्पन्न हो गए। इन विवादों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। अब ऐसा समय आ गया था जब इस पुनरावलोकन के प्रकाश में भविष्य की कोई एक विस्तृत नीति बनानी थी। जो भारत में शैक्षिक पुनर्निर्माण का कार्य कर सके। ऐसे समय में ही 1854 के शैक्षिक घोषणा-पत्र का अभ्युदय हुआ। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के चेयरमैन थे। चार्ल्स वुड भारत आया और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी से कुछ परामर्श किया और वापस लौट गया। इंग्लैंड जाकर उसने शिक्षा संबंधी सिफारिशों को यहां भेजा

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

और उनकी इन सिफारिशों संबंधी प्रलेख को ही 'वुड का घोषणा-पत्र', 'भारतीय शिक्षा का शिलाधार' और 'भारतीय शिक्षा महाधिकार-पत्र' भी कहा जाता था। इस घोषणा-पत्र में समस्त भारतवासियों के लिए एक योजना थी। इसको तैयार करने में अनेक पाश्चात्य विद्वानों व सुविज्ञों जैसे–लार्ड डलहौजी, जॉन स्टुअर्ट मिल, लार्ड नार्थबुक और डफ आदि ने अपना योगदान दिया था। लार्ड डलहौजी ने इस घोषणा-पत्र का स्वागत करते हुए कहा, "घोषणा-पत्र में पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक योजना थी। इस प्रकार की व्यापक रूप-रेखा किसी प्रांतीय अवथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कभी-भी प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी।"

वुड के घोषणा-पत्र के लक्ष्य
(Aims of Wood's Dispatch)

स्वयं वुड ने अपने घोषणा-पत्र में कंपनी के शिक्षा संबंधी लक्ष्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है–"अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता, जितना कि "शिक्षा"। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने सम्पर्क से वह सब ज्ञान प्रदान करें जिससे कि वे शिक्षा द्वारा भौतिक एवं नैतिक गुणों से सम्पन्न हो सकें।" चार्ल्स वुड के घोषणा-पत्र के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं–

(i) भारत में शिक्षा न केवल बौद्धिक क्षमता का उच्चतम विकास करे अपितु शिक्षा का लाभ उठाने वालों के नैतिक चरित्र का भी विकास करे।
(ii) ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षित, विश्वसनीय और उद्यमशील जन-सेवक उपलब्ध कराना।
(iii) भारतीयों को यूरोपीय लेखकों की कृतियों से परिचित कराना।
(iv) भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान के वरदान एवं प्रकाश से उन्नत बनाना।
(v) भारतवासियों में कंपनी के कार्यालयों, कारखानों में कार्य करने की निपुणताएं विकसित करना, जिससे कि वे रोजगार, श्रम तथा पूंजी आदि शब्दों से परिचित हो सकें और श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके।

वुड के घोषणा-पत्र की प्रमुख सिफारिशें
(Main Recommendations of Wood's Dispatch)

वुड के घोषणा-पत्र की सिफारिशें इस प्रकार थीं–

1. शिक्षा के उद्देश्य–सर्वप्रथम वुड के घोषणा-पत्र के तहत भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए–

(a) भारतवासियों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को उच्च स्तरीय बनाना।
(b) भारतीय नागरिकों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराते हुए उनकी भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कराना।
(c) भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना।
(d) भारत में अंग्रेजों के राजकाज में सहयोग प्रदान करने के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना।
(e) निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहे भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना।

2. पाठ्य-विषय–वुड के घोषणा-पत्र में प्राच्य भाषाओं में संस्कृत और अरबी को महत्त्व दिया गया, लेकिन साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को भारतीयों के लिए उपयोगी माना गया।

पाठ्य-विषय के संदर्भ में चर्चा करते हुए वुड ने कहा कि "हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रचार देखना चाहते हैं कि जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात् यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो।"

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE

3. जन-शिक्षा प्रसार–वुड के घोषणा-पत्र में जन-शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई तथा इस संदर्भ में निम्न पांच निर्णय लिए गए–

(a) निस्यन्दन सिद्धांत को रद्द किया जाता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं अपितु सभी को मुहैया कराई जाएगी।
(b) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
(c) विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
(d) भारतीय भाषा का विकास किया जाएगा, यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और अच्छे अनुवादकों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
(e) भारत में जन-शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों (देशी और मिशनरी प्रयासों) को बढ़ाया जाएगा।

4. शिक्षा का उत्तरदायित्व–वुड के घोषणा-पत्र में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना, कंपनी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर दिया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि–"अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं कर सकता है, जितना कि शिक्षा। यह हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है।"

5. शिक्षा का माध्यम–वुड के घोषणा-पत्र में भारतीय भाषाओं की महत्ता को मानते हुए कहा गया है कि जन-सामान्य के लिए यूरोपीय ज्ञान का प्रसार देशी भाषाओं के माध्यम से भी हो सकता है। अंग्रेजी माध्यम का उपयोग इन लोगों की शिक्षा में होना चाहिए, जो इसका इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि इसके माध्यम से यूरोपीय ज्ञान को ग्रहण कर सकें। इस प्रकार अंग्रेजी, देशी और विदेशी दोनों भाषाओं को शिक्षा का माध्यम निश्चित करते हुए घोषणा-पत्र ने यह उम्मीद जताई है कि, "हम यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा और देशी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में साथ देखने की आशा रखते हैं।"

6. शिक्षा विभाग–वुड के घोषणा-पत्र में भारत तत्कालीन चारों अंग्रेजी प्रांतों में एक-एक लोक शिक्षा विभाग बनाने का आदेश दिया गया। इसके संचालन का भार शिक्षा निदेशक को दिया गया। इसकी सहायता के लिए कतिपय शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

7. विश्वविद्यालयों की स्थापना–भारत में विश्वविद्यालयों की अनुशंसा करते हुए वुड के घोषणा-पत्र में कहा गया कि "सरकारी छात्रवृत्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों की उच्च उपलब्धियों तथा बढ़ती यूरोपियन व एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।" साथ ही घोषणा-पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानते हुए मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई।

8. सहायता अनुदान प्रणाली–वुड के घोषणा-पत्र में पहली बार देशी व विदेशी संस्थाओं को बगैर किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। अनुदान में प्राप्त धन का व्यय भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षकों के वेतन और छात्रवृत्तियां आदि देने में किया जाएगा।

9. क्रमबद्ध संस्थानों की स्थापना–वुड के घोषणा-पत्र में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं–प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई।

10. स्त्री शिक्षा–वुड के घोषणा-पत्र में भारतीय स्त्रियां, नैतिक तथा चारित्रिक विकास करने के लिए और उनकी भौतिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके उत्थान के लिए निम्न बातें कही गईं–

(i) बालिका विद्यालयों को विशेष आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
(ii) स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

11. व्यावसायिक शिक्षा–वुड के घोषणा-पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर अत्यधिक बल देते हुए कहा गया है कि भारतीय प्रांतों में इस प्रकार के विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना की जाए, जो कि भारतीय बेरोजगार युवकों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा मुहैया करा सकें।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

12. शिक्षकों का प्रशिक्षण—वुड के घोषणा-पत्र में शिक्षक के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को आवश्यक मानते हुए निम्न आदेश दिए गए—

(i) भारत में ब्रिटेन की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

(ii) शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की जाए।

(iii) यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा के शिक्षकों के लिए पृथक्-पृथक् होगा।

13. धार्मिक शिक्षा—वुड के घोषणा-पत्र में एक तरफ धार्मिक शिक्षा के संबंध में तटस्थता की नीति की बात की गई है और दूसरी तरफ मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की खुली छूट दी गई है। सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबिल रखना अनिवार्य किया गया है।

14. शिक्षक एवं विद्यार्थी—वुड के घोषणा-पत्र में शिक्षकों के स्तर को उच्च स्तरीय बनाने में वेतन वृद्धि की बात कही गई। संस्थागत निर्धन एवं गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया गया।

15. मुस्लिम शिक्षा—वुड के घोषणा-पत्र में हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों की पिछड़ी शैक्षिक स्थिति को देखते हुए उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई—

(i) मुसलमान बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

(ii) मुस्लिम बालकों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे।

16. प्राच्य साहित्य व देशी भाषा को प्रोत्साहन—वुड के घोषणा-पत्र में इस बात की उम्मीद जताई गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें यह भी लिखित किया गया कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की रचना करवाई जाए, उनके लेखकों को पर्याप्त धनराशि दी जाए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का देशी भाषाओं में अनुवाद कराकर जन-सामान्य को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराया जाए।

वुड के घोषणा-पत्र के गुण *(Merits of Wood's Dispatch)*.

सर चार्ल्स वुड ने पहली बार भारतीय शिक्षा का अच्छी तरह अवलोकन किया और पाया कि वर्तमान शिक्षा में बहुत कमियां थीं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं गया था। वुड ने अपने घोषणा-पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है में इन सभी समस्याओं और खामियों को उजागर करने का बहुत प्रयास किया है।

वुड के घोषणा-पत्र में निम्नलिखित गुण विद्यमान हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है—

1. वुड के घोषणा-पत्र में पहले के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों और मैकाले के निस्यन्दन सिद्धांत आदि को अनैतिक सिद्ध किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि यह सरकार का उत्तरदायित्व बनता था कि वह जनसाधारण तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयत्न करे।
2. घोषणा-पत्र में शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने की बात कही गई। शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की बात कही जिससे शिक्षकों का उत्साह बढ़े।
3. घोषणा-पत्र ने भारतीय शिक्षा को आरंभिक मजबूती प्रदान की।
4. वुड ने शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया और उसे नई दिशा दी। यही कारण था कि 1813 के चार्टर में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी लगभग एक दशक तक शिक्षा के क्षेत्र में उचित धन राशि खर्च नहीं की गई।
5. वुड ने अपने घोषणा-पत्र में पूर्ण रूप से प्राच्य भाषाओं की अवहेलना नहीं की और उन्हें उचित प्रश्रय दिया। घोषणा-पत्र में प्राच्य भाषा साहित्य के मुद्रण, प्रकाशन, पठन-पाठन हेतु छात्रों को उचित छात्रवृत्तियां और अन्य प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया गया।
6. घोषणा-पत्र में मुस्लिमों को शिक्षा प्रदान करने के महत्त्व को स्वीकार किया और ये निर्देश दिया कि मुस्लिमों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित प्रोत्साहन देना चाहिए।

7. वुड के घोषणा-पत्र में शिक्षा के सभी पक्षों का सुव्यवस्थित रूप प्रकट होकर सामने आया।
8. घोषणा-पत्र में व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश की गई, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच संबंध स्थापित कर दिया।

वुड के घोषणा-पत्र के दोष *(Demerits of Wood's Dispatch)*

वुड के घोषणा-पत्र के मुख्य दोष इस प्रकार हैं—

1. घोषणा-पत्र में धर्म के मामले में तटस्थ रहने का निर्देश दिया गया, लेकिन यह एक दिखावा प्रतीत हुआ क्योंकि विद्यालयों में 'बाइबिल' रखी जानी अनिवार्य थी व पढ़ाई जाती थी।
2. यद्यपि घोषणा-पत्र में प्राच्य साहित्य की उपयोगिता स्वीकार की गई, लेकिन फिर मैकाले की तरह पाश्चात्य ज्ञान को अधिक उपयोगी माना गया। पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार पर अधिक बल दिया जाता था।
3. घोषणा-पत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि इसमें शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर किया गया, न कि भारतीयों के हितों को देखते हुए।
4. कुछ विद्वानों ने घोषणा-पत्र पढ़कर यह आरोप लगाया कि इसमें वर्णित निर्देशों में शिक्षा की सार्वभौमिकता का अभाव है।
5. वुड ने अपने घोषणा-पत्र में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मॉडल मानकर उसके अनुरूप भारतीय विश्वविद्यालयों की संकल्पना की। यह मॉडल भारतीय शैक्षिक व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाता था।
6. घोषणा-पत्र में प्राच्यवादियों को केवल संतुष्ट करने के लिए भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में रखने का निर्देश दिया गया, किन्तु यह निर्देश केवल सैद्धांतिक बात ही बनकर रह गया। व्यावहारिकता में अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया।

◆◆◆

सारजेंट योजना-1944 (Sergeant Plan–1944)

4. सारजेंट योजना 1944 पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
(Write a detailed note on Sergeant Plan 1944.)

अथवा

सारजेंट योजना की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए। इस योजना के गुण-दोषों का भी वर्णन कीजिए।
(Describe the main recommendations of Sergeant Plan. Describe its merits and demerits also.)

अथवा

सारजेंट रिपोर्ट (1944) के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में सारजेंट रिपोर्ट का क्या योगदान है? **(C.R.S.U. 2018)**

उत्तर—सारजेंट योजना का परिचय (Introduction of Sergeant Plan)—सारजेंट योजना भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस योजना को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे—सारजेंट रिपोर्ट, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार योजना की रिपोर्ट आदि। दूसरे

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

विश्वयुद्ध के समाप्त होने के बाद भारत सरकार का ध्यान भारतीयों की दशा सुधारने के लिए और उनके विकास के लिए एक प्रभावशाली योजना बनाने की ओर गया। इस कार्य के लिए सरकार के शिक्षा सलाहकार 'जॉन सारजेंट' को वायसराय की प्रबंधकारिणी कौंसिल के पुनर्निर्माण आयोग ने युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण काल में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक विवरण पत्र तैयार करने का कार्यभार सौंपा। 1944 में एक सर्वेक्षण दल गठित किया गया जिसके अध्यक्ष सर जॉन सारजेंट थे। इन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया और भारत सरकार से उन्हें लागू करने की सिफारिश की। क्योंकि यह योजना सर जॉन सारजेंट द्वारा तैयार की गई थी इसलिए इसका नाम सारजेंट योजना रखा गया।

सारजेंट योजना का कार्यक्षेत्र—सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से यह अपेक्षा की थी कि—

1. वह सम्पूर्ण देश की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकारी तथा गैर-सरकारी शिक्षा की स्थिति का गहराई से अध्ययन करे।
2. वह यह भी देखे कि देश में सभी शिक्षा जैसे—जन-शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति है।
3. बोर्ड यह भी देखे कि सरकार ने अब तक नियुक्ति शिक्षा समितियों और आयोगों के किन सुझावों का क्रियान्वयन किया है और भारतीय शिक्षा के संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास में उनका क्या प्रभाव पड़ा।
4. बोर्ड शिक्षा की भावी योजना में सरकार (प्रशासन) की सलाह अवश्य लें।
5. बोर्ड को यह भी बताना पड़ेगा कि उसके द्वारा बनाई गई योजना में कितना समय लगेगा और उस पर अनुमानित कितना व्यय (खर्च) होगा।

सारजेंट योजना की प्रमुख सिफारिशें (Major Recommendations of Sergeant Plan)

1. पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें
(Recommendations related to Pre-primary education)–

(क) **नर्सरी विद्यालय (Nursery Schools)**–सारजेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय शिक्षा को सफल बनाना है तो विभिन्न नर्सरी स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए। 3 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए।

(ख) **निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था (Free Education)**–समिति ने यह भी कहा है कि इन बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, जिससे कि गरीब बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें।

(ग) **शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)**–समिति द्वारा रिपोर्ट में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि छोटे बच्चों पर शिक्षा का भार नहीं डालना चाहिए। उन्हें सामाजिक अनुभव तथा व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

2. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें
(Recommendations related to Primary Education) –

(क) **सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा (Universal, Compulsory and Free Education)**–समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की सफलता के लिए 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ख) **शिल्पकला पर आधारित शिक्षा (Education Based on Craft)**–इस रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किसी मौलिक शिल्प पर आधारित होनी चाहिए और यह सिखाई गई शिल्पकला स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। किन्तु समिति विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से शिक्षा का खर्च उठाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थी।

(ग) **बुनियादी विद्यालयों के प्रकार (Types of Basic Schools)**–समिति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय मुख्यतः दो प्रकार के होने चाहिएं–

(i) **कनिष्ठ बुनियादी विद्यालय (Junior Basic Schools)**–इस प्रकार के विद्यालयों में 6-11 वर्ष के बच्चे अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

(ii) **वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय (Senior Basic Schools)**–इस प्रकार के विद्यालयों में 11-14 वर्ष की उम्र के बच्चे दाखिला ले सकेंगे। भावी नागरिकों को बड़ी संख्या में तैयार करने में इन वरिष्ठ बुनियादी विद्यालयों का बहुत अधिक महत्त्व है। इन विद्यालयों को पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों और उपकरणों से युक्त होना चाहिए।

(घ) **शिक्षा का माध्यम (Medium of Education)**–शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए तथा अंग्रेजी को द्वितीय अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।

3. माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें
(Recommendations related to Secondary Education) –

(क) **शिक्षा की अवधि (Duration of Education)**–माध्यमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की होनी चाहिए और 11-17 वर्ष के मध्य की उम्र के बच्चों का दाखिला लिया जाए।

(ख) **विद्यार्थियों का उचित चयन (Right Selection of Students)**–माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए केवल उन्हीं छात्रों को लेना चाहिए, जिनके अंदर उच्च अध्ययन के लिए असाधारण योग्यता, अभिवृत्तियां, रुचि तथा अन्य योग्यताएं हैं।

(ग) **विद्यालय छोड़ने की शर्त (Conditions of Leaving School)**–समिति के अनुसार विद्यार्थियों को कम से कम 14 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इससे पहले उसे स्कूल छोड़ने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए।

(घ) **हाई स्कूल के लक्ष्य (Aims of High School Education)**–हाई स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो उन्हें सीधे व्यवसायों तथा पेशों में लाने के अनुकूल बना दे ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें तथा अपने पावों पर स्वयं खड़े होने के योग्य बनें।

4. विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सिफारिशें
(Recommendations related to University Education) –

(क) **तीन वर्षीय डिग्री कोर्स (Three Year Degree Course)**–शिक्षा की सारजेंट योजना ने एक तीन वर्षीय डिग्री कोर्स का सुझाव दिया है। इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर देना चाहिए। ग्यारहवीं कक्षा को हाई स्कूल से जोड़ देना चाहिए जबकि बारहवीं कक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा से जोड़नी चाहिए।

(ख) **प्रवेश के नियम (Rules for Admission)**–प्रवेश के नियम सख्त होने चाहिएं ताकि सिर्फ योग्य बच्चे ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले 15 विद्यार्थियों में से केवल एक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो।

(ग) **योग्य शिक्षक (Competent Teachers)**–सारजेंट रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों के चुनाव पर बल दिया है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC
BABA MOHAN DAS COLLEGE OF EDUCATION

(घ) **शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध (Teacher Student Relationship)**–शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य पारस्परिक संबंध मधुर होने चाहिएं और उनका आपस में सम्पर्क होते रहना चाहिए।

(ङ) **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission)**–सारजेंट रिपोर्ट ने देश में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का निर्देश भी दिया था। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका काम अलीगढ़, बनारस और दिल्ली तीनों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यों की निगरानी करना था।

5. तकनीकी, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें
(Recommendations related to Technical, Industrial and Vocational Education) –

कारीगरों की श्रेणियां (Categories of Workers)–सारजेंट रिपोर्ट में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत बल दिया है। समिति ने कारीगरों की चार श्रेणियां बताई हैं जो निम्नलिखित हैं–

(i) **कारीगरों की उच्च श्रेणी (Higher Class of Workers)**–इस श्रेणी में मुख्य अधिकारी और शोध कार्यकर्ता जैसे उच्च श्रेणी के कारीगर आते हैं। इस प्रकार समिति ने सुझाव दिया कि इन कारीगरों को विश्वविद्यालय शिक्षा से जोड़ देना चाहिए। इस उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के नियम कठोर हों ताकि योग्य छात्र ही इसमें प्रवेश पा सकें।

(ii) **कारीगरों की निम्न श्रेणी (Lower Class of Workers)**–इसमें फोरमैन, प्रभारी, प्रमुख तथा अन्य साधारण कार्यकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। इन व्यक्तियों को तकनीकी हाई स्कूलों में प्रशिक्षण देना चाहिए।

(iii) **कुशल कारीगर (Skilled Craftsman)**–औद्योगिक तथा व्यवसायिक योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए कर्मियों की इस श्रेणी को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को किसी तकनीकी हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iv) **अर्द्धकुशल एवं अकुशल कारीगर (Semi Skilled and Unskilled Craftsman)**–इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है जो किसी मूल शिल्प के साथ वरिष्ठ प्रारंभिक विद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

6. प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सिफारिशें *(Recommendations related to Adult Education)*

समिति के अनुसार कोई भी लोकतांत्रिक जीवन तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि पूर्ण रूप से निरक्षता को समाप्त नहीं कर दिया जाता।

(क) इस योजना में प्रौढ़ों के लिए दो प्रकार–1. सामान्य शिक्षा, 2. व्यवसायिक शिक्षा का सुझाव दिया गया है।

(ख) सारजेंट योजना के अनुसार प्रौढ़ पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग-अलग संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए।

(ग) इसे लोकप्रिय बनाने के लिए चलते-फिरते पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए।

(घ) एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र पर 25 से अधिक प्रौढ़ न रखे जाएं।

(ङ) प्रौढ़ शिक्षा की अवधि कम से कम एक वर्ष हो।

(च) प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव दिया गया है कि 3R के साथ इसमें अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, इतिहास, भूगोल तथा स्वास्थ्य विज्ञान को भी शामिल किया जाना चाहिए।

7. शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सिफारिशें
(Recommendations related to teacher Training)

(क) **अध्यापकों की नियुक्ति (Appointment of Teachers)**–इस योजना में शिशु और जूनियर बेसिक स्तर पर 1 : 30 सीनियर बेसिक स्तर पर 1 : 25 और हाई स्कूल स्तर पर 1 : 20 अध्यापक छात्र अनुपात के अनुसार नियुक्ति की जानी चाहिए। रिपोर्ट में निर्देशित किया गया है कि भारत देश में शिक्षकों का अभाव है और छात्र ज्यादा हैं। अतः अध्यापकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

(ख) **निःशुल्क प्रशिक्षण (Free Training)**–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) **शोधकार्य को प्रोत्साहन (Encouragement to Research Work)**–यदि कोई योग्य एवं कर्मठ अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कोई शोध करना चाहे तो उसे इस प्रकार के शोध करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(घ) निर्धन प्रशिक्षणार्थियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

(ङ) योग्य व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए सभी स्तरों के शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि की जाए।

8. मनोरंजनात्मक एवं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित सिफारिशें
(Recommendations related to Recreational and Social Activities)

(क) **मनोरंजनात्मक एवं सामाजिक क्रियाओं का प्रबंध (Organization of Recreational and Social Activities)**–रिपोर्ट में युवा शक्ति के संचालन पर बल दिया गया है। युवाओं को सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए उचित सुविधाएं मिलनी चाहिएं।

(ख) **छोटे बालकों की क्रियाओं की व्यवस्था (Provision of Activities of Small Children)**–रिपोर्ट में सिफारिश की कि 11 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए विद्यालयों में तरह-तरह की क्रियाओं की जैसे लोकनृत्य, क्लब, खेलकूद, व्यायाम, ड्रिल आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ग) **बड़ी आयु के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम (Programme for Big Students)**–बड़ी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए सामूहिक खेलों, रचनात्मक कार्यों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं आदि का प्रबंध होना चाहिए।

9. विकलांगों की शिक्षा के संबंध में सिफारिशें
(Recommendations related to Education of handicapped)

रिपोर्ट में असमर्थ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया है। मानसिक व शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग विशेष संस्थाएं होनी चाहिएं। नेत्रहीन तथा बधिरों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों सहित विशेष शैक्षिक प्रबंधों की व्यवस्था होनी चाहिए।

जहां तक संभव हो विकलांगों को लाभकारी रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

10. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशें
(Recommendations related to the health of students)

रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी भी शिक्षा योजना में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और उसके विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं–

1. विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य हो।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

www.bmdeducation.org

2. विद्यालयों का पर्यावरण स्वच्छ हो, कमरे बड़े हों तथा बैठने का फर्नीचर उपयुक्त हो।
3. छात्रों की जांच 6, 11 और 14 वर्ष की आयु पर की जाए।
4. विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो।
5. साधारण रोगों की चिकित्सा की उचित व्यवस्था हो।
6. दुर्बल छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

11. शैक्षिक प्रशासन से संबंधित सिफारिशें
(Recommendations related to Educational Administration)

1. अखिल भारतीय आधार पर कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को संगठित किया जाए।
2. देश को वित्तीय आधार पर कई क्षेत्रों में बांटना चाहिए।
3. अखिल भारतीय सेवा में अधिकारी नियुक्त किए जाने के लिए उपाय करने चाहिएं।
4. एक सशक्त केन्द्रीय विभाग होना चाहिए।
5. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों के पास अधिक शक्तियां तथा जिम्मेदारियां होनी चाहिएं।

सारजेंट योजना के गुण
(Merits of Sergeant Plan)

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के विकास की दृष्टि से सारजेंट योजना का एक ऐतिहासिक महत्त्व है। यह एक ऐसी योजना थी जो भारत में शिक्षा का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती थी। इस योजना के निम्नलिखित गुण कहे जा सकते हैं—

1. इस योजना में शिक्षा की राष्ट्रीय योजना बनाते समय बहुत गहरा अध्ययन किया गया है।
2. रिपोर्ट में शिक्षा को आम मानस तक पहुंचाने की अनेक योजनाओं के बारे में बताया गया है।
3. इस रिपोर्ट में मंद बुद्धि बालकों एवं विकलांग बच्चों को शिक्षा देने हेतु अनेक सराहनीय उपाय बताए गए हैं।
4. रिपोर्ट ने शिक्षा को सफल बनाने के लिए शिक्षक के महत्त्व को अच्छी तरह पहचाना है। रिपोर्ट में शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि करने, उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण देने व उनका स्तर सुधारने के बारे में योजना बनाने को कहा गया है।
5. रिपोर्ट में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी बदल दिया है। विद्यार्थियों की चिकित्सीय जांच और निःशुल्क इलाज के बारे में निर्देश दिया गया है।
6. रिपोर्ट में रोजगार कार्यालयों को खोलने की सिफारिश की गई है ताकि सभी व्यक्ति रोजगार पा सकें।
7. रिपोर्ट में प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देने की योजनाओं के बारे में भी बताया गया है।
8. सारजेंट रिपोर्ट में विद्यार्थियों के शैक्षिक पक्ष की ओर ही नहीं बल्कि उनके औद्योगिक तकनीकी एवं व्यवसायिक पक्ष की ओर ध्यान दिया है।
9. रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व को पहचाना है। इसे अनिवार्य तथा सार्वभौमिक बनाने के निर्देश दिए हैं।
10. भारतीय शिक्षा का सम्पूर्ण अध्ययन तथा इसके सुधारों के सुझाव भी रिपोर्ट में दिए गए हैं।

सारजेंट रिपोर्ट के दोष *(Demerits of Sergeant Plan)*

सारजेंट रिपोर्ट में कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं—

1. सारजेंट रिपोर्ट को शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति कहना गलत होगा, क्योंकि यह इंग्लैंड में प्रचलित प्रतिरूप की एक नकल है। इंग्लैंड एक विकसित देश है जबकि भारत नहीं है। इसलिए इंग्लैंड में शैक्षिक स्तर को भारत के लिए शैक्षिक स्तर मानना बिल्कुल भी उचित तथा वांछनीय नहीं है।

2. यह रिपोर्ट प्राप्त करने वाले केवल आदर्शों को निर्धारित करती है। परंतु इन आदर्शों को प्राप्त करने वाले साधनों का निर्धारण नहीं करती।
3. यह मौलिक रिपोर्ट नहीं है। यह केवल समय-समय पर विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा शिक्षा पर प्रकाशित होने वाली सिफारिशों का टुकड़ों में बंटा काम है।
4. योजना के कार्यान्वयन के लिए करोड़ों रुपयों का अनुमान लगाया गया तथा खर्च का 75% भाग जनता द्वारा उठाना जो कि असंभव था। भारत की खराब आर्थिक स्थिति होने के बावजूद रिपोर्ट ने शिक्षा की एक बहुत महंगी योजना तैयार की।
5. प्राथमिक योजना के संबंध में इसमें वर्धा योजना का केवल सारांश शामिल है।
6. रिपोर्ट ने अपनी सिफारिशों को पांच भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक भाग को कार्यान्वयन के लिए सात वर्ष निर्धारित किए। इस प्रकार पांचों भागों को पूरा करने में 35 वर्ष लगेंगे जबकि देश के 23लिए शिक्षा की योजना को लागू करने के लिए 35 वर्ष देना सहायक नहीं था।
7. वर्धा योजना में निर्धारित स्कूलों के आत्मनिर्भरता के पक्ष को पूर्णतया रद्द कर दिया गया।
8. सारजेंट योजना ने भारतीय शिक्षा में जो कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएं थीं उन पर न तो प्रकाश डाला गया और न ही उनके लिए कोई प्रावधान बनाया। जैसे कि नारी शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा तथा हमारे शैक्षिक संगठन में धार्मिक शिक्षा का स्थान।
9. हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा को बाध्यकारी बनाने के लिए इस योजना ने किसी उचित तथा सरकारी मशीनरी का प्रावधान नहीं किया।
10. इस योजना को पूरा करने के लिए 313 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया था, वह अपने आप में अपर्याप्त थी। फिर यह भी नहीं बताया गया कि इतनी बड़ी धनराशि का स्रोत क्या होगा।

सारजेंट शिक्षा योजना का प्रभाव

यह योजना भारत के लिए बड़ी उत्साहवर्धक थी। केन्द्रीय सरकार ने इसे प्राप्त करते ही इसके क्रियान्वयन हेतु पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया। प्रथम पंचवर्षीय शिक्षा योजना को पूरा करने के 10 करोड़ रुपये देना भी स्वीकार किया। इतना ही नहीं उसने 40 वर्षीय इस योजना को 16 वर्ष में पूरा करने की योजना बनाने के आदेश दिए।

प्रथम पंचवर्षीय शैक्षिक योजना के अनुपालन में दिल्ली में 1945 में पोलीटेक्निकल शिक्षा ब्यूरो (Bureau of Polytechnical Education) और 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grants Committee) की स्थापना की गई और शिक्षा के हर स्तर पर योजनाबद्ध कार्य शुरू हुए। परंतु यह बात दूसरी है कि किसी भी स्तर की शिक्षा को संतोषजनक प्रगति नहीं हो सकी।

उसके बाद हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया। हमने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना को संदेह की दृष्टि से देखा और आजाद भारत के लिए नए सिरे से शैक्षिक योजना बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। इस सबका वर्णन भारत में शिक्षा की प्रगति के अनुसार किया गया।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

2.2 विभिन्न आयोगों की सिफारिशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal of recommendations of various Commission)

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 [Secondary Education Commission (1952-53)]

5. माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। (Write a detailed note on Secondary Education Commission 1952-53.)

अथवा

माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (Describe the main features of Secondary Education Commission 1952-53.)

उत्तर–स्थापना (Establishment)–ताराचन्द कमेटी तथा केन्द्रीय शिक्षा के सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर भारत सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना, डॉ. ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर (Dr. A. Laxman Mudaliar) जो कि उस समय मद्रास विश्वविद्यालय (Madras University) के उप-कुलपति (Vice-Chancellor) थे, की अध्यक्षता में की। इस आयोग का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा की समकालीन स्थिति का निरीक्षण करना और उसमें सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सुझाव देना था।

इस आयोग ने जून 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डालकर सुझाव प्रस्तुत किए गए। जो निम्नलिखित थे–

1. उच्च माध्यमिक प्रणाली का संस्थापन (Installation of Higher Secondary System)
2. विभिन्न प्रकार के कोर्स (Diversified Courses)
3. त्रिभाषी (तीन-भाषाओं वाला) फॉर्मूला (Three Language Formula)
4. शिक्षात्मक एवं व्यावसायिक नीति-निर्देशन पर जोर (Emphasis on Educational and Vocational Guidance)
5. शिक्षण-विधियों में सुधार (Improvement in the Methods of Teachings)
6. पाठ्य-पुस्तकों में सुधार (Improvement in Text-Books)
7. परीक्षा प्रणाली में सुधार (Improvement in the Examination System)
8. शिक्षा कर्मियों में सुधार (Improvement in Teaching Personnel)
9. विद्यार्थियों की भौतिक उन्नति में सुधार (Improvement in the Physical Welfare of Students)
10. निर्माण एवं सामग्री में सुधार (Improvement in Building and Equipment)

आयोग के कार्य
(Functions of Commission)

1. भारत की समकालिक माध्यमिक शिक्षा की जाँच करना।
2. भिन्न-भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सह-सम्बन्ध।
3. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण।

4. प्राथमिक, बुनियादी एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा।
5. अन्य समस्याएँ ढूँढ़कर उनका हल निकालना।

शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)–माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) द्वारा सुझाए गए माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. व्यावसायिक कुशलता में सुधार (Improvement of Vocational Efficiency)
2. नेतृत्व का विकास (Development of Leadership)
3. प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास (Development of Democratic Citizenship)
4. व्यक्तित्व का विकास (Development of Personality)।

1. व्यावसायिक कुशलता में सुधार (Improvement of Vocational Efficiency)—व्यावसायिक विकास से अर्थ है कि विद्यार्थियों में कार्य करने के प्रति जोश एवं सम्मान पैदा करना तथा उन्हें इस लायक बना देना कि वे शिक्षा प्राप्ति के बाद खुद की आजीविका तो प्राप्त करें ही साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान सफलतापूर्वक दे सकें। उसके अतिरिक्त इस शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में काम के प्रति कदर तथा आदर पैदा करना है, ताकि वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा न समझकर समान रूप से अपनाएँ।

2. नेतृत्व का विकास (Development of Leadership)—भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा प्रजातन्त्र में सरकार आम व्यक्ति की होती है। **अरस्तु महान् (Aristotle)** के अनुसार, (**"Government in democracy is of the people by the people for the people"**) अर्थात् लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा सरकार। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का विकास करना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा आम व्यक्ति में यह भावना पैदा कर उन्हें सफल नेता बनाने में सक्षम हो। इसके साथ-साथ शिक्षा का यह भी कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को समुदाय के छोटे समूहों या स्थान के राजनीतिक शिल्पीय या सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व समझाने का प्रशिक्षण दे।

3. प्रजातंत्रीय नागरिकता का विकास—इस उद्देश्य के अनुसार नागरिकों में सामाजिक गुणों का विकास करना तथा ऐसे ढाँचे में ढालना है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन सकारात्मक रूप से कर सकें। इन गुणों के विकास के लिए हम शिक्षा द्वारा निम्नलिखित तत्त्वों को विकसित कर सकते हैं–

(i) देशभक्ति की भावना (Sense of Patriotism)–शिक्षा का एक कार्य विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करना भी है। उसके लिए शिक्षा विद्यार्थियों में अपने देश की सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति विश्वास दृढ़ करती है तथा उनमें स्वार्थ से ऊपर उठकर देश की सेवा में सच्चे मन से लगकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर देश के उत्थान में लगने के लिए प्रेरित करती है।

(ii) स्पष्ट चिन्तन (Clear Contemplation)–शिक्षा का स्पष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों में चिन्तन-शक्ति बढ़ाना तथा नए विचारों को ग्रहण करने में सक्षम बनाना है। बौद्धिक विकास तथा गहरा एवं स्पष्ट चिन्तन व्यक्ति को 'सत्य और असत्य' में अन्तर करना सिखाता है, जिससे उसकी मानसिकता विस्तृत हो और वह देश की उन्नति में धर्मनिरपेक्ष होकर अपना योगदान दे सके।

(iii) समुदाय की भावना (Feeling of Community)–शिक्षा व्यक्ति को सम्प्रदाय में रहने, एक-दूसरे की सहायता करने तथा आपस में प्यार तथा विश्वास बढ़ाने में योगदान देती है। समुदाय में रहकर व्यक्ति सहयोग, अनुशासन तथा सहनशीलता जैसे गुणों को धारण करता है जो देश की उन्नति में काम आते हैं।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

(iv) बोलने तथा लिखने में स्पष्टता (Clearness in Speech and Writing)–शिक्षा व्यक्ति को स्पष्ट चिन्तन, साम्प्रदायिक भावना, के साथ-साथ बोलने तथा लिखने में सक्षम बनाती है। विचारों का शान्तिपूर्वक आदान-प्रदान, स्वतन्त्र वाद-विवाद तथा समालोचना जैसे गुण भी स्पष्ट बोलने तथा साफ लिखने से स्वतः ही विकसित हो जाते हैं, जो देश की उन्नति के लिए अत्यधिक अनिवार्य हैं।

(v) वसुधैव कुटुम्बकम् (Sense of World) की भावना का विकास–आज विश्व एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहाँ तृतीय विश्व युद्ध के रूप में एक विकराल राक्षस मानव जाति को ग्रास करने के लिए लालायित है। हर समय मानवता को खतरा है। ऐसे में शिक्षा व्यक्ति में मानव जाति से प्रेम करने तथा उसकी उन्नति व विकास के लिए प्रेरित करती है तथा विश्व को विनाश से बचा सकती है।

(vi) विश्व नागरिकता की भावना का विकास (Development of the Sense of World Citizenship)–आधुनिक युग में 'मैं और मेरा देश' ऐसा सोचना एक भयंकर तथा खतरनाक विचार है। आज वैश्वीकरण के कारण सभी देश एक-दूसरे के इतना अधिक नजदीक आ गए हैं कि अब कोई एक राष्ट्र अकेले रहने का साहस नहीं कर सकता। इसलिए विश्व नागरिकता का महत्त्व उतना ही हो गया है जितना की राष्ट्रीय नागरिकता का।

4. व्यक्तित्व का विकास (Development of Personality)–आयोग के अनुसार शिक्षा का एक अति महत्त्वपूर्ण कार्य व्यक्तित्व का विकास भी है। यह विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अतिरिक्त अपने सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इस आयोग के अनुसार यदि विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति का विकास कर दिया जाए तो वे स्वतः ही अपनी सांस्कृतिक विरासत का सत्कार व सम्मान करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त सर्वांगीण विकास के महत्त्वपूर्ण तत्त्व–कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, खेल तथा नैतिकता आदि के प्रति भी विद्यार्थियों में रुचि पैदा हो।

शिक्षा का ढाँचा (Structure of Education)–माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच जिस अन्तर की स्थिति है उसे पाटने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि 11-17 वर्ष तक की आयु की है। इस अवधि के दौरान मिडल, जूनियर माध्यमिक तथा सीनियर बेसिक स्तर का तीन वर्षीय शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक स्तर का चार वर्षीय पाठ्यक्रम शामिल हो। परन्तु बाद में इस आयोग ने अपने सुझावों में सुधार करते हुए विद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा में साधारण आदर्श अपनाए जाने का अनुग्रह किया। और उनके द्वारा निर्धारित किया गया आदर्श था 8 + 3 + 3 इसका अर्थ था कि मिडल विद्यालय शिक्षा में 8 वर्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि 3 वर्ष में जोड़ दी जाए। इसके अतिरिक्त प्रथम डिग्री के लिए तीन वर्ष निश्चित किए गए।

विद्यालय सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Schools)–इस आयोग ने भिन्न-भिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना के विषय में भी सुझाव दिए। इसके अनुसार टैक्निकल विद्यालयों की संख्या अत्यधिक हो तथा बड़े शहरों में केन्द्रीय टैक्निकल विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त इस आयोग ने प्रशिक्षु (अप्रैंटिस) प्रशिक्षण के नियमों को बनाने पर जोर दिया।

अन्य प्रकार के विद्यालय (Other Kinds of Schools)–टैक्निकल विद्यालयों के साथ-साथ अन्य विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश इस आयोग ने केवल विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की थी। इस प्रकार के विद्यालयों के अन्तर्गत निम्न प्रकार के विद्यालय खोलने की सिफारिश की गई–

1. पब्लिक विद्यालयों का अस्तित्त्व बना रहे।
2. विशिष्ट विद्यार्थियों को केन्द्र की सहायता मिलती रहे।
3. अधिक संख्या में विद्यालय होने चाहिए।
4. आवासीय विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए।

इस आयोग ने उन विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश के साथ-साथ सहशिक्षा (Co-education) पर भी जोर दिया। यद्यपि इस कमीशन ने यह माना कि लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं है, तथापि लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं–

1. आवश्यकता होने पर लड़कियों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए।
2. गृह-विज्ञान शिक्षा को सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में प्रमुखता दी जानी चाहिए।
3. सह-शिक्षा वाले विद्यालयों में कुछ विशेष नियम तथा शर्तें लागू होनी चाहिए।

(क) पाठ्यक्रम का विकास (Development of Curriculum)–जहाँ तक पाठ्यक्रम का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसकी रचना के निम्न सिद्धान्त प्रस्तुत किए–

1. अनेकरूपता एवं लचीलापन (Variety and Flexibility)–आयोग के अनुसार, जिस समय पाठ्यक्रम की रचना की जा रही हो, उस समय इसमें अनुरूपता एवं लचीलेपन को भी स्थान दिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की रुचियों तथा आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. सम्पूर्णता (Totality)–पाठ्यक्रम गठन के समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें शैक्षणिक पहलू के साथ-साथ विद्यार्थी के अन्य पहलुओं के विकास का पूर्ण ध्यान रखा गया है। क्योंकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता, इसके लिए उसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, उद्योगशालाएँ, खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है।

3. अवकाश का महत्त्व एवं उपयोगिता (Importance and Utility of Leisure)–पाठ्यक्रम में सामाजिक, सौन्दर्यपरक एवं कला को भी शामिल किया जाना चाहिए। इनके विकास के लिए विद्यार्थियों के लिए अवकाश का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि अवकाश के समय को वे उन क्रियाओं के सम्पादन में मनोरंजन एवं सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें।

4. सामुदायिक धुरा (Community-Centredness)–कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम साम्प्रदायिक जीवन से भी सम्बन्धित है। अर्थात् पाठ्यक्रम में उत्पादन कार्यों को भी विशेष स्थान दिया जाना चाहिए जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

5. सह-सम्बन्ध (Correlation)–कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम के सभी विषय परस्पर एवं जीवन से सम्बन्धित होने चाहिए।

(ख) पाठ्यक्रम की व्यवस्था (Organisation of Curriculum)–आयोग ने पाठ्यक्रम की व्यवस्था दो स्तरों पर की है–

1. मिडल स्तर पर (At the Middle School Stage)–(i) भाषा, (ii) सामाजिक अध्ययन, (iii) सामान्य विज्ञान, (iv) गणित, (v) कला एवं संगीत, (vi) उद्योग, (vii) शारीरिक शिक्षा।

भाषा के विषय में आयोग का मन्तव्य यह है कि विद्यार्थी को क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं को सिखाया जाना चाहिए क्योंकि भाषाएँ सम्प्रेषण का सशक्त साधन है।

2. उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर (At High and Higher Secondary Stage)–आयोग ने इस स्तर पर पाठ्यक्रम को दो भागों में बाँटा है–

(i) कोर पाठ्यक्रम (Core-Curriculum)

(ii) उच्चतर पाठ्यक्रम (Higher-Curriculum)।

I. कोर पाठ्यक्रम (Core-Curriculum)–इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है–

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

1. **भाषाएँ (Language) (2014)**–मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का पाठ्यक्रम तथा निम्नलिखित में से अन्य भाषा–
   (i) हिन्दी (जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है)
   (ii) आरम्भिक अंग्रेजी–(जिन्होंने मिडल में अंग्रेजी नहीं पढ़ी)
   (iii) उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने अंग्रेजी पहले पढ़ी है)
   (iv) आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर कोई भी)
   (v) आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी को छोड़कर)
   (vi) शास्त्रीय भाषा।

   अन्य विषय–
   (i) सामाजिक अध्ययन (Social Studies)
   (ii) सामान्य ज्ञान (General Knowledge)
   (iii) सामान्य-विज्ञान (General Science)
   (iv) प्रारम्भिक गणित (Elementary Mathematics)
   (v) शिल्प-कला (Crafts)।

   निम्नलिखित में से एक उद्योग–
   (i) कताई-बुनाई (Spinning and Weaving)
   (ii) सिलाई, कढ़ाई, कशीदाकारी (Knitting and embroidery)
   (iii) काष्ट कला (Wood Work)
   (iv) मॉडलिंग (Modelling)
   (v) धातु का काम (Metal Work)
   (vi) बागवानी (Gardening)
   (vii) सिलाई (Sewing)
   (viii) टाइपिंग (Typing)
   (ix) कार्यशाला (Workshop)।

II. उच्चतर पाठ्यक्रम (Higher Curriculum)—कमीशन ने उच्चतर पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार के समूहों को शामिल किया है। ये समूह सात प्रकार के हैं और इनमें से विद्यार्थियों को कोई तीन विषय चुनने होते हैं। ये विषय कोर-विषयों से अतिरिक्त होंगे–

(i) ह्यूमैनिटीज (Humanities) (ii) विज्ञान (Science)
(iii) तकनीकी (Technology) (iv) वाणिज्य (Commerce)
(v) कृषि (Agriculture) (vi) ललित कला (Fine-Arts)
(vii) गृह-विज्ञान (Home-Science)।

शिक्षण विधियों में सुधार
(Improvement in Methods of Teaching)

आयोग ने शिक्षण विधियों की ओर ध्यान देते हुए इस विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

1. शिक्षण विधियों का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं होना चाहिए अपितु मूल्यों, आदत का निर्माण तथा मनोवृत्ति का निर्माण भी होना चाहिए।
2. प्रगतिशील (Developing) विधियों को प्रायोगिक (Experimental) एवं प्रदर्शनात्मक (Demonstration) सुव्यवस्थित विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
ESTD. 2008

3. सभी पाठ्य-पुस्तकों को विद्यार्थियों में कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से काम करने की इच्छा पैदा करनी चाहिए।
4. प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में बैठकर विद्यार्थी केवल अपने प्रयत्न से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कक्षा पुस्तकालय का भी प्रबन्ध होना चाहिए।
5. शिक्षण विधियाँ इस तरह बनाई जानी चाहिए कि वे बुद्धि के विभिन्न स्तरों तथा विद्यार्थियों के सभी वर्गों (कमजोर, औसतन तथा प्रखर बुद्धि वाले) के अनुकूल हों।
6. जो शिक्षण विधियाँ रटने को बढ़ावा देती हों और मौखिक शब्दावली पर निर्भर करती हों, उन विधियों को त्याग देना चाहिए तथा उनके स्थान पर वस्तुवाचक तथा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि शिक्षा को वास्तव में बहुमूल्य तथा उपयोगी बनाना है तो इसमें 'योजना विधि' एवं 'क्रिया-कलाप विधि' को अपनाना चाहिए।
7. शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को उपयोगी ज्ञान को ग्रहण करके उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रयोग करने में समर्थ बनाएँ।
8. विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान मिले, ऐसी शिक्षण-विधियाँ अपनानी चाहिए।
9. शिक्षण-विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास कर उन्हें सामूहिक जिम्मेवारी का अहसास कराएँ।
10. शिक्षण-विधियाँ क्रिया तथा प्रोजेक्ट पर आधारित होनी चाहिए।

मूल्यांकन (Evaluation)–अध्यापकों ने कितना काम करवाया और विद्यार्थियों ने उसे कितना समझा, इन सभी बातों को जानने के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन का सहारा लिया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक कोर्स की समाप्ति पर अध्यापकों को विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। इस विषय में आएग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

1. विद्यार्थियों के भविष्य का निर्धारण करने के लिए उनके सर्वांगीण विकास का लेखा रखा जाए।
2. बाह्य परीक्षाओं की संख्या में कमी लाई जाए तथा निबन्धात्मक परीक्षाओं में वैयक्तिकता कम कर परीक्षाएं लेनी चाहिए।
3. प्रमाण-पत्रों में स्पष्ट रूप से विषयों के नाम अंकित किए जाएँ।
4. अन्तिम मूल्यांकन में आन्तरिक मूल्यांकन व स्कूल के लेखों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
5. पूरक परीक्षाओं का प्रबन्ध किया जाए।
6. अंकों के स्थान पर प्रतीक-चिह्न पद्धति अपनाई जानी चाहिए।

प्रशासन (Administration)–किसी भी शिक्षा प्रणाली को चाहे कितना ही दुरुस्त बना लिया जाए पर यदि प्रशासनिक कमियाँ रहती हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति लगभग न के बराबर रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में अनेक मंत्रालयों का सहयोग आवश्यक हो जाता है। संगठन, मान्यता एवं दशाएँ, निरीक्षण, प्रशासन, इमारत (Building), अवकाश, कार्य-समय, सार्वजनिक सेवा में भर्ती आदि। इसी के अन्तर्गत कमीशन ने निम्न सिफारिशें की हैं–

1. शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी हो। वह संयुक्त सचिव का कार्य भी करे।
2. निरीक्षकों का मुख्य काम शिक्षा से सम्बन्धित सभी समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के उपाय सुझाना होगा।
3. एक 25 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाए, जिसका सभापति शिक्षा निदेशक हो।
4. एक अध्यापक प्रशिक्षण बोर्ड का भी गठन किया जाए।
5. शिक्षा के विकास के लिए कार्य करने हेतु एक समिति बनाई जाए, जिसके सदस्य केन्द्र तथा राज्यों के शिक्षा मंत्री हों।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

6. उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को निरीक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त इस पद के लिए उन अध्यापकों तथा मुख्याध्यापकों को भी नियुक्त किया जा सकता है, जिनका अध्यापन अनुभव 10 वर्ष या उससे अधिक हो।
7. निरीक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापक भी नियुक्त किए जाने चाहिए।
8. कला, गृह विज्ञान तथा संगीत में मान्यता देने के लिए एक विशेष पैनल (Panel) की नियुक्ति की जानी चाहिए।
9. नए विद्यालयों को मान्यता तभी दी जानी चाहिए जब वह सभी दशाएं पूरी करता हो।
10. ग्रामीण इलाकों में विद्यालय खोलने को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा साथ-साथ इन भवनों के निर्माण के लिए उचित तथा आवश्यक धनराशि तथा जमीन भी प्रदान करनी चाहिए।
11. विद्यालय की प्रबन्ध समिति (Managing Committee) में अध्यापकों के प्रतिनिधि तथा मुख्याध्यापक भी सदस्य हों। प्रबन्धक समिति का कोई भी सदस्य विद्यालय के काम में हस्ताक्षेप न करे। प्रत्येक समिति को निश्चित नियम बना लेने चाहिए। उसका कार्य शिक्षा विभाग की नीति को अपनाना तथा अपने काम की रिपोर्ट इस विभाग को सौंपना होगा।
12. भविष्य में खुलने वाले विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का भी ध्यान रखना चाहिए।
13. विद्यालयों का कार्य इस प्रकार होना चाहिए, जिससे समुदाय को परेशानी न हो। 200 दिन का कार्य वर्ष हो। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश दो माह का हो तथा 10 से 15 दिन के छोटे-छोटे अवकाश कम-से-कम वर्ष में दो बार हों।
14. सरकारी क्षेत्रों में 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्ति लिए जाने चाहिए तथा उनके लिए 50% चुनाव सीधे हों।

वित्त का प्रबन्धन (Provision of Finance)–मुदालियर माध्यमिक आयोग ने शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था के लिए जिन सुझावों की सिफारिशें की हैं वे निम्नलिखित हैं–

1. केन्द्र तथा राज्य के सहयोग से कार्य चले। व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजूकेशन का निर्माण जो जिसमें सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधि हों।
2. प्रदेश तथा राज्य सरकारें विद्यालय निर्माण तथा खेल के मैदान के लिए भूमि का प्रबन्ध करें।
3. इन्डस्ट्रीयल एजूकेशन सैस Industrial Education (Cess) लगाया जाए।
4. सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि शिक्षा-संस्थाओं की सम्पत्ति तथा खेल के मैदानों को हर प्रकार के कर (tax) से मुक्त रखना है।
5. रेलवे, डाक-तार तथा यातायात आदि पर सैस लगाया जाए। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति शिक्षा संस्थाओं के लिए दान करता है उसे इन्कम टैक्स में रिबेट दिया।
6. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धार्मिक ट्रस्ट तथा अन्य प्रकार के ट्रस्टों का पैसा शिक्षण-संस्थाओं में लगाया जाए।
7. केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन में अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित करे।

◆◆◆

भारतीय शिक्षा आयोग–1964-66
(Indian Education Commission—1964-66)

6. भारतीय शिक्षा आयोग, 1964-66 पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
(Write a detailed note on Indian Education Commission, 1964-66.)

अथवा

"शिक्षा आयोग (1964-66) शिक्षा का विश्वज्ञान कोष है?" इस कथन के प्रकाश में आयोग का मूल्यांकन कीजिए। (C.R.S.U. 2018)

उत्तर–भारतीय शिक्षा आयोग से पहले, यद्यपि देश के कई राज्यों ने मुदालियर कमीशन की सिफारिशें को लागू कर दिया था, परन्तु जिस उद्देश्य को लेकर इस आयोग ने सुझाव दिए थे, वे पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हो सके। इसका मुख्य कारण देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में समरूपता का न आना था। कई राज्यों में अभी भी माध्यमिक शिक्षा के भिन्न-भिन्न रूप प्रचलित थे। इन सभी कारणों से जिस नए कमीशन का गठन हुआ वह कोठारी कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। इस शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार के पारित प्रस्ताव, दिनांक 14 जुलाई, 1964 के आदेशानुसार किया गया। डॉ. डी.एस. कोठारी (Dr. D.S. Kothari) की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्यकाल, इससे पहले गठित सभी कमीशनों से कहीं ज्यादा लम्बा था। इसके अतिरिक्त इसका गठन शिक्षा के राष्ट्रीय-ढाँचे और आम सिद्धान्त और नीतियों के बारे में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और पहलू के विकास के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया था। डॉ. कोठारी के अतिरिक्त इस आयोग में 16 सदस्य थे, जिनमें से 11 भारतीय तथा 5 विदेशी थे। आयोग के सचिव पद का भार श्री जे.पी. नैयर (Sh. J.P. Naiyar), सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया। 2 अक्टूबर (2nd of October) को प्रारम्भ हुए इस आयोग ने लगभग डेढ़ साल के दौरान जून 20, 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी। कमीशन द्वारा बताए गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य (Education and National Objectives)–देश की उत्पादन क्षमता, आधुनिकता के कार्यों में तेजी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता और सामाजिक व नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि सर्वप्रथम देश की शिक्षा का अर्थपूर्ण विकास हो।

2. निर्देशों का माध्यम (Medium of Directions)–इस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तरों पर शिक्षा निर्देशन का माध्यम राजकीय भाषा में होना चाहिए। इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा को विद्यालय स्तर से ही बढ़ावा देना चाहिए।

3. व्यावसायिकता (Vocationalization)–माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए या माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिकता अनिवार्य कर देनी चाहिए।

4. विज्ञान शिक्षा पर बल (Stress on Science Education)–आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने सुझाव दिया कि विज्ञान-विषय शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा हो तथा इस शिक्षा का कुछ हिस्सा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक कोर्स में होना चाहिए।

5. पुस्तकों की सूची (List of Books)–आयोग के अनुसार जिन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए उनकी एक सूची बनाई जानी चाहिए, जो कि प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित रहे।

6. पढ़ाने के तरीकों तथा पाठ्यक्रम में सुधार (Improvement in Methods of Teaching and Curriculum)–शिक्षा की सफलता के लिए आयोग के अनुसार पढ़ाने के तरीकों तथा पाठ्यक्रम में सुधार लाया जाना चाहिए।

7. दिशा-निर्देशन एवं योजनाबन्दी (Guidance and Planning)—आयोग के अनुसार दिशा-निर्देश और योजना की शिक्षा को पूरे भाग में लागू करना चाहिए।

8. कार्य-अनुभव (Work-Experience)—आयोग के अनुसार शिक्षा चाहे सामान्य हो या व्यावसायिक, कार्य अनुभव को पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रत्येक भाग पर लागू करना चाहिए।

9. सामान्य विद्यालय प्रणाली (Common School System)—आयोग के अनुसार सम्पूर्ण देश के नागरिकों की शिक्षा एक तथा सामान्य शिक्षा प्रणाली आरम्भ करनी चाहिए।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

10. सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा (Social and National Service)—आयोग के अनुसार ऐसी शिक्षा का ढाँचा तैयार करना चाहिए जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा हर स्तर पर लागू हो सके।

11. पाठ्यक्रमों का चयन (Selection of Curriculum)—माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों में विभिन्नता इस प्रकार होनी चाहिए कि छात्र किसी समूह (Group) के तीन विषयों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर सकें। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए इस स्तर पर आधा समय वैकल्पिक विषयों को दिया जाना चाहिए, एक चौथाई समय शारीरिक शिक्षा, कला-हस्तकला, भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को दिया जाना चाहिए।

12. भाषाओं का अध्ययन (Study of Languages)—आयोग के अनुसार त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए, जो हैं—

(i) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा

(ii) केन्द्र की सरकारी भाषा

(iii) आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा।

13. शारीरिक शिक्षा (Physical Education)—आयोग के अनुसार शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की पुनः परीक्षा होनी चाहिए। इसके गठन के समय बालक के विकास का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।

14. मूल्यांकन (Evaluation)—आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर प्रश्न-पत्र बनाने वालों को नई विधियाँ अपनानी चाहिए। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन (State Board of School Education) को बाहरी परीक्षाओं के परिणामों में छात्रों की विभिन्न विषयों की योग्यता को प्रकट करना चाहिए। पास और फेल का कोई संकेत न हो। छात्र को उन विषयों में जिनमें उसने कम अंक प्राप्त किए हैं, पुनः परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे वह अपनी योग्यता विकसित कर सके। आंतरिक मूल्यांकन का अलग से स्पष्टीकरण होना चाहिए।

शिक्षा प्रणाली, संरचना और स्तर (Education System, Structure and Standards)—भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा पारित माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को हम निम्नलिखित तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं—

(i) सैकेण्डरी-कक्षा 8 से 12 या 11-12

(ii) निम्न माध्यमिक शिक्षा-कक्षा 8-10

(iii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-कक्षा 9-11।

उसका वास्तविक उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को एकरूपता दिलाना हो तथा उससे ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण हो जो समाज सेवा और राष्ट्र-सेवा को प्राथमिकता देते हुए अपना सम्पूर्ण योगदान दें।

यदि हम शिक्षा के विकास के पिछले कुछ वर्षों को देखें तो पाएँगे कि उस दौरान माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा (Concept) में बहुत बदलाव आया है। इसका परिणाम 11 वर्षीय शिक्षा के रूप में निकला। इन 11 वर्षों के दौरान, पहले पाँच वर्षों का प्राथमिक, तीन वर्षों का माध्यमिक तथा तीन वर्षीय उच्चतर माध्यमिक स्तर आता है। परन्तु शिक्षा का विषय राज्यों के अन्तर्गत होने के कारण इस संरचना को कई राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। कमीशन की प्रस्तावित संरचना है 10 + 2 + 3 शिक्षा योजना।

आयोग द्वारा प्रस्तावित शिक्षा काल पद्धति निम्न प्रकार से है—

(i) एक से तीन वर्षीय पूर्व (Pre) स्कूल की व्यवस्था (Provision for pre-school Education from one to three years)

(ii) 7 या 8 वर्षीय प्राथमिक अवस्था (Provision for 7 or 8 years' primary Education)

निम्न प्राथमिक अवस्था (Pre-primary Stage)

निम्न प्राथमिक अवस्था (Pre-primary Stage) चार या पाँच वर्षीय और उच्चतर प्राथमिक अवस्था तीन वर्षीय।

(iii) निम्न माध्यमिक अथवा उच्च विद्यालय अवस्था जिसका समयकाल, सामान्य शिक्षा के लिए दो या तीन साल तक सीमित हो।

(iv) निम्न माध्यमिक अवस्था दो वर्ष की अवधि वाली या एक से तीन साल की व्यावसायिक शिक्षा अवधि। दुनिया के कई विकसित देशों ने 12 से 13 वर्षीय विद्यालय शिक्षा को लागू कर रखा है। यहाँ परम्परागत शिक्षा के साथ, इस दौरान, व्यावसायिक या तकनीकी (Vocational or Technical Courses) भी पढ़ाए जाते हैं।

(v) उच्चतर शिक्षा अवस्था जिसमें स्नातक होने के लिए दो से तीन वर्ष की पढ़ाई जरूरी है। इसके बाद स्नातकोत्तर डिग्री या अनुसंधान की डिग्री के लिए अलग-अलग कार्यकाल निश्चित किया गया है।

देश में सामान्यतः एक प्रश्न उठता है—क्या यह शिक्षा युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल निकाल पाएगी। इस सोच के पीछे शिक्षा का श्रम के प्रति निष्ठा पैदा नहीं करना है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए तथा इनके निराकरण के लिए ही शायद कोठारी कमीशन (Kothari Commission) ने 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति को व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य आधार मानते हुए इसे लागू करने की सिफारिश की। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ये विद्यालय साधन सम्पन्न हैं और इनमें प्रवेश भी प्रतियोगिता के आधार पर रखा गया है। ये सब बातें इनकी सफलता की गारन्टी (guarantee) देती प्रतीत होती हैं।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का विकास कुछ इस तरह होना चाहिए कि इससे सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण स्वतः ही संभव हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति के तहत शिक्षा को उत्पादन से जोड़ने का प्रयास किया गया तथा साथ ही साथ शिल्प विज्ञान, विज्ञान शिक्षा तथा व्यावसायिकरण को कार्यानुभव से जोड़ने की बात की गई। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समान विद्यालयी भाषाई, नीति, राष्ट्रीय चेतना आदि को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

इस आयोग ने देश के साधनों को विकसित करके उनका प्रयोग करने पर भी बल दिया। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना। उसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अंग्रेजी भाषा के महत्त्व को समझते हुए इसे कक्षा '3' से लेकर '9' के मध्य कहीं भी लागू करने का प्रावधान रखा। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं में से एक के पठन को अनिवार्य करने की सिफारिश की।

परन्तु समयान्तराल के बाद शिक्षाविदों तथा सामान्य व्यक्तियों ने पाया कि जिस आशा के साथ 10 + 2 + 3 प्रणाली को लागू किया गया था वह पूर्णरूप से कारगर सिद्ध नहीं हुई। आज अधिकतर शिक्षाविदों के अनुसार नवीन शैक्षिक प्रणाली का पुनर्गठन कुछ इस प्रकार से हो कि वह शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उनके अनुसार नई शिक्षा प्रणाली का कुछ इस प्रकार से गठन हो कि —

1–8 = सामान्य प्रवाह

9–10 = सामान्य → विशेष प्रवाह इसके अन्तर्गत भाषा तथा गणित अनिवार्य हो तथा रुचि अनुसार किन्हीं तीन विषयों का अध्ययन।

11–12 = विशेष प्रवाह जिसके अन्तर्गत साहित्यिक, व्यावसायिक, ललित कला आदि उपवर्ग हों।

+ 3 स्तर को + 2 स्तर ही रखा जाए।

+ 2 पोस्ट ग्रेजूएट (स्नातकोत्तर) शिक्षा में विषय विशेष को प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में सबसे बढ़िया तथा कारगर यही होगा कि थोड़ा-सा परिवर्तन करके 10 + 2 + 3 को सम्पूर्ण ढंग से अपना लिया जाए।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN, BELIEVE, ACHIEVE

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

भारतीय शिक्षा आयोग तथा शिक्षा के उद्देश्य
(Indian Education Commission and Aims of Education)

1966 ई. में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए–

(1) उत्पादकता में वृद्धि करना (To increase productivity)
(2) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता (Social and National integration)
(3) आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा (Education for Modernisation)
(4) सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास (Development of social, moral and spiritual values)

डॉ. कोठारी ने इन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं जो इस प्रकार हैं–

(1) उत्पादकता में वृद्धि का उद्देश्य (Aim of increasing productivity)—भारतीय शिक्षा आयोग ने देश के साधनों को विकसित करने तथा प्रयोग करने पर अत्यधिक बल दिया है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उचित प्रकार की शिक्षा उत्पादकता को बढ़ा सकती है। उत्पादकता और शिक्षा में सम्बन्ध विकसित करने के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

(क) विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन देना (Encouraging science education)
(ख) कार्य अनुभव (Work experience)
(ग) माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalisation of Secondary Education)

(2) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा (Education for social and National Integration)—राष्ट्र को सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाने के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

(क) सामान्य स्कूल प्रणाली (Common school system)
(ख) सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा (Social and national Service)
(ग) उपयुक्त भाषा नीति का विकास (Development of appropriate language policy)
(घ) राष्ट्रीय चेतना विकसित करना (Promoting national consciousness)

(3) आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा (Education for Modernisation)

(4) सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास (Development of social, moral and spiritual values)

भारतीय शिक्षा आयोग तथा पाठ्यक्रम
(Indian Education Commission and Curriculum)

इस आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम संकीर्ण है, सैद्धान्तिक है। इसमें उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सामग्री का अभाव है। इसमें बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह पाठ्यक्रम भारी है। परीक्षाओं पर अधिक जोर है। तकनीकी तथा औद्योगिक विषयों की व्यवस्था अपर्याप्त है।

सुझाव (Suggestions)—

(1) गुणात्मक सुधार (Qualitative improvement)—स्कूल के पाठ्यक्रम में विकास सम्बन्धी शोधकार्य द्वारा वृद्धि की जाए।

(2) तालमेल (Co-ordination)—पाठ्यक्रम के सभी विषयों में तालमेल होना चाहिए।

(3) सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार (According to social life and national needs)—पाठ्यक्रम सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

(4) लचीलापन (Elasticity)—पाठ्यक्रम में छात्रों को अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं अभिरुचियों के अनुसार विषयों का चयन करने के लिए स्वतन्त्रता प्रदान करनी चाहिए।

(5) व्यावसायिक विषयों को उचित स्थान देना (Giving appropriate place to the vocational courses)—देश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और उनके लिए कुशल कार्यकर्ताओं की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

(6) विविध विषयों पर विशेष बल (Special emphasis on diversified courses)—इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा सुझाए गए विविध विषयों पर बल देने का समर्थन किया है। जहाँ माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कृषि, विज्ञान तथा गृह विज्ञान विषयों पर बल दिया है वहाँ कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण के लिए अंकगणित पर विशेष बल दिया है। इसके अतिरिक्त इस आयोग ने जीव-विज्ञान, गृह-विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज सेवा तथा कार्य-अनुभव जैसे विषयों तथा क्रियाओं पर महत्त्व दिया है।

कोठारी आयोग तथा पाठ्य-पुस्तकें
(Recommendations of Kothari Commission Related to Text-books)

कोठारी आयोग ने पाठ्य-पुस्तकों के सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

(1) पाठ्य-पुस्तकों का N.C.E.R.T. के निर्देशानुसार उत्पादन (Text-books should be prepared according to the adivice of N.C.E.R.T.)—राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन का विस्तृत कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद् (N.C.E.R.T.) के निर्देशानुसार किया जाना चाहिए।

(2) राज्य स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन के लिए पृथक् विभाग (A separate department for production of text books at state level)—राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रत्येक राज्य का समर्थन प्राप्त हो और प्रत्येक राज्य पाठ्य-पुस्तकों के उत्पादन के पृथक् विभाग स्थापित करके इसमें अभिवृद्धि करे।

(3) राज्य के शिक्षा विभाग पर उत्तरदायित्व (Responsibility on Education department of the state)—पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी, परीक्षण और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व राज्य के लिए शिक्षा विभाग पर होना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो पाठ्य-पुस्तकों का उत्पादन राज्य शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाए।

(4) एक से अधिक पुस्तकें (More than one text books)—कम से कम 3 या 4 पुस्तकें प्रत्येक विषय में ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि वे स्कूलों के लिए पुस्तकों के बहु-उद्देशीय चुनाव की व्यवस्था करें।

(5) निरन्तर संशोधन (Regular amendments)—पाठ्य-पुस्तकों में निरन्तर संशोधन तथा सुधार होते रहना चाहिए।

(6) लेखकों के पारिश्रमिक देने के लिए उदार नीति अपनाई जानी चाहिए।

(7) अध्यापकों से पाठ्य-पुस्तकों की पांडुलिपियाँ (Manuscripts) आमन्त्रित की जाएँ तथा उन में से चुनाव किया जाए।

(8) पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य 'हानि-लाभ' रहित आधार पर रखा जाना चाहिए।

(9) विशेष पुस्तकों का राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन **(Production of special text books at national level)**—विशेष वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

भारतीय शिक्षा आयोग के शिक्षण-विधियों सम्बन्धी सुझाव
(Recommendations of Indian Commission Regarding Methods of Teaching)

कोठारी आयोग ने शिक्षण-विधियों सम्बन्धी निम्नलिखित सुझाव दिए हैं—

(1) शिक्षण-विधियाँ-आविष्कार तथा प्रचार (Discovery and diffusion of teaching methods)—पाठ्यक्रम से निरन्तर बढ़ोत्तरी के साथ शिक्षण-विधियों में भी समान रूप से सशक्त सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली की कठोरता और स्कूलों में नयी विधियों के प्रसार की असफलता ही अरुचिकर और प्रेरणाहीन शिक्षण-विधियों के प्रमुख कारण हैं। इन त्रुटियों को शीघ्र दूर करना चाहिए।

(2) लचीलापन और गतिशीलता (Elasticity and Dynamism)—एक अच्छी शिक्षा प्रणाली स्पष्ट होनी चाहिए और अध्यापकों के लिए विभिन्न स्तरों के अनुसार काम करने में सहायक होनी चाहिए। ऐसा लचीलापन तभी सम्भव हो सकता है जबकि अध्यापकों को प्रशासन की ओर से पर्याप्त सहायता मिले। मुख्याध्यापक का प्रोत्साहन हो, विषय में कुशलता हो, प्रशिक्षण संस्थाएँ नेतृत्व प्रदान करें और आवश्यक शिक्षण-सामग्री उपलब्ध हो।

(3) आवश्यक न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री (Minimum necessary teaching aids)—प्रत्येक स्कूल को आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल के लिए इस सामग्री की व्यवस्था करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(4) मीडिया का सहयोग (Co-operation of the media)—शिक्षा विभाग को आकाशवाणी, दूरदर्शन इत्यादि में पाठों के प्रसार का प्रबन्ध करना चाहिए। नयी-नयी विधियों को अध्यापक शिक्षण-संस्थानों में प्रयोग करना चाहिए।

(5) कम खर्चीली शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग (Use of less costly teaching aids)—अध्यापकों को चाहिए कि वे कम खर्चीली स्थानीय शिक्षण सामग्री पर विश्वास करें। यदि शिक्षण सामग्री कीमती हो तो कई स्कूल मिलकर इसका प्रबन्ध कर सकते हैं।

इन सुझावों से यह प्रतीत होता है कि भारतीय स्कूलों में शिक्षण-विधियों को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। परिणामस्वरूप गत वर्षों में सेमिनार (Seminars), रिफ्रैशर कोर्स, शिक्षात्मक कार्यशालाएँ (Educational workshops) के द्वारा अध्यापकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

परीक्षा एवं मूल्यांकन (Examination and Evaluation)–सामान्य शब्दों में विद्यार्थी ने विद्यालय में क्या सीखा तथा अध्यापक ने कितना काम किया, इसे जाँचने की प्रक्रिया को परीक्षा कहते हैं। अगर हम वास्तव में देखें तो पाएँगे कि केवल विद्यालय में ही परीक्षाओं से नहीं गुजरा जाता है, अपितु पूरा जीवन ही एक परीक्षा है। इस विषय में कोठारी आयोग का कहना है कि मूल्यांकन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की सम्पूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा उसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ सबन्ध है। प्रायः परीक्षा को लोग कक्षा पास करने का साधन मानते हैं। प्रत्येक अध्यापक एवं बालक का भी यही दृष्टिकोण बनता जा रहा है। लेकिन उनकी यह सोच गलत है, क्योंकि यह बालक को सम्पूर्ण नागरिक बनने तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने से वंचित कर देता है।

मूल्यांकन, जहाँ तक मेरी सोच है, विद्यार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की जाँच करना होता है न कि केवल उसकी शैक्षणिक प्रगति की। इसलिए इस व्यापक शब्द को पहले गहराई से समझ लेना विद्यार्थी की प्रथम आवश्यकता है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली अनेक दोषों से पूर्ण है और इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे मानसिक और नैतिक विकास नहीं होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है, इसलिए यह केवल बौद्धिक विकास तक सीमित न होकर संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक समायोजन तथा शारीरिक विकास से भी सम्बन्धित है। अतः शिक्षा प्रणाली में फैले दोषों को दूर करना सर्वप्रथम आवश्यकता है, इनको दूर करने से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास स्वतः ही निश्चित हो जाता है।

भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव
(Recommendations of Indian Education Commission)

(1) उच्चकोटि के अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of supervisors of high calibre)—कोठारी आयोग के अनुसार निरीक्षण कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए जाएँ और उच्च कोटि के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

(2) पर्याप्त विशेषज्ञ अधिकारियों की व्यवस्था (Provision of adequate specialist supervisors)—मूल्यांकन पाठ्यक्रम सुधार मार्गदर्शन या शारीरिक शिक्षा जैसे विशेष विषयों के जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ अधिकारी होने चाहिए।

(3) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि (Increase in the number of officials)—जिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए ताकि इस क्षेत्र के उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके।

(4) जिलों शिक्षा अधिकारी को पर्याप्त दर्जा दिया जाना चाहिए।

(5) महिलाओं की नियुक्ति (Appointment of women Supervisors)—अधिक से अधिक महिलाओं को निरीक्षण कार्य में नियुक्त किया जाए ताकि लड़कियों की शिक्षा की ओर उचित ध्यान दिया जा सके।

भारतीय शिक्षा आयोग तथा प्रसार की समस्या (Indian Education Commission and Problem of Expansion)—माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए–

(1) जिला स्तर पर एक योजना बनाकर कार्यक्रम लागू किया जाए, जिसमें विद्यमान संस्थाएँ अपेक्षित स्तर का निर्माण कर सकें।

(2) इस स्तर पर प्रवेश के लिए आत्म चुनाव (Self selection) आधार पर छात्रों को चुना जाए। इसमें विद्यालय के रिकार्ड को भी ध्यान में रखा जाए।

(3) (क) विद्यालय उचित स्थान पर हो।
(ख) प्राप्त सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिया जाए।
(ग) अच्छे विद्यार्थियों का चुनाव हो।

(4) माध्यमिक विद्यालयों में 1985-86 तक लगभग 30% विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का प्रावधान किया जाए।

(5) कक्षा 7 से 8 से ही अंशकालीन तथा पूर्णकालीन व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लड़कियों की शिक्षा में घरेलू कार्यों की शिक्षा पर बल दिया जाए।

(6) लड़कियों की शिक्षा का प्रसार हो। यह प्रसार निम्न स्तर पर 1:2 हो तथा माध्यमिक स्तर पर 1:3 हो जाए। लड़कियों के लिए अलग विद्यालय तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हो।

◆◆◆

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
(National Education Policy, 1986)

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की विस्तृत विवेचना कीजिए।
(Discuss National Education Policy, 1986 in detail.) (M.D.U. 2018)

अथवा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(Explain the salient features of National Education Policy, 1986.)

उत्तर–देश की शिक्षा-प्रणाली के मुख्य अधिकारियों तथा शिक्षाविदों ने यह अनुभव किया कि वास्तव में यदि भारत 21वीं सदी में जाना चाहता है, वह दूसरे विकासशील देशों तथा विकसित देशों के साथ कंधे

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

से कंधा मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है तो उसे अपनी शिक्षा पद्धति में पूर्ण रूप से सुधार करना होगा। इस बात को गहराई से समझते हुए भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी ने जनवरी 5, 1985 को राष्ट्र के नाम प्रसारण में घोषणा की। परन्तु इस घोषणा से पहले उन्होंने पूर्व शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, शिक्षाशास्त्रियों तथा बुद्धिजीवियों से उस विषय पर विस्तार से चिन्तन करने को कहा तथा उनके सुझावों को आमंत्रित किया। इस चिन्तन के तहत जो सहमति बनी उसे मई 1985 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक मत से पास कर दिया। बाद में राजीव गाँधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा के दौरान कहा था कि हम भारत के लोगों को ऐसी शिक्षा नीति देने जा रहे हैं जो भारत देश को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्थिक तथा वैज्ञानिक तौर पर सशक्त बनाने में सक्षम होगी। उन्होंने आगे कहा, **"शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता तथा कार्य नैतिकता का विकास होना चाहिए। हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की भव्यता तथा राष्ट्रीय एकता में उसका महत्त्व प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों द्वारा संयुक्त संस्कृति की प्रान्तीय तथा साम्प्रदायिक व्याख्या को दबाया जाना चाहिए।"**

नई शिक्षा नीति-1986 का सार एवं भूमिका
(New Education Policy–1986, Its Role and Essence)

1. आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास की नींव (Education of Spiritual and Physical Development)—नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का आधार है। यह विद्यार्थी को इस भौतिक दुनिया में रहना सिखाती है तथा साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी करती है।

2. शिक्षा सबके लिए अनिवार्य (Education Compulsory for All)—आयोग ने शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए इस शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य करने की सिफारिश की।

3. मानव शक्ति का विकास (Development of Human Power)—मानव जिसे भगवान ने अपनी सभी रचनाओं में से श्रेष्ठतम् बनाया, उसे शक्तियों का भण्डार भी उपहार में दिया। परन्तु ये सभी शक्तियाँ मानव के आन्तरिक मन में गहरे छुपी हुई हैं। इन शक्तियों को बाहर निकालकर, तराशकर, शिखर पर पहुँचाने का कार्य शिक्षा करती है। लेकिन यह तभी संभव है जब बालक को पूर्ण शैक्षणिक वातावरण तथा उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएं।

4. सर्वोत्तम धन विनियोग (The Greatest Financial Investment)—आयोग की सिफारिश के अनुसार, **'सरकार तथा समाज शिक्षा पर जितना धन खर्च करता है उतना ही ज्यादा उसका लाभ मिलता है। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किया गया खर्च एक दीर्घकालीन तथा श्रेष्ठ विनियोग है"।**

5. सांस्कृतिक विकास में शिक्षा का योगदान (Contribution of Education in Cultural Development)—आयोग के अनुसार शिक्षा ही एकमात्र व सशक्त साधन है जो किसी भी देश या राष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित कर उसके विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा मानव की अज्ञानता दूर कर उसमें सामाजिक मूल्यों, राष्ट्र-प्रेम, नैतिकता, देश-भक्ति की भावना पैदा करने के साथ-साथ उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क तथा आत्मा का भी पूर्ण रूप से विकास करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा धर्म-निरपेक्षता एवं प्रजातांत्रिक गुणों का विकास भी करती है, जो भारत देश के दो महत्त्वपूर्ण तथा विशेष आदर्श हैं।

6. अनुसंधान एवं विकास का आधार (Basis of Research and Development)—मानव जीवन तथा इस ब्रह्माण्ड के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अनुसंधान करने के लिए केवल शिक्षा ही एक सबल साधन है। उसके अतिरिक्त यह राष्ट्र की आत्मनिर्भरता एवं विकास में भी योगदान देती है।

7. समाज की संलग्नता (Involvement of Society)—शिक्षा की इस नीति के तहत समाज की संलग्नता पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें माता-पिता, समुदाय, स्वैच्छिक संस्थाएँ, नियोजकों एवं अध्यापकों का योगदान मुख्य रूप से अपेक्षित है। इस नीति के पीछे यह सोच थी कि जब समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों के सदस्य शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देंगे तो विद्यालयों में उपस्थिति का बढ़ना स्वाभाविक होगा। इससे पास प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। परिणामस्वरूप शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन (Wastage and Stagnation) पर रोक लगेगी।

शिक्षा की राष्ट्रीय-प्रणाली
(National System of Education)

संवैधानिक सिद्धान्तों पर आधारित नई शिक्षा नीति निम्न प्रकार से है–

1. सामान्य शिक्षात्मक ढाँचा (Common Structure of Education)–राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू करने की सिफारिश की है। यह समान शिक्षा का ढाँचा (10 + 2 + 3) की परिकल्पना करता है। वर्तमान समय में यह शिक्षा का (10 + 2 + 3) ढाँचा लगभग देश के सभी हिस्सों में प्रचलित है। इस (10 + 2 + 3) से अर्थ है–

(i) 10 का अर्थ है–5 वर्ष की प्राईमरी शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राईमरी शिक्षा और 2 वर्ष की उच्च विद्यालय शिक्षा।

(ii) + 2 से तात्पर्य है–2 वर्ष की उच्चतर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी शिक्षा।

(iii) + 3 का अर्थ है–महाविद्यालय कोर्स की 3 वर्ष की अवधि। यह शिक्षा स्नातक (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की डिग्री के लिए।

2. राष्ट्र का एक पाठ्यक्रम (Single Curriculum for the Whole Nation)–शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत जिस शिक्षा के ढाँचे को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित किया गया वह (10 + 2) है। इस पाठ्यक्रम के तहत कोर पाठ्यक्रम (Core-Curriculum) आता है। इस पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास के विषय में बताया गया है। उसके अतिरिक्त धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संस्कृति, परिवार नियोजन, लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि विषयों की व्यवस्था पर बल दिया गया है। इस पाठ्यक्रम की एक विशेषता: यह भी है कि इसमें राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों की चर्चा के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करने पर जोर दिया गया है।

3. राष्ट्रीय प्रणाली की धारा (Concept of National System)—इस नीति के अनुसार शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का सिद्धान्त देश के समस्त विद्यार्थियों पर बिना किसी भेदभाव के (जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, लिंग) समान रूप से लागू होता है।

4. खोज एवं विकास पर बल (Emphasis on Research and Development)—इस नई शिक्षा नीति में अनुसंधान और शिक्षा के विकास पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। उसके अनुसार देश की विभिन्न संस्थाओं के साधनों को इकट्ठा करने के लिए और राष्ट्रीय महत्त्व की योजनाओं में उनकी भागीदारी आँकने के लिए खोज व विकास तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशिष्ठ साधन जुटाए जाने चाहिए ताकि इन संस्थाओं के कार्यक्रमों की नेटवर्क व्यवस्था स्थापित की जा सके।

5. आजीवन शिक्षा (Life long process of Education)—इस नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति की शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करते ही पूर्ण नहीं हो जाती है, अपितु शिक्षा तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के साथ-साथ चलती रहती है। इसलिए सार्वजनिक साक्षरता एवं अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया जाना चाहिए। जो बच्चे विद्यालय या महाविद्यालयों में किन्हीं कारणों से दाखिला नहीं ले सकते, उनकी शिक्षा के लिए दूरगामी शिक्षा (Distance Education), मुक्त विश्वविद्यालय (Open University) तथा पत्राचार कोर्स (Correspondence Courses) के रूप में व्यवस्था की गई है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

6. अन्य भाषाओं से सम्बन्ध (Link with other Languages)—राष्ट्रीय एवं राज्य भाषा के साथ-साथ दूसरी विदेशी भाषाओं का ज्ञान और इन भाषाओं का आपस में तालमेल भी इस शिक्षा नीति का एक अंग है। भाषाई ज्ञान को उन्नत करने के लिए बहुभाषी शब्दकोषों एवं पारिभाषिक शब्दकोषों के प्रकाशन का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

7. सीखने का न्यूनतम स्तर (Minimum Level of Learning)—इस नई शिक्षा नीति ने लिखने के न्यूनतम स्तर की व्यवस्था प्रत्येक अवस्था में की है। इस बात का प्रबन्ध केवल इसलिए किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक भिन्नता के प्रति सजग रहे और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को पूर्ण रूप से विकसित कर सके।

8. परीक्षा एवं मूल्यांकन (Examination and Evaluation)—विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का इस नई शिक्षा नीति में विशेष ध्यान रखा गया है। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए परीक्षाओं का सफल प्रबन्ध करना चाहिए व उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व के मूल्यांकन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।

9. विज्ञान एवं गणित की शिक्षा पर बल (Force for Science and Math Education)—विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए इस आयोग ने दसवीं कक्षा तक विज्ञान एवं गणित विषयों को अनिवार्य कर दिया। इसके पीछे आयोग का केवल एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम अपनी शिक्षा को उस स्तर तक पहुँचाएँ, जहाँ विकसित देश पहले से अपनी शिक्षा के स्तर को पहुँचा चुके हैं।

10. राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएँ (Institutions of National Importance)—इस नई शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यरूप देने के लिए जिस संस्थाओं की आवश्यकता है वे निम्नलिखित हैं—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission)–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (All India Council of Agricultural Research), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (All India Council of Technical Education), भारतीय चिकित्सा परिषद् (Indian Medical Council), इन संस्थाओं में संयुक्त योजना कार्य प्रारम्भ किए जाएं ताकि ये कार्यात्मक रूप से एक-दूसरे से तालमेल स्थापित कर सकें और स्नातकोत्तर शिक्षा (Post-Graduate) एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्यक्रमों को सुनिश्चित कर सकें।

समानता के लिए शिक्षा
(Education for Equality)

नई शिक्षा नीति में एक अति सुन्दर व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय, भाषा या क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हो, को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएँ हैं और भविष्य में जो आ सकती हैं, उनको दूर किया जाएगा और प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। जिन व्यवस्थाओं में समानता के लिए राष्ट्र नीति बल देती है, वे निम्नलिखित हैं—

1. नारी-शिक्षा (Women Education)–20वीं सदी के प्रारम्भ तक भारत में नारी शिक्षा पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति व सम्प्रदाय का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित था। ब्रह्म समाज ने जो प्रयास किया था वह भी पूर्णरूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उस समय का पढ़ा-लिखा समाज भी नारी की शिक्षा के प्रति उदासीन था। परन्तु इस नई राष्ट्र-शिक्षा नीति ने सदियों से चली आ रही इस सामाजिक बुराई को तोड़कर एक ऐसी व्यवस्था की कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह आसान हो गया कि वह अपने सम्पूर्ण विकास के लिए शिक्षा ग्रहण कर सके। महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए आयोग ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित तथा उनमें साक्षरता का प्रचार करने के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति ने उन महिलाओं को, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, अधिक-से-अधिक अधिकार देने की सिफारिश की है।

2. अनुसूचित जातियों की शिक्षा (The Education for Scheduled Castes)—अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए नई शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(i) भिन्न व्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना तथा उनके लिए उपयोगी कार्यक्रम शुरू करना।

(ii) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को अध्यापन कार्य में शामिल करना।

(iii) जो परिवार 14 वर्ष तक के बच्चों को भी यदि विद्यालय में भेजते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

(iv) क्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यालयों में स्थित होस्टलों (Hostels) में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(v) अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन, पढ़ाई जारी रखने तथा पूर्ण-शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं की सफल व्यवस्था करना।

(vi) जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं (Dropouts) उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध करना।

(vii) शिक्षा प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों के प्रभाव में वृद्धि करने के लिए नए साधनों का निरन्तर अनुसन्धान किया जाना।

(viii) अनुसूचित जातियों की शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए R.L.E.G.P. तथा N.R.E.P. जैसे साधनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाएगा जिन्हें हिन्दी में 'राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम' तथा 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी' कार्यक्रम कहते हैं।

(ix) विद्यालय भवन, बालवाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के चुनाव में इन जातियों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा।

3. अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा (The Education for Scheduled Tribes)–अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए :

(i) जनजाति क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देना।

(ii) अनुसूचित जातियों की तरज पर अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अध्यापन कार्य के लिए चुनना।

(iii) बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विशेष निर्देशन सामग्री के विकास करने का प्रावधान करना।

(iv) अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष सुविधाएँ (आवासीय पाठशालाएँ, उपचार कोर्स आदि) दी जानी चाहिए।

(v) जनजातीय लोगों की उन्नत सांस्कृतिक पहचान के उद्देश्य से शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने की सिफारिश।

4. विकलांगों के लिए शिक्षा (Education for Handicapped)–नई शिक्षा नीति में, विकलांगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं—

(i) विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में प्रयास।

(ii) जिला स्तर पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(iii) विद्यालयों में निःशुल्क छात्रावास (Free Hostel Facility) की सुविधा मुहैया कराना।

(iv) विशेष विकलांगता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करना।

(v) विकलांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे बच्चों के साथ करना।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER

25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020

B.Ed
M.Ed
D.Ed

- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

(vi) विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का उचित प्रबन्ध करना।
(vii) विकलांग बच्चों की पढ़ाई के लिए अध्यापकों के लिए विशेष ट्रैनिंग कैम्प लगाना।

5. अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा (Education for Minorities)— कुछ अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में या तो पिछड़े हुए हैं या वंचित हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

(i) ऐसे लोगों की शिक्षा की ओर समानता व सामाजिक न्याय के हितों की रक्षा का प्रावधान।
(ii) ऐसे विद्यालयों की स्थापना जहाँ इनकी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए।
(iii) राष्ट्र के प्रति जागरूकता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए सामान्य कोर पाठ्यक्रम (Common Core Curriculum) को इनकी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना।

6. शिक्षण दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग और क्षेत्र की शिक्षा (Education for Other Educational Backward Section and Areas)—शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े समाज के सभी वर्गों की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित उपाय किए जाएँगे–

(i) पिछड़े समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्याप्त प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
(ii) मरुस्थलीय एवं पहाड़ी जिलों के दूर-दराज तथा अगम्य क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना के लिए सामग्री मुहैया करवाई जाएगी।
(iii) द्वीपों में भी संस्थाएँ खोलने के लिए सरकार पूर्ण रूप से सहायता करेगी।
(iv) समाज के पिछड़े व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग से सम्बन्ध रखते हों, उन्हें वजीफा, पाठ्य-सामग्री तथा अन्य प्रकार की सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।

7. प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)–नई शिक्षा में प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं–

(i) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के कार्यक्रमों का आयोजन।
(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवधान रहित (Obstacleless Education) शिक्षा के केन्द्र स्थापित करना।
(iii) प्रौढ़ शिक्षा द्वारा प्रत्येक प्रौढ़ को अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर के महत्त्व को समझाना।
(iv) आवश्यक एवं रुचिपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन।
(v) विद्यार्थियों के बड़े समूहों तथा संगठनों का निर्माण करना।
(vi) रेडियो, दूरदर्शन, वाचनालयों एवं पुस्तकालयों के माध्यम से प्रौढ़ों की शिक्षा का प्रबन्ध करना।
(vii) कर्मचारियों तथा मजदूरों की शिक्षा का प्रबन्ध उनके मालिकों के द्वारा कराने के लिए प्रोत्साहन।
(viii) स्नातक शिक्षण संस्थाओं (Post Graduate Educational Institutions) की व्यवस्था करना।
(ix) आत्म शिक्षण के सहायक साधनों की व्यवस्था करना।
(x) प्रौढ़ों को शिक्षा में रुचि पैदा करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा उपहारों का प्रबन्ध करना।

8. शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalization of Education)—देश में शिक्षा तथा शिक्षार्थी की हालत अत्यधिक शोचनीय है। ज्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करके नौकरी के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। यही हाल कुछ स्नातक (Graduate) व स्नातकोत्तर (Post-Graduate) विद्यार्थियों का है। यह बेरोजगारी की समस्या विद्यार्थियों को गलत रास्ते पर ले जाती है। जो विद्यार्थी कभी देश की उन्नति में अपने योगदान की कल्पना करता था, वह देश की अखण्डता तथा प्रभुसत्ता के लिए एक समस्या बन जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने का हर संभव प्रयास किया गया है। यह प्रयास निःसन्देह देश की उन्नति में बड़ा कारगर सिद्ध होगा।

भारतीय शिक्षा प्रणाली जो केवल लिपिक (Clerk) तैयार कर सकती है, परन्तु माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कृषि एवं उद्योग को प्रगतिशील बना सकती है, क्योंकि व्यावसायिक

शिक्षा अपने आपमें एक अलग धारा है जिसका उद्देश्य अनेक कार्यक्षेत्रों में फैले व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों की ऐसी जमात तैयार करती है जो अपने देश की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

+ 2 स्तर पर, इसलिए नई शिक्षा नीति ने, व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध की व्यवस्था की है तथा साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा में लचीलापन लाने के लिए आठवीं कक्षा के बाद ही व्यवसायीकरण की योजना बनाई गई है। उस समय यह उम्मीद की गई थी कि सन् 1990 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 10% छात्रों और 1995 तक 25% छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान के लिए निम्नलिखित संगठनात्मक ढाँचों की व्यवस्था है–

(i) मानवीय संस्थान विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resources Development) द्वारा संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (Joint Council for Vocational Education) की स्थापना की जाएगी। यह परिषद् व्यावसायिक शिक्षा नीति का निर्माण करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा में सम्बन्ध स्थापित होगा।
(ii) + 2 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगात्मक स्तर पर संचालित किए जाएंगे।
(iii) राजकीय व्यावसायिक शिक्षा-निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर (District Career Guidance Cell) की स्थापना की जाएगी।
(iv) राज्य शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERT) तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (SIVES) द्वारा 10 + स्तर के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएँगे। ऐसे कार्यक्रमों के निर्धारण में N.C.E.R.T. द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।
(v) ब्रिज कोर्सों (Bridge Courses) तथा ट्रांसफर कोर्सों (Transfer Courses) की व्यवस्था, N.C.E.R.T., S.C.E.R.T, R.C.E., SIVES तथा ऐसी ही अन्य संस्थाएँ, उन मार्गदर्शक सुझावों को ध्यान में रखते हुए करेंगी, जो Junior Council of Vocational Education (J.C.V.E.) की तरफ से सुझाए जाएंगे।
(vi) 10 + 2 के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग (Engineering) और टैक्नोलॉजी (Technology) से सम्बन्धित व्यावसायिक कोर्सों की शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत 100 से ज्यादा व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
(vii) नीति के अनुसार उन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाएगा जो स्व-रोजगार (Self-Employment) की कुशलता विद्यार्थियों में विकसित कर सकें।
(viii) N.C.E.R.T., रीजनल-शिक्षा-महाविद्यालयों, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERT) तथा टैक्निकल टीचर्स ट्रैनिंग इन्स्टीट्यूट्स (TTI) को भी अधिक सशक्त बनाना होगा।

9. तकनीकी एवं प्रबन्धकीय शिक्षा (Technical and Management Education)– तकनीकी एवं प्रबन्धकीय शिक्षा के परस्पर सह-सम्बन्ध और दूसरे पर निर्भरता के सम्बन्धों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि तकनीकी व शिक्षा प्रबन्ध का पुनर्निर्माण करना आवश्यक है। असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों और जब तक सेवाओं के ढाँचे में भी विशेष रूप से सुधार की गई टैक्नोलॉजी (Technology) और तकनीकी तथा प्रबन्धकीय शक्ति की भी अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मानव-शक्ति सूचना की स्थिति में सुधार लाने के लिए तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (Technical Manpower Information System) को और अधिक विकसित एवं सशक्त किया जाएगा। आधुनिक युग, जिसे कम्प्यूटर युग भी कहा जाता है, में शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तर पर शुरू से ही बड़े पैमाने पर कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education) की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूरस्थ शिक्षण प्रक्रिया में शामिल जनमाध्यम (Mass Media) का प्रयोग करके अधिक से अधिक लोगों को तकनीकी एवं प्रबन्धात्मक शिक्षा

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

के योग्य बनाया जाएगा। तकनीकी एवं प्रबन्धात्मक कार्यक्रम मान्यताओं पर आधारित एक लचीले मापांक ढाँचे (Modular Pattern) के आरूप होंगे जिसमें बहुस्थलीय प्रवेश के प्रावधान होंगे। उसके अतिरिक्त स्त्रियों के हितों के लिए आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए कारगर व औपचारिक व निरौपचारिक तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ-ही-साथ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त औपचारिक व अंश-उपचारिक तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे। जितने भी उच्चतर तकनीकी संस्थान हैं, उनके माध्यम से अनुसंधान कार्यों का शुभारम्भ किया जाएगा जो जनशक्ति उत्पादन में सहायक होगी।

10. पद्धति को कार्यशील बनाना (Making the System Active)–नई शिक्षा नीति पद्धति को कार्यशील और अधिक व्यावहारिक इसलिए बनाना चाहती है ताकि देश के सम्पूर्ण व्यक्तियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति करने मात्र से ही अध्यापक तथा विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्र में स्वतः ही निष्ठापूर्वक लग जाएँगे तथा उनकी शिक्षा के प्रति रुचि स्वतः ही विकसित हो जाएगी। शिक्षा नीति पद्धति को व्यावहारिक बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

(i) आचरण के स्वीकार्य मापदण्डों पर जोर।
(ii) अच्छे, कुशल एवं ईमानदार अध्यापकों को विशेष आर्थिक पैकेज (Special economical packages)।
(iii) संस्थाओं के मूल्यांकन करने की प्रणाली का निर्माण उन्हीं मानक मापदण्डों पर आधारित होगा जिन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर स्वीकार किया जाएगा।
(iv) शिक्षा संस्थाओं को अधिक अच्छी तथा आधुनिक सुविधाएँ प्राप्त करना।

11. कार्य-अनुभव (Work-Experience)–कोठारी आयोग (1964-66) के अनुसार, **"कार्य अनुभव शिक्षा तथा कार्य में सम्बन्ध स्थापित करने का एक साधन है।"**

(Work-experience is a mean / medium to establish relation between Education and Work)

इन दोनों के सम्बन्ध चाहे विद्यालय, घर, कार्यशाला, खेत या कारखाने में हो, परिणाम हमेशा लाभदायी होंगे। जैसे–

(i) व्यक्तियों को रोजगार प्राप्ति में सुविधा होगी।
(ii) शिक्षा एवं उत्पादन में उच्च स्तर के सम्बन्ध स्थापित होंगे।
(iii) विद्यार्थियों में कार्य के प्रति सम्मान व प्यार बढ़ेगा और वे स्वतः ही परिश्रम करने लगेंगे।
(iv) यह बौद्धिक तथा हस्तकार्य में अन्तर समाप्त करने में सहायक होगा।

12. शिक्षा एवं पर्यावरण (Education and Environment)–पर्यावरण जिसे मानव ने अपने हाथों से विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है उसके प्रति मानव को शिक्षा सचेत करने में कारगर है। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह मानव तथा पृथ्वी के अस्तित्व के लिए कैसे उपयोगी है, इन सब विषयों पर प्रकाश डालने वाली बातों तथा सुझावों को शिक्षा में शामिल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर लागू करना चाहिए।

13. शिक्षा सामग्री तथा प्रक्रिया का नवीनीकरण (Reorienting the content and process of Education)–शिक्षा सामग्री तथा प्रक्रिया के नवीनीकरण के लिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है–

(i) पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव को विशेष स्थान
(ii) शिक्षा में संस्कृति का पुट
(iii) मूल्य शिक्षा
(iv) परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया सुधार
(v) खेल तथा शारीरिक शिक्षा
(vi) भाषाओं का विकास
(vii) विज्ञान की शिक्षा पर जोर
(viii) बढ़िया पुस्तकों का प्रबन्ध

(ix) पाठन-सम्बन्धी सामग्री का विकास
(x) गणित शिक्षा का आधुनिक तकनीकी पद्धतियों से सम्बन्ध स्थापित करना
(xi) पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का सुधार
(xii) शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना
(xiii) नैतिक शिक्षा
(xiv) शिक्षा टैक्नोलॉजी (Education Technology) पर जोर।

14. नवोदय विद्यालय; पेस सैटिंग विद्यालय (Navodya Vidhyalya; Pace Setting Schools)–शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह अनिवार्य है कि विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न विद्यार्थियों को तेजी से विकास करने का अवसर प्रदान किया जाए। ज्यादातर यह देखा गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शहरों तथा महानगरों में पब्लिक विद्यालय (Public School), मॉडल विद्यालय (Model Schools) की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जो इन बच्चों के सर्वांगीण विकास का सम्पूर्ण ध्यान रखती हैं। जहाँ शहरों में इन महँगे विद्यालयों की व्यवस्था है वहीं गाँवों के निर्धन परन्तु प्रतिभाशाली बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस नई शिक्षा नीति के तहत नवोदय विद्यालय स्थापित करने की विश्व-व्यापक योजना बनाई गई तथा यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन विद्यालयों में दाखिला केवल प्रतिभा के बल पर दिया जाएगा। न कि जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि के आधार पर। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों में निःशुल्क आवास तथा भोजन की भी व्यवस्था की गई। सामाजिक समानता, न्याय की वास्तविक पूर्ति के लिए नवोदय-विद्यालयों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।

15. अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)–नई शिक्षा नीति इस बात को स्वीकारती है कि देश के निर्माण तथा उन्नति में अध्यापकों का विशेष योगदान है। राष्ट्र का भविष्य अध्यापकों पर निर्भर करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला गया है–

(i) अध्यापकों की चयन पद्धति में आवश्यक सुधार करके योग्य अध्यापकों की भर्ती करना।
(ii) स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिए अध्यापकों के लिए उचित वातावरण का प्रबन्ध किया जाएगा ताकि वे बिना किसी व्यवधान के उच्च स्तर के नागरिक तैयार कर सकें।
(iii) माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के लिए पहले से कार्यरत अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, बिना बाहरी हस्तक्षेप के काम करते रहेंगे।
(iv) अध्यापकों की शिक्षा के लिए बनाए गए कुछ महाविद्यालयों को संयुक्त संस्थानों (Comprehension Institutions) के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ उच्च माध्यमिक (Higher Secondary) के बाद पाँच वर्षीय एकीकृत कोर्सों (Five years integrated courses) की व्यवस्था पहले से चल रहे बी.एड. तथा एम.एड. कोर्सों के अतिरिक्त होगी।
(v) अध्यापकों की कार्य-स्थितियाँ एवं आवासीय स्थितियों में आवश्यक सुधार किया जाएगा।
(vi) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में अध्यापकों का सक्रिय (active) सहयोग लिया जाएगा।
(vii) अध्यापकों से सम्बन्धित सब हर प्रकार की समस्याओं तथा शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल किया जाएगा।
(viii) शिक्षा के प्रबन्ध में अध्यापकों को सम्मिलित किया जाएगा।
(ix) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं (District Institutions of Education and Training) की स्थापना केवल इस उद्देश्य से की जाएगी कि यहाँ प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

(x) इन संस्थाओं को आधुनिक तकनीकी (Modern Technology) के उपकरणों जैसे–कम्प्यूटर, वी.सी.आर. एवं दूरदर्शन आदि से जोड़ा जाएगा। ये संस्थान प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए पूर्व-सेवाकालिक (Pre-Service) तथा सेवाकालीन (In-service) प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेंगे।

(xi) ये संस्थाएँ उन कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी कोर्सों का संचालन करेंगी जो निरौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा के कार्यक्रमों में काम कर रहे हैं।

(xii) अध्यापकों को सम्मान तथा उनके व्यावसायिक महत्त्व के संरक्षण और उनके व्यावसायिक दुराचरण के उपचार के लिए अध्यापक संगठनों का सक्रिय उपयोग किया जाएगा।

(xiii) अध्यापकों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) का निर्माण कर उसे लागू करने का प्रावधान किया जाएगा।

16. शिक्षा का प्रबन्ध (The Management of Education)–नई शिक्षा नीति ने शिक्षा का प्रबन्ध निम्नलिखित स्तरों पर किया–

(i) **राष्ट्रीय स्तर (At National Level)**–केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का मुख्य काम शैक्षिक विकास पर पुनः विचार करना होगा। साथ ही साथ यदि यह बोर्ड प्रणाली में सुधार लाने हेतु यदि कोई कमी पाती है तो उसमें परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। केन्द्र तथा राज्यों में शैक्षिक विभाग से जुड़े व्यक्तियों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अधिक सक्रिय बनाया जाएगा।

(ii) **राज्य स्तर पर (At State Level)**–नई शिक्षा नीति ने राज्य सरकारों को भी विशेष अधिकार दिए हैं कि C.B.S.E. की तर्ज पर काम करते हुए अपने राज्यों में शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं।

(iii) **जिला स्तर पर (At District Level)**–नई शिक्षा नीति ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रबन्ध के लिए जिला स्तर पर शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया।

(iv) **स्थानीय स्तर पर (At Local Level)**–स्थानीय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनको उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से सलाह तथा सहयोग के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(v) **स्वयंसेवी संस्थाएँ (Voluntary Agencies)**–गैर-सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएँ शिक्षा के विकास और प्रबन्ध में योगदान देने में समर्थ हैं, उनको विश्वास में लेकर सहयोग के लिए आमंत्रित किया जाए। नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इन स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग के लिए उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

17. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का मूल्यांकन (Evaluation of the National Policy on Education of 1986)–नई शिक्षा नीति-1986 निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है–

(i) नई शिक्षा नीति उच्चतर मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ 'विशेष व्यक्ति' और 'सम्पूर्ण व्यक्ति' के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होगी।

(ii) यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों के दिमाग की संकीर्णता को दूर कर उसे विस्तृत करती है।

(iii) यह शिक्षा के अवसरों में समानता पैदा करने में सहायक है।

(iv) यह शिक्षा नीति भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आधारभूत और अनिवार्य मूल्यों पर आधारित होने के कारण, प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा के लिए कटिबद्ध है।

(v) शिक्षा के निरीक्षण का विकेन्द्रीयकरण स्थानीय प्रेरणाओं को अधिक प्रोत्साहन देने में सहायक है।

(vi) यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों को स्वयं का व्यवसाय चलाने में अत्यधिक सहायक है।

(vii) यह शिक्षा नीति राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल देकर कोर-पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है।

(viii) यह शिक्षा नीति वास्तविक रोजगार के अवसरों तथा संसार के कार्यों में तालमेल स्थापित करने में सहायक है।

(ix) नई शिक्षा नीति शिक्षा के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी जागृत करती है।

(x) यह शिक्षा नीति वर्तमान राष्ट्रीय ढाँचे 10 + 2 + 3 के अन्तर्गत सुचारु रूप से काम कर सकती है।

◆◆◆

2.3 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण–2005
(National Curriculam Framework—2005)

8. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण–2005 की आवश्यकता तथा उद्देश्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। (Describe the need and objectives of Natonal Curriculam Formework–2005.)

अथवा

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की क्या आवश्यकता है? (What is the need of National Curriculam Frame Work 2005.)

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विकास में पाठ्यक्रम का क्या महत्त्व है? (What is the importance of curriculum for National or International development?)

उत्तर–मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारिणी सभा में चिंतन किया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम 2000 में क्या सुधार किया जाए।

14 जुलाई से 19 जुलाई, 2004 में बुलाई गई सभा में निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार करने के लिए मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर और शिलांग में पांच सभाओं का आयोजन करके नया पाठ्यक्रम 2005 तैयार किया गया। पाठ्यक्रम में सभी S.C.E.R.T. के सचिव, देश के सभी परीक्षा बोर्डों का सहयोग लिया गया। गहन अध्ययन के उपरान्त विस्तार से तर्क-वितर्क करके नए पाठ्यक्रम में निम्न सुझावों को ध्यान में रखकर 2005 का पाठ्यक्रम तैयार किया गया–

1. संविधान में सुधार करके प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को दिशा-निर्देशक अधिकार की अपेक्षा मूल अधिकारों में सम्मिलित कर, माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाए।
2. परम्परागत विरासत तथा संस्कृति और आधुनिक संस्कृति एवं सभ्यता का पाठ्यक्रम में समन्वय किया जाए।
3. पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, जिसमें सामाजिक परिवर्तन, वातावरण के अनुकूल घटाया और बढ़ाया जा सके। जैसे इतिहास विषय में स्वतंत्रता के उपरान्त अंग्रेजों का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब और हरियाणा को अलग राज्य बनाने के बाद सिक्खों का इतिहास और पंजाबी भाषा सीखना ऐच्छिक विषय रह गया है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

4. प्रजातांत्रिक सफलता के लिए, नागरिकों के दिशा-निर्देशक और मूलाधिकारों, कर्तव्यों और प्रजातांत्रिक भावना के विकास को सिद्धांतों में समावेश करना चाहिए।
5. पाठ्यक्रम में सतत् प्रक्रिया का सिद्धांत, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करते रहना चाहिए।
6. महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंगहीन और आर्थिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। क्षेत्र, धर्म, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का शिक्षा में भेदभाव नहीं रखा गया।
महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के विद्यार्थियों को आर्थिक/सामाजिक सुविधाएं देकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए गृहविज्ञान, हस्तकला विषयों की सुविधा दी जाए।
7. पाठ्यक्रम को लचीला और व्यापक बनाया गया है। कक्षा-कक्षों में बाहरी ज्ञान, समाज, समुदाय और खेल का मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहभागी क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसे समय (वातावरण) के अनुसार परिवर्तित कर उपयोगी बनाया जा सके।
8. **मूल्यांकन प्रणाली में सुधार**—अब तक मूल्यांकन केवल पुस्तकीय ज्ञान का, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा किया जाता था। अब निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर लघूत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहु-विकल्पीय प्रश्न, रिक्त-स्थान भरना और मौखिक प्रश्नों तथा दैनिक गतिविधियों को भी मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया है। आंतरिक मूल्यांकन विषय के अध्यापक द्वारा किया जाता है। उससे प्रगति चार्ट बना करके, इस मूल्यांकन को वार्षिक परीक्षा के साथ एक परिणाम घोषित किया जाता है।
9. पाठ्यक्रम को अब उत्पादन, व्यवसाय और व्यापार के साथ, रोजगारपरक बनाया गया है, जिससे शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। पाठ्यक्रम में कृषि, फल उत्पादन, बागवानी, सब्जी उत्पादन, कार्यानुभव और हस्तकला को सम्मिलित किया गया है।
10. पाठ्यक्रम में कार्यशालाओं, लघु उद्योग, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थानों, अनुसंधान केन्द्रों, देश-विदेश की शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण, एक-दूसरे प्रान्तों और विदेशी भ्रमण करके, ज्ञान में वृद्धि करना भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिससे विश्व के नागरिकों में मेल-मिलाप और विश्वास बढ़े। उच्च शिक्षा तकनीक शिक्षा, औद्योगिक, सभ्यता और संस्कृति का विकास हो।
11. खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैज्ञानिक विकास, अनुसंधान केन्द्रों में प्रशिक्षण और कार्यशालाओं, वर्कशॉप, तकनीकी शिक्षा, सौर ऊर्जा, पर्यावरण, आणविक शक्ति का सदुपयोग और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्यों आदि के आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके विश्व शांति और विश्व विकास में सभी विकसित, अविकसित राष्ट्रों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व के सभी देशों में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक/कार्यक्रमों का परस्पर आदान-प्रदान ही यूनेस्को का उद्देश्य है। जिससे विश्व शान्ति एवं भ्रातृभाव, एवं मैत्रिक भावना का विकास हो।

◆◆◆

9. राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की क्या आवश्यकता है?
(What is the need of National Curriculum, 2005?)

उत्तर—पाठ्यक्रम समस्याओं के निवारण, आवश्यकताओं के अनुरूप, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ मूल्यों को आधार मानकर निर्धारित किया जाता है।

पाठ्यक्रम में शिक्षा क्यों, शिक्षा किसको, शिक्षा कैसे, शिक्षा कब तथा शिक्षा कैसी हो को आधार मानकर पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित आधारों के लिए आवश्यकता है—

1. बालकों के आयु वर्ग, मानसिक क्षमता के अनुसार, विषय-वस्तु को निर्धारित करने के लिए।
2. अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य है, कि शिक्षा क्यों, कब, किसको, कैसे दी जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार अध्यापक अपनी पूर्व योजना बनाकर पूरी तैयारी से बच्चों में रुचि उत्पन्न करके पाठ प्रस्तुत करता है।
3. पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ योजना बनाकर शैक्षिक सहायक सामग्री सहित पाठ प्रस्तुत करता है।
4. विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और उद्देश्य पूर्ति के पाठ्यक्रम सहर्ष स्वीकार करता है।
5. अभिभावकों की संतुष्टि और सहयोग के लिए पूर्व पाठ्यक्रम निर्धारित करना आवश्यक होता है।
6. मुख्याध्यापकों के लिए निरीक्षण और परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता है कि निश्चित समय तक अध्यापक ने क्या पढ़ाया और विद्यार्थियों ने कितना सीखा।
7. विद्यालय संस्था की गतिविधियों के लिए पाठ्य-पुस्तक ज्ञान के साथ-साथ सहभागी क्रियाओं का विद्यार्थियों ने कितना आनंद लिया और कितना व्यावहारिक रूप से स्वीकार किया।
8. भाषाओं का ज्ञान क्यों अनिवार्य है, मातृभाषा के साथ-साथ, विश्वस्तरीय अंग्रेजी को व्यापार, व्यवहार और आदान-प्रदान के लिए अनिवार्य है।
9. विद्यार्थियों को लेन-देन, क्रय-विक्रय दैनिक जीवन में प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार और व्यापार के लिए गणित का ज्ञान अनिवार्य है। लेन-देन, क्रय-विक्रय, व्यक्तिगत, सामाजिक राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए उपयोगी एवं अनिवार्य है।
10. समाजिक विज्ञान, पूर्वजों की कार्य प्रणाली, वर्तमान की आवश्यकता, परम्परागत सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल समन्वय के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य है।
11. विज्ञानिक विकास के लिए विज्ञान का अध्ययन करना, नए परीक्षण अनुभव और नए अविष्कार करने के लिए विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है।
12. विद्यार्थियों को स्थानीय वातावरण, पर्यावरण समुदाय से संबंध और व्यवहार के लिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ज्ञान होना अनिवार्य है।
13. कक्षा-कक्ष, विद्यालय प्रांगण से बाहरी वातावरण, परिस्थितियों को जानने के लिए शैक्षिक, ऐतिहासिक भ्रमण भी आवश्यक है जो पुस्तकीय ज्ञान से भी अधिक आवश्यक है।
14. बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ, व्यावसायिक विषयों का अध्ययन भी अनिवार्य है ताकि शिक्षा प्राप्ति के उपरांत स्वरोजगार आदि अपना कर आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।
15. प्रजातांत्रिक सफलता के लिए, विद्यार्थियों को अपने अधिकार और कर्तव्य, धर्म-निरपेक्ष अपने विचार प्रकट करने, देश के किसी भी भाग में रहने, व्यवसाय करने, वोट का महत्त्व समझकर उसका उचित उपयोग करने के लिए राजनीति और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है, ताकि पूर्ण रूप से प्रजातंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो।
16. **कम्प्यूटर शिक्षा**—आधुनिक युग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कम्प्यूटर शिक्षा का पूरे विश्व में विस्तार हो रहा है। दुनिया के साथ-साथ चलने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना अनिवार्य हो गया है।
17. **स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा**—दुनिया का प्रथम सुख-शांति, निरोगी काया है। तन मन स्वस्थ है, सब कुछ करने में सक्षम होता है। इसलिए विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी पाठ्यक्रम की नितांत आवश्यकता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

18. प्रतिभाशाली, सामान्य, बुद्धिहीन बच्चों को अध्यापन के लिए पूर्व पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, जिससे अध्यापक बच्चों को उपलब्धि क्षमता, योग्यता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों से विभिन्न स्तर के बच्चों को शिक्षण विधियों से विभिन्न स्तर के बच्चों को शिक्षा देने में सफल और सक्षम प्रमाणित हो।
19. पाठ्यक्रम को बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ उत्पादकता से भी जोड़ने की आवश्यकता है, पशु-पालन, बागवानी, कार्यानुभव आदि विषयों का प्रशिक्षण देकर नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है जिससे कि उत्पादन बढ़े।
20. लड़कियों के लिए भाषा, गणित आदि विषयों के साथ गृह कार्य, पाक विद्या, सिलाई, कढ़ाई और स्वास्थ्य शिक्षा आदि विषयों का अध्ययन आवश्यक है, जिससे बच्चों की देखभाल और पाक कला में निपुणता प्राप्त हो।
21. पाठ्यक्रम में बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ शैक्षिक सहभागी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं, जिसमें खेल, योग, भाषण, अन्ताक्षरी, कविता, वाद विवाद प्रतियोगिता और कला, चित्रकला, वास्तुकला, विज्ञान प्रदर्शनियों का विद्यालय के स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आयोजन करके विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।
22. तकनीकी शिक्षा, विज्ञान विकास और अनुसंधान आदि का आयोजन पाठ्यक्रम में निर्धारित करके विद्यार्थियों और अध्यापकों का सेमीनार लगाकर अनुसंधानों के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान का विकास हो, अनुसंधानों, नए अविष्कारों को मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जाए।
23. पाठ्यक्रम मूल्यांकन की परम्परागत पद्धति को बदलकर नई मूल्यांकन विधि और ग्रेडिंग पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें बौद्धिक ज्ञान के साथ-साथ बाहरी ज्ञान और सहभागी प्रक्रियाओं का मूल्यांकन कर वार्षिक प्रगति चार्ट तैयार किया जाए और जिसमें दैनिक उपस्थिति, मौखिक परीक्षा आदि को वार्षिक मूल्यांकन में जोड़कर ग्रेडिंग प्रणाली से परिणाम तैयार किया जाए। विद्यालयों में पाठ्यक्रम विद्यार्थी, अध्यापक अभिभावक और अधिकारी सभी के लिए आवश्यक है।

◆◆◆

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

LAXMI®

EXAM NOTES

समकालीन भारत तथा शिक्षा

[CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION]

[Paper–2]

UNIT–III

3. *Contemporary Issues in Indian Education*
- *Universalization of Elementary Education and related issues such as MDM, SSA and RMSA*
- *Issues and Debates on Globalization, Liberalization and Privatization*
- *Common School System*
- *Vocationalisation of Education*
- *Three Language Formulas*
- *Open learning and distance education System*
- *Modernization: Concept, Advantages & Disadvantages*

Published by :
LAXMI BOOK DEPOT

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

3

भारतीय शिक्षा के समकालीन मुद्दे

[Contemporary Issues in Indian Education]

3.1 प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
(Univerzalisation of Elementary Education)

1. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? प्राथमिक शिक्षा के परिमाणात्मक पक्ष से संबंधित वर्तमान स्थिति, प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की समस्याओं तथा इसके समाधान हेतु उचित सुझावों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुये प्राथमिक शिक्षा के परिमाणात्मक पक्ष, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित समस्याओं तथा इसके सुधार से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुझावों की विवेचना कीजिये।

अथवा

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? विस्तार से बताइए। (M.D.U. 2018)
(What is universalization of Elementary Education. Explain in detail.)

उत्तर–लोकतन्त्र इस बात की मांग करता है कि शिक्षा का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। कम से कम प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क होनी चाहिए। भारतीय संविधान की धारा 45 इस बात पर बल देते हुए दस वर्ष के अन्दर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश देती है। परन्तु 1986 ई. की शिक्षा-नीति के आ जाने के बाद भी इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

यह बात नहीं है कि भारत सरकार तथा प्रादेशिक सरकारें इस बात की ओर सचेत नहीं हैं। वे सचेत अवश्य हैं और प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास भी कर रही हैं। परन्तु उसकी कुछ सीमाएं हैं जो इसके विकास में बाधक बन रही हैं। इन समस्याओं के यथासंभव समाधान से ही प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति के निकट पहुंचा जा सकता है। इन समस्याओं का व्यापक अध्ययन करने से पहले सार्वभौमिकता के व्यापक अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है।

सार्वभौमिकता का अर्थ
(Meaning of Universalisation)

सार्वभौमिकता का अर्थ यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही उपलब्ध कराई जाए। भारतीय शिक्षा आयोग ने 1966 में कहा था कि जब हम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करते हैं तो इसमें तीन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए–

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

1. व्यवस्था की सार्वभौमिकता (Universal Provision)–इसका अभिप्राय यह है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में विद्यालय की घर से दूरी केवल इतनी हो कि बच्चा सुगमता से वहां पैदल चलकर जा सके। हर छोटे गांव में प्राथमिक विद्यालय अवश्य हो और विद्यालय किसी भी बच्चे के घर से एक कि.मी. से दूर न हो।

2. नामांकन की सार्वभौमिकता (Universalisation of Enrolment)–इसका अर्थ यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनका पता लगाया जाए और उनका नाम प्राथमिक विद्यालय में पंजीकरण कराया जाए और उन कारणों का पता लगाया जाए, जिनके कारण माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिल नहीं कराते और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए।

3. स्थिरता की सार्वभौमिकता (Universalisation of Retention)–प्राथमिक विद्यालय खोलने और उनमें सभी बच्चों का नामांकन करने के बाद एक और जटिल समस्या सामने आती है और वह यह है कि विद्यालय में नामांकित इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय में ही रोके रखना, क्योंकि सामान्यतः यह देखने में आता है कि बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश तो ले लेते हैं परन्तु उसे पूरा करने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इस प्रकार स्थिरता की सार्वभौमिकता का अर्थ है कि बच्चा तब तक विद्यालय में टिका रहे जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी न हो जाए।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की समस्याएँ *(Problems of the expansion of Primary Education)*

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित समस्याएं हमारे सामने आती हैं–

1. जनसंख्या में वृद्धि (Increase in the Population)–जनसंख्या की वृद्धि भारत की एक विकट समस्या है। यह समस्या शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भी बाधक बनती है। जितनी संख्या में 6-14 वर्ष के बच्चों में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में स्कूल खोलकर इन बच्चों को प्रवेश दिलाना चाहिए। परन्तु ऐसा संभव नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप इस वर्ग के सभी बच्चों को दाखिल करना असंभव हो जाता है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को धक्का लगता है।

2. लोगों की निर्धनता (Poverty of the People)–भारत में अधिकतर लोग निर्धनता के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। बच्चों को वे अपनी आय बढ़ाने का साधन समझते हैं। बच्चों को काम पर लगा कर एक तो वे शिक्षा पर होने वाले खर्च से बच जाते हैं और दूसरे जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में उन्हें कठोर परिश्रम करना है और वे अपने बच्चों को भी इस परिश्रम में लगा देते हैं। परिणामस्वरूप उनके बच्चे न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास विफल हो जाता है।

3. अभिभावकों का असहयोग (Non Co-operation of the Parents and Guardians)–निर्धन लोग तो अपनी बुनियादी आवश्यकता से मजबूर होकर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, परन्तु कई लोग ऐसे हैं जो रूढ़ियों, संकीर्ण विचारों तथा जाति-पाति के भेदभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग प्रदान नहीं करते–विशेषकर लड़कियों के समबन्ध में अनेक लोगों के विचार अब भी संकीर्ण बने हुए हैं। बाल-विवाह और पर्दा की कुरीतियां आज भी प्रचलित हैं। लड़कियों को स्कूल में भेजा ही नहीं जाता या फिर उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल से निकाल लिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार के लिए माता-पिता का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है।

4. दूर स्थित आबादियों की समस्या (Problem of far flung Habitations)–भारत में कई छोटी-छोटी आबादियां हैं, जो दूर-दराज इलाकों में स्थित हैं। इन आबादियों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ और यहाँ यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं होते। यदि इन आबादियों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित कर दिया जाए तो इनका विकास कई पीढ़ियों तक नहीं हो सकेगा। इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की इतनी आवश्यकता है जितनी विकसित क्षेत्रों के बच्चों को। फिर इन्हें शिक्षित किए बिना सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य कैसे पूरा किया जा सकता है।

5. पिछड़ी हुई एवं अनुसूचित जातियां (Backward and Scheduled Castes)–वर्षों से शोषित एवं तथाकथित निम्न स्तरीय काम करने के कारण पिछड़ी हुई तथा अनुसूचित जातियां अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखतीं। निर्धनता तथा जीवन के निम्न स्तर को स्वीकार कर लेने के कारण भी ये शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते। उनमें यह भ्रामक धारणा बन चुकी है कि शिक्षा उच्च जातियों के लिए है। इस प्रकार ये जातियां प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार में बाधक बनी हुई हैं।

6. अनुपयोगी शिक्षा (Useless Education)–वर्तमान प्राथमिक शिक्षा अनुपयोगी तथा निरर्थक है। इसलिए अधिकांश माता-पिता इसके प्रति आकर्षित नहीं होते और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। माता-पिता अपने बच्चों को ऐसी अनुपयोगी शिक्षा दिलाने की अपेक्षा उन्हें निरक्षर रखना बेहतर समझते हैं।

7. दोषपूर्ण मूल्यांकन (Defective Evaluation)–प्राथमिक स्कूलों में प्रचलित दोषपूर्ण मूल्यांकन के कारण भी विद्यार्थी शिक्षा जारी रखने में रुचि नहीं रखते। बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन की यह विधि अपूर्ण तथा अपर्याप्त है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाती। इसी के कारण स्कूल का समूचा वातावरण नीरस हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों पर परीक्षा का डर छाया रहता है। फेल होने वाले विद्यार्थी या तो स्कूल छोड़ देते हैं या फिर अध्यापक तथा अन्य बच्चों के लिए समस्या बने रहते हैं।

8. अर्थाभाव (Lack of Finance)–अर्थाभाव के कारण भी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विस्तार नहीं हो पाया। प्रायः देखा गया है कि शिक्षा के विकास तथा विस्तार के लिए जो धन निश्चित किया जाता है। उसका अधिकांश भाग माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा पर खर्च कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य अधूरा रह जाता है।

9. बच्चों की अनुपस्थिति पर नियन्त्रण का अभाव (Lack of control over the absentism of the Students)–प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों की अनुपस्थिति एक विकट समस्या है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक विस्तार में बाधक बनी हुई है। जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तो उन्हें दाखिल करने का क्या लाभ? इस अनुपस्थिति को रोकने के लिए कोई सशक्त साधन नहीं है। कई प्रान्तीय सरकारों ने 'अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम' अवश्य बनाए हैं। परन्तु वे इतने सशक्त नहीं हैं कि अनुपस्थिति पर पर्याप्त नियन्त्रण रख सकें। केवल रजिस्टरों में बच्चे का स्कूलों में नाम लिख लेने से ही शिक्षा सार्वभौमिक नहीं बन जाएगी। इसके लिए बच्चों का स्कूलों में नियमित रहना भी आवश्यक है।

10. कृत्रिम तथा फर्जी दाखिला (Artificial and Fictitious Admissions)–प्राथमिक स्कूलों में कृत्रिम दाखिलों की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। प्रायः देखा गया है कि अध्यापक अपनी आसामी (Post) को बचाने के लिए या माता-पिता के दबाव में आकर कृत्रिम दाखिला कर लेते हैं। उनके रिकार्ड को देखकर प्रतीत होता है कि स्कूल से सम्बन्धित क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूल में दाखिल हो चुके हैं। इस प्रकार का कृत्रिम दाखिला प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की हत्या कर देता है। कागजों में शत-प्रतिशत दाखिला परन्तु वास्तविक अर्थों में बहुत कम दाखिला, यह स्थिति सार्वभौमिकता के वास्तविक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती। यह शिक्षा के प्रति ही नहीं, बल्कि मानवता तथा राष्ट्र के लिए अपराध है।

11. अपव्यय तथा अवरोधन (Wastage and Stagnation)–प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक विस्तार में मुख्य बाधा 'अपव्यय तथा अवरोधन' की है। शेष सभी समस्याएं इसमें निहित हैं। इसी एक समस्या के व्यावहारिक समाधान से शेष समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं।

समाधान के सुझाव (Suggestions for the solution of the Problem)

प्राथमिक शिक्षा के परिमाणात्मक पहलू में सुधार लाकर इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं–

1. जनसंख्या वृद्धि पर रोक (Checking rapid increase in Population)–जनसंख्या की वृद्धि को रोको, प्राथमिक शिक्षा के परिमाणात्मक पक्ष में अपने आप सुधार हो जाएगा। जनसंख्या की

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार होना चाहिए। इस क्षेत्र में परिवार नियोजन विभाग को तो पूरी लगन और गम्भीरता से काम करना ही चाहिए, शिक्षा विभाग को भी इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएं। यह उत्साहवर्द्धक बात है कि स्कूल स्तर पर जनवृद्धि नियोजन की शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जा सकता है। पाठ्यक्रम के इस अंग को गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए तथा किशोरावस्था में ही विद्यार्थियों में काम तथा सन्तानोत्पत्ति के बारे में वास्तविक ज्ञान प्रदान करके उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए।

2. सस्ती तथा निशुल्क शिक्षा (Cheap and Free Education)–निर्धनता एक राष्ट्र व्यापी समस्या है। सरकार इसको दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। परन्तु इसे यथासंभव प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधक नहीं बनने देना चाहिए।

इसके लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी हो सकते हैं–

(i) बच्चों की शिक्षा पर माता-पिता का कुछ खर्च नहीं होना चाहिए। बच्चों को पुस्तकें, कापियां, कलमें, स्याही तथा पेंसिल आदि मुफ्त मिलने चाहिएं। इसके अतिरिक्त उनके स्वास्थ्य की देखभाल तथा मेडिकल सेवाएं भी निःशुल्क होनी चाहिएं। बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) अच्छे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(iii) अपने माता-पिता के काम में हाथ बंटाने के लिए अंशकालिक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) बच्चों के रोजगार पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावशाली पग उठाने चाहिएं और इसके लिए विद्यमान कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

(v) 'बन्धुआ मजदूर' (Bonded Labour) के विरुद्ध कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि बच्चों को इसे शोषण से बचाया जा सके।

(vi) अभिभावकों को शिक्षित करना चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजकर उनको ही लाभ प्राप्त होगा।

3. अभिभावकों का सहयोग (Seeking Co-operation of the Parents)–अभिभावकों के असहयोग का कारण उनकी निरक्षरता एंवं अज्ञानता है। वस्तुतः वे शिक्षा के महत्त्व से अनभिज्ञ होते हैं। उनकी अज्ञानता को दूर कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं–

(i) वयस्क साक्षरता तथा सामाजिक शिक्षा के प्रभावशाली कार्यक्रम बनाने चाहिएं। अभिभावकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करके उन्हें सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। जन सम्पर्क विभागों की सहायता से उन्हें शिक्षा की महत्ता तथा आवश्यकता का अनुभव कराना चाहिए तथा रेडियो और दूरदर्शन को इस कार्य के लिए प्रयुक्त करना चाहिए।

(ii) लड़कियों के सम्बन्ध में अभिभावकों के मन में बैठी संकीर्णताओं को तो दूर करना ही चाहिए, इसके साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिएं ताकि माता-पिता विश्वासपूर्ण अपनी लड़कियों को स्कूल भेज सकें। इसके लिए लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने चाहिएं। जहां सह शिक्षा की व्यवस्था है वहां पर्याप्त संख्या में अध्यापिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। स्कूलों में लड़कियों के लिए उपयोगी विविध क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों के स्कूलों के निरीक्षण के लिए निरीक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए तथा लड़कियों के दाखिले को सुनिश्चित बनाने के लिए महिला समाज सुधारक संगठनों तथा अध्यापक-अभिभावक संगठनों की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिएं।

4. दूर स्थित आबादियों की समस्या (Problem of Far Flung Habitations)–सुदूर स्थित आबादियों के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए वहाँ एक अध्यापकीय स्कूल (Single teacher school) स्थापित करना चाहिए। इन स्कूलों के संचालन में कई प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कठिनाइयां

अवश्य आती हैं। परन्तु वे असाध्य नहीं हैं। एक अध्यापकीय स्कूलों का सुचारु रूप से संचालन करने से दूर-दूर तक बिखरी हुई छोटी-छोटी आबादियों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है।

5. पिछड़ी हुई एवं अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां (Backward, Scheduled Castes and Scheduled Tribes)–पिछड़ी हुई अनुसूचित जातियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें शिक्षा की महत्ता और आवश्यकता की ओर जाग्रत करना चाहिए। उन्हें अनुभव कराना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करना सभी का समान अधिकार है। सरकार द्वारा उनके लिए जो भलाई कार्यक्रम तथा आरक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनकी भी उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त किए बिना वे उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें पाठ्य-पुस्तकें, कापियां तथा अन्य आवश्यक सामग्री मुफ्त दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके लिए छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके शैक्षणिक स्तर को विकसित करने के लिए उनके शिक्षण के विशेष प्रबन्ध होने चाहिएं।

6. अनुपयोगी शिक्षा की समस्या (The Problem of Useless Education)–शिक्षा को उपयोगी और सार्थक बनाने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना चाहिए–

(i) वर्तमान पुस्तकीय पाठ्यक्रम को हटाकर उसके स्थान पर शिशु-केन्द्रित, वातावरण केन्द्रित तथा क्रिया केन्द्रित पाठ्यक्रम का गठन किया जाना चाहिए।

(ii) इस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए सुयोग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिएं।

(iii) शिक्षण विधियां भी बच्चों की योग्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिएं।

7. दोषपूर्ण मूल्यांकन की समस्या (The Problem of Defective Curriculum)–दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित पग उठाने चाहिएं–

(i) प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन केवल वार्षिक परीक्षा पर आधारित नहीं होना चाहिए। स्कूल की विभिन्न क्रियाओं को भी इसमें उचित स्थान मिलना चाहिए।

(ii) वार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न तैयार होने चाहिएं जो विद्यार्थियों की विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं का मूल्यांकन करने में समर्थ हों।

8. अर्थाभाव की समस्या (The Problem of Lack of Finance)–प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके विकास तथा प्रसार को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा समूची शिक्षा का ही आधार नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों में नव-जागृति उत्पन्न करने का सशक्त साधन है। अतः शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का अधिकांश भाग प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा विकास में खर्च होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ योजनाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा के खर्च में कुछ कमी आएगी–

(i) **यथासंभव दोहरी-पारी प्रणाली (Double shift system where Feasible)**–यथासंभव दोहरी-पारी प्रणाली आरम्भ करनी चाहिए। प्रातः और दोपहर के पश्चात् दो पारियां लगाकर अधिक से अधिक बच्चों को एक ही भवन में पढ़ाया जा सकता है।

(ii) स्कूल के भवन निर्माण में उपयोगिता और सादगी की ओर ध्यान रखते हुए यथासंभव खर्च करना चाहिए।

(iii) स्कूल के लिए आवश्यक उपकरणों, फर्नीचर आदि की उचित देखभाल होनी चाहिए।

9. बच्चों की अनुपस्थिति पर नियन्त्रण (Control over the Absenteism of the Students)– स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को यथासम्भव निश्चित बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव विचारणीय हैं–

(i) ब्लाक समितियों तथा ग्राम पंचायतों से इसके लिए सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

(ii) अध्यापक-अभिभावक संघों का निर्माण और उसका सक्रिय प्रयोग करना चाहिए।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

(iii) अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

(iv) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ कानून का प्रयोग भी करना चाहिए।

10. कृत्रिम दाखिले की समस्या (The Problem of Artificial Admission)—सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के स्वप्न को साकार करने के लिए अध्यापकों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसलिए उन्हें कृत्रिम दाखिला नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें दाखिला करने में कोई कठिनाई आती है तो उसे अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए और उनके सहयोग से भी उस कठिनाई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नामांकन को निश्चित करने के लिए जनसम्पर्क विभाग, प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा महिला-कल्याण संगठनों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

◆◆◆

मध्याह्न भोजन या मध्य दिवसीय भोजन स्कीम (Mid-Day-Meal)

2. मध्याह्न भोजन स्कीम के मुख्य उद्देश्यों तथा कमियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

अथवा

मध्याह्न भोजन स्कीम या मध्य दिवसीय योजना के अर्थ तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी मुख्य कमियों की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

उत्तर–मध्याह्न भोजन स्कीम (Mid-Day-Meal Scheme)—मध्याह्न भोजन के नाम से प्रसिद्ध प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को पोषण सम्बन्धी सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित मध्याह्न भोजन स्कीम (Mid-Day Meal Scheme) के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत सन् 1995 में की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की पोषण सम्बन्धी स्थिति तथा साथ ही साथ उनके नामांकन, प्रतिधारण तथा उपस्थिति में बढ़ोत्तरी करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (Universalization of Primary Education) को बढ़ावा देना है। भारत देश में प्रारम्भिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन स्कीम (MDM) को प्रारंभ करने का श्रेय तमिलनाडु राज्य को जाता है।

मध्याह्न भोजन स्कीम का मूल्यांकन अलग-अलग समय अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से करवाया गया। जुलाई, 1999 में 'ऑपरेशन रिसर्च समूह' ने यूनिसेफ की सहायता से 10 अलग-अलग राज्यों में इस मध्याह्न आहार योजना का मूल्यांकन किया तथा उसने इस मूल्यांकन के आधार पर यह पाया कि इस स्कीम ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित बच्चों तथा साथ ही निम्न आय-वर्ग समूहों के बच्चों को विद्यालय में आने हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने भी अप्रैल 2000 में इस योजना के प्रभाव को जानने से सम्बन्धित दो अध्ययन किए तथा इस अध्ययन के आधार पर यह पाया कि पका हुआ भोजन कार्यक्रम केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं होता, अपितु इसलिये भी उपयोगी या बेहतर होता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय जाने हेतु लालायित करता है। इसके साथ-साथ एन.सी.ई.आर.टी. ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में मध्याह्न भोजन योजना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मध्याह्न भोजन स्कीम की कमियाँ *(Weaknesses of Mid-day Meal Scheme)*

हालाँकि इस योजना के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के नामांकन तथा प्रतिधारण (Retention) में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। फिर भी यह योजना अपने राष्ट्र-व्यापी उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। इस स्कीम या कार्यक्रम से सम्बन्धित मुख्य कमियाँ निम्न प्रकार से हैं—

1. खाद्यान्न का समय पर वितरण करने हेतु राज्यों के समर्थ न होने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से दूर-दूर तक फैले विद्यालयों पर पड़ता है।
2. इसके अतिरिक्त मध्याह्न आहार स्कीम के प्रति लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण इस योजना के सुचारु रूप से चलाने में सामुदायिक भागीदारी का पर्याप्त अभाव या कमी है।
3. मध्याह्न आहार स्कीम के अंतर्गत पका हुआ भोजन प्रदान न करना।
4. किसी भी राज्य के द्वारा नामांकन से सम्बन्धित जो आंकड़े प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार को प्रदान करने होते हैं और जिसके आधार पर किसी भी राज्य को दस महीनों के लिए खाद्यान्न निर्धारित किए जाते हैं। वह आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
5. इस योजना या स्कीम से सम्बन्धित एक कमी यह भी रही है कि इस योजना की मोनीटरिंग और पर्यवेक्षण (Monitoring and Supervision) भी न के बराबर रहा, जिसके फलस्वरूप इस स्कीम के माध्यम से लाभ पाने वाले विद्यालयों तथा इस स्कीम या योजना के बारे में गलत रिपोर्ट पेश की गई।

◆◆◆

सर्वशिक्षा अभियान (प्रथम चरण तथा दूसरा चरण) (Sarva Shiksha Abhiyan—(Phase I and Phase II)

3. सर्वशिक्षा अभियान क्या है? इसके लक्ष्य तथा कार्यनीतियों का वर्णन कीजिए।
(What is Sarva Shiksha Abhiyan? Describe its Aims and Programmes.)

अथवा

सर्वशिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य कौन-कौन से हैं? सर्वशिक्षा अभियान के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए।
(What are the aims of Sarva Shiksha Abhiyan? Describe its main Components.)

अथवा

सर्वशिक्षा अभियान पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on Sarva Shiksha Abhiyan.)

उत्तर–सर्वशिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan—SSA)–भारतीय संविधान द्वारा भारत में समानता पर आधारित ऐसे समाज की स्थापना की बात कही गई है जिसमें सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इनमें से एक है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनः कहा गया कि इक्कीसवीं शताब्दी में पहुंचने से पहले 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए सन्तोषजनक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद भी अनेक स्तरों पर इस संकल्प को दोहराया गया, लेकिन इसको पूरा करना सम्भव नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए। यदि आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि विद्यालयों

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

की संख्या में चार गुणा वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन छः गुणा बढ़ा है। लड़कियों के नामांकन में 32 गुणा बढ़ोत्तरी हुई। प्राथमिक स्तर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 94% स्थानों पर एक किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 84% स्थानों पर एक किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

इन सब सुविधाओं के बावजूद 6-14 आयुवर्ग के 20 करोड़ बच्चों में से 5.9 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे। इनमें 3.5 करोड़ लड़कियां तथा 2.4 करोड़ लड़के हैं। अतः आज भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य एक स्वप्न मात्र है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं और वहां न केवल शत-प्रतिशत नामांकन किया जाए वरन् नामांकित बच्चों का विद्यालयों में ठहराव भी सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य/आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान आरम्भ किया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान क्या है?

सर्वशिक्षा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागेदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह एक ऐसा अभियान है, जिससे देश के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है। इसका उद्देश्य **2010** तक **6-14** आयुवर्ग के सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। संक्षेप में सर्वशिक्षा अभियान–

एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम है जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्ध रखता है। यह देश भर में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा की मांग को पूरा करने का एक प्रयास है। यह बेसिक शिक्षा के माध्यम से समानता व सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। यह देश भर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देने की राजनैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच भागेदारी है। यह राज्यों के लिए एक अवसर है कि वे प्राथमिक शिक्षा के विषय में अपनी परिकल्पना कर सकें।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य (Objectives of Sarva Shiksha Abhiyan)

इस अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं :

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल तथा 'बैक टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता।
2. वर्ष 2007 तक सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
4. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना।
5. सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना।
6. जीवनोपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

अभियान का क्रियान्वयन : यह निर्णय किया गया कि केन्द्र व राज्य सरकारें मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगी। इस मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मन्त्री होंगे। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि मुख्य मन्त्री अथवा शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन कमेटी का गठन किया जाए जिससे इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे गैरसरकारी संगठनों, अध्यापकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों तथा महिला संगठनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करें।

अवधि : कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष अर्थात् 2010 तक निर्धारित की गई है।

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्य नीतियां *(Main Programmes of Sarva Shiksha Abhiyan)*

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की मुख्य कार्य नीतियां इस प्रकार हैं :

1. संस्थागत सुधार : सर्वशिक्षा अभियान के भाग के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा प्रदान की क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करेंगी। राज्यों को अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विभिन्न दृष्टियों से वस्तुनिष्ठ ढंग से मूल्यांकन करना होगा ताकि आवश्यक सुधार लाए जा सकें। अनेक राज्यों ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं।

2. निरन्तर वित्तीय पोषण : सर्वशिक्षा अभियान के लिए इसका निरन्तर वित्तीय पोषण आवश्यक है। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता अपेक्षित है।

3. सामुदायिक स्वामित्व : इस कार्यक्रम के लिए विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है। यह कहा गया कि महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा।

4. संस्थागत क्षमता निर्माण : इस अभियान द्वारा नीपा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् जैसी राष्ट्रीय व राज्य स्तर की संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की अहम् भूमिका की कल्पना की गई है। यह कहा गया है कि गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेषज्ञों के स्थाई सहयोग वाली प्रणाली की आवश्यकता है।

5. बालिका शिक्षा : लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों की शिक्षा इस अभियान का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होगा।

6. विशिष्ट समूहों पर ध्यान : विशेष समूहों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों, विकलांगों व अन्य वंचित वर्ग के बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

7. शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार : प्रभावशाली विधियां अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार पर ध्यान देने की बात कही गई है।

8. परियोजना पूर्व चरण : सर्वशिक्षा अभियान द्वारा देश भर में योजनाबद्ध तरीके से परियोजना पूर्व चरण आरम्भ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत वितरण व मानीटरिंग पद्धति को सुधार कर क्षमता विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

9. गुणवत्ता पर बल : यह अभियान पाठ्यक्रम में सुधार लाकर तथा बालकेन्द्रित विधियों को अपनाकर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने पर बल देता है।

10. अध्यापकों की भूमिका : सर्वशिक्षा अभियान अध्यापकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस बात पर बल देता है कि उनकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए।

11. जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएं : इस अभियान की कार्य संरचना के अनुसार प्रत्येक जिला एक जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जो संकेन्द्रित व समग्र दृष्टिकोण से युक्त प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए सभी निवेशों को दर्शायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के घटक (Components of Sarva Shiksha Abhiyan)

इस अभियान में अध्यापकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था, शैक्षिक सहायता के लिए खण्डीय एवं सामूहिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना, कमरों व विद्यालय-भवन का निर्माण, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना, विकलांगों की शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा आदि घटक शामिल हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता : एक अनुमान के अनुसार अगले दस वर्ष के लिए केन्द्र व राज्य स्तर के विभागों के बजट से लगभग 60 हजार करोड़ रुपए के

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट का प्रावधान करने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित वित्तीय प्रतिमानक निर्धारित किए गए हैं–

1. इस अभियान के लिए केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय भागेदारी नवीं योजना अवधि के दौरान 85 : 15, दसवीं योजना अवधि में 75 : 25 व उसके बाद 50 : 50 की होगी।
2. इस अभियान के अन्तर्गत नियुक्त किए गए अध्यापक के वेतन में केन्द्र व राज्य सरकार की भागेदारी नवीं योजना के दौरान 85 : 15, दसवीं योजना के दौरान 75 : 25 तथा उसके बाद 50:50 के अनुपात में होगी।
3. विभाग की वर्तमान योजनाएं नवीं योजना के बाद मिला दी जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम योजना एक विशिष्ट योजना के रूप में कायम रहेगी जिसमें खाद्यान्न एवं यातायात की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा भोजन पकाने की लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।
4. विद्यालयों के स्तर में सुधार, उनके रख-रखाव, अध्ययन-अध्यापन सामग्री तथा स्थानीय प्रबन्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली सभी निधियां वी.ई.सी./स्कूल प्रबन्धन समिति को हस्तान्तरित कर दी जाएगी।
5. छात्रवृत्ति, वर्दी जैसी अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत निधियां जारी की जाती रहेंगी।

हरियाणा में सर्वशिक्षा अभियान *(Sarva Shiksha Abhiyan in Haryana)*

हरियाणा राज्य भी 6-14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के केन्द्र सरकार के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान को लागू कर रहा है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधा सम्पन्न बनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सभी जिलों को यह अवसर प्रदान किए जा रहे हैं कि वे स्थानीय आवश्यकताओं व वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा योजनाएं विकसित करें। इस सन्दर्भ में हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा 'सर्वशिक्षा अभियान' नाम से एक हैन्ड-बुक का प्रकाशन भी किया गया है, जिसमें इस अभियान के विषय में जानकारी दी गई है। इस प्रकार हरियाणा में सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से केन्द्र सरकार के 2010 तक 6-14 आयुवर्ग के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए निरन्तर प्रयास जारी हैं।

◆◆◆

4. सर्व शिक्षा अभियान का (दूसरा चरण) Phase-II को R.M.S.A. क्यों रखा गया? इसकी क्या आवश्यकता हुई?
(Need's of Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (R.M.S.A.) Phase–II.)

अथवा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) की मूल संस्तुतियों पर टिप्पणी लिखिए।
(Write a note on basic recommendations of Rashtriya Madhyamic Shiksha Abhiyan (RMSA).

उत्तर–सर्व शिक्षा अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ी है और विद्यालय में ठहराव में सफलता मिली है। इसी प्रगति क्रम को आगे बढ़ाने के लिए NUEPA में 2006 में योजना पर विचार किया

गया। योजना को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर रूपरेखा तैयार की गई। दिनांक 12-11-2009 को प्रोजैक्ट बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिसमें सर्व शिक्षा अभियान में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया, जिसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान Held on 12-11-2009 के नाम से जाना गया है। इसमें 14 से 18 आयु वर्ग तक शिक्षा को सम्मिलित किया गया।

आर.एम.एस.ए. फेज–II की क्या आवश्यकता है (What is need of R.M.S.A. Phase–II)–सर्वशिक्षा अभियान दूसरा चरण की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरंभ किया गया–

1. अब तक शत-प्रतिशत बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया, उनके कारणों व समस्याओं को दूर करके उन्हें अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलवाना और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ने के लिए प्रेरित करना।
2. कुछ विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं। उन्हें उच्चतर शिक्षा तक विद्यालय न छोड़ने के लिए तैयार करना। उनकी समस्याओं को दूर करके, निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य-पुस्तकें और विद्यालय की गणवेश, दोपहर का भोजन, दूर गांव से स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल सुविधा आदि देकर, विद्यालय उपस्थिति और पूरी शिक्षा के लिए प्रेरित करना। हरिजन, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्टाय फंड और अच्छे अंक अधिक प्रतिशत प्राप्त करने पर 10000/- रुपये पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना। उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की व्यवस्था करना। जिला स्तर, आवासीय विद्यालय (छात्रावास) की सुविधाएं प्रदान करना और आवासीय छात्रावास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, जो मिडिल स्कूल हैं, उन्हें उच्च विद्यालय और जो उच्च विद्यालय हैं उन्हें उच्चतर विद्यालय की स्वीकृति देकर उनमें कम से कम दो यथासंभव चार कमरे बनवाकर बैठने की सुविधा प्रदान करना।
3. **योग्य अध्यापकों की नियुक्ति**–अध्यापकों की सेवा पूर्व अच्छा प्रशिक्षण देकर, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना, अध्यापक और बच्चों का अनुपात अधिक से अधिक 1 : 40, कम से कम 1 : 25 का अनुपात होना चाहिए।
4. महिला विद्यालय की अगल व्यवस्था करना और कन्या विद्यालयों में योग्य महिला अध्यापकों की नियुक्ति करना।
5. **सेवारत काल प्रशिक्षण (In Service Training)**–सेवारत अध्यापक/अध्यापिकाओं को नई तकनीक शैक्षिक सहायक सामग्री, नये पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देकर उनमें नई उमंग से सरल-आकर्षक संसाधनों से अध्यापक के लिए प्रेरित करना चाहिए।
   दूर से आने वाले अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा देने का प्रयास करना चाहिए।
6. **मुक्त विद्यालय (Open School)**–किन्हीं भी कारणों से जो कृषक, श्रमिक, अपंग, निर्धन और बालिकाएं विद्यालय जाने में असहाय हैं, उनके लिए Open School खोलकर अध्ययन के लिए अच्छी सुविधाएं देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उत्साहित किया जाता है।
7. सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में पूरी व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों, लड़कियों, अंगहीनों, दृष्टिहीनों आदि को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं/उपकरण और आर्थिक सहायता प्रदान करके सभी को शिक्षा के लिए समान अवसर देने की व्यवस्था की गई है। जिससे उनके अध्ययन में किसी प्रकार की समस्या/या बाधा न हो।
8. सभी धर्मों, जातियों, अल्पसंख्यकों, विभिन्न मातृभाषाओं के बच्चों को शिक्षा के लिए सभी संस्थाओं में प्रवेश की स्वतंत्रता है। किसी भी बच्चे से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
> DIRECT ADMISSION
> LOWEST FEES
> NCTE APPROVED
> FREE BOOKS
> ONLINE VIDEOS
> DISSERTATION HELP
> INTERNSHIP HELP
> YEARLY EXAMINATION
> SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

9. विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, लाईट, स्वच्छ पानी आदि के लिए विभिन्न मदों में आर्थिक सहायता प्रदान करके शिक्षण व्यवस्था को दूरस्त व आकर्षक बनाने पर बल दिया गया।
10. **खेल का मैदान (Play Ground)**–विद्यालयों में खेल का मैदान बनाने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक स्कूल में आर्थिक सहायता देकर बच्चों को खेल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया गया है। विद्यार्थियों में स्टेडियम बनाने और सुखद वातावरण के लिए पेड़-पौधे लगाने पर बल दिया है।
11. **लाइब्रेरी पुस्तकालय**–अध्ययन में पुस्तकालय का बहुत महत्त्व है, विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तकें, नैतिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 25000/- रुपये आर्थिक सहायता देकर पुस्तकालयों को आकर्षक बनाया गया।
12. विद्यालयों के प्रत्येक अध्यापकों को 1000/- रुपये प्रतिवर्ष देकर, अध्यापन सामग्री तैयार करने, मॉडल बनाने और शिक्षण सुविधाओं के लिए दिए गए हैं ताकि वे अध्यापक का सरल और आकर्षक ढंग से रुचिपूर्वक शिक्षण सफल प्रमाणित हो।
13. **प्रतिवर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण**–R.M.S.A. के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक/प्राध्यापक/प्रिंसिपल और अधिकारियों को प्रतिवर्ष 5 दिन का प्रशिक्षण देकर नई तकनीक और नई जानकारी देकर अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए जागरूक किया जाता है। जिससे वे विद्यालयों, कार्यालयों में नए उत्साह और नई उमंग से कार्य करें। प्रत्येक अध्यापक को 200/- रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण के समय में दिये जाते हैं।
14. संस्था को आकर्षक तथा व्यवस्थित बनाने के लिए मेजर रिपेयर के लिए चार लाख रुपये और माइनर रिपेयर के लिए 40,000/- रुपये प्रदान की जाती है, जिससे विद्यालय का भवन आकर्षक बनाया जा सके।
15. गांव में पढ़ाने वाले अध्यापकों/अध्यापिकाओं को 300/- रुपये प्रतिमास प्रोत्साहित राशि देने की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक पढ़ाने में पूरी रुचि लें।
16. विद्यालय की व्यवस्था और प्रबंध के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष सहयोग देकर विद्यालय प्रबंधन और व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया, जिससे संस्था का कार्य सुचारु एवं नियमित रूप से चलता रहे।
17. नए शिक्षा अभियान में आने वाले राज्यों में 35 अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक अधिकारी को 2.4 लाख प्रति वर्ष वेतन के रूप में दिया जाएगा।
18. सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे राष्ट्र में एक ही योजना बनाई गई जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता बनी रहे। पूरे राष्ट्र में एक समान शिक्षा के समान अवसर और सुविधाएं प्राप्त हों। देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। अपनी प्रतिभा-शक्ति और योग्यता से राष्ट्र निर्माण एवं विकास में पूरा योगदान दे सके। इसलिए देश में सर्व शिक्षा अभियान चला कर सभी नागरिकों को समान शिक्षा के अवसर देकर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके।

◆◆◆

5. **सर्व शिक्षा अभियान का तीसरा चरण कौन-कौन से राज्यों में प्रारंभ किया गया है और क्यों?**
(In which states the of R.M.S.A. Phase–III is implemented and why?)

उत्तर–सर्व शिक्षा के दूसरे चरण से प्रभावित होकर तीसरे चरण का अभियान अधिक विकासशील और पिछड़े राज्यों में प्रारंभ किया है।

सर्व शिक्षा अभियान में कुल 652.70 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। योजना बोर्ड की अनुमति के अनुसार 2009-10 के अनुसार मुख्य ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं पर दिया गया है–

1. नये विद्यालयों में कक्षा IX और X के लिए दो-दो सैक्शनों के लिए चार कमरे बनवाने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक नए अपग्रेड विद्यालय में एक-एक सेक्शन के लिए 2 लाख और दो-दो सैक्शन के लिए चार लाख अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। जो विद्यालय VIII से दर्जा बढ़ाकर दसवीं तक अपग्रेड कर दिए हैं, उनमें नौवीं और दसवीं कक्षाओं के लिए कमरे बनाने का प्रावधान किया गया है।

2. **नए विद्यालय (New School)**–नये विद्यालयों में नये अध्यापकों की नियुक्ति की समस्या होती है। योजना बोर्ड ने नई नियुक्ति के लिए कहा है, ताकि कक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जाएं।

योजना बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े और अग्रणी निम्न 7 राज्यों में नई सर्व शिक्षा अभियान योजना की स्वीकृति दी है। ये निम्नलिखित राज्य हैं–

1. केरल-शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य
2. तमिलनाडु-शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य
3. पंजाब-शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य
4. मिजोरम-शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य
5. छत्तीसगढ़-शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य
6. राजस्थान-शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य
7. उत्तर प्रदेश-शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा राज्य घोषित किया गया है।

अनुभव प्राप्त करने एवं अभियान को सफल बनाने के लिए 7 राज्यों का चयन गया है। इन 7 राज्यों के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया है–

(I) पाठ्यक्रम में सुधार (Curricular Reform)
(II) विद्यालय व्यवस्था में सुधार (परिवर्तन) (School Governance Reform)
(III) परीक्षा प्रणाली में सुधार (Examination Reform)
(IV) कक्षा-कक्षों में सुधारात्मक परिवर्तन (Classroom Transaction)

योजना बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान संचालन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं–

1. कुल खर्च की अनुमति दी गई राशि का 30% से अधिक Maintenance, टूट-फूट, सुधारात्मक कार्यों पर खर्च न किया जाए।
2. बड़ी और छोटी रिपेयर के लिए राशि अनुदान दी गई है।
3. नये विद्यालय में दो कमरे बनाने की अनुदान राशि दी गई है।
4. सेवारत अध्यापकों के लिए शिक्षण की सुविधा दी गई है। ताकि प्रशिक्षण के उपरान्त अध्यापकों में नया उत्साह व ऊर्जा उत्पन्न हो।
5. दूर-दराज के पिछड़े क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए विद्यालयों में आवासीय सुविधाएं हों।
6. विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के लिए प्रवेश पर ध्यान दिया जाए और प्रवेश के बाद माध्यमिक शिक्षा 14-18 वर्ष तक पूरी शिक्षा ग्रहण करें। कोई भी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा से वंचित न रहे।
7. विद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था पर कुल अनुदान राशि 7.5% से अधिक खर्च न किया जाए।
8. विद्यालय व्यवस्था के सुधार एवं शिक्षण प्रबंध के लिए नये अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाए ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन नियमित एवं सुचारू रूप से चलता रहे।
9. नए सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे चरण, राज्यों में उनकी क्षेत्रीय समस्याओं एवं वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जिससे सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों, सभी नागरिकों को अपनी योग्यता, शारीरिक शक्ति, प्रतिभा को विकसित करने का अवसर प्राप्त हो। सुखद एवं प्रसन्नचित जीवन में अपने कर्तव्य और मूल अधिकारों का उपयोग कर सकें। देश एवं विश्व शांति और विकास में अपना योगदान दे सकें। यही सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य है।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER

25% Discount

For first 10 students

Call us on 7206205020

B.Ed
M.Ed
D.Ed

- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

3.2 वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण पर मुद्दे तथा बहस (Issues and Debates on Globalization, liberalization and privatizatioin)

6. वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए।
(What is globalisation? Describe the advantages and disadvantages of Globalisation.)

उत्तर–वैश्वीकरण (Globalization)–वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का ही परिणाम है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप लाना है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक देश विश्व विकास का एक तत्त्व बन सके। वैश्वीकरण का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त व्यापार, पूंजी तथा श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया तथा प्रक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण सिद्ध हो सकता है। वैश्वीकरण राष्ट्रों का आर्थिक विकास करता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा अनुभव का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना किसी हस्तक्षेप के विनिमय हो सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीति संबंधी रणनीतियां (Policy Strategies Promoting Globalization of the Indian Economy)–भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाली महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी रणनीतियां निम्नलिखित हैं–

1. विदेशी निवेश की साम्या सीमा में वृद्धि करना (To Increase in Equity Limit to Foreign Investment)–वैश्वीकरण के उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की साम्या सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51-100 प्रतिशत करने दिया गया है। नई आर्थिक नीति के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले 47 उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बिना किसी प्रतिबंध तथा लाल फीताशाही के 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। निर्यात व्यापार ग्रहों को भी 100 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम (FEMA) लागू किया गया है। अतिरिक्त पूर्जों, कच्चे माल तथा तकनीकी ज्ञान के आयात के मामले में पूंजी निवेश वाली इकाइयों पर सामान्य नियम लागू किए गए हैं।

2. दीर्घकालीन व्यापार नीति (Long Term Trade Policy)–वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विदेशी व्यापार नीति को दीर्घ अवधि के लिए लागू किया गया है। विदेशी व्यापार नीति एक उदार नीति है, जिसके अन्तर्गत विदेशी व्यापार पर लगे सभी प्रकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत कुछ विशिष्ट वस्तुओं के अलावा सभी अन्य वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जा सकता है।

3. आंशिक परिवर्तनीयता (Parlial Convertiblity)–आंशिक परिवर्तनीयता से अभिप्राय है डॉलर अथवा पौंड स्टर्लिंग जैसी विदेशी करेंसी को विदेशी सौदों के लिए बाजार कीमत पर खरीदना तथा बेचना। वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति दी गई है। यह रियायत आर्थिक सुधारों के अनुरूप है।

आर्थिक परिवर्तनीयता निम्नलिखित सौदों के लिए वैध है–

1. वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात व निर्यात करना।
2. निवेश पर ब्याज या लाभांश का भुगतान करना।
3. परिवार के खर्चे के लिए भेजी गई धन राशि।

इसमें पूंजी संबंधी सौदें शामिल नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसे आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता है।

आज विश्व भर में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तकनीकी तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई दें रहे हैं। इनके परिणामस्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। वास्तव में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर अन्तःक्रिया (Interaction) की प्रक्रिया है। यह अन्तःक्रिया विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में हो रही है और इसका कारण है सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में हो रहा विकास।

नाइट (Knight) वैश्वीकरण को इस प्रकार परिभाषित करते हैं–

"वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों के सीमा पार तक बढ़ते प्रवाह के साथ सम्बन्ध रखता है।" (Globalization refers to the increasing flow of technology, finance, trade, knowledge, values and ideas across borders.)

प्रत्येक विचार/व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं तो कुछ कमियां भी। वैश्वीकरण भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे-जैसे यह प्रक्रिया गति पकड़ रही है, वैसे-वैसे इसके अच्छे व बुरे दोनों पहलू हमारे सामने आ रहे हैं।

वैश्वीकरण के लाभ (Advantages of globalization)–इसके निम्नलिखित लाभ हैं–

1. विश्व परिवार की भावना का विकास (Development of the feeling of world Family)–भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही विश्व परिवार की जिस भावना का सन्देश देती रही है उसका विकास वैश्वीकरण के द्वारा हो सकता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत हम अपने विचारों, भावनाओं तथा मूल्यों आदि का आदान-प्रदान करते हैं जिससे परस्पर आत्मीयता की भावना को बढ़ावा मिलता है।

2. प्रतियोगिता की भावना का विकास (Development of the sense of competition)–वैश्वीकरण के कारण विश्व के सभी देशों में दूरियाँ कम हुई हैं। उनमें परस्पर प्रतियोगिता की भावना बढ़ी है और यही स्वरूप प्रतियोगिता की भावना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक शर्त है।

3. शैक्षिक आदान-प्रदान (Educational give and take)–वैश्वीकरण के कारण शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अध्यापक, प्रबन्धक व विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जानते व समझते हैं। इससे दोनों ओर शैक्षिक विचारों का आदान-प्रदान सम्भव होता है और शिक्षा के ढाँचे को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलती है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान (Solution of international problems)–पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं देश विदेश से सम्बन्ध न रखकर पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। वैश्वीकरण से मिल-जुलकर इन समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। इनके लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है तथा परस्पर सहमति से इनका हल खोजने में मदद मिलती है।

5. रोजगार के अवसर (Job opportunities)–वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारत में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

6. जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा (Encouragement to the mobility of manpower)–वैश्वीकरण के कारण सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। एक देश में रहने वाले लोग शिक्षा या रोजगार के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। इससे परस्पर सहयोग, समन्वय व समझ का विकास करने में मदद मिलती है।

7. मुक्त व्यापार को बढ़ावा (Encouragement to free trade)–वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इससे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है।

8. आर्थिक विकास में सहायक (Helpful in economic development)–इससे देश के आर्थिक विकास की गति बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा कोष बढ़ रहा है। निर्यात में भी बढ़ोतरी हो रही है।

9. तकनीकी विकास (Technical development)–विभिन्न देशों के बीच निकटता बढ़ने से नवीन तकनीकी से अवगत होने का अवसर मिलता है। इससे यह प्रेरणा भी मिलती है कि इस वर्तमान तकनीकी में कुछ नया जोड़कर इसे और नया एवं उपयोगी स्वरूप प्रदान किया जाए।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

10. प्रजातान्त्रिक मूल्यों का विकास (Development of Democratic Values)—वैश्वीकरण से प्रजातान्त्रिक मूल्यों को विकसित करने में मदद मिलती है। प्रजातन्त्र समानता, स्वतन्त्रता, न्याय व भाईचारे की भावना में विश्वास करता है। वैश्वीकरण के कारण विश्वभर में इन मूल्यों का विकास होता है।

11. सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास (Development of cultural tolerance)—विश्व में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों से सम्बन्ध रखने वाले लोग दूसरों की संस्कृतियों का आदर करते हैं और उसमें जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति का भी उनमें विकास होता है।

12. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा (Encouragement in international tourism)—वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों के बीच नजदीकियाँ बढ़ी हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।

13. वैश्विक जन संचार (Global transportation)—वस्तुओं का आदान प्रदान भी सुगमता से होने लगा है।

इस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रही है। भारत में विशेष रूप से शिक्षा का क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ उनकी प्रतियोगिता होगी। इससे भारतीय विश्वविद्यालयों की गुणात्मकता में सुधार होगा। नवीन पाठ्यक्रमों को शिक्षा में शमिल किया जाएगा, जिससे शिक्षा अधिक व्यापक एवं उपयोगी हो जाएगी।

वैश्वीकरण के लाभ ही नहीं हैं; इसके अनेक दुष्प्रभाव/दोष/कमियाँ भी हैं। इन पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है।

वैश्वीकरण के दोष/हानियाँ
(Demerits/Disadvantages of globalization)

1. सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट (Downfall in cultural values)—जैसे अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय अपनी संस्कृति को भुलाकर पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग गए थे वैसे ही वैश्वीकरण के कारण भी यह सम्भावना है कि लोग पाश्चात्य संस्कृति का अन्धानुकरण करें व अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भुला दें।

2. प्रतिभा पलायन (Brain Drain)—वैश्वीकरण के कारण विदेश जाने के अवसर बढ़े हैं। इससे यह सम्भावना भी है कि भारत के प्रतिभाशाली युवा विदेशों में पलायन कर जाएं जो कि भारत के लिए एक बड़ी क्षति होगी।

3. महंगी शिक्षा (Expensive Education)—यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि विदेशी शिक्षा संस्थाएं भारत में आकर जो शिक्षा देंगी वह महँगी व सामान्य भारतीय की पहुँच से बाहर होगी। यह भी सम्भव है कि धीरे-धीरे ये संस्थाएँ भारतीय शिक्षा संस्थाओं पर हावी हो जाएं।

4. अध्यापक व विद्यार्थी के बीच दूरी (Distance between teacher and students)—शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी का प्रयोग बढ़ा है। दूर-संचार साधनों के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी हैं। इससे अध्यापक व विद्यार्थी के बीच दूरियाँ बढ़ी हैं। भारतीय शिक्षा के लिए इसे शुभ संकेत नहीं माना जा सकता।

5. हिन्दी भाषा की उपेक्षा (Negligence of Hindi)—वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बढ़ा है। इससे हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी की उपेक्षा हुई हैं।

6. सामाजीकरण की प्रक्रिया-धीमी (Slow process of socialization)—जब बच्चे संचार माध्यमों से शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं तो धीरे-धीरे उनमें समूह में रहने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जो उनके सामाजीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देती है।

7. धन का असमान वितरण (Unequal distribution of wealth)—वैश्वीकरण के कारण धनी अधिक धनी होते जाते हैं। धन उनके पास ही संग्रहीत होता रहता है। सामान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया के लाभों से वंचित रहता है।

8. विकसित एवं विकासशील देशों की आय में अन्तर (Difference in income of developed and developing countries)—वैश्वीकरण की एक कमी यह है कि इससे विकसित एवं विकासशील देशों की आय के बीच दूरी बनी रहती है। दूसरे शब्दों में विकासशील देशों को इसका पर्याप्त लाभ नहीं मिलता।

9. मूल्यों में गिरावट (Downfall in Values)—यदि विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रतियोगिता अस्वस्थ (unhealthy) हो जाती है तो प्रत्येक राष्ट्र जैसे भी सम्भव हो स्वयं अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। इससे मूल्यों में गिरावट को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—अन्त में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रत्येक विचारधारा के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। वैश्वीकरण के सन्दर्भ में भी यह बात सही है। यद्यपि इसकी कुछ हानियाँ भी हैं पर इसके महत्त्व से इंकार नहीं किया जा सकता। वैश्वीकरण आज के समाज की आवश्यकता है। यदि विभिन्न राष्ट्र मिल कर प्रयास करें तो इसकी हानियों से बचा जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राष्ट्र आपसी भेद-भावों व स्वार्थों को भुलाकर विश्व-परिवार की भावना से कार्य करें तो वैश्वीकरण के सही लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।

◆◆◆

3.3 सामान्य विद्यालय प्रणाली
(Common School System)

7. सामान्य स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं? सामान्य निकटवर्ती स्कूल की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए।
(What do you understand by common school? Write a short note on need of common neighbourhood school.)

अथवा

समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व का वर्णन कीजिए।
(What is Inclusive Education? Describe the need and importance of Inclusive Education.)

उत्तर—सामान्य स्कूल का अभिप्राय समावेशी स्कूल से है जहां समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्त्व है।

शिक्षा-शास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए। अतः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक सम्भव हो इस प्रकार के बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए ताकि उनमें हीन भावना न आए और मुख्य धारा से अलग न हों।

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वे एकदम से पहचाने जाते हैं लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफी मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं का देश की उन्नति में योगदान कर सकें।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

इस बात की आवश्यकता है कि 3 Rs (Reading, Writing and Mathematics) के साथ विशिष्ट बालक किसी भी क्षेत्र में दूसरे सामान्य बालकों से पीछे न रहें। असमर्थ बालकों के लिए 'विशेष विद्यालयों' की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, लेकिन जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है तो यह महसूस किया गया कि हमें इन विशिष्ट बालकों को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। **क्रुक शंक (Cruik Shank)** के अनुसार, **"विशिष्ट बालकों की शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा का हिस्सा है।"** उनके अनुसार जहाँ तक मुमकिन हो विशेष कक्षाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। विशेष कक्षाएं तभी लगानी चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता न हो।

समावेशी शिक्षा का प्रत्यय अभी नया-नया है तथा सामान्य लोगों ने इसका महत्त्व समझना शुरू कर दिया है। स्वयं-सेवी संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। शिक्षाशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा देनी चाहिए। छात्र को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उसको न केवल सामान्य अध्यापक की सुविधाएँ उपलब्ध होती है बल्कि उसके लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अमेरिका में 1975 ई. अमेरिकन कांग्रेस ने 'प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा' का एक कानून पास किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अक्षम बालकों को देश की मुख्य-धारा (Main-Streaming) से जोड़ना था। मुख्य-धारा से यह अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़ें तथा उनको विशेष प्रकार की सहायता दी जाएगी।

भारत में भी 'समावेशी शिक्षा' अमेरिका के 'मुख्यधारा-आन्दोलन' का ही परिणाम है। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य-धारा में लाना है। आंशिक रूप से अपंग बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने तथा उनकी अच्छी देखभाल, अध्यापक तथा दूसरी सहायता देने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि कम अपंग बालकों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समावेशी व मुख्य-धारा की आवश्यकता है।

समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत सभी प्रकार के असमर्थ बालकों को सामान्य कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि असमर्थ बच्चों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जाए जब वहाँ का वातावरण उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो और वे अपने आपको दूसरे बच्चों से अलग महसूस न करें।

विशिष्ट बच्चों की कौंसिल (Council for Exceptional Children) ने कम असमर्थ बच्चों को मुख्य-धारा में लाने की निम्न आवश्यकताएँ बताई हैं।

- प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा प्रदान की जाए।
- बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए।
- ऐसे साधन अपलब्ध करवाना जिससे कक्षा कक्ष से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं को दूर कर सकें।
- स्थायी अध्यापकों व विशेष शिक्षक की योग्यताओं का लाभ इन बालकों को अवश्य मिले।

मुख्य-धारा को विद्यालयी वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग अति आवश्यक है। यह सब माता-पिता, अध्यापकों, प्रबन्धकों के सहयोग एवं प्रयास से ही संभव हो सकता है कि असमर्थ बच्चों को मुख्य-धारा से जोड़ा जाए तथा उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

समावेशी शिक्षा का अर्थ
(Meaning of Inclusive Education)

- असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ-साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना।
- स्थायी अध्यापकों व प्रशासकों को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना।
- एक समान समय-सारणी लागू करना।
- असमर्थ बालकों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे म्यूजिक, कला, भ्रमण तथा व्यायाम आदि में शामिल करने का प्रयास करना।

- असमर्थ बालकों के लिए भी ऐसे प्रबन्ध करना कि वह भी लायब्रेरी, खेल के सामान तथा खेल के मैदान आदि का समान रूप से प्रयोग कर सकें।
- समर्थ तथा असमर्थ बालकों में स्वस्थ दोस्ती का रिश्ता समर्थ बालकों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना।
- इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बालक भी इसी समाज का अंग हैं तथा उनको शिक्षित करना आपका भी कर्तव्य है।
- प्रत्येक बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएँ अलग-अलग होती हैं।
- जहाँ तक सम्भव हो असमर्थ बच्चों को सामान्य कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए।
- प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना ताकि वह अपने आपको हीन न समझे।
- माता-पिता की समय-समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए।

समावेशी शिक्षा की प्रकृति
(Nature of Inclusive Education)

- समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है।
- इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है।
- समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं अर्थात् असमर्थ और सामान्य बालक साथ-साथ पढ़ते हैं।
- जो सुविधाएँ सामान्य बालकों को प्राप्त होती हैं, वे सुविधाएँ असमर्थ बालकों को भी प्राप्त होती हैं।
- इस शिक्षा से बालकों को विद्यालय का स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है।
- शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है।
- इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है।
- सामान्य एवं असमर्थ बालकों द्वारा एक-दूसरे को समझने से आपसी सूझ-बूझ का विकास होता है तथा सामान्य बालक असमर्थों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं।

समावेशी शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Inclusive Education)

समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- बालकों में आत्म-निर्भरता की भावना का विकास करना।
- असमर्थों को शिक्षित करके देश की मुख्यधारा से जोड़ना।
- असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना।
- जागरूकता की भावना का विकास करना।
- प्रजातान्त्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- समाज में असमर्थ बालकों में फैली भ्रान्तियों को दूर करना।
- असमर्थ बालकों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाना।
- असमर्थ बालकों को आत्म-निर्भर बनाकर उनके पुनर्वास का प्रबन्ध करना।
- बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना।

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता
(Need of Inclusive Education)

पहले ऐसे माना जाता था कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ सामान्य बालकों से अलग होती है। उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है जो उनको उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बराबर अवसर प्रदान करने की अपेक्षा पृथकता की भावना पैदा करती है। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में हीन भावना पैदा होती है। समावेशी शिक्षा का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है–

1. शैक्षिक वातावरण (Academic Atmosphere)–जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आपको विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम हैं। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है।

2. कम खर्चीली (Less Expensive)–भारत एक विकासशील देश है तथा विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबन्ध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफी सुविधाएँ पहले से ही उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है।

3. मानसिक विकास (Mental Growth)–असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है। लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने से उनमें हीनभावना का विकास नहीं होता, बल्कि आत्म-सम्मान की भावना का विकास होता है।

4. सामाजिक मूल्यों का विकास (Development of Social Values)–शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं है, बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में सामाजीकरण की भावना का विकास होता हैं। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाई-चारा आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है।

5. समानता का सिद्धान्त (Principle of Equality)–भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना अति आवश्यक है।

6. प्राकृतिक वातावरण (Natural Environment)–सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लग जाते हैं तथा असमर्थ बालक अपने आपको सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ-साथ उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का प्रबन्ध भी करना चाहिए।

◆◆◆

3.4 शिक्षा का व्यवसायीकरण
(Vocationalisation of Education)

8. शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता तथा महत्त्व पर प्रकाश डालिए। विभिन्न आयोगों ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए क्या सुझाव दिए हैं?
(What do you understand by Vocationalisation of Education? Highlight its need and importance. Discuss the suggestions of various commissions for Vocationalisation of Education.)

अथवा

शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है? हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को यह कैसे पूरा करता है?
(What is the importance of vocationalization of education? How can it future the needs of our country.) (C.R.S.U. 2018)

उत्तर–माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर भारत सरकार ने कई आयोगों का गठन ही नहीं किया अपितु उनकी सलाहों पर कार्य भी किया। परन्तु फिर भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर **'कोठारी कमीशन 1964-66'** द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आयोग का कथन है, **"बार-बार सलाह देने के पश्चात् भी दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को एक घटिया किस्म की शिक्षा समझा जाता है और अभिभावक तथा विद्यार्थियों का सबसे आखिरी चुनाव होता है।"**

("Despite repeated exhortation, it is unfortunately still felt that vocational educational at school level is an inferior form of Education and the last choice of parents and students."—Kothari Commission–1964–66.)

किसी भी देश की तरक्की व खुशहाली उसकी शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रथम प्रयास होता है कि उसके देश की शिक्षा श्रेष्ठ हो। इस विचारधारा में भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत देश के लिए समुचित शिक्षा आज सभी की मुख्य इच्छा है। ऐसा नहीं है कि समुचित शिक्षा भारतीयों की केवल इच्छा मात्र है, अपितु इसे प्राप्त करने के लिए भरसक व हर संभव प्रयास किए गए हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् तो ये प्रयास अति तीव्रगामी हो गए थे। जैसे ही देश स्वतन्त्र हुआ था, भारतीय नेताओं तथा मनीषियों ने शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का भरपूर प्रयास किया। स्वतन्त्रता से पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए थे, परन्तु वे केवल स्वार्थ के वशीभूत थे। अंग्रेजी सरकार शिक्षा के माध्यम से केवल सस्ते लिपिक (Clerks) तैयार करने तक सोचती थी। महात्मा गाँधी की आधारभूत शिक्षा प्रणाली शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर लक्ष्य करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य उस शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना था जो शिल्प पर आधारित हो। इसलिए शिक्षा में बुनना, सिलाई-कढ़ाई तथा कृषि आदि को सम्मिलित किया गया। सम्पूर्ण शिक्षा शिल्प पर केन्द्रित होती थी। इस

www.bmdeducation.org

प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ जीवन-यापन में सहायक होती थी। परन्तु ऐसे विद्यालयों में वास्तविक अधिगम अपेक्षाकृत कम होता गया। इसका परिणाम यह निकला कि मूलभूत शिक्षा अपना महत्त्व खोती गई। यही कारण था कि आज के तीव्र गति से बदलते युग में शिक्षा के व्यवसायीकरण को नए तरीकों से सोचा गया। इस नई सोच के अनुसार शिक्षा में व्यवसायीकरण माध्यमिक स्तर पर ही लागू किया जाना था। भारत में उन विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है जो माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के बाद या बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे में यदि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषयों को पढ़ाया जाता है तो वे विद्यार्थी जो माध्यमिक स्तर पर या इसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, तो वे कम-से-कम अपनी आजीविका कमाने में तो समर्थ हो सकते हैं।

व्यवसायीकरण का अर्थ *(Meaning of Vocationalisation)*

व्यवसायीकरण का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है—किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण। अर्थात् विद्यार्थी को कोई एक व्यवसाय सिखाना ताकि वह अपना जीवन-यापन सुगमता से कर सके। विस्तार से यदि व्यवसायीकरण को देखें-समझें तो इसका अर्थ होता है—शिक्षा के साथ-साथ उन कोर्सों की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ किसी व्यवसाय में भी कुशल व्यक्ति बनाए। कोठारी कमीशन ने व्यवसायीकरण के व्यापक स्वरूप को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार व्यवसायीकरण का अर्थ है, **"हम यह देखते हैं कि भविष्य की विद्यालयी शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा व तकनीक शिक्षा के लाभप्रद संयोग में है, जिसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से शामिल हैं और परिणामस्वरूप सामान्य शिक्षा का तत्त्व आ जाता है। हम जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, उसमें इन दोनों प्रकार की शिक्षा को अलग-अलग करना अनुचित ही नहीं वरन् असम्भव होगा।"**

शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ उस शिक्षा से है जो विद्यार्थी को किसी व्यवसाय में निपुण व समर्थ बनाती है। परन्तु माध्यमिक स्तर पर व्यवसायीकरण का अर्थ भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से लिया है। कुछ लोग इसे किसी व्यवसाय विशेष में प्रशिक्षण देने से लेते हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य किसी विशेष पाठ्यक्रम के सुखान्त पर कोई काम शुरू करने के लिए किसी व्यापार कला, कौशल या किसी व्यवसाय आदि का सीखना है। परन्तु दूसरे समूह के लोग माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ व्यावसायिक प्रशिक्षण से समझते हैं। परन्तु यह दृष्टिकोण अति संकीर्ण तथा संकुचित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ऐसा महसूस किया कि ऐसे विद्यालयों में शिक्षण कार्यक्रम एक निश्चित व्यावसायिक कार्यक्रम से जुड़े होंगे, क्योंकि ये विद्यालय मात्र व्यावसायिक विद्यालय मात्र नहीं हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने यह महसूस किया कि विद्यालय स्तर पर भविष्य में साधारण शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में पूर्व व्यावसायिक तथा तकनीकी तत्त्व शामिल होंगे और व्यावसायिक शिक्षा साधारण शिक्षा का तत्त्व बनाए रखेगी। इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण अलगाव का सोचना भी अवांछनीय तथा असंभव है।

व्यवसायीकरण की आवश्यकता *(Need of Vocationalization)*

प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रयास होता है कि उसके राष्ट्र की शिक्षा का ढाँचा उन्नत तथा सक्षम हो ताकि यह सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा माँगों को पूरा कर सके। इसलिए देश में एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि यह विशेष शिक्षा अर्थात् व्यवसायीकरण शिक्षा कई प्रकार से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। जिन क्षेत्रों में व्यवसायीकरण की आवश्यकता है वे निम्नलिखित हैं—

1. आर्थिक विकास के लिए (For economical development)—भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने खुले दिल से अपने तीनों गुणों शक्ति, सुन्दरता तथा ताकत को भरपूर मात्रा में दिया है। परन्तु इतने अच्छे तथा सशक्त प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है, जितना इसे होना चाहिए था। इस अवनति का एक मुख्य कारण प्रशिक्षित मानवीय शक्ति का

न होना है। यह भी सत्य है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है और प्रकृति ने भी इसे दोनों हाथों से सींचा है। परन्तु हमारी अयोग्य शिक्षा प्रणाली वह कारण है, जिससे देश आर्थिक विकास की बुलन्दियों को छू नहीं पा रहा है।

अब समय आ गया है जब हमें हमारे छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक तथा व्यावहारिक रूप से कुशल बनाना होगा ताकि वे औद्योगिक तथा तकनीकी उन्नति की योजनाओं में सार्थक योगदान देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त तथा खुशहाल बना सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के चार मुख्य लक्ष्यों में से 'उत्पादन वृद्धि' को लक्ष्य साधकर उसकी प्राप्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने की सिफारिश की है।

2. बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए (To solve the problem of unemployment)—भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सक्षम है। अतः शिक्षा में व्यवसायीकरण से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। निःसन्देह व्यवसायीकरण विद्यार्थियों को किसी एक व्यवसाय में निपुण बनाती है। **महात्मा गाँधी** के अनुसार, **"शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए।"**

("The true education ought to be for the students a kind of insurance against unemployment.")

3. विद्यार्थियों की योग्यताओं, रुचियों तथा गुणों को प्रशस्त करने के लिए (For the development of the abilities, interests and talents of the students)—आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने से विद्यार्थी अपनी-अपनी विशेष पसन्द तथा रुचियों के अनुरूप प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने के साथ उनकी छुपी हुई क्षमताओं को भी विकसित करेगा।

4. आत्मसंतुष्टि (Self satisfaction)—अपने आपको मानव केवल उस समय आत्मसंतुष्ट समझता है जब उसे अपनी पसन्द का व्यवसाय मिल जाए और शिक्षा में व्यवसायीकरण से विद्यार्थियों को पूरा नहीं तो कुछ हद तक उसकी रुचि के अनुरूप कोई-न-कोई व्यवसाय मिल ही जाता है।

5. नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास (Moral and cultural development)—यदि मानव की मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी-कपड़ा और मकान, पूरी हो जाती हैं तो नैतिकता व संस्कृति की बात सोचता है और शिक्षा के व्यवसायीकरण से विद्यार्थी अपनी पसन्द का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें धन के साथ-साथ संतुष्टि भी दे सकता है और आर्थिक रूप से सबल होने पर नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।

6. बौद्धिक विस्तार (Intellectual development or enhancement)—शिक्षा में व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। एक बार रोजगार प्राप्त होने पर वे दूसरे क्षेत्रों (Fields) में भी कार्य करने की सोच सकते हैं। ऐसा करने से तथा दूसरे क्षेत्रों में रुचि लेने से उनका बौद्धिक विस्तार स्वतः ही हो जाता है।

7. शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना (Making educational process meaningful)—शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए व्यवसायीकरण अति आवश्यक है, क्योंकि व्यवसायीकरण शिक्षा की प्रक्रिया को दिशा देने में सक्षम है। यही कारण है कि शिक्षा व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है।

8. माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए (For making secondary education a self-sufficient course)—वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक शैक्षिक होने के कारण इसका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने मात्र तक सीमित होकर रह गया है। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो हम पाएँगे कि इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पढ़कर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों की संख्या

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

25% भी नहीं होती है। माध्यमिक शिक्षा के तुरन्त बाद वे रोजी-रोटी कमाने की सोचते हैं, इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा कार्यक्रम को व्यावसायिक स्वरूप देकर इस दिशा में कुछ प्रशिक्षण जरूर दिया जाना चाहिए।

व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य
(Objectives of Vocational Education)

छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, व्यावसायिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए—

(i) आर्थिक रूप से ससंगत तकनीकी कौशल सीखना।
(ii) कमाते हुए सीखना।
(iii) रोजगार मुख्य रूप से स्वयं रोजगार के अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना।
(iv) मानवीय श्रम की गरिमा समझना।
(v) सामाजिक क्रियाकलापों द्वारा सीखना।
(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं में नई सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर देना।

◆◆◆

3.5 त्रिभाषा सूत्र
(Three Language Formula)

9. भाषाओं और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या व्यवस्था की गई है?
(What preparation has been done for the languages and three languages in education system for secondary education?)

अथवा

भारत में भाषाओं और त्रिभाषा की माध्यमिक शिक्षा में क्या (फार्मूला) व्यवस्था दी गई है, वर्णन कीजिए।
(Explain the languages and three languages formula for secondary education in India.)

उत्तर—भारत विभिन्नताओं का देश है, परंतु विभिन्नताओं में भी एकता है। भारत में प्राकृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातियाँ, रहन-सहन, वेश-भूषा और बोलियों (भाषाओं) में विभिन्नता है। कई प्रदेशों, क्षेत्रों की अपनी भाषाएं और लिपियां हैं। परंतु पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। जिन प्रदेशों, क्षेत्रों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां हिन्दी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लागू किया गया है। जिन क्षेत्रों, प्रांतों की मातृभाषा हिन्दी है, उन क्षेत्रों और प्रांतों में हिन्दी भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आदि प्रांतों में हिन्दी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, बंगाल, केरल, मद्रास में हिन्दी-देवनागरी लिपि को दूसरी भाषा के रूप में अपनाया गया है।

पशु-पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, जिसे वे बिना सिखाए ही अपने परिवेश में स्वयं ही सीख जाते हैं, उसी प्रकार जन्म के बाद बच्चे भी पारिवारिक परिवेश में अपनी मातृभाषा को बिना सिखाए धीरे-धीरे स्वयं ही सीख जाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र व प्रदेश में मातृभाषा को प्रथम भाषा का दर्जा दिया जाता है। हिन्दी भाषी प्रदेशों (राज्यों) में हिन्दी भाषा व लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है। जिन राज्यों में मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन राज्यों में उनकी मातृभाषा व लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है।

भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि है, इसलिए उन प्रदेशों (राज्यों) में हिन्दी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। देश की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है, इसलिए हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है।

हिन्दी प्रदेशों (राज्यों) में द्वितीय भाषा प्रदेश की इच्छानुसार सीखने की स्वतंत्रता है। जैसे—हरियाणा में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू आदि को दूसरी भाषा के रूप में ग्रहण किया जाता है।

तीसरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार, व्यवहार, पत्राचार, भ्रातृत्व और शान्ति स्थापना एवं राजनैतिक व्यवहार, विचार, व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक सूत्र में स्थान दिया गया है, क्योंकि भारत में 1947 से पूर्व अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी भाषा का प्रभाव था, इसलिए भारत में अंग्रेजी को तीसरी भाषा सूत्र में स्वीकार किया गया है। विश्व में आज भी अंग्रेजी भाषा को व्यापार, व्यवहार और राजनीतिज्ञ दृष्टि से संसार में उच्च स्थान दिया गया है।

हिन्दी भाषा को हिन्दी भाषी राज्यों में प्रथम भाषा और देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया है।

अहिन्दी राज्यों में हिन्दी राष्ट्रीय भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया है। हिन्दी भाषा पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिवार्य भाषा है। तीसरी भाषा अंग्रेजी है। पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा नीति में तीन भाषायी सूत्र को अपनाया गया है, जिससे मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय तीनों भाषाओं का ज्ञान हो, ताकि जन्मभूमि से लेकर पूरे विश्व में कार्यकुशलता, योग्यता और क्षमतानुसार व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और राजनैतिक विकास में पूर्ण अवसर प्राप्त हों। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि ने त्रिभाषी सूत्र और योग्यता से विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है।

1. स्थानीय पारिवारिक भाषा को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसका बिना अधिक प्रयास किए स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। इसके बोलने, लिखने और पढ़ने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। मातृभाषा का ज्ञान स्थानीय व क्षेत्रीय प्रवेश के लिए जानना आवश्यकता है।
2. पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि है। पूरे देश में प्रचार और प्रसार व्यवहार और व्यापार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को सम्मिलित करना अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण है। पूरे विश्व में अंग्रेजी के बाद हिन्दी दूसरी भाषा है जिसे पूरे विश्व बोला जाता है।
3. भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था, लार्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने पर बल दिया। अंग्रेजी को शिक्षा प्राप्ति का माध्यम बनाया गया।

स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अंग्रेजी को बहुत अधिक महत्त्व देने वाले नागरिक हैं, जिन पर आज भी गुलामी का प्रभाव (छाप) है। केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में आज भी अंग्रेजी भाषा को महत्त्व दिया जा रहा है। इन राज्यों के नागरिक हिंदी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को महत्त्व एवं प्राथमिकता देते हैं बहुत दुख और चर्चा का विषय है कि आज इक्कसवीं सदी में भी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को व्यवहार में लाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।

विशेष कथन—यदि पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को, राष्ट्रीय व्यवहार और व्यापार, विचारों के आदान-प्रदान में सहर्ष स्वीकार कर लें तो आने वाले समय में, पूरे देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा ही नहीं, बल्कि मातृभाषा हो सकती है, जिससे पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा के प्रति विशेष प्रेम भावना और श्रद्धा बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय एकता को भी अधिक बल मिलेगा। देश के विद्यार्थियों को एक भाषा अधिक सीखने से छुटकारा मिल जाएगा। तीन भाषाएं सीखने की अपेक्षा पूरे विश्व में राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय दो भाषाएं सीखने से आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। विद्यार्थियों का एक तृतीय भाषा सीखने का भार कम हो जाएगा। तीसरी भाषा सीखने की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा एवं वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने और नए आविष्कार करने के लिए समय का सदुपयोग करने का अवसर मिलेगा।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

उदाहरण के लिए विश्व में जिन नागरिकों की मातृभाषा अंग्रेजी है। उनकी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी अंग्रेजी ही है। इसलिए तीन भाषाएं सीखने की अपेक्षा अकेली अंग्रेजी भाषा ही त्रिभाषा फार्मूले (सूत्र) का कार्य पूरा करती हैं। वहां तीन भाषाएं सीखने से छुटकारा मिल रहा है।

उन्हें तीन भाषाएं सीखने में समय लगाने की अपेक्षा वैज्ञानिक शिक्षा, नई-नई तकनीक और नये-नये अनुसंधान करने के लिए उपयुक्त समय उपलब्ध होगा। परंतु भारत में जब तक पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी, देवनागरी लिपी को मातृभाषा के रूप में सहर्ष स्वीकार नहीं करते तब तक तृतीय भाषा का भार विद्यार्थियों को ढोना ही पड़ेगा।

वर्तमान में पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी लिपि देवनागरी को लिखना पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों की स्वयं ही मातृभाषा हिंदी हो जाएगी। इसलिए तीसरी भाषा सीखने का भार कम करके उस समय को उपयोगी, अनिवार्य, रोजगार परक विषय सीखने एवं नए-नए अनुसंधान व अविष्कार करने में सदुपयोग किया जा सकता है। जिससे देश का तीव्र गति से विकास होगा और विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित होगी।

◆◆◆

3.6 मुक्त अधिगम तथा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था (Open learning and Distance Education System)

10. दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है? दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता, गुणों तथा अवगुणों पर प्रकाश डालिए। (What is the meaning of distance education? Throw light on the need, merits and demerits.)

उत्तर—शिक्षा एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यदि उसके क्षेत्र को विद्यालय प्रांगण या चार दीवारी तक सीमित रखने की सोचें तो यह विचार बेमानी होगा। आज शिक्षा वह प्रक्रिया नहीं रही है जिसे केवल कमरों में दिया जाता था। वर्तमान में इसका क्षेत्र अति विस्तृत हो चुका है। इसके विस्तार का एक कारण जनसंख्या विस्फोट भी है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, अशिक्षित लोगों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि होती गई। देश को अज्ञानता तथा अनपढ़ता जैसे अभिशापों से मुक्त कराने के लिए शिक्षा के क्षेत्र को विस्तृत बनाया गया। पत्राचार शिक्षण अथवा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) वस्तुतः शिक्षा की उस व्यापक धारणा का परिणाम है। यदि वास्तव में देखा जाए तो हम पाएँगे कि शिक्षा केवल विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में या फिर पत्राचार के माध्यम से ही नहीं दी जाती है, अपितु शिक्षा तो हर पल हर क्षण प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त करता रहता है।

भारत जब से स्वतन्त्र हुआ है, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने का प्रयास निरंतर चल रहा है। चौदह वर्ष तक की आयु के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सदैव ही देश का नारा रहा है। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके पीछे भौतिक, प्राकृतिक तथा निजी कारण हो सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट, जानकारी विस्फोट मानवता के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों को कुछ हद तक दूरस्थ शिक्षा ने हल करने में सफलता प्राप्त की है। इन समस्याओं का निवारण दूरस्थ शिक्षा ने कैसे किया, इसकी जानकारी से पहले यह जानना कि दूरस्थ शिक्षा क्या है? उसका अर्थ तथा धारणाएँ कौन-कौन सी हैं? ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करते हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या है?

दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एवं धारणा
(Meaning and Concept of Distance Education)

दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसके माध्यम से उन दूर-दराज के लोगों को शिक्षित किया जाता है जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। इस शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षार्थी को किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला लेना नहीं पड़ता, अपितु वे अपने निवास स्थान पर रहते हुए ही पत्राचार, टेपरिकॉर्डर, आकाशवाणी, दूरदर्शन और वी.डी.ओ. कैसेट्ज की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस शिक्षण-विधि में अध्यापक तथा विद्यार्थियों को आमने-सामने (Face to Face) आने की जरूरत नहीं पड़ती है। विद्यार्थी अपनी सभी समस्याओं का हल ऊपर विवेचित साधनों से स्वतः ही कर लेता है।

प्राचीन काल से ही हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था रही है। समय के साथ-साथ इसका भी स्वरूप बदलता रहा है। वर्तमान में यह पद्धति अत्यधिक विकसित हो चुकी है। प्राचीन काल में जहाँ ऋषि-मुनि ज्ञान देने के लिए गाँव-गाँव जाते थे या अपनी कुटियां में रहकर ज्ञान देते थे, वहीं आधुनिक समय में विद्यार्थी पत्राचार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं।

आज भारत में जिस दूरस्थ शिक्षा का प्रसार हो रहा है वास्तव में उसकी शुरुआत बर्लिन जर्मनी में 1856 में हुई थी। चार्ल्स टासेन्ट (Charles Taussaint) ने पत्राचार द्वारा भाषा शिक्षण शुरू किया। 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक (last decade) में विस्कासिन विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार के माध्यम से एक उच्च शिक्षा की योजना को कार्यान्वित किया गया। परन्तु रूस संसार का पहला देश है जहाँ सरकार द्वारा पत्राचार व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी दी। रूस में जब इस शिक्षा को सफलता मिली तो दुनिया के दूसरे देशों ने भी इसे अपना लिया।

यदि भारत में दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत देखें तो पाएँगे कि यहाँ सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उसकी शुरुआत हुई थी। सन् 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय (Directorate Correspondence Course) की स्थापना की गई और इसके द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम कोर्स आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मैसूर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों ने पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये। अब तो देश के कई राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था भी पत्राचार द्वारा की जाने लगी है। परन्तु यह बात हमें स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा का विकल्प नहीं है। दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है। यही कारण था कि 1986 में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह घोषणा की गई कि दूरस्थ शिक्षा पर भविष्य में पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा।

इस शिक्षा प्रणाली के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। उनके अनुसार यह प्रणाली क्या है? इसे जानने के लिए आइए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करें।

एफ.रीव.एर्डोस (F.Revce Erdor) के शब्दों में, **"पत्राचार शिक्षण विधि ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें अध्यापक ऐसे विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने का दायित्व सम्भालता है, जो मौखिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते बल्कि ऐसे समय तथा स्थान पर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जो उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुरूप हो।"**

("Correspondance teaching is a method of teaching in which the teacher bears the responsibility of importing knowledge and skill to a student who does not receive instruction orally but who studies in a place and a time determined by his individual circucumstances."—F.R. Derdos)

होलमवर्ग ने (1981) में दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी थी, **"सभी स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार जो पढ़ाने वालों के निरन्तर एवं शीघ्रगामी निरीक्षण के अधीन नहीं होते जो अपने विद्यार्थियों के साथ भाषण कक्षों अथवा समान स्थानों पर उपस्थित होते हैं लेकिन फिर भी जो शैक्षणिक संगठन की योजना, मार्गदर्शन एवं अध्यापन से लाभान्वित होते हैं।"**

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

डेविड बटस (David Butts) के अनुसार, **"दूरस्थ शिक्षा शैक्षणिक तकनीक के लिए बनाई गई कौंसिल के अनुसार खुले रूप से सीखने का एक प्रकार है और खुले रूप से सीखने की प्रणालियों की व्याख्या उन रूपों में की जाती है जो विद्यार्थियों को उनकी पसन्द के कार्यक्रमों को जहाँ और जब वे चाहें और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल गति पर पढ़ने के लिए लचकदार एवं स्वतन्त्र तरीके भेंट करती है।"**

प्रो. एस.एस. चिब (Prof. S.S. Chib) के अनुसार पत्राचार शिक्षा में निहित दर्शन निम्नलिखित हैं :–

(i) कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा, छोटा, बूढ़ा, शर्मीला या कमजोर नहीं होता जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हो।

(ii) शिक्षा जीवनपर्यन्त प्रक्रिया (life-long process) है।

(iii) शिक्षा को एक विशेष अवधि में पूरा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(iv) कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण नहीं होता और न ही उसका ज्ञान सम्पूर्ण होता है। उसके लिए भी सीखने की नई विधियाँ तथा धारणाएँ हर समय वर्तमान रहती हैं, केवल उन्हें ढूँढ़ना होता है।

(v) शिक्षा के लिए किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना अनिवार्य नहीं है।

(vi) एक प्रौढ़ को इस बात का मान होना चाहिए कि न पढ़ने से उसका कितना नुकसान तथा अहित हुआ है।

इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि दूरस्थ शिक्षा परम्परागत शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। परम्परागत अध्यापन में; अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। परन्तु दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक एवं विद्यार्थी अलग-अलग समय पर सक्रिय होते हैं। अध्यापक जब विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नोट्स (Notes) तैयार करता है तब वह सक्रिय होता है उसके विपरीत विद्यार्थी जब इन नोट्स को पढ़ता है तो उसकी सक्रियता एक तरफी होता है। परन्तु अलग-अलग सक्रियता का परिणाम सुखद होता है, क्योंकि इससे दोनों अध्यापक एवं विद्यार्थी लाभांवित होते हैं।

दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता
(Need for Distance Education)

आज के इस वैज्ञानिक युग में कोई भी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनपढ़ तथा अशिक्षित नागरिकों के बलबूते पर अपना अस्तित्व बनाकर नहीं रख सकता। लेकिन यह भी सही है कि कोई भी राष्ट्र इतना सबल नहीं है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक के लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय की सुविधा प्रदान कर सके। ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा ही एकमात्र साधन है, जिसके माध्यम से दूर-दराज के लोगों को भी शिक्षित किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा निःसन्देह 20वीं सदी की देन है, परन्तु इसकी आवश्यकता 21वीं सदी में ज्यादा महसूस की जा रही है। आधुनिक युग में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने के महत्त्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं :–

1. जनसंख्या विस्फोट (Population explosion)–1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 42 करोड़ थी। परन्तु वर्तमान में यह लगभग 110 करोड़ पार कर चुकी है। या यूँ कहिए कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। इस जनसंख्या विस्फोट का यह आलम है कि सन् 2050 तक हम जनसंख्या की दृष्टि से चीन से आगे निकल चुके होंगे। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में भी निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है। यही कारण है कि देश में हर साल अनेकों नए विद्यालय एवं महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, परन्तु पढ़ने वाले बच्चों के अनुपात में इन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

2. ज्ञान का विस्फोट (Knowledge explosion)–आधुनिक युग विज्ञान तथा तकनीकी का युग है। प्रतिदिन यहाँ ज्ञान का विस्फोट होता है अर्थात् प्रतिदिन किसी-न-किसी दिशा या क्षेत्र में नए-नए आविष्कार होते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति तक आधुनिकतम ज्ञान केवल शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पहुँचाना असंभव है। इसलिए नई बातों तथा नए ज्ञान को जन-जन तक पहुँचाने हेतु दूरस्थ शिक्षा की अनिवार्यता हो गई।

3. आधुनिक जीवन की समस्याएँ तथा जटिलताएँ (Problems and complexity of modern life)–आधुनिक जीवन जहाँ सुविधाओं से संपन्न हो गया है, वहीं यह अपेक्षाकृत ज्यादा जटिल तथा समस्याओं से परिपूर्ण भी हो गया है। अच्छे व्यवसाय तथा अधिक कमाई के लिए व्यक्ति इधर-उधर आता-जाता रहता है। भारत जैसे विशाल देश के व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवसाय कई गुणा बढ़ जाने से उसका ढाँचा ज्यादा जटिल हो गया है। इस गतिशीलता का दुष्परिणाम यह निकला कि लोगों के लिए किसी नियंत्रित संस्था में प्रवेश प्राप्त करना अत्यन्त मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा प्राप्ति में एक सशक्त साधन है।

4. अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण (Excess ambitious attitude)–इस भौतिक युग में जहाँ हर चीज तेजी से बढ़ रही है वहीं मनुष्यों का दृष्टिकोण भी अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी होता जा रहा है। अब शिक्षा पर खर्च होने वाले पैसे को पूँजी निवेश के रूप में लिया जाता है। उसका परिणाम यह निकला कि शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन इच्छाओं की पूर्ति मात्र नियमित विद्यालय या महाविद्यालय नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता तथा आवश्यकता और बढ़ जाती है।

5. शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार (Right to get education)–प्राचीन समय में भारत को शिक्षा के क्षेत्र में दुनियाँ का सिरमौर माना जाता था। परन्तु इसके बावजूद भी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं थी। परन्तु अब आधुनिक भारत में शिक्षा कुछ विशेष व्यक्तियों के अधिकार से निकलकर जनसाधारण तक पहुँच चुकी है। अब शिक्षा प्राप्त करना लोकतांत्रिक अधिकार में आता है। परन्तु इतना होने के बावजूद भी बहुत से विकासशील देशों में, आवश्यक साधनों की कमी के कारण, सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। इस समस्या के विषय में भारत की लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. गुरदयाल सिंह ढिल्लो का कहना है, **"यदि हम हर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके चारों ओर दीवारे हैं। यदि हम उच्च शिक्षा की संस्थाओं की संख्या इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा व्यय होगा तो उसका एक ही रास्ता है कि कक्षाओं की चार दीवारियों को तोड़ दिया जाए और प्रत्येक गाँव तथा छोटे कस्बे में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए। पत्राचार अध्ययन का कार्यक्रम विश्वविद्यालय की धारणा में निहित सार्वजनिक शिक्षण को विस्तृत एवं सशक्त बनाएगा।"**

6. सार्वजनिक साक्षरता (Universal literacy)–आधुनिक समाज में सार्वजनिक साक्षरता भारत ही नहीं अपितु सभी विकासशील देशों का प्रथम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये देश उन कम खर्चीले साधनों की खोज में लगे हुए हैं जिनका परिणाम अति उत्साहजनक रहे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम पाएँगे कि दूरस्थ शिक्षा, नियमित शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली है।

7. कमाते हुए सीखना (Earning while learning)–आधुनिक युग में जहाँ भौतिक तथा इलैक्ट्रोनिक (electronic) वस्तुएँ सस्ती हो रही हैं वहीं जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ दिन-प्रतिदिन आकाश को छूती जा रही हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि विद्यार्थी को पढ़ते-पढ़ते ही कमाई का साधन जुटाना पड़ता है। यदि वे नियमित प्रातःकालिन विद्यालयों में दाखिला लेते हैं तो वे आजीविका के क्षेत्र में पिछड़ जाएँगे। अतः सीखने के लिए उन्हें सायंकालीन कक्षाओं या पत्राचार कोर्सों पर निर्भर होना पड़ता है।

8. शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने की इच्छा (Desire to improve qualification)–आधुनिक समय में जीवन से जुड़ा प्रत्येक पहलू दिन-प्रतिदिन जटिल से जटिलतर होता जा रहा है। ऐसे में आजीविका कमाने के लिए उसे अत्याधुनिक शिक्षा (latest education) लेनी ही पड़ेगी, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता को तो बढ़ावा देगी ही साथ-साथ आर्थिक रूप से ज्यादा सम्पन्न भी बनादेगी।

9. स्वतन्त्र शिक्षा की इच्छा (Desire for independent learning)–स्वतन्त्र तथा निर्बाध रूप से अपनी गति तथा अपने समय के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा ने भी लोगों की पत्राचार के प्रति रुचि बढ़ाई।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN • BELIEVE • ACHIEVE
EST. 2008

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

10. लचीलापन (Flexibility)–शिक्षा में विस्फोट होने से, उसे ग्रहण करने वालों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। परन्तु परम्परागत रूप से दी जाने वाली शिक्षा इतनी कठोर तथा सख्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर नहीं बनाया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा, शिक्षा में लचीलापन लाने में समर्थ है।

दूरस्थ शिक्षा के लाभ या गुण
(Merits or Advantages of Distance Education)

(i) यह तुलनात्मक रूप से कम लागत पर शिक्षा प्रदान करने की कारगर विधि है (It is useful method of providing education comparatively at a low cost)।

(ii) लोगों की शिक्षा में अनुकूल तकनीक (Appropriate technique in the education of people)।

(iii) वैज्ञानिक युग में जब ज्ञान का विस्फोट हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति नए-से-नए ज्ञान के प्रति लालायित रहता है, ऐसे में दूरस्थ शिक्षा उसकी सभी जिज्ञासाएँ शान्त करने में सक्षम है।

(iv) यह शिक्षा कमाना तथा सिखाना दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ प्रोत्साहित करती है।

(v) जनसंख्या विस्फोट के कारण विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थी को अधिक भीड़ (over-loaded) वाली कक्षाओं से छुटकारा दिला सकती है।

(vi) दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थियों को काम की पूर्ण स्वतन्त्रता देती है।

(vii) जो लोग नियमित कोर्सों में समयाभाव के कारण दाखिला नहीं ले सकते हैं, उन लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा रामबाण के समान है।

(viii) यह शिक्षा अवसरों को समान करने में मदद करती है। जो लोग गरीबी या किन्हीं अन्य कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए यह शिक्षा एक वरदान से कम नहीं है।

(ix) लोगों को शिक्षित करने का यह अनुकूल तथा सस्ता ढंग है।

(x) भिन्न-भिन्न प्रकार के कोर्सों जैसे–शैक्षणिक, व्यवसाय उन्मुखी तथा व्यावसायिक पेशागत उद्योग से जुड़े सामान्य कोर्स आदि प्रदान करके बहुत से विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को दूरस्थ शिक्षा के केन्द्र पूरा कर सकते हैं।

(xi) क्योंकि दूरस्थ शिक्षा उन व्यक्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है जो इसमें रुचि रखते हैं, इसलिए उस शिक्षा विधि में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता की समस्या पैदा नहीं होगी।

(xii) यह शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी जैसी सुरसा के मुँह के समान विकराल समस्या को हल करने में सहायक है।

दूरस्थ शिक्षा से हानियाँ
(Disadvantages from Distance Education)

जैसा कि हम जानते हैं, इस संसार में प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं। किसी के लिए फायदेमन्द तो किसी के लिए हानिकारक। ऐसे ही दूरस्थ शिक्षा के भी गुण तथा दोष हैं। गुणों का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं, आइए अब इसके अवगुणों पर प्रकाश डालें, जो निम्नलिखित हैं–

(i) इस शिक्षा से अध्यापक तथा विद्यार्थी के मध्य कोई रिश्ता उत्पन्न नहीं होता, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक आवश्यक है।

(ii) इन कोर्सों के माध्यम से अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है, जिससे उस शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

(iii) विद्यार्थियों को भेजे जाने वाले नोट्स (Notes) कई बार तो विद्यार्थियों के समझ में आ जाते हैं परन्तु कुछ विद्यार्थी इन्हें खुद समझने में असमर्थ होते हैं जिससे दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना अधूरा रह जाता है।

(iv) दूरस्थ शिक्षा में सभी विषयों के बारे में जानकारी विद्यार्थियों के प्रत्येक प्रश्न को हल करने में समर्थ नहीं होती है।

(v) सीखने की प्रक्रिया शैक्षणिक वातावरण में होती है ऐसे में हो सकता है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने कर्तव्य से पूर्ण न्याय न कर सकें।

(vi) अध्यापक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत तथा सजीव उदाहरण होता है जो विद्यार्थियों का शैक्षणिक ही नहीं अपितु चरित्र का भी निर्माण करता है। परन्तु दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक का प्रभाव विद्यार्थी पर किंचित् मात्र भी नहीं होता है।

(vii) व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (Personal Contact Programme) में प्रायः बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। ऐसे माहौल में जो बच्चे संकोची तथा शर्मीले स्वभाव के होते हैं वे कुछ अच्छा सीखने में असफल रहते हैं। इस प्रकार बहुत से विद्यार्थी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे जो वास्तव में एक भयावह स्थिति होगी।

(viii) विद्यार्थी पढ़कर याद करने की बजाए सुनकर ज्यादा समझता व याद रखता है। परन्तु इस दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में उसे केवल पढ़कर ही समझने का प्रयत्न करना होता है जो वास्तव में अधूरा प्रयास है।

इन लाभों तथा हानियों के विषय में विस्तार से चर्चा करने के बाद हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा एक अति बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सुनियोजित की गई अध्यापन तकनीक है, जो लोगों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है। यह भारत जैसे देश में आशातीत सफलता प्राप्त कर सकती है, क्योंकि यह सस्ती है तथा दूर-दराज तक के लोगों को दी जा सकती है। यदि इससे सम्बन्धित अधिकारीगण निजी स्वार्थ तथा लालच से ऊपर उठकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से इसे प्रणाली के परिणाम अति उत्साहजनक होंगे।

◆◆◆

11. मुक्त शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? संक्षेप में स्पष्ट करें।
(What do you mean by open education? Clarify in short.)

अथवा

संक्षिप्त टिप्पणी अथवा नोट लिखें–मुक्त शिक्षा।
(Write short note on : Open education.)

उत्तर–मुक्त शिक्षा (Open Education)–मुक्त शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसके ग्रहण करने में न तो आयु का बन्धन है, न योग्यता का, न पाठ्यक्रम का, न कक्षा शिक्षण का और न ही स्थान विशेष का। इस शिक्षा में यह भी छूट है कि कोई भी चाहे बालक, युवक या प्रौढ़, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस माध्यम से चाहे, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अतः चन्द शब्दों में इस शिक्षा के विषय में कहा जा सकता है कि यह वह शिक्षा है जो हर एक को हर समय और हर जगह उपलब्ध हो सकती है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं होता है, इसलिए इसे मुक्त शिक्षा कहा जाता है।

आज शिक्षा के विषय में आलम यह है कि हर राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिक सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण करें। परन्तु केवल औपचारिक शिक्षा के तरीकों से यह संभव नहीं हो सकता है। हमारे देश को ही लो स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए अनेकों कमीशनों तथा आयोगों का गठन किया गया और उनके द्वारा दर्शाए गए सुझावों पर भी कार्य किया गया परन्तु निरक्षर व्यक्तियों की संख्या घटने के बजाए बढ़ती ही रही। आलम ये था कि जहाँ 1951 में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 30 करोड़ थी, वही बढ़कर 1981 में 40 करोड़ हो गई।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, इसका प्रयास बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इस संदर्भ में पहला प्रयास पत्राचार द्वारा शिक्षा देना था। यूरोप में यह प्रणाली काफी सफल रही। जर्मनी में शुरू हुई इस प्रणाली को रूस ने भी अपनाया और 1962 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति दे दी गई। आधुनिक समय में तो संसार के लगभग सभी देशों ने शिक्षा के इस माध्यम को स्वीकार कर लिया है। वैसे तो यह व्यवस्था माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर की गई है, पर यह अब सभी के लिए खुली है जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं।

मुक्त शिक्षा के प्रचार-प्रसार में इवान इलिच (Ivan Illich) का सबसे बड़ा योगदान रहा है। या यूँ कहिए कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए। इस शिक्षा की प्रशंसा तथा उपयोगिता के विषय में उन्होंने अपनी पुस्तक 'डी-स्कूलिंग सोसाईटी' (Deschooling Society) में लिखा है कि यह शिक्षा विद्यालयी शिक्षा से बहुत सस्ती है इसलिए गरीब व्यक्ति भी इसे ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा के विषय में समाज में फैली बुराइयों के विरोध में उन्होंने उस निर्विद्यालयी शिक्षा का नारा दिया। यहीं से शिक्षा जगत में एक नई क्रान्ति का प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे इस शिक्षण पद्धति की ओर अन्य विद्वानों का भी रुझान शुरू हुआ। इवान (Ivan) के बाद एवरेस्ट रैमर (Everest Reimer) की 'द स्कूल इज डैड' (The School is Dead), पाल गुडमैन (Paul Goodman) की 'कम्पलसरी मिस एजुकेशन (Compulsory Miseducation) तथा जान होल्ड (John Hold) की 'हाऊ चिल्ड्रन फेल' (How Children Fail) ने आधुनिक औपचारिक शिक्षा की धज्जियाँ उड़ाते हुए उसकी कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह मुक्त शिक्षा का तूफान विद्यालयी शिक्षा को जड़ से तो नहीं उखाड़ पाया परन्तु उन लोगों के लिए वरदान बन गया जो किन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा बीच में छोड़ चुके थे।

हमारे देश में मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम औपचारिक शिक्षा की मुख्य संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (C.B.S.E.) ने प्रयास किया। इसके द्वारा मई, 1983 में एक तीन दिनी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुक्त अधिगम (Open learning system) की धारणा, क्षेत्र और स्वरूप पर गम्भीरता से अध्ययन और विचार किया गया। इस सम्मेलन में कुछ सुझाव पारित किए गए जो अग्रलिखित हैं:–

(i) प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुक्त अधिगम पद्धति को स्वीकार किया जाये।
(ii) यह सुविधा सभी स्तरों–प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर, पर उपलब्ध हो।
(iii) लड़कियों की शिक्षा के लिए इसे विशेष रूप से लागू किया जाए।
(iv) मुक्त विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की संभावना को जानने तथा पूरी योजना को तैयार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय योजना दलों का संगठन करे।
(v) सभी राज्य मुक्त अधिगम शिक्षा की विधि को सुचारु रूप से लागू करें।
(vi) प्रत्येक राज्य में मुक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हो।
(vii) मुक्त शिक्षा द्वारा औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए तथा इसके प्रसार के लिए विविध पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था हो।
(viii) देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों में मुक्त शिक्षा के प्रचार के पत्राचार, रेडियो, टेपरिकॉर्डस, वी.डी.ओ. कैसेट तथा दूरदर्शन का प्रयोग करें।
(ix) मुक्त शिक्षा प्रौढ़ों के लिए भी सुलभ कराई जाए।
(x) औपचारिक एवं मुक्त शिक्षा में तारतम्यता बनी रहे, जिससे प्रवेश तथा पुनः प्रवेश में कोई दिक्कत या अड़चन न आए।

इन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए सर्वप्रथम केन्द्र ने ही एक मुक्त विद्यालय की स्थापना की। तद्पश्चात् विश्वविद्यालय स्तर पर मुक्त शिक्षा का शुभारम्भ हुआ। अभी देश में प्राथमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुक्त शिक्षा का पाठ्यक्रम भी औपचारिक शिक्षा के समकक्ष का बनाया जा रहा है।

◆◆◆

3.7 आधुनिकीकरण : सम्प्रत्यय, लाभ तथा हानि (Modernization : Concept, Advantages and Disadvantages)

12. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ-हानियों का वर्णन कीजिए। (What do you mean by modernization? Describe the advantages and disadvantages of modernisation.)

उत्तर–आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में निरन्तर चलती रहती है। समाज में होने वाले परिवर्तन इसी के परिणाम हैं। जो समाज अपनी पुरानी रूढ़ियों व परम्पराओं से ही चिपके रहना चाहते हैं वे प्रगति की दौड़ में भी पिछड़ जाते हैं। यही कारण है कि आज प्रत्येक व्यक्ति व समाज आधुनिक बनने के लिए तत्पर हैं। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। घर, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा तथा उद्योग सभी क्षेत्रों की कार्य प्रणाली पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। यही नहीं; धीरे-धीरे हमारी सोच भी आधुनिक हो रही है और हम पुराने विचारों के संकुचित घेरे को तोड़ बाहर आ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आधुनिकीकरण है क्या?

आधुनिकीकरण का अर्थ (Meaning of Modernization)–आधुनिकीकरण को परिभाषित करना बहुत कठिन है। इस सन्दर्भ में कुछ मुख्य दृष्टिकोण प्रस्तुत हैं–

सामान्य व्यक्ति का दृष्टिकोण (Common Man's Approach)–सामान्य व्यक्ति के लिए इसका अर्थ है अपने लिए सुख-सुविधा के साधन जुटाना और उनका प्रयोग करना। जहाँ तक एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति का सम्बन्ध है वह औद्योगीकरण को ही आधुनिकीकरण का पर्याय समझता है। वह समझता है कि उद्योगों के विकास के कारण ही जीवन के स्तर में सुधार हुआ है।

समाजशास्त्री का दृष्टिकोण (Sociologist's approach)–इनके अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हम विभिन्न समाजों में अन्तर कर सकते हैं।

मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण (Psychologist's approach)–मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि समाज के व्यक्तियों में नवीन परिवर्तनों को स्वीकारने की इच्छा हो और वे पूरे आत्म विश्वास के साथ इसके लिए प्रयत्न करें। इस प्रकार आधुनिकीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

अर्थशास्त्री का दृष्टिकोण (Economist's approach)–इनका मत है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कोई समाज नई तकनीक का प्रयोग करके उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करता है, जिससे आर्थिक विकास हो सके।

इतिहासकार का दृष्टिकोण (Historian's approach)–इनके अनुसार यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसके आधार पर अपने जीवन के तरीकों व सोच को बदलता है।

इसके अतिरिक्त कुछ लोगों की धारणा है कि पाश्चात्यीकरण ही आधुनिकीकरण है। (Westernization is modernization) लेकिन उपर्युक्त सभी अवधारणाएँ एकांगी हैं। कोई एक दृष्टिकोण आधुनिकीकरण की उपयुक्त व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में यह एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष तक पहुँचने से पूर्व इसकी कुछ परिभाषाएँ देखनी आवश्यक हैं।

आधुनिकीकरण की परिभाषाएँ
(Definitions of Modernization)

(1) **ब्लैक बहला (Black Bellah)**–'आधुनिक समाज का महत्त्व विज्ञान पर आधारित तकनीकी को अपनाना है। इसी के आधार पर समाज ने अपने उत्पादन में शानदार वृद्धि की है। विज्ञान पर आधारित तकनीकी सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के अन्य मुख्य उपयोग हैं और इनमे मूलभूत सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें आधुनिकीकरण की संज्ञा दी जाती है।'

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

("The most distinctive feature of modern society is disadoption of a science based technology. On this baisc societies are increasing their own productivity. Science based technology has other significant utilization of social and cultural life and it involves fundamental social and cultural changes which are broadly described as modernisation".)

(2) मूरे (Moore)—"आधुनिकीकरण का अर्थ है–एक क्रान्तिकारी परिवर्तन जो एक परम्परागत समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनैतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तित करने की ओर ले जाता है।"

"Modernization means a revolutionary change leading to transformation of a traditional society into an advanced, economically prosperous and relatively politically stable society."

(3) दूबे (Doobe)—"आधुनिकीकरण आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया है–एक परम्परागत समाज व्यवस्था से एक विशेष अभीष्ट प्रकार की तकनकी से जुड़ी समाज व्यवस्था की ओर बढ़ना"।

(Modernization is essentially a process—a movement from traditional order to certain desired type of technology associated form of social structure.)

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण की निम्न विशेषताएँ हैं–

1. यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
2. इसके परिणाम सकारात्मक (Positive) व नकारात्मक (Negative) दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
3. इसके द्वारा होने वाले परिवर्तनों का सम्बन्ध कृषि, शिक्षा, चिकित्सा तथा उद्योग आदि किसी भी क्षेत्र से हो सकता है।
4. आधुनिकीकरण का सम्बन्ध केवल कार्य-प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों से ही नहीं है वरन् सोच में होने वाले परिवर्तन भी इसमें सम्मिलित हैं।
5. इसका सम्बन्ध समय या काल विशेष के साथ न होकर व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ है।
6. केवल पाश्चात्यीकरण ही आधुनिकीकरण नहीं है।
7. आधुनिकीकरण के लिए व्यक्तियों में परिवर्तन की इच्छा होना आवश्यक है। यह एक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया है।
8. यह एक परम्परागत समाज के तकनीकी से जुड़ी समाज व्यवस्था की ओर ले जाती है।
9. यह प्रक्रिया व्यक्ति को भूत की अपेक्षा वर्तमान से जोड़ती है।
10. इसके लिए व्यक्तियों का दृष्टिकोण क्रियात्मक व यथार्थवादी होना चाहिए।

स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी समाज में अभीष्ट परिवर्तन लाकर उसे परिवर्तन की ओर अग्रसर कर सकती है।

आधुनिकीकरण के लाभ *(Advantages of Modernization)*

इस प्रक्रिया से निम्न लाभ हैं–

1. प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग (Proper utilization of natural resources)—इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है, जिससे राष्ट्र का विकास होता है।

2. कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग (Use of new techniques in Agriculture)—भारत एक कृषि प्रधान देश है। आधुनिकीकरण के कारण अब किसान खेती में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने लगे हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है तथा आर्थिक विकास होता है।

3. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार (Expansion of medical facilities)—आधुनिकीकरण के कारण व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है। असाध्य समझी जाने वाली बीमारियों का इलाज अपने ही देश में सम्भव हो गया है। आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं व्यक्ति को मौत के मुंह से निकाल लाने में भी सक्षम हैं।

4. शिक्षा में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग (Use of new technology in education)—आधुनिकीकरण ने हमारी शिक्षण विधियों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं। एजूसैट द्वारा विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षकों के शिक्षण से लाभान्वित होने का मौका मिला है। शिक्षण में ओवर हैड प्रोजैक्टर, स्लाइड प्रोजैक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजैक्टर तथा दूर-दर्शन आदि का प्रयोग होने लगा है। दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) का प्रचलन बढ़ा है। विभिन्न स्तरों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन हुए हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक विकास (Social changes and social development)—आधुनिकीकरण ने लोगों की सोच एवं काम करने के तरीकों का बदला है। रूढ़िवादी धारणाओं एवं अन्धविश्वासों में कमी आ रही है और सामाजिक विकास हो रहा है।

6. विश्व-परिवार की भावना का विकास (Development of the feeling of world family)—दूरियाँ कम हुई हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों से सम्पर्क बनाना आसान हो गया है। इससे पूरे विश्व ने एक परिवार का रूप ले लिया है।

7. जागरूकता का विकास (Development of Awareness)—टैलीविजन जैसे माध्यमों के कारण लोगों में अपने देश व विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ी है।

8. औद्योगिक विकास (Industrial development)—नए-नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। पुराने उद्योगों में भी नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है।

9. गुणवत्ता में सुधार (Improvement in quality)—आधुनिकीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आया है, क्योंकि हम प्रत्येक क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने लगे हैं।

आधुनिकीकरण की हानियाँ (Disadvantages of Modernization)—जहाँ आधुनिकीकरण के कुछ लाभ हैं वहीं कुछ हानियाँ भी हैं। इसलिए कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। कुछ मुख्य कमियाँ इस प्रकार हैं।

1. श्रम के प्रति निष्ठा में कमी (Lack in dignity for labour)—मशीनों पर अत्यधिक निर्भर हो जाने के कारण लोग आलसी हो गये हैं। उनमें मेहनत के प्रति आदर की भावना में कमी आई है।

2. मानवीय मूल्यों में गिरावट (Downfall in human values)—कुछ लोग आधुनिकीकरण का अर्थ पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का अन्धानुकरण मानते हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति का बिना सोच समझे अनुकरण करने से हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों से कट रहे हैं और भारतीय समाज में मानवीय मूल्यों में गिरावट देखने को मिल रही है।

3. सामाजिक विकास में रुकावट (Discourage social development)—आधुनिकीकरण ने व्यक्ति को आत्मकेन्द्रित बना दिया है। विशेष रूप से दूर-दर्शन के कारण लोग हर समय इसी से चिपके रहना चाहते हैं। लोगों का आपस में मिलना-जुलना कम हुआ है। इस प्रकार इस प्रक्रिया ने सामाजिक विकास को अवरुद्ध किया है।

4. परम्परा व आधुनिकता में संघर्ष की स्थिति (Situation of conflict in tradition and modernity)—इस प्रक्रिया के कारण विशेष रूप से युवा पीढ़ी की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। वे जाति, धर्म तथा गोत्र आदि के बन्धनों से मुक्त हो जाना चाहते हैं तो दूसरी ओर पुरानी पीढ़ी अभी भी अपनी पुरानी सोच को नहीं बदल पाई है। इससे समाज के इन दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
> DIRECT ADMISSION
> LOWEST FEES
> NCTE APPROVED
> FREE BOOKS
> ONLINE VIDEOS
> DISSERTATION HELP
> INTERNSHIP HELP
> YEARLY EXAMINATION
> SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

5. प्रतिभा-पलायन को बढ़ावा देती है (Encourage brain drain)—आधुनिकीकरण ने यह सम्भव बना दिया है कि व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में चला जाए। यही कारण है कि अपने देश में उपलब्ध विकास सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण आज का प्रतिभाशाली युवा विदेश जाकर बस जाना चाहता है। यह प्रतिभा-पलायन राष्ट्रीय विकास के लिए घातक है।

निष्कर्ष—अन्त में यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण आज के युग की आवश्यकता है। यह विकास की आवश्यक शर्त है। यद्यपि इसके कुछ दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं पर ये केवल इस प्रत्यय को ठीक ढंग से न समझने के कारण हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ अपनी प्राचीन गरिमामई संस्कृति को पूर्णत: भुला देना नहीं है। न ही इसका अर्थ है—पश्चिम का अन्धानुकरण। इसका अभिप्राय तो जो जहाँ अच्छा व विकास में सहायक है—उसे ग्रहण करना। इसका सम्बन्ध केवल दृष्टिकोण के साथ है। अत: यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि नवीन वैज्ञानिक सोच एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करें तथा साथ ही अपनी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़े रहें।

◆◆◆

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

LAXMI®

EXAM NOTES

समकालीन भारत तथा शिक्षा

[CONTEMPORARY INDIA AND EDUCATION]

[Paper–2]

UNIT–IV

4. *Emerging Concerns of Indian Society and Education*
   - *Culture and Education*
   - *Democracy and Education*
   - *Inequalities in ancient, medieval and modern education*
   - *New Economic Reforms and their impact on Education*
   - *Education for Technological Empowerment*
   - *Role of teacher in the context of Universal Education*
   - *Reservation as an egalitarian Policy*

—: प्रकाशक :—
LAXMI BOOK DEPOT, Hansi Gate, Bhiwani TM
लक्ष्मी बुक डिपो
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

4

भारतीय समाज के उभरते हुए सरोकार तथा शिक्षा
[Emerging Concerns of Indian Society And Education]

4.1 संस्कृति तथा शिक्षा (Culture and Education)

1. संस्कृति क्या है? शिक्षा तथा संस्कृति के सम्बन्ध का वर्णन कीजिए। (C.D.L.U. 2018)
(What is culture? Describe the relationship between culture and education.)

उत्तर–संस्कृति शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी व्युत्पत्ति तो संस्कार से है। 'संस्कृति' में अनेक नए-नए तत्त्व आकार जुड़ते रहते हैं। यह सच है कि जिसमें अच्छे संस्कार हों, उसके व्यवहार और आचरण में ऐसी उत्कृष्ट बातें आ जाती हैं जिनके कारण उसे सभी पसंद करते हैं और ऐसा व्यक्ति 'सुसंस्कृत' माना जाता है। अतः संस्कृति व्यक्ति के ऊपर अच्छे संस्कार डालती है। इसका शाब्दिक अर्थ 'कल्चर' लैटिन भाषा के शब्द 'कल्ट्यूरा' (Culture) से निकला है। 'संस्कृति' शब्द को तीन अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है–(1) साहित्यिक अर्थ, (2) नैतिक अर्थ, (3) समाजशास्त्रीय अर्थ। सबसे पहले साहित्यिक अर्थ में 'संस्कृति' जीवन का प्रकाश और कोमलता है। इतिहासकारों ने देश या समाज के कलात्मक एवं बौद्धिक विकास को ही संस्कृति माना है। दूसरा, नैतिक अर्थ में 'संस्कृति' शब्द का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में करते हैं। तीसरा अर्थ समाजशास्त्रीय रूप में, 'संस्कृति' मानव द्वारा निर्मित वह संपूर्ण वातावरण माना जाता है, जिसमें कि वह रहता है, सोचता-विचारता है, कार्य करता है, अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और गुणों, आदतों, प्रथाओं, परम्पराओं आदि को सीखता है, अर्थात् सम्पूर्ण सामाजिक विरासत ही संस्कृति है।

संस्कृति की परिभाषा (Definition of Culture)–संस्कृति' शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है–

1. **एलवुड का विचार** (Ellood's View)–**"संस्कृति में एक ओर मनुष्य की सम्पूर्ण भौतिक सभ्यता, औजार, शस्त्र, औद्योगिक विधि सम्मिलित होती है और दूसरी ओर अभौतिक अथवा आध्यात्मिक सभ्यता जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, नियम एवं सरकार शामिल होती है।"** ("Culture includes on the one hand the whole of mans material civilisation, tools, weapons, system of industry and on the other all the non-material or spiritual civilisation such as language, literature, art, religion, morality, law and government.") यह संस्कृति की व्यापक परिभाषा है।

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

2. **ई.बी. टायलर का विचार** (E.B. Tylor's view)—श्री टायलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रीमिटिव कल्चर' में लिखा है, **"संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक आदर्श, नियम, प्रथाएं और समाज के सदस्य के रूप में अर्जित कोई भी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है।"** ("Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law's customs and any other capabilities and habits acquired by man as member of society.")

3. **मैथ्यू आर्नल्ड का विचार** (Mathew Arnold's view)—**'सर्वोत्तम विचार एवं ज्ञान संस्कृति है।'** ("The best that been thought and know is culture") वह संस्कृति में जीवन विधियाँ, आदतें, व्यवहार, वाणी का स्वर, साहित्य, समुदाय को आनन्द देने वाली वस्तुएँ, शब्द, विचार आदि सम्मिलित करते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से मैथ्यू आर्नल्ड संस्कृति को माधुर्य और प्रकाश मानते हैं। (Methew Arnold includes in culture "the ways of life, the habits, the manners, the very tones of voices, the literature, the things which give pleasure to the community, the words, the thoughts which make the furniture of their minds." In broad sense, he describes culture as "Sweetness and light".)

4. **ओटेवे का विचार** (Ottaway's view)—'समाज की संस्कृति का अर्थ है—समाज की सम्पूर्ण जीवन विधि।' ("The culture of a society means the total way of life of a society.")

संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध
(Close Relationship between Education and Culture)

संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति के बिना शिक्षा का तथा शिक्षा के बिना संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। शिक्षा द्वारा ही संस्कृति आदिकाल से पनपती है और उसी ने संस्कृति को सुरक्षित रखा है। अतः इस संदर्भ में शिक्षा के दो प्रमुख कार्य हैं—पहला संस्कृति की रक्षा करना और दूसरा संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए उसमें प्रगति करना। इसी तरह संस्कृति में शिक्षा के लिए बहुत कुछ निहित है। सामाजिक जीवन शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है और शिक्षा स्वयं सामाजिक जीवन द्वारा अनुशासित होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्कृति में पैदा होता है, जो उसे एक निश्चित व्यवहार प्रतिमान प्रदान करती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। थियोडोर ब्रामेल्ड (Theodore Brameld) के कथनानुसार, "शिक्षा संस्कृति की प्रत्यक्ष उपज है और यह शिक्षा को केवल उसके उपकरण तथा अन्य सामग्री ही प्रदान नहीं करती बल्कि उसके अस्तित्व का तार्किक आधार भी प्रदान करती है। ("It is from the stuff of culture that education is directly created and that gives to education not only its own tools and materials but its reason for existing at all.") संस्कृति के महत्त्व की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं, अतः इन दोनों (शिक्षा एवं संस्कृति) से समाज में संस्कार, सुसंस्कृति और नैतिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा ही संस्कृति का संदेश एक देश से दूसरे देश को देती है। संक्षेप में, संस्कृति के कार्य अथवा व्यक्ति को उसका योगदान निम्नलिखित है—

(1) प्राकृतिक परिवेश से समायोजन (Adjustment with Natural Environment)—मनुष्य हर जगह किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं और इस परिवेश से समायोजन करने के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। परिवेश से समायोजन करने की प्रक्रिया में वे सभी नए आविष्कार हैं, जो संस्कृति के महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न मानव समूहों में संस्कृति के अन्तर हो जाते हैं। भारत में विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में अलग-अलग जनजातियां निवास करती हैं और इसी आधार पर उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है।

(2) संस्कृति की निरन्तरता (Continuity of Culture)—शिक्षा का अन्य कार्य संस्कृति की निरन्तरता को बनाये रखना है। वह सांस्कृतिक परम्पराओं, रीतियों तथा अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित करती है। सांस्कृतिक परम्पराओं से निरन्तरता किसी राष्ट्र के जीवन की अनिवार्य शर्त है।

(3) व्यक्तित्व का विकास (Development of personality)—व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार के प्रतिमानों से स्पष्ट होता है। मानव व्यवहार उसके अपने परिवेश की संस्कृति पर प्रभाव डालता है। मानव-शक्तियों ने अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेद के अनुसार भिन्न-भिन्न समाजों में मूल व्यक्तित्व प्रतिमान में भेद पाया जाता है। भारतीय मनुष्य के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की और पाश्चात्य मनुष्य के व्यक्तित्व पर पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सौन्दर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। व्यक्तियों के प्रयासों से संस्कृति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।

(4) संस्कृति का संरक्षण (Conservation of Culture)—शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। इसके बिना सांस्कृतिक विरासत बच नहीं सकती। स्कूल विद्यार्थियों में सांस्कृतिक गुणों का विकास करता है। परसी नन (Percy Nun) ने शिक्षा के इस संरक्षणात्मक कार्य पर बहुत बल दिया है। उनके विचारानुसार किसी भी राष्ट्र के स्कूल का विशिष्ट कार्य उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनना है, उसकी ऐतिहासिक निरन्तरता को बनाए रखना है, उसकी भूतपूर्व उपलब्धियों को सुरक्षित रखना है तथा उसके भविष्य को सुनिश्चित बनाना है।

("The special function of a nation's school is to consolidate its spiritual strength to maintain its historic continuity, to secure its part achievements and to guarantee its function.")। **राधाकृष्णन रिपोर्ट** (Radhakrishnan Report) में भी शिक्षा के संरक्षणात्मक कार्य पर बल दिया गया है। **पं. नेहरू** (Pandit Nehru) के कथनानुसार, "शिक्षा को हमारी विरासत के शक्तिशाली तत्त्वों के संरक्षण में सहायता प्रदान करनी चाहिए।" ("Education must help in preserving the vital elements of our heritage.)। उनके अनुसार, **"भारतीय सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र है सुन्दरता और सत्य से प्रेम, सहनशीनता, अन्य संस्कृतियों का आत्मसात करने की योग्यता तथा नवसंश्लेषण का निर्माण।"** ("The care of our cultural heritage is love of beauty and truth, spirit of tolerance capacity to absorb other cultures and work out new synthesis.")

(5) समाजीकरण (Socialism)—समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भिन्न-भिन्न समाजों में व्यक्ति के समाजीकरण की मात्रा और दिशाओं में भेद पाया जाता है। हर एक समाज का अपना एथोस (Ethos) होता है, जो कि विभिन्न माध्यमों से व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। राल्फ लिन्टन के अनुसार व्यक्ति तीन प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग ले सकता है। सबसे पहले वह सार्वभौमिक रूप में संस्कृति में भाग लेता है अर्थात् उन आदतों, विचारों और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को अपनाता है, जिन्हें समाज के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाया जाता है। दूसरे, व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है अर्थात् संस्कृति के उन तत्त्वों को ग्रहण करता है, जो कि समाज के विशिष्ट अंग, विशेष व्यवस्था अथवा विशिष्ट लिंग वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तीसरे, व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात् संस्कृति के उन तत्त्वों को अपनाता है, जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए हैं। संस्कृति के अंगों में भाग लेने के वैकल्पिक रूप से मनुष्यों में, व्यक्तियों में अन्तर देखा जा सकता है। उपरोक्त कथन से राल्फ के अनुसार मनुष्य की तीन अवस्थाएं व्यक्ति को अपनी तरह से सुसंस्कृत बनाती हैं।

(6) संस्कृति का विकास (Promotion of Culture)—शिक्षा संस्कृति के सुधार एवं विकास में भी सहायता प्रदान करती है। यह बेहतर और सुखी समाज की स्थापना में सहायता देती है। **डी.जे.ओ. कोनन** (D.J.O. Cannon) के विचारानुसार, **"यदि प्रत्येक पीढ़ी को वही सीखना पड़े तो उसके पूर्वजों ने सीखा है तो किसी प्रकार का बौद्धिक एवं सामाजिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा और वर्तमान समाज की स्थिति तथा पत्थर युग के समाज की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं होगा।"** ("If each generation has to learn

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
> DIRECT ADMISSION
> LOWEST FEES
> NCTE APPROVED
> FREE BOOKS
> ONLINE VIDEOS
> DISSERTATION HELP
> INTERNSHIP HELP
> YEARLY EXAMINATION
> SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

for itself what has been learned by its predecessors; no sort of intellectual or social development would be possible and the present state of society would be little different from the society of the stone old age.") अतः शिक्षा संस्कृति और सभ्यता के निरन्तर विकास का महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

(7) नये सांस्कृतिक प्रतिमान (New Cultural Patterns)–शिक्षा केवल संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं करती, बल्कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण भी करती है। यह संस्कृति में परिवर्तन लाती है। ज्ञान के निर्माण के लिए यह सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है।

संस्कृति शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर प्रभाव डालती है–

(1) शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)–शिक्षा का अर्थ और उसके उद्देश्य किसी समाज या उनके विचारों, मूल्यों और प्रतिमानों पर निर्भर करते हैं। अनेक देशों में शिक्षा के उद्देश्य अपने-अपने तरीकों पर आधारित हैं, जैसे–रूस की शिक्षा व्यवस्था का बल 'नए मनुष्यों के निर्माण' पर है जो अपने खून और आत्मा से कम्युनिस्ट हों। अमरीका में शिक्षा का उद्देश्य समाजीकरण और प्रजातंत्रीकरण स्थापित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैसी किसी देश के समाज की संस्कृति होगी, वैसे ही उसकी शिक्षा के उद्देश्य होंगे।

(2) पाठ्यक्रम (Curriculum)–शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। यह पाठ्यक्रम भी समाज की संस्कृति के अनुरूप ही निर्मित होता है। अर्थात् दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि किसी समाज का शैक्षिक पाठ्यक्रम उसी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है साथ ही मूल्यों की पहचान भी हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था समाज की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को उस पाठ्यक्रम में जोड़ती है और उसे पूरा करने का प्रयास करती है। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम में समय-समय पर बदलाव भी किया जाता है।

(3) शिक्षण विधियाँ (Method's of Teaching)–शिक्षण विधियों का संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में शिक्षा-प्रसार एवं शिक्षा को केन्द्र अध्यापक ही होता था, जो बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता था अर्थात् जबरदस्ती ठूँसना या रट्टा लगाना था। लेकिन समय के बदलाव के अनुसार, आज शिक्षा का केन्द्र विद्यार्थी है न कि अध्यापक। आज विद्यार्थियों के निर्धारित, शैक्षिक अनुभवों, प्रोग्रामों, रुचियों, आवश्यकताओं, अभिरुचियों, समस्याओं का ध्यान रखा जाता है और उनका समाधान भी सहज ढंग से किया जाता है। अतः आज शिक्षा विद्यार्थियों को वर्तमान एवं भविष्य में प्रभावी रूप से रहने के लिए तैयार करने का माध्यम है।

(4) अनुशासन (Discipline)–संस्कृति अनुशासन की अवधारणा को भी प्रभावित करती है। आज के युग में जीवन के लोकतंत्रीय मूल्यों को स्वीकार किया जा रहा है। इन मूल्यों का विश्व में सम्मान हो रहा है। अतः आज विश्व की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली अनुशासन की आवश्यकता है। इस संस्कृति द्वारा मानव एवं समाज को सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। यह तभी सम्भव है जब समाज अनुशासन में रहे।

(5) पाठ्य-पुस्तकों पर प्रभाव (Influence on Text Books)–सांस्कृतिक मूल्यों का पाठ्यक्रमों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण भी इन सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों तथा नैतिकता को पाठ्यक्रमों में शामिल करके विद्यार्थियों के मन की प्रवृत्ति विरोधी नहीं बनती। संस्कृति ही विद्यार्थियों के भविष्य का मार्गदर्शन करती है।

(6) स्कूलों के प्रतिमान (Models of School)–संस्कृति का प्रभाव स्कूलों के प्रतिमानों पर पड़ता है। किसी स्कूल की सभी सामूहिक गतिविधियाँ और प्रोग्राम समाज के उन सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों के अनुसार ही आयोजित होते हैं, जिनके अन्तर्गत स्कूल स्थापित किए जाते हैं। अतः स्कूल समाज के उन सांस्कृतिक प्रतिमानों को बढ़ाने, ढालने, सुधारने और विकास करने का केन्द्र है, जोकि उसने अपने कल्याण और श्रेय के लिए बनाए हैं।

(7) संस्कृति का अध्यापक पर प्रभाव (Influence of Culture on Teacher)–प्रत्येक अध्यापक का अपना निजी जीवन-दर्शन होता है। जिस समाज का वह अभिन्न अंग है उसके सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श होते हैं। अध्यापक के अच्छे व बुरे आदर्शों को विद्यार्थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। यह बिल्कुल सही है कि अध्यापक के आदर्श ही समाज और देश की संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक संस्कृति का संरक्षक, मध्यस्थ और निर्माता होता है।

◆◆◆

4.2 लोकतंत्र तथा शिक्षा (Democracy and Education)

2. प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धान्तों तथा भारतीय प्रजातान्त्रिक आदर्शों के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विवेचन कीजिए।

अथवा

प्रजातंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धान्तों तथा प्रजातंत्र के आदर्शों का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिये।

उत्तर–प्रजातंत्र का अर्थ–प्रजा का अर्थ है जनता और तन्त्र का अर्थ शासन। इस प्रकार प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अंग्रेजी में इसके लिए Democracy शब्द का प्रयोग किया जाता है जो Demos तथा Kratia इन दो शब्दों से मिलकर बना है। Demos का अर्थ है जनता (The People) तथा Kratia का अर्थ है शक्ति (Power), अतः प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति जनता के हाथ में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये देश का शासन चलाते हैं। इस संदर्भ में सीले (Seeley) महोदय का यह कथन उल्लेखनीय है–**"प्रजातंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है।"** (Democracy is a Govt. in which everybody has a share.)

अब्राहम लिंकन के अनुसार, **"प्रजातंत्र जनता की, जनता के लिए एवं जनता द्वारा सरकार है।"** (Democracy is the Govt. of the people, for the people and by the people.)

इस प्रकार प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है। जनता का विश्वास खोने के बाद कोई सरकार नहीं बनी रह सकती।

प्रजातंत्र एक जीवन शैली के रूप में–प्रजातंत्र एक राजनैतिक व्यवस्था ही नहीं है एक जीवन शैली भी है। राजनैतिक क्षेत्र का प्रजातंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम इसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में नहीं अपनाते। उदाहरण के लिए, यदि आर्थिक क्षेत्र में असमानता है, लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का सामना करना पड़ता रहा है, तो हम प्रजातांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में सबको न्याय उपलब्ध कराये बिना व सबके साथ समानता का व्यवहार किए बिना तथा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किए बिना हम प्रजातांत्रिक हो ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में सामाजिक, आर्थिक व नैतिक प्रजातंत्र लाकर ही राजनैतिक प्रजातंत्र सफल बनाया जा सकता है।

अब प्रश्न उठता है कि प्रजातांत्रिक मूल्य कौन-कौन से हैं?

प्रजातांत्रिक मूल्य या प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धान्त–प्रजातंत्र निम्न मूल्यों में विश्वास करता है–

1. समानता–प्रजातंत्र समानता के सिद्धान्त में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन तब तक, जब तक ऐसा न करने के न्यायसंगत कारण न हों। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान सबको समान अधिकार प्रदान करता है, पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए यह विशेष सुविधाओं का प्रावधान भी करता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

इससे समानता के अधिकार का हनन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन वर्गों के लोग इतने अधिक पिछड़े हुए हैं कि विशेष सुविधाएँ दिए बिना उन्हें अन्य वर्गों के साथ समानता के स्तर तक नहीं लाया जा सकता। इस मूल्य में विश्वास करते हुए भारतीय संविधान द्वारा **निम्न-व्यवस्थाएँ** की गई हैं–

(i) कानून की दृष्टि से सभी समान हैं।
(ii) राज्य किसी भी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा।
(iii) छूआछूत को समाप्त किया जाएगा।
(iv) लोक सेवाओं में सबको समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. स्वतंत्रता–प्रजातंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, पर स्वतंत्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है। इसका अर्थ है व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर कुछ भी करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान भी अपने नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को निम्न स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं–

(i) विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता।
(ii) सभा करने, संघ बनाने, भ्रमण करने व आवास की स्वतंत्रता।
(iii) कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आदि।

लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है।

3. न्याय–यह भी महत्त्वपूर्ण प्रजातांत्रिक मूल्य है। इसके तीन रूप हैं–

(क) सामाजिक न्याय–इसका अर्थ है कि जाति, वर्ण, लिंग तथा धर्म के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया जायेगा। इसी आधार पर भारत से छुआछूत को कानून द्वारा दूर कर दिया गया है।

(ख) आर्थिक न्याय–इसका अर्थ है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ अन्याय न किया जाए। भारतीय संविधान द्वारा भी आर्थिक न्याय के उद्देश्य से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) राजनैतिक न्याय–इसका अभिप्राय है कि राजनैतिक दृष्टि से सबको समान अधिकार प्रदान करना। इसी आधार पर हमारा संविधान 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा अवसरों की समानता प्रदान करता है।

इस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है।

4. भ्रातृत्व की भावना–प्रजातंत्र भ्रातृत्व भाव में विश्वास करते हुए अपने नागरिकों से आशा करता है कि एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और मिल-जुलकर रहें।

5. परिवर्तन में विश्वास–प्रजातंत्र शान्तिपूर्ण उपायों से परिवर्तन लाने में विश्वास करता है। परिवर्तन के लिए यह आपसी सहमति व सहयोग पर बल देता है।

6. व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर–प्रजातंत्र बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का आदर करते हुए उसके विकास का प्रयास करता है।

भारतीय प्रजातांत्रिक आदर्श का शिक्षा पर प्रभाव
(Effect of Indian Democratic Ideals on Education)

किसी भी समाज के आदर्श वहाँ की शिक्षा को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज भी इसका अपवाद नहीं है। हमारे प्रजातांत्रिक आदर्शों ने हमारी शिक्षा को **निम्न रूपों** में प्रभावित किया है–

1. शैक्षिक अवसरों की समानता (Equal Opportunities for Education)–भारतीय प्रजातंत्र अपने सभी नागरिकों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। जाति, वर्ण, लिंग या धर्म आदि के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही नहीं, पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों के साथ समानता के स्तर तक लाने के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं।

प्राथमिक स्तर पर संविधान द्वारा 7 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाकर इसका लाभ सब तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है और उच्च स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता की दृष्टि से इसमें प्रवेश का आधार योग्यता को बताया गया है।

2. सामान्य विद्यालय प्रणाली (Common Education System)–सामान्य विद्यालय का अर्थ है ऐसे विद्यालय जहाँ सभी जाति, धर्मों व वर्गों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हों तथा जहाँ शिक्षा सस्ती हो और इसका स्तर भी अच्छा हो। प्रजातंत्र में विश्वास रखने के लिए 1964-66 में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा तथा 1986 में बनी शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस प्रकार के सामान्य विद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया है।

3. लचीलापन (Flexibility)–हमारी शिक्षा परिवर्तनशील है। आजादी के बाद बने विभिन्न आयोगों ने देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का अध्ययन करके शिक्षा की योजना प्रस्तुत की और उसके आधार पर हमारी शिक्षा में अनेक परिवर्तन किए गए। पूरे देश में 10 + 2 + 3 की समान शिक्षा संरचना, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर व्यवसायीकरण, कार्य अनुभव तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना आदि हमारी शिक्षा के लचीलेपन का प्रमाण है।

4. शिक्षा का उद्देश्य प्रजातांत्रिक नागरिकता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास (Development of Democratic Citizenship and Leadership traits)–प्रजातांत्रिक आदर्श के कारण ही हमारी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा हम उनमें स्वतंत्र चिन्तन शक्ति का विकास करना चाहते हैं, उनको अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सचेत करना चाहते हैं। यही नहीं, उनमें अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास भी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में कभी भी किसी को किसी क्षेत्र में नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो सकता है।

5. प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रशासन (Democratic School System)–यह प्रजातांत्रिक आदर्श का ही प्रभाव है कि आज हमारा विद्यालय प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है। विद्यालय संबंधी समस्याओं का समाधान विद्यालय परिवार के सभी सदस्य मिल-जुलकर करते हैं।

6. आत्म अनुशासन (Self-discipline)–आज हम छात्रों का दमन करके दण्ड आदि के द्वारा अनुशासन में नहीं रखते, अपितु उनमें आत्म अनुशासन की भावना का विकास करना चाहते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। उन्हें उनकी रुचि के कार्यों में व्यस्त रखा जाता है, जिससे अनुशासनहीनता की समस्या पैदा ही न हो।

7. समान शिक्षा संरचना (Common Education Structure)–पूरे देश में 10 + 2 + 3 की समान शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने में मदद मिली है।

इसके अतिरिक्त सब जाति एवं धर्म के लोगों को अपनी शिक्षा संस्थाएँ खोलने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं में सबको बिना किसी भेदभाव के प्रवेश की सुविधा है। शिक्षा संस्थाएँ किसी धर्म विशेष की शिक्षा न देकर मानवता का संदेश देती हैं। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे। यहाँ तक कि मन्द बुद्धि एवं विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा संस्थाएँ खोली गई हैं। प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं। विभिन्न स्तर तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने राज्य में लड़कियों को कक्षा 8 तक 100 रुपये वार्षिक पुस्तक भत्ता देने का निर्णय किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने हमारी शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में उतना योगदान नहीं दे रही जितना देना चाहिए। शिक्षा ऐसा कर सके इसके लिए अध्यापक को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उसे प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण रखते हुए छात्रों में भी प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का भरसक प्रयास करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करें। समय-समय पर पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का आयोजन करें जिससे प्रजातंत्र को सफल बनाने में मदद मिल सके।

◆◆◆

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC
BABA MOHAN DAS COLLEGE OF EDUCATION

4.3 प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक शिक्षा में असमानताएँ (Inequalities in Ancient, Medieval and modern education)

3. प्राचीन शिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा की असमानता का वर्णन कीजिए।

अथवा

प्राचीन भारत में गुरु और शिष्य के आपसी सम्बन्धों की आज के युग से तुलना कीजिये। इस परिवर्तन के कारणों पर भी प्रकाश डालिये।

अथवा

प्राचीन भारत में अध्यापक तथा छात्र के आपसी सम्बन्धों, शैक्षिक संस्थाओं तथा स्त्री-शिक्षा का उल्लेख कीजिये।

अथवा

गुरु और शिष्य के सम्बन्ध प्राचीन भारत में किस प्रकार के थे? आज के युग से उनकी तुलना कीजिए। इस परिवर्तन के क्या कारण हैं?

उत्तर–प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे। गुरु और शिष्य दोनों एक-दूसरे से स्नेह करते थे। गुरु की आज्ञा मानना शिष्य अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और गुरु भी अपने शिष्यों को पुत्र के समान प्रेम करते थे। संक्षेप में, गुरु और शिष्यों के बीच सम्बन्ध वही थे जो पिता और पुत्र के बीच में होने चाहिए।

गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य (Duties of Students towards teachers)–तन-मन-धन से गुरु की सेवा करना शिष्य अपना प्रमुख कर्तव्य समझते थे। अध्ययन के अतिरिक्त उनका शेष समय गुरु-सेवा में ही व्यतीत होता था। गुरु के लिए भिक्षा माँगकर लाना, वन में जाकर लकड़ी काटकर लाना, पशु चराना, नदी या झरनों से पानी भर कर लाना विद्यार्थियों का नित्य-प्रति का कर्म था। गुरु-सेवा में तनिक-सी भूल होने पर शिष्य अपने मन में पश्चात्ताप का अनुभव करते थे, ताकि भविष्य में पुनः भूल न हो जाए, अतः वे गुरु का प्रत्येक कार्य अत्यन्त सावधानी और लगन के साथ करते थे। गुरु का दुःख उनका दुःख होता था तथा गुरु का सुख उनका सुख होता था।

गुरु-आज्ञा का पालन करना प्रत्येक छात्र अपना पावन कर्तव्य समझता था। ऐसा करने में उसे चाहे कितना भी बलिदान क्यों न करना पड़े। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना एक भीषण अपराध माना जाता था। ऐसा करने वाले छात्रों को आश्रम से निष्कासित कर दिया जाता था और समाज उन्हें अत्यन्त हीन दृष्टि से देखता था।

गुरु-आश्रम में विभिन्न वर्णों तथा विभिन्न सामाजिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। सभी शिष्य बिना किसी भेद-भाव के गुरु-सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। राजपुत्रों तक को गुरु के लिए वन में लकड़ी काटने जाना पड़ता था।

गुरु-सेवा के अतिरिक्त छात्रों का अन्य मुख्य कार्य गुरु-गृह की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना था। आश्रम में नित्य यज्ञ होते थे, अतः यज्ञ की अग्नि सदा जलाये रखना प्रत्येक छात्र अपना धर्म मानता था। यह अग्नि ज्ञान का प्रतीक थी।

अध्ययन के समाप्त होने पर भी छात्र गुरु के दिये हुए आदेशों को भावी जीवन में पालन करने का प्रयत्न करते थे। उनके हृदय में गुरु के प्रति वही श्रद्धा, वही आदर का भाव जीवन के अन्त तक बना रहता था जो कि अध्ययन काल में था।

अध्यापक या गुरु के कर्तव्य (Duties or Functions of Teacher)–शिष्यों के कर्तव्यों के साथ-साथ गुरु के कर्तव्य का भी उल्लेख आया है। गुरु केवल मौखिक रूप में ही शिष्य के प्रति प्रेम-भाव नहीं रखते थे, वरन् व्यावहारिक रूप में भी अपने शिष्यों के प्रति उनका आचरण पिता-तुल्य होता था। छात्रों के लिए भोजन, वस्त्र, रहने के लिए स्थान आदि का प्रबंध गुरु ही करता था। छात्रों के रुग्ण होने पर वह

उनकी सेवा शुश्रूषा अत्यन्त स्नेह के साथ करता था। छात्रों के दुःख को अपना दुःख मानकर उनकी प्रत्येक समस्या को हल करना वह अपना कर्तव्य समझता था। गुरु के स्नेहमय तथा वात्सल्यपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर छात्र कभी-कभी अपना गृह-त्यागकर गुरु-गृह में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते थे। ऐसे छात्रों को "अन्तेवासिन" कहा जाता था।

प्राचीन भारत में गुरु को अत्यन्त उच्च पद प्रदान किया गया है। उसे ईश्वर के समकक्ष माना जाता है। अन्धकार में पड़े हुए छात्रों को प्रकाश दिखाना गुरु का ही कार्य है। अतः गुरु से आशा की जाती थी कि वह मानसिक योग्यता के एक आदर्श तक ले जाये। गुरु का कर्तव्य था कि वह सदा अपने को ज्ञान की खोज में लीन रखे। शिष्य अपने गुरु का प्रतिबिम्ब होता है, इस कारण गुरु का आचरण तथा चरित्र अत्यन्त उच्च कोटि का होता था। वे सदा अपने कार्यों के प्रति सजग रहते थे जिससे कि उनके कार्यों का छात्रों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। उस काल में जितनी भी विद्याएँ थीं, उन सबका ज्ञान होना एक आदर्श गुरु के लिए परम आवश्यक था।

अध्ययन और ज्ञान-वृद्धि के अतिरिक्त गुरु का प्रमुख कार्य ज्ञान-राशि के संचित कोष को छात्रों के समक्ष रखना था। प्रत्येक गुरु अपने शिष्यों की जिज्ञासा शान्त करने का प्रयत्न करता था। शिष्यों द्वारा पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना गुरु अपना कर्तव्य समझता था।

गुरु-शिष्य सम्बन्धों की वर्तमान दशा (Present situation or condition of pupil-teacher relations)–प्राचीन काल में शिक्षकों को जो सम्मान प्राप्त था, वह अब धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। वर्तमान समाज उन्हें उतने आदर के साथ नहीं देखता जितना कि प्राचीन समय में देखता था। आज छात्र भी उन्हें अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। परिणामस्वरूप अध्यापकों के मन में अपने कर्तव्यों के प्रति उत्साह नहीं है। छात्र समझते हैं कि हम स्कूलों को शुल्क देते हैं, अतः अध्यापकों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है।

वास्तव में छात्रों में फैली अनुशासनहीनता देश के लिए घातक सिद्ध हो रही है। छात्रों पर ही देश का भविष्य निर्भर है। इसके लिए सबसे पहले उन कारणों को दूर करना होगा जिनके कारण देश में अनुशासनहीनता फैली हुई है।

अध्यापकों को समाज में ऊँचा स्तर प्रदान करना परम आवश्यक है। उनके वेतन में वृद्धि की जाए जिससे वे मन लगाकर छात्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें। इस दिशा में कुछ ठोस पग उठाये भी जा रहे हैं।

अध्यापकों को भी ज्ञान-वृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। केवल धन के ऊपर अपने महान् उद्देश्यों को भुला देना ठीक नहीं है। प्रत्येक अध्यापक को अध्यापन-कार्य में रुचि लेनी चाहिए। यदि अध्यापक, अध्यापक-कार्य में रुचि प्रकट करेंगे तो शिक्षण का स्तर तो उठेगा ही, पर साथ ही छात्र उनका सम्मान भी करने लगेंगे। अध्यापक को अध्यापन-कार्य प्राचीन गुरुओं के समान पवित्र तथा आदर्श भावनाओं से प्रेरित होकर करना चाहिए।

वर्तमान युग के छात्र के अन्दर चारित्रिक दोषों का बाहुल्य है, अतः अध्यापक को अपने चरित्र की दृढ़ता का पूर्ण ध्यान रखना है। चारित्रिक दृढ़ता के अभाव में अध्यापक का अध्यापन-कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। सच्चरित्र अध्यापक का अभाव विद्यालय के समस्त छात्रों पर स्थायी रूप में पड़ता है। वास्तव में अध्यापक अनुकरणीय होता है। जैसा अध्यापक होगा वैसा ही छात्रों का चरित्र होगा। एक अध्यापक जो स्वयं सिगरेट पीता है तथा सिनेमा देखता है, वह किस मुख से अपने छात्रों को सिगरेट पीने तथा सिनेमा देखने से मना कर सकता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

प्राचीन काल में शिक्षा-संस्थाएँ
(Educational Institutions in Ancient Time)

इस युग में अध्यापन का कार्य प्रमुख रूप से गुरु-गृह में होता था। नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर छात्र गुरु-आश्रम या गुरुकुल में शिक्षा (अध्ययन) हेतु जाते थे। परन्तु गुरुकुल तथा गुरु-आश्रम के अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य अन्य संस्थाएँ भी करती थीं। नीचे हम उन संस्थाओं का उल्लेख करेंगे जो इस काल में प्रचलित थीं–

(1) **चरण**–चरण एक प्रकार के वैदिक विद्यापीठ थे, जहाँ छात्र अनेक ब्रह्मचारियों के साथ विद्याध्ययन करते थे। कुछ धर्म-सूत्रों का निर्माण इन चरणों में ही हुआ। गुरु और शिष्य मिलकर वेदों का मनन करते थे तथा अपने-अपने विचार प्रकट करते थे। वैदिक ज्ञान के प्रसार में इन चरणों ने बड़ा योगदान दिया।

(2) **परिषद्**–वृहदारण्यक उपनिषद् में हमें परिषदों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के अनुसार, परिषदों में प्रौढ़ विद्वान् एकत्र होकर दार्शनिक समस्याओं पर विचार करते थे। इन परिषदों में मुख्य रूप से आध्यात्मिक प्रश्नों पर ही विचार होता था।

(3) **सम्मेलन**–सम्मेलनों का आयोजन राजा-महाराजाओं द्वारा होता था। इन सम्मेलनों में योग्य तथा प्रतिभावान् अध्यापकों को आमन्त्रित किया जाता था। वे प्रवचनों द्वारा अपने विचारों को छात्रों के सामने प्रकट करते थे। योग्य विद्वानों को पुरस्कार प्रदान किये जाते थे।

आधुनिक युग में शिक्षण संस्थाएँ प्राचीन काल की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है। अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गई हैं।

प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा (Women education in Ancient India)–प्राचीन भारत में स्त्रियों को शिक्षा पर्याप्त रूप में प्रदान की जाती थी। पुरुषों के समान स्त्रियों को स्वतन्त्रता का पूर्ण अधिकार था। वे बिना रोक-टोक चाहे जहाँ घूम सकती थीं। वे अपने स्वामियों के साथ यज्ञों में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में नारी को अत्यधिक सम्मान प्रदान किया गया था। छात्रों के समान छात्राएँ भी वेदाध्ययन करती थीं। विश्ववारा, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला आदि विदुषी महिलाएँ थीं।

परन्तु उत्तर वैदिक-काल में, स्त्रियों का सम्मान वैदिक-काल की अपेक्षा बहुत कम हो गया था। उन्हें अब समाज उतने आदर के साथ नहीं देखता था, जितना कि वैदिक काल में। उन्हें अब आपत्ति को जोड़ने वाली कहा जाने लगा। अब वे सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं ले सकती थीं। स्त्रियों पर इस प्रकार के बन्धन लगाने का सबसे बड़ा दोष यह हुआ कि उनका मानसिक विकास रुक गया। इस पर भी उपनिषद् काल में अनेक विदुषी तथा योग्य महिलाओं का उल्लेख मिलता है। महर्षि याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का मिथिलाधिपति राजा जनक की सभा में किया गया शास्त्रार्थ हमारे देश के इतिहास में प्रसिद्ध है। कहीं-कहीं पर स्त्री-शिक्षकों का भी वर्णन मिलता है। शिक्षा प्रदान करने वाली स्त्रियाँ 'उपाध्याया' या 'आचार्या' के नाम से पुकारी जाती थीं।

छात्रों की भाँति छात्राएँ भी ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करती थीं। उनका भी छात्रों के समान उपनयन संस्कार होता था। परंतु यह सत्य है कि वैदिक-काल के पश्चात् स्त्रियों पर बन्धन कसे जाने लगे और उन्हें पहले जैसी अध्ययन-अध्यापन की सुविधा नहीं रही।

आधुनिक युग में महिलाओं में पुरुषों के समान भागेदारी प्रदान की गई है। महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ सरकार द्वारा दी जा रही हैं।

◆◆◆

4. प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक शिक्षा के उद्देश्यों में असमानताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर–भारत में विभिन्न समय में शिक्षा के उद्देश्य–समय-समय पर भारत में शिक्षा के उद्देश्य भिन्न-भिन्न रहे हैं। भारत के वर्तमान शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करने से पहले हमें भारत के प्राचीन तथा मध्य युगों की शिक्षा के उद्देश्यों पर एक दृष्टि डालनी चाहिए। इसके साथ-साथ दूसरे देशों में शिक्षा के उद्देश्यों पर भी एक नजर डालनी चाहिए।

प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य–

(i) ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का संचार।
(ii) चरित्र निर्माण।
(iii) व्यक्तित्व में विकास।
(iv) नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का अनुसरण।
(v) सामाजिक कुशलता तथा प्रसन्नता को उत्पन्न करना।
(vi) संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार।

बौद्ध धर्म (Buddhism)–महात्मा बुद्ध ने हिन्दू धर्म की जटिलता के विरुद्ध संघर्ष किया। जाति प्रथा का विरोध किया। समाज में समानता लाने के प्रयास किए। इसलिए इस समय शिक्षा के उद्देश्य विद्यार्थियों के अन्दर नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास थे, क्योंकि अभी तक कोई बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिए शिक्षा में आर्थिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था।

मध्य युग में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Education in Medieval India)

(i) इस्लाम का प्रचार।
(ii) मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार।
(iii) इस्लामी राज्य का प्रसार।
(iv) नैतिकता का विकास।
(v) चरित्र निर्माण।
(vi) शरीयत का प्रचार।
(vii) भौतिक सम्पन्नता।

संसार के कुछ देशों में महत्त्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य (समय की आवश्यकताओं के अनुरूप)–

1. स्पार्टन विचारधारा (Spartan View)–प्राचीन काल में स्पार्टा एक यूनानी नगर राज्य (Greek City State) था, जो चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। कोई भी शत्रु किसी भी ओर से इस राज्य पर आक्रमण कर देता था, इसलिए स्पार्टा के लोगों [illegible]ने राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने देश के लिए शिक्षा के उद्देश्य को [illegible] उनके अनुसार, **"शिक्षा वह है जो किसी देश के लोगों को प्रकृति के प्रकोपों से बचाए। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिकों का निर्माण करना था।"**

2. जर्मनी का उदाहरण लीजिए। जर्मनी में एक समय हिटलर का राज्य था। वह देश का तानाशाह था, परिणामस्वरूप जर्मनी में शिक्षा का उद्देश्य राज्य कौशल (Statecraft) को सर्वोच्च स्थान देना था और निरंकुश सेना का निर्माण करना था।

3. फ्रांस में नेपोलियन के समय का उदाहरण ले लीजिए। उस समय शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांत सिखाने, राज्य के मुख्य शासक के प्रति निष्ठा और विश्वविद्यालयों के नियमों का पालन करना सिखाना था।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

www.bmdeducation.org

4. अमेरिका एक प्रजातांत्रिक देश है। इसलिए यहां शिक्षा के उद्देश्य, शरीर, मन तथा चरित्र का निर्माण करना, उनके अन्दर प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करना और अवकाश के समय का सदुपयोग है।

5. समाजवादी रूस में शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य है–विद्यार्थियों के अन्दर मार्क्सवादी चेतना उत्पन्न करना। इसी प्रकार चीन भी एक साम्यवादी देश है और यहां पर शिक्षा का उद्देश्य बन्दूक की नली से स्वतंत्रता प्राप्त करना है और पूरी शक्ति के साथ समाजवादी मूल्यों को प्राप्त करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत तथा अन्य देशों में भिन्न-भिन्न समय तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहे हैं।

अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा
(Education in the British Period)

लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया। उनका भारत में आने का केवल एक ही उद्देश्य था कि यहां की धन-दौलत लूटकर इंग्लैंड में भेज दी जाए। इसलिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने की बजाय शासन प्रबन्ध को चलाने के लिए अंग्रेजी जानने वाले क्लर्कों (Clerks) का उत्पादन किया गया। आरम्भ में तो शासन प्रबन्ध चलाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को इंग्लैंड से लाना पड़ता था, परन्तु यह क्रिया बहुत महंगी पड़ती थी। इसलिए लार्ड मैकाले ने भारत के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली की घोषणा की, जिसमें यह कहा गया कि **"हमें भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करने का सर्वोत्तम प्रयत्न करना चाहिए जो हममें तथा भारतीय लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करे। हमें लोगों का ऐसा वर्ग चाहिए जो रक्त और रंग से भारतीय हों, परन्तु नैतिक तथा बौद्धिक रुचियों में अंग्रेजों जैसे हों।"**

स्वतंत्र भारत में शिक्षा का उद्देश्य
(Aims of Education in Independent India)

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सरकार ने शिक्षा द्वारा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए दो आयोगों की समय-समय पर नियुक्ति की। इनमें से सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग (Secondary Education Commission) की नियुक्ति 1953 ई. में हुई, जिसने शिक्षा के कुछ उद्देश्य निश्चित किए। इसके बाद 1964 ई. में भारत सरकार ने कोठारी आयोग (Kothari Commission) की स्थापना की, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 ई. में प्रस्तुत की थी। इन दोनों आयोगों द्वारा किए उद्देश्यों का लेखा-जोखा करने से पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे देश को वर्तमान युग में कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और स्वतंत्र भारतवासियों की क्या-क्या आकांक्षाए हैं? जिन समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है, उनके नाम कुछ इस प्रकार है–

1. निर्धनता की समस्या।
2. विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की समस्या।
3. उत्पादन की विभिन्न विधियां।
4. नैतिक मूल्यों का पतन।
5. चुनावों में गड़बड़ी।
6. स्त्रियों की दुर्दशा तथा अपमान।
7. विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता।

देश में इन समस्याओं की विवेचना कुछ इस प्रकार की जा सकती है–

1. निर्धनता की समस्या–बेशक हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए पचास से अधिक वर्ष हो गए हैं, परंतु फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा देश स्वावलम्बी नहीं हुआ है। आज भी भारत का स्थान संसार के अर्धविकसित देशों में है। यहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। यहां तक कि भारत में प्रति

व्यक्ति आय पाकिस्तान से भी कम है। कुल जनसंख्या के 1/3 भाग से भी अधिक लोग निर्धन रेखा के नीचे रहते हैं। इस समय हमारे देश में चार करोड़ से भी अधिक लोग बेरोजगार हैं और छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised unemployment) तो इससे भी कहीं अधिक लोगों में पाई जाती है।

2. नैतिक मूल्यों का पतन–किसी भी देश का गौरव वहाँ के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है, परंतु बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्र भारत में दिन-प्रतिदिन नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। किसी भी देश का गौरव वहां के नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, परंतु भारत में नैतिक मूल्यों का पतन बड़े जोरों पर हो रहा है। कोई भी नौकरी लेनी हो तो किसी मंत्री की सिफारिश होनी चाहिए या घूस दिए बगैर काम नहीं बन सकता। बाजार में कोई भी चीज़ बिना मिलावट के नहीं मिलती, चाहे दवाइयां हो या खाद्यान्न या अन्य सामग्री। व्यापारी लोग मंडी में कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए माल छिपा देते हैं, ताकि लोगों में हाहाकार मचे और चीजों के दाम बढ़े। तस्करी (Smuggling) देश में जोरों से बढ़ रही है, जिसने देश की आर्थिक स्थिति को खोखला बना दिया है। बेईमानी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं सरकारी स्तर पर भी देखने को मिलती है। बोफार्स सौदे (Bofors deal) में घोटाला हुआ है या नहीं, इस पर एक बड़ा चिह्न लगा हुआ है। 'हवाला घोटाला', 'यूरिया घोटाला' तथा कई अन्य प्रकार के घोटाले अदालतों में जांच के लिए पेश किए जा चुके हैं। देश में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देश के गुप्त दस्तावेज जिन पर देश की सुरक्षा निर्भर करती है, बेचने में कोई संकोच नहीं करते।

3. प्रजातंत्र प्रणाली जिस पर हमें कभी अभिमान था,आज वह भी डांवाडोल नजर आ रही है। चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश या हरियाणा, जब भी चुनाव होता है तो लोगों के मत लेने के बजाय राजनैतिक पार्टियों के गुण्डे चुनाव केंद्रों को घेर लेते हैं और मत पेटियों पर कब्जा करके उन पर स्वयं निशान लगाना शुरू कर देते हैं। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' यह आज के युग की मुख्य विशेषता है।

4. संविधान में तो स्त्रियों को पुरुषों के बराबर स्थान दिया गया है और वैसे भी आज की नारी पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है। फिर भी स्त्रियों के प्रति दुर्व्यव्यहार, छेड़छाड़ तथा बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। दहेज के लिए वधू को जलाना एक रिवाज सा बन गया है।

5. वैसे देश में आधुनिकीकरण आ गया है, परन्तु अधिकतर यह आधुनिकीकरण केवल भौतिक क्षेत्र में ही दिखाई देता है। अभौतिक क्षेत्र में लोगों का दृष्टिकोण अभी भी रूढ़िवादी है।

6. सामान्य जनता में आमतौर पर तथा विद्यार्थियों में विशेष तौर पर अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। हमारे अधिकांश विद्यार्थी पूरे वर्ष पुस्तकों की ओर देखते भी नहीं और परीक्षा में अनुचित साधन अपनाकर उत्तीर्ण होने का यत्न करते हैं। विश्वविद्यालय गुंडागर्दी, अपराध तथा बलात्कार के अड्डे बन गये हैं। राजनीतिक दल इन विद्यार्थियों को अपनी कठपुतली बनाए हुए हैं। इसी प्रकार कार्यालय में कर्मचारी अपने पदाधिकारियों से बिल्कुल नहीं डरते।

इनका प्रायः किसी न किसी राजनीतिज्ञ (Politician) से सम्बन्ध होता है। कार्यालय में प्रायः लालफीताशाही (Red Tapism) चलती है।

शिक्षा के उद्देश्य प्रस्तुत करते समय माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग के सामने ये दृश्य थे। इसलिए देश को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए समय की आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन दोनों आयोगों ने शिक्षा के कुछ उद्देश्य प्रस्तुत किए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के उद्देश्य (1953)–

I. प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास–प्रजातंत्र में नागरिकता एक ललकारने वाला दायित्वच है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इनमें बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक गुण आते हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा विकसित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा का सुझाव है कि प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास करने के लिए निम्न गुणों को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए–

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

1. **स्पष्ट चिंतन (Clear Thinking)**—शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट चिंतन तथा नये विचारों को ग्रहण करने के गुणों का विकास होना चाहिए, ताकि व्यक्ति में बौद्धिक शक्ति का विकास हो, जिसकी सहायता से 'सत्य और असत्य' और 'वास्तविकता तथा प्रचार' में अन्तर कर सकें एवं धार्मिक हरण और पक्षपात की हानिकारक अपील को ठुकरा दे।

2. **बोलने तथा लिखने में स्पष्टता (Clearness in Speech and Writing)**—स्पष्ट चिंतन के साथ-साथ स्वतंत्र वाद-विवाद, प्रेरणा तथा विचारों को शान्तिपूर्ण आदान-प्रदान के लिए बोलने तथा लिखने में स्पष्टता होनी चाहिए।

3. **समुदाय के साथ रहने की कला (Art of living with the Community)**—शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को दूसरों के साथ रहने तथा मेलजोल रखते हुए क्रियात्मक अनुभव द्वारा सहयोग की कला की सराहना करनी सीखनी चाहिए। अनुरूपता, भव्यता तथा कुशलता के साथ रहने के गुणों का विकास करना चाहिए। ये गुण निम्नलिखित हो सकते हैं—

(i) अनुशासन
(ii) सहयोग
(iii) सामाजिक सूक्ष्म ग्राहिकता तथा
(iv) सहनशीलता

अतः इन गुणों का शिक्षा द्वारा विकास होना चाहिए।

(iv) सच्ची देशभक्ति की भावना (Sence of true patrriotism)—शिक्षा का एक और उद्देश्य सच्ची देशभक्ति की भावना का विकास है। सच्ची देशभक्ति में तीन बातें आती हैं—

1. अपने देश की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्राप्तियों के प्रति सच्चे प्रेम की भावना।
2. देश की त्रुटियों को स्वीकार करना तथा उनको दूर करने का प्रयत्न करना।
3. राष्ट्रीय हितों के लिए अपने स्वार्थों को त्याग कर देश की सेवा का निश्चय करना।

(v) विश्व नागरिकता की भावना का विकास (Development of sense of World Citizenship)—वर्तमान समाज में 'मेरा देश-गलत या ठीक' (My Country-right or wrong) से अधिक खतरनाक विचार और कोई नहीं है। आज संसार में इतनी घनिष्ठता आ गई है कि कोई राष्ट्र अकेला रहने का साहस नहीं कर सकता। अतः विश्व नागरिकता उतनी ही महत्त्वपूर्ण हो गई है जितनी कि राष्ट्रीय नागरिकता। वास्तव में यह पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें इस बात का अनुभव करना चाहिए कि हम एक संसार के सदस्य हैं।

II. व्यावसायिक कुशलता में सुधार—हमारी शिक्षा प्रणाली का दूसरा प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्पादन अर्थात् तकनीकी और व्यावसायिक कुशलता को उन्नत करना होना चाहिए। इसमें निम्नलिखित बातें आती हैं :

(क) कार्य के लिए नया रुझान पैदा करना (Creation of new attitudes towards work)—हमें विद्यार्थियों में कार्य करने का नया रुझान पैदा करना चाहिए – ऐसा रुझान जो समस्त कार्य की सराहना करना सिखाए।

(ख) तकनीकी कुशलता तथा योग्यता में विकास (Promotion of technical skill and efficiency)—कार्य के लिए नए रुझान के विकास के साथ-साथ तकनीकी योग्यता और शिक्षा के सभी स्तरों पर कुशलता को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी शिल्पीय तथा तकनीकी उन्नति की योजनाओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त हो सकें।

◆◆◆

4.4 नए आर्थिक सुधार तथा शिक्षा पर इनका प्रभाव
(New Economic Reforms and their Impact on education)

5. नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? नए आर्थिक सुधारों के शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए।

(What do you mean by New Economic reforms? Describe their impact on education.) **(C.D.L.U. 2018, M.D.U. 2018)**

अथवा

शिक्षा तथा आर्थिक सुधारों के सम्बन्ध की व्याख्यायित कीजिए।

(Describe the relationship between education and economic reforms.) **(C.R.S.U. 2018)**

उत्तर–आज के आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रत्येक देश विकास के लिए अग्रसर है। सन् 1991 से भारत सरकार ने देश की गति तेज करने के लिए अनेक आर्थिक सुधार आरंभ किए। इन सुधारों को तीन नीतियों के रूप में देखा जा सकता है—

1. उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग (Licensing-L) के स्थान पर उदारीकरण (Liberation-L) नीति लागू करना।
2. उद्योगपतियों के लिए 'कोटा' (Quota-Q) प्रणाली के स्थान पर (Privatisation-P) की नीति लागू करना।
3. आयात-निर्यात के लिए 'परमिट' (Permit-P) के स्थान पर वैश्वीकरण (Globalization) की नीति लागू करना।

इन सुधारों को प्रायः नई आर्थिक नीति का नाम दिया जाता है।

नई आर्थिक नीति के तत्त्व
(Elements of New Economic Policy)

नई आर्थिक नीति के तीन मुख्य तत्त्व हैं—

नई आर्थिक नीति
(New Education Policy)

- उदारीकरण (Liberalization)
- निजीकरण (Privatisation)
- वैश्वीकरण (Globalization)

वैश्वीकरण (Globalization)–वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों का ही परिणाम है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के समीप लाना है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक देश विश्व विकास का एक तत्त्व बन सके। वैश्वीकरण का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त व्यापार, पूंजी तथा श्रम की मुक्त गतिशीलता आदि के द्वारा संबंधित करना है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया तथा प्रक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण सिद्ध हो सकता है। वैश्वीकरण राष्ट्रों का आर्थिक विकास करता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा अनुभव का संसार के विभिन्न देशों के साथ बिना किसी हस्तक्षेप के विनिमय हो सकता है।

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीति संबंधी रणनीतियां (Policy Strategies Promoting Globalization of the Indian Economy)–भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाली महत्त्वपूर्ण नीति संबंधी रणनीतियां निम्नलिखित हैं–

1. विदेशी निवेश की साम्या सीमा में वृद्धि करना (To Increase in Equity Limit to Foreign Investment)–वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश की साम्या सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51-100 प्रतिशत करने दिया गया है। नई आर्थिक नीति के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले 47 उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बिना किसी प्रतिबंध तथा लाल फीताशाही के 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है। निर्यात व्यापार ग्रहों को भी 100 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम (FEMA) लागू किया गया है। अतिरिक्त पूर्जों, कच्चे माल तथा तकनीकी ज्ञान के आयात के मामले में पूंजी निवेश वाली इकाइयों पर सामान्य नियम लागू किए गए है।

2. दीर्घकालीन व्यापार नीति (Long Term Trade Policy)–वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विदेशी व्यापार नीति को दीर्घ अवधि के लिए लागू किया गया है। विदेशी व्यापार नीति एक उदार नीति है जिसके अन्तर्गत विदेशी व्यापार पर लगे सभी प्रकार के नियंत्रण तथा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत कुछ विशिष्ट वस्तुओं के अलावा सभी अन्य वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जा सकता है।

3. आंशिक परिवर्तनीयता (Partial Convertibility)–आंशिक परिवर्तनीयता से अभिप्राय है डॉलर अथवा पौंड स्टर्लिंग जैसी विदेशी करेंसी को विदेशी सौदों के लिए बाजार कीमत पर खरीदना तथा बेचना। वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति दी गई है। यह रियायत आर्थिक सुधारों के अनुरूप है।

आर्थिक परिवर्तनीयता निम्नलिखित सौंदों के लिए वैध है–

1. वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात व निर्यात करना।
2. निवेश पर ब्याज या लाभांश का भुगतान करना।
3. परिवार के खर्चे के लिए भेजी गई धन राशि।

इसमें पूंजी संबंधी सौदें शामिल नहीं किए जाते हैं। इसलिए इसे आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता है। समय बदल रहा है और बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज का युग केवल मात्र विज्ञान और तकनीकी का युग नहीं रहा, बल्कि उदारीकरण (Liberalization), निजीकरण (Privatisation) और वैश्वीकरण (Globalisation) की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहा है। शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो रहे हैं, जिनके परिणामस्वरूप तकनीकी, वैश्वीकरण और उदारीकरण के बीच सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं।

भारत में वैश्वीकरण और निजीकरण की यह प्रक्रिया 1991 ई. में आरम्भ हुई जब अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रित और उच्च केन्द्रित स्तर नीति के आधार पर भारतीय उद्योग में सुधार लेने हेतु भारतीय अर्थ व्यवस्था में सुधार लेने का प्रयास आरम्भ हुआ। सूचना और संचार तकनीक में तीव्र गति से आए परिवर्तनों ने विश्व व्यापार और अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया है। आज़ के इस गत्यात्मक युग में घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तथा निर्यात में वृद्धि हो रही है। इसलिए वैश्वीकरण समय की मांग है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में समन्वय स्थापित करने हेतु दीर्घकालीन तकनीकी विकास नीतियों का अधिक से अधिक विकास करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है जिसके आधारभूत पहलू हैं।

(1) वैश्वीकरण (Globalisation)
(2) उदारीकरण (Liberalisation)
(3) निजीकरण (Privatisation)

(4) अन्तर्राष्ट्रीयकरण (Internationalisation)

I. वैश्वीकरण (Globalisation)–वैश्वीकरण से अभिप्राय है भौगोलिक सीमाओं को पार करके सभी राष्ट्रों का एक दूसरे के निकट आना। यह वैश्वीकरण आर्थिक क्षेत्र में मानव व समाज और राष्ट्र की पहचान बनाने का नवीन ढंग है। यह राष्ट्रों के बीच प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण सिद्ध हो सकता है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए एक-दूसरे राष्ट्र के प्रति राष्ट्रों में रुचि का विकास करता है।

II. उदारीकरण (Liberalisation)–उदारीकरण के महत्त्व को भी समझा जाने लगा है। ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को स्वतन्त्र उदारता और सहनशीलता के पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इससे राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में लचक और परिवर्तन के आधार पर विभिन्नताओं के आधार पर समन्वय होता है।

III. निजीकरण (Privatisation)–निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार से बाहर होकर कार्य किया जाता है, चाहे यह कार्य व्यक्तिगत स्तर पर हो या समूह संगठन के स्तर पर। परन्तु सरकार से बाहर होने पर भी इससे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी कार्य किया जाए वह संविधानिक नियमों से बाहर न हो। निजीकरण उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा तथा कम्पनियों के क्षेत्र में हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने हेतु निजीकरण एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जब सरकार का पूर्ण रूप से शिक्षा पर नियन्त्रण होता है तो कई प्रकार के प्रतिबन्ध लग जाते हैं और उनके चलते शिक्षा तथा अन्य कार्यों की गति धीमी पड़ जाती है।

वैश्वीकरण तथा उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव

शिक्षा और वैश्वीकरण (Education and Globalisation)—आज के युग में उच्च शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक हो गया है। उच्च शिक्षा केवल एक एश्वर्य नहीं, अपितु एक आवश्यकता बन गई है। उच्च शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उससे राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवसायीकरण में अपना योगदान देती है। उच्च शिक्षा व्यक्ति में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की प्रवृत्ति विकसित करती है। विश्व को भली-भाँति जानने की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उच्च शिक्षा से राष्ट्र की प्रगति होती है चाहे यह सामाजिक दिशा में हो या आर्थिक दिशा में। विश्व नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए भी उच्च शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उच्च शिक्षा मानव संसाधनों का विकास करती है ताकि राष्ट्र आर्थिक प्रगति करे।

उच्च शिक्षा के लक्ष्य और विश्वीकरण (Objectives of Higher Education and Globalisation)—आज के युग में समाज में कई प्रकार के प्रति आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से सम्बन्धित उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं–

(1) **ज्ञान विस्फोट की जानकारी प्रदान करना (Providing information of knowledge explosion)**—आज के आधुनिकीकरण के युग में तकनीकी, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में विशेषीकरण के नये क्षेत्र चुनौती दे रहे हैं। इसलिए ज्ञान के पूर्ण रूप से नवीन क्षेत्रों से विद्यार्थियों को पूरी तरह से परिचित कराया जाए।

(2) **नयी तकनीकों का प्रयोग (Use of New techniques)**—उच्च शिक्षा, निम्न स्तर की शिक्षा से गुणात्मक तौर पर भिन्न है। इसलिए इस प्रकार की शिक्षा के प्रदान करने के लिए निर्देशन में नयी तकनीकों का प्रयोग करना।

(3) **विश्व नागरिकता का विकास करना (To develop world citizenship)**—उच्च शिक्षा एक ऐसा सार्थक, सशक्त और प्रगतिशील साधन है जिसके माध्यम से सहज और स्वाभाविक ढंग से विश्व नागरिकता का विकास किया जा सकता है।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

(4) **उच्च शिक्षा के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास (Development of international understanding through the medium of higher education)**

(5) **अनुशासन का निर्माण (Formation of character)**–शिक्षा प्राप्त करने में अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए विद्यार्थियों में नए दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उच्च शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।

(6) **ज्ञान का आदान-प्रदान (Exchange of knowledge)**–सभी राष्ट्रों के विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्र से सम्बन्धित ज्ञान का विश्व स्तर पर आदान-प्रदान करना और एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित होना।

(7) **मानव मूल्यों और संस्कृति का विकास करना (To Develop Human Values and Cultures)**

वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम (Globalisation and Curriculum of Higher Education)—आधुनिक युग में नये उभरते क्षेत्रों में ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, जिसे पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन कोर्सों की शिक्षा स्वतन्त्र रूप में भी प्रदान की जा सकती है। पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सुझाव निम्नलिखित हैं–

(1) स्वास्थ्य एवं औषधि **(Health and Medicines)**
(2) जीव विज्ञान पर आधारित तकनीकें **(Techniques based on life sciences)**
(3) वातावरण से सम्बन्धित सुदृढ़ तकनीक **(Strong techniques from environment point of view)**
(4) विस्तार और संचार प्रणाली **(Extension and communication system)**
(5) प्रबन्ध प्रणाली **(Management System)**
(6) अन्तरिक्ष तकनीकें **(Space Techniques)**
(7) सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन **(Social and Cultural Studies)**
(8) सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स **(Micro electronics and opto electronics)**
(9) क्रियाशील तकनीकें और उपकरण **(Workable Techniques and Equipment)**
(10) नई सामग्री और विशेष भावनाओं से सम्बंधित तकनीकें **(New Content and Techniques concerned with peculiar feelings)**

इस प्रकार कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए जिसमें अधिकता और विविधता का समावेश हो। इस प्रकार के विस्तृत पाठ्यक्रम से विकासशील तथा विकसित देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक वातावरण में स्वस्थ तथा सकारात्मक विकास होता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल कोर्सों की संरचना करते हुए गहन अध्ययन, विस्तृत अनुभव, निपुणता तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसलिए पाठ्यक्रम सम्बन्धित कोर्सों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करनी चाहिए।

शिक्षण-विधियाँ (Methods of Teaching)—उच्च शिक्षा और विश्वीकरण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं चाहे वे काल्पनिक (utopian) ही हों, उनको प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित शिक्षण-विधियों का होना आवश्यक है। इस संदर्भ में परम्परागत शिक्षण विधियाँ हमारी सहायता नहीं कर सकतीं। आज का युग विश्वीकरण का युग है। विश्व स्तर पर जिन कोर्सों को पढ़ाना है उनकी शिक्षण विधियाँ भी विश्व स्तर के प्रयासों से खोजी हुई नवीनतम विधियाँ हों। नवीन विधियाँ शोधकार्यों तथा नये अनुसन्धानों पर आधारित हों। अधिक से अधिक प्रयोगात्मक, अवलोकन और निरीक्षण शक्तियों का उसमें प्रयोग हो।

अनुशासन (Discipline)—उच्च शिक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए अनुशासन का होना अत्यन्त आवश्यक हैं। परन्तु यहाँ पर अनुशासन से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार का तालमेल हो, जिससे शिक्षक सहज रूप से विद्यार्थियों को जो नया ज्ञान देना चाहता है वह उसे देने में सफल हो और विद्यार्थी जो नया ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकें। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की भागीदारी आवश्यक है। यही अनुशासन से अभिप्राय है।

निरीक्षण (Observation)—लक्ष्यों के आधार पर ही हम मूल्यांकन करते हैं। किसी भी संस्था की कार्य प्रणाली या किसी संगठन के कार्य करने की पद्धति का नियन्त्रण और उसका मूल्यांकन करने में निरीक्षण सहायक होता है। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई कमी दिखाई देती है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं ताकि वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

अध्यापक की भूमिका (Role of the Teacher)—आज के इस आधुनिकीकरण और विश्वीकरण के युग में अध्यापक का जागरूक तथा सचेत होना बड़ा आवश्यक है। एक अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए–

(1) वह सचेत और जागरूक हो,
(2) उसका स्वयं का ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए तथा गहरा होना चाहिए।
(3) वह सदा अध्ययनशील हो तथा शिक्षा के नवीन क्षेत्रों की निरन्तर जानकारी प्राप्त करता रहे।
(4) अध्यापन उसका धर्म हो न कि व्यवसाय। वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो।
(5) वह दकियानूसी न हो तथा परिवर्तन में विश्वास रखने वाला हो।
(6) उसका आधुनिकता में विश्वास हो।
(7) वह विभिन्न, संस्कृतियों के आदान-प्रदान में सहयोग देने वाला हो।
(8) विश्वीकरण तथा आधुनिकीकरण की सफलता के लिए एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से उदारवादी (Liberal) हो।
(9) वह शिक्षण की नई विधियों में रुचि रखता हो तथा घिसी-पिटी विधियों का दास न हो। विषय विशेष या कोर्स को पढ़ाने के लिए केवल सिद्धान्तों तक सीमित न करके प्रयोगात्मक, अवलोकन तथा निरीक्षण की नई विधियों को शिक्षण हेतु अपनाने में पूरी तरह से अभ्यस्त हो। वह इस योग्य हो कि विद्यार्थियों में विश्व नागरिकता का विकास कर सके।

◆◆◆

4.5 तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा
(Education for Technological Empowerment)

6. तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए।
(Discuss the role of education in technological development.)

अथवा

शिक्षा तकनीकी सशक्तीकरण में कैसे मदद कर सकती है?
(How can education help in technological empowerment?)

अथवा

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

शिक्षा तथा नवीन तकनीकी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
(What do you understand by integration between Education and Technology Elaborate.) **(M.D.U. 2018)**

उत्तर–आज विज्ञान का युग है। नित नए आविष्कार हो रहे हैं और उनका प्रयोग कर हम किए जाने वाले कार्यों को कम समय में कम शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक दक्षता के साथ कर पा रहे हैं। इस प्रकार समाज धीरे-धीरे तकनीकी दृष्टि से सशक्त होता जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है।

इस प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व तकनीकी व शिक्षा शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है।

तकनीकी का अर्थ (Meaning of Technology)–इसे दो रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है–

(i) तकनीकी शब्द तकनीक से बना है। इसका अर्थ है तरीका। काम करने के तरीके को तकनीकी कहा जा सकता है। अधिक व्यापक अर्थ में काम करने व सोचने का तरीका इसमें शामिल है। जब हम नई तकनीकी की बात करते हैं तो इसका अर्थ है काम करने व सोचने के नवीन तरीकों का प्रयोग करना।

(ii) दूसरे अर्थ में तकनीकी विज्ञान का वास्तविक या व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने से सम्बन्ध रखता है। इस दृष्टि से तकनीकी विज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की कला है।

तकनीकी सशक्तीकरण का अर्थ (Meaning of Technological Empowerment)–इसका अभिप्राय है कि हम व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि विज्ञान का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करें, जिससे अपने प्रयासों के अधिकतम लाभ को प्राप्त कर वे स्वयं अपने समाज को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें।

यही नहीं; वे सोचने के नज़रिए को भी आधुनिक बनाएं, क्योंकि इसे बदले बिना विज्ञान का प्रयोग करना सम्भव ही नहीं हो पाता।

शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education)–यूं तो शिक्षा की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई हैं, पर संक्षेप में इसका अभिप्राय है–

- ऐसी प्रक्रिया जो मानव की क्षमताओं का विकास करती हैं।
- उसके व्यवहार में संशोधन करती है।
- सामाजिक दक्षता का विकास करती है।

तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका
(Role of education in Technological development)

1. शिक्षा बौद्धिक शक्तियों का विकास करती है (Education develops intellectual capacities)–तकनीकी विकास विज्ञान पर आधारित है। अतः व्यक्ति में चिन्तन, तर्क एवं विश्लेषण करने की क्षमताओं का विकास होना आवश्यक है। शिक्षा उसमें इनका विकास करती है, जिससे वे विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने में व उसका जीवन में उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं।

2. सृजनात्मकता का विकास करती है (Develops creativity)–सृजनात्मक तकनीकी सशक्तीकरण की आवश्यक शर्त है। शिक्षा ही व्यक्ति में इन सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करती है।

3. व्यक्ति की सोच में परिवर्तन करती है (Changes the thinking)–तकनीकी सशक्तीकरण तभी सम्भव है जब लोगों की सोच में बदलाव हो। वे कार्य करने व सोचने के नवीन तरीकों को अपनाएं। शिक्षा द्वारा ही उनकी सोच में परिवर्तन सम्भव होता है।

4. नवीनतम जानकारी प्रदान करती है (Provides latest information)–हम तकनीकी सशक्तीकरण की दिशा में तभी अग्रसर हो सकते हैं जब विभिन्न क्षेत्रों में नवीन तकनीकी का प्रयोग करें।

इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त नवीनतम उपलब्धियों की हमें जानकारी हों। शिक्षा ही हमें यह जानकारी उपलब्ध कराती है कि शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग तथा संचार आदि क्षेत्रों में विज्ञान ने क्या-क्या नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं।

5. नवीन तकनीकी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करती है (Encourages to make use of new technology)–शिक्षा व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे नएपन से डरें नहीं। विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। अतः वे जिस भी कार्य से जुड़े हैं, उसे करने के लिए नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करें।

6. शिक्षा शोध को बढ़ावा देती है (Education encourages research)–तकनीकी सशक्तीकरण तभी संभव हो पाता है जब शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, तथा संचार आदि सभी क्षेत्रों में नवीन अनुसन्धान हों। शिक्षा शोध को बढ़ावा देकर तकनीकी सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है।

7. शिक्षा कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है (Education prepares skilled manapower)–शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी कुशल जनशक्ति का निर्माण करती है जो अपने क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग करने में सक्षम हो। इससे तकनीकी सशक्तीकरण में मदद मिलती है।

आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गृहणी से लेकर चिकित्सा, उद्योग, कृषि आदि सभी क्षेत्रों से जुड़े लोग नवीन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आर्थिक विकास हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में असाध्य बीमारियों का इलाज सम्भव हो पाया है। उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। संचार व परिवहन सुविधाएं बेहतर हुई हैं। यह सब हमारे तकनीकी सशक्तीकरण का परिचायक है और इसमें शिक्षा की भूमिका सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। आजादी के बाद इन्जीनियरिंग कृषि, उद्योग, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं की संख्या व गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं ने ऐसी सक्षम जनशक्ति प्रदान की है कि हम निरन्तर तकनीकी सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

तकनीकी सशक्तीकरण के लिए शिक्षा कैसी हो? (What type of education should be for technological empowerment)–इस विषय में स्वतन्त्रता के गठित विभिन्न आयोगों ने गम्भीरता से विचार किया और कुछ सुझाव दिए। उन्हें ध्यान में रखते हुए शिक्षा में निम्न बिन्दुओं पर बल देना होगा–

1. विभिन्न स्तरों पर विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यह बच्चे के आस-पास के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए।
   माध्यमिक स्तर पर यह सैद्धान्तिक न होकर 'Home Technology' पर आधारित हों। दूसरे शब्दों में यह विद्यार्थियों को इस योग्य बनाए कि वह छोटे घरेलू उपकरणों को स्वयं ठीक कर लें। किचन गार्डनिंग शुरू करें और जो भी विज्ञान के अन्तर्गत पढ़ रहे हैं उसे प्रयोग में भी लाएं।
   उच्च स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता पाने के इच्छुक विद्यार्थी ही इस विषय का चयन करते हैं। अतः उनके द्वारा चुने गए वैज्ञानिक विषयों की सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों प्रकार की जानकारी उन्हें दी जाए। उन्हें शोध के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
2. तथ्यों की जानकारी देने की अपेक्षा शिक्षा द्वारा उनमें वैज्ञानिक ढंग से खोजबीन करने व आलोचनात्मक चिन्तन करने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए।
3. विद्यार्थियों के लिए पाठ्य-पुस्तकें एवं अध्यापकों के लिए मार्गदर्शिकाएं विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जानी चाहिए।
4. उच्च स्तर पर विज्ञान को कृषि, शिक्षा, चिकित्सा तथा उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए।
5. विज्ञान विषय में ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाएँ जो विज्ञान व शिक्षण दोनों में रुचि रखते हों। जटिलतम प्रत्ययों को सहज व सरलतम तरीके से स्पष्ट करने में सक्षम हों और तकनीकी सशक्तीकरण में विज्ञान के महत्त्व से अवगत हों।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER

25% Discount

For first 10 students

Call us on 7206205020

B.Ed
M.Ed
D.Ed

- DIRECT ADMISSION
- LOWEST FEES
- NCTE APPROVED
- FREE BOOKS
- ONLINE VIDEOS
- DISSERTATION HELP
- INTERNSHIP HELP
- YEARLY EXAMINATION
- SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

6. शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। अच्छी साधन-सम्पन्न प्रयोगशाला का होना बहुत आवश्यक हैं।
7. सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'तकनीकी सशक्तीकरण' को शिक्षा के उद्देश्यों में मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए, तभी इसकी प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक शैक्षिक कदम उठाए जा सकते हैं।
8. विभिन्न विषयों के अध्यापक अपने विषयों को जीवन व तकनीकी के साथ जोड़कर पढ़ाएं। वे उनमें यह भावना विकसित करें कि क्षेत्र विशेष में हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं उसका मुख्य कारण है विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का जीवन में प्रयोग। इससे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरणा मिलेगी।

निष्कर्ष (Conclusion)—अन्त में यह कहा जा सकता है कि तकनीकी सशक्तीकरण में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है बशर्ते इसके लिए कुछ सुविचारित प्रयास किए जाएं।

◆◆◆

4.6 सर्वव्यापी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका (Role of Teacher in the context of Universal Education)

7. एक आदर्श अध्यापक या शिक्षक के गुणों या योग्यताओं की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिये।

अथवा

सर्वव्यापी या वैश्विक शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है?

उत्तर–अध्यापक (Teacher)—यद्यपि विद्यालय का केन्द्र विन्दु मुख्याध्यापक है। परन्तु उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नीचे काम करने वाले अध्यापक उसकी किस स्तर तक सहायता करते हैं। यानी मुख्याध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर काफी हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्याध्यापक कितना भी विद्वान व कुशल क्यों न हो, यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है तो वह विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकता।

मानवीय साधनों में मुख्याध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियाँ हैं, जो किसी भी विद्यालय के लिए महत्त्वपूर्ण अंग हैं। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है यदि दोनों ही शक्तियाँ ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अपने-अपने कार्य संभालें। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि मुख्याध्यापक के बाद अध्यापक विद्यालय की दूसरी बड़ी शक्ति होती है जो विद्यार्थियों के जीवन को एक सकारात्मक दिशा देकर योग्य नागरिक बनाती है। अध्यापक वास्तव में देश का महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है जो इतिहास रचयिता भी होता है। इस विषय में एच.जी. वैल्ज (H.G. Wells) का कथन है, **"इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है।"**

("The sole maker of the history is the teacher. Manu observes a teacher as the image of Brahma.")

शिक्षा विद्यालय को गति देती है। यह बात सत्य है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ, पाठ्य-पुस्तकें आदि सभी वस्तुएँ शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं, परन्तु यदि उसमें काम करने वाले अध्यापकों का स्तर तथा चरित्र उच्च नहीं होगा तो वह विद्यालय कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। निःसन्देह वह अध्यापक ही है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। वह दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में

देखता है तो पूरे संसार को भाई चारे का पाठ पढ़ाता है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अध्यापक वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के जीवन को ही नहीं अपितु देश के स्वरूप को बदल सकती है। अध्यापक की स्थिति तथा उसके कार्य को समझने के लिए भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. हुमायूँ कबीर ने अध्यापक के विषय में कहा है **"अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है।"**

("Without good teacher, even the best of system is bound to fail. With good teachers, even the defects of a system can be largely overcome.")

अध्यापक का स्थान तो समाज में भगवान से भी बड़ा माना गया है। गुरु की प्रशंसा में रहीमदास, कबीरदास जैसे महान् कवियों ने अनेकों दोहे तथा छन्द लिखे हैं। कबीरदास जी ने तो गुरु की महिमा तथा पद को भगवान से भी बड़ा माना है। कबीरदास जी लिखते हैं—

"गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े काके लागे पाय।
बलिहारी गुरु आपने गोबिन्द दियो बताय।।"
"सब धरती कागद करूँ, लेखनी सब बनराय।
सात समुद्र की मसि करु, गुरु गुण लिखा न जाय।"

हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जिनमें श्रेष्ठ गुण हों। उनका काम मात्र सूचनाएँ एकत्रित करना, उन्हें बाँटना ही नहीं है, उसे तो एक समाज-सुधारक का काम करना है तथा नैतिकता का प्रचार भी करना है।

अध्यापक के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मुदालियर शिक्षा आयोग (Mudaliar education Commission) ने कहा है कि, **"हम इस बात से पूर्णरूप से सहमत हैं कि शिक्षा महत्त्वपूर्ण तत्त्व अध्यापक है–उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक जीवन, प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समुदाय में उसका स्थान। विद्यालय की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें कार्यरत अध्यापकों पर आधारित होता है।"**

("We are however, convinced that the most important factor in the complete educational reconstruction is the teacher – his personal qualities his educational qualities, his professional training and the place he occupies in the school as well as in the community. The reputation of a school and the influence on the life of community invariably depends upon the kind of teacher working in it.")

इसी संदर्भ में कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) (Kothari Education Commission 1964-66) ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि, **"शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्त्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्त्व निःसन्देह सर्वोपरि है।"**

("If all different factors which influence the quality of education and its contribution to material development, the quality, competence and character of teacher are undoubtedly the most significant.")

हुमायूँ कबीर ने अध्यापक के विषय में एक और परिभाषा देते हुए लिखा है, **"शाब्दिक अर्थ में शिक्षक राष्ट्रीय भाग्य का निर्णायक है।"**

("Teachers are literally the arbiters of a nation.")

भारत के महानतम ऋषिवर मनु ने अध्यापक के विषय में कहा है कि, **"अपनी माता के प्रति श्रद्धा द्वारा बालक विश्व को प्राप्त करता है, पिता की श्रद्धा से मध्य जगत् तथा शिक्षक के प्रति श्रद्धा से ब्रह्म जगत् को प्राप्त करता है।"**

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

(Manu, the greatest of Samiti says, "A child by devotion to his mother obtains this world, by devotion to his father the middle world, and by the devotion to his teacher, the Brahma world.")

इस प्रकार शिक्षा का महत्त्व समाज तथा शिक्षा पद्धति दोनों से ही स्पष्ट है। वस्तुतः शिक्षक उन भावी नागरिकों का निर्माण करता है जिनके ऊपर राष्ट्र के उत्थान एवं पतन का भार है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति इस अध्यापन कार्य को चुनता है तो यह किसी विवशता के कारण नहीं होना चाहिए। उसका यह चुनाव उसकी रुचियों, प्रवृत्तियों तथा इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। केवल ऐसा होने पर ही वह इस व्यवसाय में कोई सार्थक कार्य कर सकता है। उसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग को अध्यापकों के चयन के समय इस बात का अधिक ध्यान देना चाहिए कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का इस व्यवसाय में चयन हो जो वास्तव में इसे इससे जुड़ना चाहते हैं।

वैश्विक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका–वैश्विक या सार्वभौमिक शिक्षा में शिक्षक की अहम् भूमिका होती है। वैश्विक शिक्षा के लिए शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है–

1. विश्व नागरिकता का विकास (Development of World Citizenship)—शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना होना चाहिए ताकि वह स्वयं को विश्व परिवार का सदस्य माने और अपने निजी स्वार्थों को त्याग दे। उच्च शिक्षा एक ऐसा सार्थक, सशक्त व प्रगतिशील साधन है जिससे सहज व स्वाभाविक ढंग से विश्व नागरिकता का विकास किया जा सकता है। अध्यापक की इसमें अहम् भूमिका है।

2. ज्ञान विस्फोट की जानकारी प्रदान करना (Providing Information of Knowledge Explosion)—आज के आधुनिकीकरण के युग में तकनीकी, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में विशेषीकरण के नए क्षेत्र को चुनौती दे रहे हैं। अतः ज्ञान के नये क्षेत्रों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए। अतः शिक्षा का उद्देश्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना होना। इसमें अध्यापक की अहम भूमिका होती है।

3. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना (All round Development of the Personality)—आज शिक्षा को व्यापक अर्थों में ग्रहण किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चे को पढ़ना-लिखना सिखाकर उसका केवल मानसिक विकास करना ही नहीं है। इसका सम्बन्ध तो उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के समान विकास के साथ है। इसीलिए शिक्षा को चार H की शिक्षा भी कहा जाता है। जिसका अर्थ है–

1. Head
2. Heart
3. Hand
4. Health

ये चार H व्यक्तित्व के निम्नलिखित चार पक्षों की ओर संकेत करते हैं–

Head — अर्थात् मानसिक विकास
Heart — अर्थात् भावात्मक विकास
Hand — अर्थात् व्यावसायिक कुशलता का विकास
Health — अर्थात् शारीरिक विकास।

अध्यापक निम्नलिखित पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है–

(i) शारीरिक विकास–शारीरिक विकास व्यक्तित्त्व के अन्य पक्षों के विकास का आधार है। सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है (A sound mind in a sound body.)। स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे के सुख-दुख में उसका साथ दे सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ उसके सम्बन्ध को भी शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। अतः शिक्षा का एक उद्देश्य बच्चे का समुचित शारीरिक विकास करना है जिससे उसके व्यक्तित्त्व के अन्य पक्षों का विकास हो सके।

(ii) मानसिक विकास–जीवन में सफलता के लिए व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास बहुत जरूरी है। सोचना-समझना, तर्क करना, निर्णय लेना तथा समस्या समाधान आदि योग्यताओं की व्यक्ति को कदम-कदम पर आवश्यकता होती है। अत: शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की इन बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है जिससे वह सोच-विचार कर उचित निर्णय ले सके तथा जीवन में आने वाली समस्याओं का ठीक से समाधान कर सके।

(iii) भावात्मक विकास–केवल शारीरिक व मानसिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। मानव होने के नाते उसमें संवेदना या भावना का होना आवश्यक है। व्यक्ति कितना ही स्वस्थ व उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, भावनाओं के अभाव में अशिक्षित ही कहा जाएगा। यदि किसी दुखी या संकटग्रस्त व्यक्ति को देखकर हमारे दिल में दया का भाव पैदा नहीं होता तो हम शिक्षित तो क्या मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। अत: शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का भावात्मक विकास करना भी है।

(iv) सामाजिक विकास–सामाजिक प्राणी के होने के नाते व्यक्ति में कुछ सामाजिक गुणों का होना बहुत आवश्यक है। उसमें ऐसी योग्यताएँ होनी चाहिएं जिससे वह समाज में अपने आपको एक योग्य नागरिक के रूप में प्रस्तुत कर सके। इसके अतिरिक्त सफल होने के लिए उसमें समाज के साथ समायोजन करने की योग्यता भी आवश्यक है। अत: शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक विकास करना भी है।

(v) नैतिक विकास–व्यक्ति के जीवन में चरित्र का महत्त्व स्वास्थ्य एवं धन से भी अधिक है। संस्कृत में कहा गया है कि धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता पर चरित्र के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। सच्चरित्र व्यक्ति ही समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। इस संदर्भ में **हरबार्ट** का यह कथन उल्लेखनीय है–**"शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नैतिकता का विकास करना है।"** (One and whole aim of education may be summed up in the concept of morality.)

(vi) कलात्मक अभिरुचि का विकास–मानव होने के नाते मनुष्य में सौन्दर्यानुभूति की क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में उसमें ऐसी योग्यता हो कि वह सुन्दर वस्तु को देखकर उसकी सराहना कर सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमता का विकास करना है।

(vii) व्यावसायिक कुशलता का विकास–महात्मा गाँधी ने कहा था कि **"शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए।"** (Education should be a kind of insurance against unemployment.)

अत: शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में व्यावसायिक दक्षता का विकास करना होना चाहिए जिससे शिक्षा समाप्ति के बाद वह सीखे गए व्यवसाय के आधार पर अपनी आजीविका कमा सके।

4. वैश्वीकरण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पर बल (Emphasis on Globalisation Related Curriculum)—वैश्वीकरण के अन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्न सिद्धान्तों को अध्यापक द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए–

(i) पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में ज्ञान, बोध व कौशलों का विकास करे।
(ii) पाठ्यक्रम में विभिन्नता हो।
(iii) बच्चों में अपेक्षित मूल्यों का विकास करे।
(iv) बच्चों में विश्व नागरिकता का विकास करे।
(v) यह आधुनिकता व परम्परा के समन्वय स्थापित करे।
(vi) समाज की आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तनशील हो।

उपर्युक्त सिद्धान्तों के मद्देनजर पाठ्यक्रम में हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, नैतिक शिक्षा तथा विज्ञान व तकनीकी के विषयों तथा व्यावसायिक विषयों को शामिल किया जाए। इन विषयों की विषय-सामग्री भी वैश्वीकरण के अनुरूप हो।

LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

5. विश्व-स्तर की शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल (Emphasis on Global Level Teaching Methods)—अध्यापक द्वारा वैश्वीकरण के सन्दर्भ में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिएँ। उनकी प्राप्ति की शिक्षण विधियाँ भी विश्व स्तर की होनी चाहिएं। शिक्षण विधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। आज छात्र ज्ञान को स्वयं खोज निकालता है। इंटरनैट व कम्पयूटर का प्रयोग बढ़ गया है। अपने अनुभवों व क्रियाओं द्वारा सीखने की प्रक्रिया को बल मिला है। अतः छात्रों के स्वयं के निरीक्षण, अध्ययन व प्रयोग पर आधारित विधियों का प्रयोग विश्वीकरण की प्रक्रिया के अनुरूप है।

6. मानव मूल्यों व संस्कृति का विकास (Development of Human Values and Culture)—शिक्षा का उद्देश्य मानव मूल्यों तथा संस्कृति का विकास भी होना चाहिए ताकि वैश्वीकरण के इस दौर में हम अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान भी बनाए रख सकें।

7. व्यावसायिक कुशलता का विकास (Development of Vocational Efficiency)—शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास भी होना चाहिए क्योंकि आर्थिक सुधार व्यक्तियों की व्यावसायिक दक्षता पर निर्भर करते हैं। वैश्वीकरण आर्थिक सुधारों के साथ सम्बन्ध रखता है।

8. आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा (Education for Modernization)—आधुनिकीकरण का अर्थ है व्यक्तियों के सोचने एवं कार्य करने के ढंग में बदलाव आना। आज कोई भी देश पुरानी सोच एवं काम करने के पुराने तरीके प्रयोग करके आगे नहीं बढ़ सकता। अतः शिक्षा का उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाकर तथा उनको काम करने के नए तरीकों की जानकारी देकर उस समाज का आधुनिकीकरण करना होना चाहिए।

भारतीय समाज भी रूढ़ियों व अंधविश्वासों का शिकार रहा है। यहाँ के लोग पुरातन पंथी हैं। किसी भी नई बात को वे आसानी से स्वीकार नहीं करते। काम करने के नए तरीकों का अपनाने से वे डरते हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। अतः हमारी शिक्षा का उद्देश्य समाज का आधुनिकीकरण करना होना चाहिएँ विज्ञान व तकनीकी की शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसमें अध्यापक की अहम भूमिका होती है।

9. बच्चों को उच्च-शिक्षा के अवसर प्रदान करना (Providing Opportunities to Children for Higher Education)—आज उच्च शिक्षा प्रदान करना आवश्यक हो गया है। उच्च शिक्षा से व्यक्तित्त्व का विकास होता है, यह व्यवसायीकरण में योगदान देती है, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर जागरूकता उत्पन्न होती है। विश्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उच्च शिक्षा से देश की प्रगति होती है। विश्व नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है यह मानव संसाधनों का विकास करती है ताकि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति करे। इसमें अध्यापक की अहम भूमिका होती है।

10. विश्व नागरिकता की भावना का विकास (Development of the Sense of World Citizenship)—वर्तमान संसार में मेरा देश गलत या ठीक (My country right or wrong) से अधिक खतरनाक विचार और कोई नहीं। आज संसार में इतनी घनिष्ठता आ गई है कि कोई राष्ट्र अकेले रहने का साहस नहीं कर सकता। अतः विश्वनागरिकता उतनी ही महत्त्वपूर्ण हो गई है जितनी कि राष्ट्रीय नागरिकता।

11. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना—आज का युग अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है। संकीर्ण राष्ट्रीयता युद्धों को जन्म देती है। आज कोई भी राष्ट्र अकेला रहकर प्रगति नहीं कर सकता। अतः आज बच्चों में विश्व परिवार की भावना का विकास करना आवश्यक है जिससे वे मानवता के हित के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को बलिदान करने के लिए तैयार रहें। शिक्षा के माध्यम से उन्हें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों, उनकी सभ्यता व संस्कृति की जानकारी दी जाए तथा यह बताया जाए कि किसी प्रकार सभी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए

किसी न किसी रूप में दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर हैं। इसके लिए हमरी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना होना चाहिए। अध्यापक की अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

12. सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास (Development of Social, Moral and Spiritual Values)—आज भारत ही नहीं विश्व भर में मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। मानव का नैतिक पतन हो रहा है। आपसी प्रेम एवं सहयोग जैसी भावनाएँ लुप्त होती जा रही हैं। आपसी घृणा एवं द्वेष बढ़ता जा रहा है। मानवता नष्ट होती जा रही है। सारा विश्व अशान्त है और इस अशान्ति से बचने के लिए व्यक्तियों में अच्छे मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक है। ऐसा तभी सम्भव है जब हम इसे अपनी शिक्षा का उद्देश्य बनाकर उसके माध्यम से बच्चों के जीवन में आरंभ से ही इन मूल्यों को उतारने का प्रयास करें। इस संदर्भ में भारतीय शिक्षा आयोग की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं—"आज हम विनाश के उस कगार पर खड़े हैं जहाँ से कुछ भी बचने वाला नहीं है। विश्व में सांस्कृतिक व सामाजिक संघर्ष उत्पन्न हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति अशान्त है और इस अशान्ति का मुख्य कारण है मानव मूल्यों का पतन। पतन की इस प्रक्रिया पर केवल एक प्रकार से विजय प्राप्त की जा सकती है। वह है शिक्षा प्रक्रिया में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को पर्याप्त स्थान दिया जाए।" अध्यापक की इन मूल्यों के विकास में मुख्य भूमिका होती है।

13. पर्यावरण संरक्षण (Conservation f Environment)—बढ़ता प्रदूषण आज एक विश्व समस्या का रूप धारण कर चुका है। यदि इसे नियंत्रित करने के लिए उचित कदम न उठाए गए तो मानवता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। उन्हें प्रदूषण के खतरों के प्रति सचेत किया जाए। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण को शिक्षा का एक उद्देश्य बनाया जाना चाहिए। विद्यालय में पढ़ाए जा रहे विभिन्न विषयों तथा अन्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से अध्यापक द्वारा बच्चों को पर्यावरण सम्बन्धी जानकारी दी जानी चाहिए।

उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए—

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा लोकतांत्रिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना।
2. विषम परिस्थितियों का सामना करने व उन्हें बदलने के लिए आत्म-विश्वास पैदा करना।
3. भौतिक, सामाजिक, तकनीकी, आर्थिक व सांस्कृतिक वातावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
4. श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना।
5. देश की एकता, उसके सम्मान और विकास को बनाए रखने के लिए समर्पण की भावना का विकास करना।
6. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना।

◆◆◆

4.7 समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण (Reservation as an Egalitarion policy)

8. समानतावादी नीति के रूप में आरक्षण का वर्णन कीजिए।

अथवा

शिक्षा के समानता का क्या अर्थ है? शिक्षा के समानता लाने में आरक्षण किस तरह मदद करता है?

उत्तर—शिक्षा में समानता लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान की धारा (अनुच्छेद 340) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR-SC/ST/OBC

www.bmdeducation.org

पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया था, जो पिछड़े वर्गों की दशा की जांच-पड़ताल के पश्चात् उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करता है। इस प्रकार के दो आयोगों का गठन किया गया है।

1. केलकर आयोग (1953-1955)—इस आयोग की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
2. मण्डल आयोग (1979-1980)--इसका विवरण इस प्रकार है—

मण्डल आयोग की सिफारिशें तथा सरकार का निर्णय—मण्डल कमीशन के अध्यक्ष बी. पी. मण्डल थे। इस कारण यह मण्डल कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का गठन 1979 में हुआ तथा इसने अपनी संस्तुतियाँ 1980 में दीं। इस कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं—

1. पिछड़े वर्गों (जातियों) को सरकारी नौकरियाँ 27% आरक्षण दिया जाए।
2. केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी वैज्ञानिक तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में पिछड़ी जातियों के लिए 24 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएँ।
3. पिछड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अलग से वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की जाए।

मण्डल आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय—मण्डल कमीशन की रिपोर्ट पर देश में कुछ समूहों में जो आरक्षण के विरुद्ध थे, उन्होंने देशव्यापी हड़तालें कीं तथा जुलूस निकाले। भारत सरकार ने 7 अगस्त, 1990 को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण करने की घोषणा की। बाद में कुछ संशोधन किया गया, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत पदों को ऐसे निर्धन लोगों के लिए रखा जाएगा जो आरक्षण की वर्तमान किसी भी योजना के अन्तर्गत नहीं आते।

धारा 29(2) के अनुसार, "राज्य द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा के आधारों पर अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।"

धारा 30(1) के अनुसार, "सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, अपनी पसन्द की शिक्षा संस्था स्थापित करने एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा।"

राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय, इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है। चाहे उसका आधार धर्म हो अथवा भाषा हो।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश—उच्चतम न्यायालय ने 16 नवम्बर, 1992 को निर्णय दिया। मुख्य रूप से इसमें निम्न बातें कही गई हैं—

1. जो अधिसूचना नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में जारी की गई थी, वह सही है।
2. जो 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था, वह ठीक नहीं है।
3. पिछड़े वर्गों में जो आर्थिक रूप से सम्पन्न (Creamy Layer) हैं, उन्हें आरक्षण की सूची से निकाल दिया जाए।

शिक्षा में समानता का अर्थ (Meaning of Equality in Education)—सामान्य व्यक्ति के लिये समानता का अर्थ बराबरी से है अर्थात् सभी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाये। साधारण व्यक्तियों के अनुसार 'सभी समान हैं' परंतु ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों में शारीरिक संरचना एवं मानसिक योग्यताओं की दृष्टि से भिन्नता पायी जाती है। जब हम समानता को शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा अभिप्राय शिक्षा में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। वास्तव में समानता अन्यायपूर्ण असमानता के विरुद्ध उठती एक आवाज है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को तब तक समान समझा जाये जब तक वैसा न करने के उचित न्यायसंगत कारण न हों। समान अवसर प्रदान करने की बात इतनी आसान नहीं है जितनी कि दिखाई देती है। इसका तात्पर्य समाज

के मूल्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सभी वर्गों के लिये समान अवसर प्रदान करना है। उदाहरण के लिये, भारतीय संविधान द्वारा सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है किन्तु समाज के पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा स्त्रियों आदि के लिये कुछ विशेष प्रावधान किये गये हैं। ऐसा करना समानता के अधिकार का हनन नहीं है। क्योंकि ऐसा करने का न्यायोचित कारण है और वह है वर्षों से उपेक्षित इन वर्ग के लोगों को समाज के अन्य उच्च वर्गों के बराबर की स्थिति पर लाना। प्रजातंत्र इस बात पर बल देता है कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करने चाहिये। डॉ. सी. शेषाद्रि के अनुसार, **"शिक्षा का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा नामक वस्तु के वितरण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।"**

("The principle of equality asserts that no distinction shall be made in the distribution of the commodity of education."—**Dr. C. Seshadri**)

जवाहरलाल नेहरू ने समानता के बारे में कहा है, **"हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर मिले। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास किया जाये।"**

शिक्षा में समानता के प्रत्यय को अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में महत्त्व दिया जाने लगा। इसके लिये समाजशास्त्रियों ने भी ध्यान दिया। उनके अनुसार यदि सामाजिक वातावरण में सुधार नहीं होगा तो शिक्षा के पूर्व निर्माण के सभी प्रयत्न निष्फल हो जायेंगे, क्योंकि समानता के उद्देश्य को साकार बनाने के लिये सभी को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था होनी भी जरूरी है, जिससे सभी को शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के समान अवसर मिलें। संक्षेप में शिक्षा में समानता को प्राप्त करने के लिये **निम्नलिखित तत्त्वों** का होना आवश्यक है—

1. किसी एक विशेष स्तर पर समान पाठ्यक्रम के अनुसार निःशुल्क, आवश्यक एवं सर्वमान्य शिक्षा प्रदान करना। ताकि सभी बच्चे शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश ले सकें।
2. सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा-संस्थाएँ खोलने का अधिकार।
3. सरकार एवं शिक्षा प्रबंधकों को इस बात की ओर ध्यान दें कि सभी शिक्षा संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से प्रवेश की सुविधा।
4. राज्य द्वारा शिक्षा के समान अवसर एक ही नगर या स्थान पर प्रदान किये जायें क्योंकि शिक्षा की गतिविधियों के लिये स्थानीय करों की सहायता से ही धन जुटाने का प्रयास किया जाता है।
5. बच्चों की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि को मान्यता दिये बिना सारे देश में समान शिक्षा संरचना और सबके लिए समान पाठ्यक्रम आदि निर्धारित किया जायें।
6. राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने में सभी शिक्षा-संस्थाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए।

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्वतंत्र भारत की सरकार ने देश में लोकतंत्रात्मक समाजवादी समाज की स्थापना करने तथा राष्ट्रीय विकास का निश्चय किया है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा में समान अवसर का बहुत महत्त्व है, क्योंकि 1950 में हमने देश को गणतंत्र राज्य घोषित किया था। जिसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को (विचारों, भाषण एवं लेखन) की स्वतंत्रता एवं समानता के प्रमुख मौलिक अधिकार प्राप्त है।

आज प्रजातंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को जोकि बालिग है वोट देने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु इसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब देश का नागरिक शिक्षित हो। इसके साथ समान अवसरों

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
› DIRECT ADMISSION
› LOWEST FEES
› NCTE APPROVED
› FREE BOOKS
› ONLINE VIDEOS
› DISSERTATION HELP
› INTERNSHIP HELP
› YEARLY EXAMINATION
› SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

का न्यायसंगत विभाजन भी आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में असमानता एवं पक्षपात का बोलबाला है। अतः शैक्षिक अवसरों की समानता और पक्षपातहीन प्रजातंत्र देश की अनिवार्य आवश्यकता है। **कोठारी आयोग** के नाम से प्रसिद्ध शिक्षा आयोग (1964-66) ने शिक्षा के प्रसार के लिए निम्न शब्दों में सुझाव दिया–,

"महत्त्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए जायें तथा पिछड़े एवं साधनहीन लोगों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपना स्तर सुधारने के लिए शिक्षा को माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकें। प्रत्येक समाज जो सामाजिक न्याय को महत्त्व देता है एवं सर्वसाधारण के भाग्य को सुधारने में रुचि रखता है, उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के प्रत्येक अंग को शिक्षा का समान अवसर मिले।"

("One of the most important social objective is to equalise educational opportunity enabling the backward and the under privileged to use education as a lever to improve their condition. Every society, it values social justice and is anxious to improve the lot of common man must ensure progressive equality of opportunity to all sectors of population."—**Kothari Commission (1964-66)**)

शिक्षा में समानता की आवश्यकता
(Need for Equality in Education)

यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज अति विषम, वंशानुगत तथा असमानताओं से घिरा हुआ है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिये जहाँ एक ओर शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर जाति एवं वंश भेद आदि की विषमताओं को मिटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा के समानता की आवश्यकता **निम्न कारणों** से हैं–

1. प्रजातंत्र की सफलता के लिये (For the Success of Democracy)–प्रजातंत्र का महत्त्वपूर्ण मूल्य है–समानता। भारत जैसे प्रजातंत्र देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र की आधारशिला शिक्षा है। अतः जहाँ किसी भी क्षेत्र में समानता नहीं है वहाँ प्रजातंत्र सफल हो ही नहीं सकता। अतः प्रजातांत्रिक भारत कभी भी उन्नति नहीं कर सकता यदि शिक्षा की व्यवस्था का लाभ सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त नहीं होता। अतः प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता की आवश्यकता है।

2. शिक्षा एक मूलभूत मानव अधिकार होने के कारण (Education being a Fundamental Human Right)–संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए कहा था कि क्योंकि सभी व्यक्ति समान हैं इसलिए उनके अधिकार भी समान हैं और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा को एक मूलभूत मानव अधिकार माना गया है। अतः शिक्षा मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है जिनका उपयोग वह तभी कर सकता है जबकि समाज में सबको समान शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जायें। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग तथा रंग आदि के आधार पर इससे वंचित नहीं रखा जा सकता।

3. सार्वलौकिक विद्यालय प्रणाली के लिए (Common School System)–सरकारी एवं पब्लिक स्कूल की दूरी समाप्त करने के लिए सार्वलौकिक विद्यालयों की आवश्यकता है। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम उन्नत एवं साथ ही निम्न मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसमें प्रत्येक छात्र को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश लेने का अधिकार होना चाहिए।

4. आर्थिक विकास के लिए (For Economic Development)–किसी भी समाज के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता एवं निष्पक्षता का होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि

शिक्षा मानवीय पूंजी निर्माण का महत्त्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा ही देश का आर्थिक विकास संभव है। परंतु यह तभी संभव है, यदि शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों।

5. शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए–शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता भी दिखायी देती है। यद्यपि यह क्षेत्रीय असमानता लगभग विश्व के सभी विकासशील देशों में देखने को मिलती है किन्तु भारत में यह सबसे अधिक है। इस प्रकार की असमानता प्रायः आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं में भी दिखायी देती है। यह हमें कई प्रकार से दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर विभिन्न राज्यों में, राज्यों के विभिन्न भागों में असमानता, एक जिले के विभिन्न बच्चों में असमानता आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 60 वर्षों के पश्चात् भी हम इसे समाप्त करने में असफल रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करते समय राज्य सरकारों को देश में राज्य अथवा किसी भी जिले की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

6. सामाजिक स्तर में विकास के लिए–भारतीय सामाजिक स्तर में उन्नति के लिए शिक्षा में समानता एवं निष्पक्षता का होना अति आवश्यक है। समाज की बुराइयों को दूर करने तथा नागरिकों में जागृति लाने के लिए समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े एवं गरीब वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि उनके सामाजिक स्तर में सुधार हो सके।

7. कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए (To Establish a Welfare Society)–भारतीय समाज को कल्याणकारी बनाने हेतु शिक्षा में अवसरों की समानता उपलब्ध होनी चाहिये। 1977, 1967 व 1966 में हुये अनुसंधानों के निष्कर्ष के अनुसार औपचारिक शिक्षा ही गरीबों में ऊर्ध्वगामी सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता का कारण रही है। भारतीय शिक्षा आयोग के शब्दों में, "शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सबको समान अवसर प्रदान करता है, जिससे पिछड़े व सामाजिक सुविधाओं से वंचित वर्गों के बच्चे भी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सके। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यही एकमात्र उपाय है।"

8. ग्रामीण एवं नगरीय असमानता दूर करने के लिए–ग्रामीण तथा नगरीय असमानता भी शिक्षा के क्षेत्र में दिखायी देती है। इस प्रकार की असमानता का प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण ग्रामीण लोगों को शिक्षा की वह सभी सुविधाएँ नहीं मिल पातीं, जोकि नगरों में नागरिकों को प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली का निर्माण ग्रामीण एवं नगरों के विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखकर रखा जाता है। इसलिए ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता की दर भिन्न रहती है। बड़े-बड़े महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र आदि केवल नगरों में ही स्थापित किये जाते हैं। इसलिये इस प्रकार की असमानता को दूर करके शिक्षा में समानता लाना अति आवश्यक है।

9. राष्ट्रीय प्रगति एवं जीवन स्तर सुधारने के लिए (For National Development and Improving the Standard of Life)–शिक्षा ही आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में नवीनता लाने में मदद करती है। आज विश्व के वही राष्ट्र विकसित हैं जो सर्वाधिक शिक्षित हैं। 1963 में हुई तेहरान कान्फ्रेंस में यह कहा गया कि शिक्षा स्वयं में साध्य न होकर एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, नागरिक भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। शिक्षा द्वारा ही बेहतर जीवन स्तर हो सकता है। यह तभी संभव है जबकि समाज में सबको समान शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जायें।

शिक्षा में न्याय एवं समानता प्राप्त करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समानता के लिए इस प्रकार सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके जिससे योग्यता की विभिन्नता को जीवित रखते हुए बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो सके। सभी व्यक्तियों को संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए सहयोग मिलना चाहिए। हमें संख्या के गुण की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि शिक्षा में समता व न्याय प्राप्त हो सके।

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020

www.bmdeducation.org

THE BIG BILLION OFFER
25% Discount
For first 10 students
Call us on 7206205020
B.Ed
M.Ed
D.Ed
DIRECT ADMISSION
LOWEST FEES
NCTE APPROVED
FREE BOOKS
ONLINE VIDEOS
DISSERTATION HELP
INTERNSHIP HELP
YEARLY EXAMINATION
SCHOLARSHIP FOR - SC/ST/OBC

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान द्वारा यहाँ धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं जब तक विभिन्न क्षेत्रों में समानता नहीं है। यही कारण है कि यहाँ शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता आरंभ से ही अनुभव की जा रही है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सबके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है पर 1986 की नई शिक्षा नीति में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए तथा असमानताओं को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो इसके लिए 'शैक्षिक अवसरों की समानता' से हमारा क्या अभिप्राय है यह जानना आवश्यक है।

◆◆◆

BMD COLLEGE OF EDUCATION
LEARN. BELIEVE. ACHIEVE
EST. 2008

Baba Mohan Das College of Education, Rewari , Haryana (123401) | Ph. 7206205020